"उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान सन् 1950 से 1990 तक"

डॉक्टर ऑफ फिलासफी
अर्थशास्त्र
की उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध – 2005

निर्देशक :
डा0 एम0 एल0 मौर्या
निदेशक एवं विभागाध्यक्ष–अर्थशास्त्र एवं बैंकिंग विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
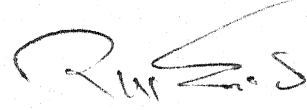
शोधार्थी :
जैनेन्द्र जैन
एम.कॉम.

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

2005

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जैनेन्द्र जैन ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान : एक समीक्षा विषय पर मेरे मार्गदर्शन में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध तैयार किया है। वे बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की पी–एच.डी. अध्यादेश के सभी उपबन्धों की पूर्ति करते हैं।

यह प्रबन्ध उन्हीं के अनुसंधान, परिश्रम एवं अध्ययन का परिणाम है तथा इस योग्य है कि परीक्षण के लिए भेजा जाए। इस प्रबन्ध का कोई भी अंश अथवा सम्पूर्ण प्रबन्ध किसी अन्य विश्वविद्यालय की शोध उपाधि के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनाँक : 04..04.2005

(डा0 एम0 एल0 मौर्या)
अध्यक्ष–अर्थशास्त्र एवं बैंकिंग विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

कृतज्ञता ज्ञापन

किसी भी देश का विकास उसकी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं औद्योगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत एक विकासशील देश है। जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है। देश के क्रमोत्तर विकास के लिए औद्योगिक विकास को स्वतंत्रता के बाद पर्याप्त क्रमोत्तर विकास के लिए औद्योगिक विकास को स्वतंत्रता के बाद पर्याप्त महत्व दिया जाने लगा। उ0प्र0 भारत का हृदय स्थल है किन्तु इसका समुचित औद्योगिक विकास न होने के कारण यह सामाजार्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कृषि उन्मुखी अर्थव्यवस्था को उद्योगोन्मुखी बनाने हेतु प्रदेश में अनेकों लोकोपक्रमों की स्थापना हो चुकी है। वस्तुतः किसी भी देश का विकास उस देश के प्रभावी कारकों के समान्तर चतुर्भुज का परिणामी बल होता है। समकालीन परिस्थितियों में औद्योगिक बल अत्यधिक प्रभावीकारक सिद्ध हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में लोकोपक्रमों की स्थापना इनके विकास, सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए डा0 एम0 एल0 मौर्या ने प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोध समस्या सुझाई और शोध विषय निरुपित कर उसमें अग्रसर होने का मार्ग दर्शन किया।

प्रस्तुत शोध विषय के चयन से लेकर उसी समाप्ति तक श्रद्धेय डा0 एम0 एल0 मौर्या से मुझे जो सहानुभूति एवं विद्वतापूर्ण निर्देशन प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन मात्र औपचारिकता होगी। शोधकर्ता उनकी विद्वत्ता, अनुभव और गुरु गरिमा के आगे श्रद्धा बना है। शोध कार्य के लिए सांख्यिकीय सरलता से कहीं भी उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। आंकड़े और सूचनाएँ एकत्रित करने में जवाहर भवन, लखनऊ की विधान सभा,

क्रमशः दो पर...........

पुस्तकालय लखनऊ से मुझे अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। जिन लेखकों के ग्रन्थों से इस प्रबन्ध में उद्धरण दिये गये हैं उनके प्रति मैं उपकृत हूँ।

मुझे हर्ष है कि मैं इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करके अपने पूज्य पिताजी श्री कन्हैया लाल जैन एवं माता श्रीमती सम्पत देवी जैन की आज्ञा का पालन कर सका, जो बहुत वर्षों से मेरे मन में इस महत्वाकांक्षा को जगाते रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ही यह कार्य पूरा हो सका। इसके साथ ही मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति जैन ने भी बहुत सहयोग दिया है। इनके प्रति आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे आत्मीयजन जो निरन्तर इस शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं उन सबके प्रति आभार प्रदर्शित करना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ।

दिनाँक : 04.04.2005

(जैनेन्द्र जैन)
शोधार्थी

विषय-सूची

अध्याय
प्रथम

अध्याय–प्रथम

प्राक्कथन

प्रो0 हेन्सन ने अपनी पुस्तक "लोकोपक्रम और आर्थिक विकास" में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, "अनितम दृष्टिकोण चाहे कुछ भी हो, एक राष्ट्र जो आर्थिक रूप से विकसित होना चाहता है, के पास बृहत् स्तर पर सार्वजनिक उपक्रमों के प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है।"

औद्योगीकरण, आधुनिक युग की एक अनिवार्य मांग है, क्योंकि औद्योगिक विकास आज एक युग धर्म बन चुका है। यह सम्पन्नता का प्रतीक ही नहीं वरन् पर्याय है। औद्योगीकरण आज समस्त राष्ट्रों को प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने, आर्थिक पिछड़ेपन व बेरोजगारी का नामोनिशान मिटाने, प्रादेशिक संतुलन स्थापित करने, संसार पर प्रभावी प्रभुत्व जमाने और राष्ट्र को सुदृढ़, स्वावलम्बी ही नहीं वरन् सर्वशक्तिमान बनाने का एक अमोघ अस्त्र, और एक रामबाण औषधि बन गया है। अर्थ व्यवस्था चाहे कृषि प्रधान हो, खनिज सम्पन्न हो, विकासशील या अविकसित ही क्यों न हो, औद्योगीकरण को प्रगति एवं सम्पन्नता का मात्र आधार ही नहीं वरन् उसके विकास का मापदण्ड एक स्वर से स्वीकार करते हैं। विषय पर अधिकारिक मनीषियों द्वारा आर्थिक विकास के जो सोपान दर्शाए गए हैं, वे भी भौतिक उन्नति की सर्वोच्च सीढ़ी पर जिस मन्दिर की स्थापना एवं आराध्यदेव की पूजा की बात करते हैं वह औद्योगीकरण देव ही हैं और वह पूजास्थली निश्चय ही औद्योगिक तीर्थ स्थान है। इन्हीं विचार सुमनों का प्रस्फुटन हमारे देश में आधुनिक औद्योगीकरण की आधारशिला रखने वाले प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पं0 जवाहरलाल नेहरू ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया था–

"समस्त राष्ट्र जिस देवता का पूजन करते हैं, वह देवता है औद्योगीकरण, वह देवता है मशीन, वह देवता है बृहत उत्पादन तथा अधिकाधिक लाभ हेतु प्राकृतिक शक्तियों एवं साधनों का अधिकतम विदोहन एवं उपभोग और वे तीर्थ स्थल हैं सार्वजनिक उपक्रम।"

आर्थिक इतिहासकारों का यह अभिमत है कि जिन देशों ने औद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण की ओर जितने विलम्ब से कदम उठाये हैं, उनमें सरकार की भूमिका की उतनी ही अधिक आवश्यकता की अनिवार्यता अनुभव हुई है। इंग्लैण्ड की तुलना में जर्मनी

व जापान एवं सोवियत रूप, जिनका औद्योगिक विकास बाद में हुआ, वहाँ की सरकारों ने आर्थिक विकास में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा देश भारत, जो कि शताब्दियों की दासता के पश्चात्, इन विकसित देशों से कई शताब्दियों पश्चात्, चालीस वर्ष हुए, जब स्वतन्त्र हुआ है उसमें त्वरित गति से औद्योगीकरण हेतु सरकार की भूमिका का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीयता की होड़ में और दौड़ में जो राष्ट्र पिछड़ गए, वह फिर पीछे ही रहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी एवं स्थायी स्वरूप देने के लिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से आगे आना ही पड़ता है। आर्थिक आयोजन को व्यापक रूप देना पड़ता है और जैसा हेन्सन ने ही कहा है, ''बिना योजना के लोकोपक्रम कुछ प्राप्त कर सकते हैं किन्तु बिना लोकोपक्रमों के योजना सम्भवतः कागज पर ही रह जायेगी।'' अस्तु यह समीचीन एवं त्वरित आर्थिक संतुलित विकास अल्पावधि के अन्तर्गत, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को देखते हुए, देश के संसाधनों का संयुक्तिपूर्ण विदोहन, अवस्थापना सेवाओं का विकसित जाल एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति, निजी क्षेत्रों के विकास द्वारा सम्भव नहीं अस्तु मात्र विकल्प, हमारे समक्ष सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र या लोकोपक्रमों का राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर इस प्रकार विस्तार व विकास करना रहा जाता है जिससे देश व प्रदेश की सामाजार्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, योजनाओं के लक्ष्यानुरुप राष्ट्रीय व प्रादेशिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके, और सुलभ हो सके, सरलता एवं शीघ्रता से सामाजिक न्याय और सर्वांगीण संतुलित चतुमुर्खी विकास।

हमारे देश की विकासशील अर्थ व्यवस्था में सामाजार्थिक समस्याओं का सम्मिश्रण कुछ इस प्रकार का है कि सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापक विस्तार एक अनिवार्यता बन गई है। व्यापक निर्धनता, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि, अशोषित प्राकृतिक साधन, निर्बल अब संरचना, विकासनुरूप सामाजार्थिक संस्थाओं का न होना, आर्थिक विषमताएं एवं सामाजिक न्याय की अनुपस्थिति आदि ऐसी अनेकानेक समस्यायें हैं जिनका निवारण सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थात् लोकोपक्रमों एवं लोकोपयोगी सेवाओं का विकास एवं विस्तार करके ही सम्भव है। विकास पंछी को गतिशीलता के पंख प्रदान करने हेतु जिस आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है, वह हमारे देश भारत में अनुपस्थित है और विकास के उत्प्रेरक तत्व अत्यन्त क्षीण हैं। अस्तु इस समस्त वातावरण को विकासनुरूप

क्रान्तिकारी रूप देने हेतु, देश में औद्योगिक प्रजातंत्र के माध्यम से सामाजार्थिक क्रान्ति लाने हेतु और अंततः सहस्त्रों भारतीय दरिद्र नारायणों को सामाजार्थिक ऋण दिलाने हेतु देश एवं प्रदेशों की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को अदम्य साहस एवं समेकित, समन्वित एवं संतुलित, बृहत् स्तरीय प्रयास की नितांत आवश्यकता है।

इस वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वतन्त्रोत्तर काल में भारतीय आर्थिक एवं औद्योगिक ढांचे में आमूल–चूल परिवर्तन लाया गया, जिससे देश स्वयं स्फूर्ति की अवस्था से परिपक्वोन्मुख अवस्था और अन्ततः प्रचुर उपभोग की अवस्था (डब्ल्यू.डब्ल्यू.रस्टोव) में शीघ्रताशीघ्र प्रवेश करा सके। अभीष्ट प्राप्त करने के लिए योजनात्मक अर्थ व्यवस्था में मिश्रित अर्थ व्यवस्था रूपी रथ को सार्वजनिक व निजी क्षेत्र रूपी दो पहियों पर इस प्रकार रख दिया गया, जिससे सामाजिक उत्थान में व त्वरित गति से राष्ट्रीय औद्योगीकरण के मार्ग में कोई रोड़े न अड़ सके। परन्तु मिश्रित अर्थ व्यवस्था के मार्ग में, आर्थिक सत्ता का केन्द्रण, औद्योगिक एकाधिकार, क्षेत्रीय औद्योगिक विषमताएं, प्रादेशिक असंतुलन, सार्वजनिक क्षेत्र में कुशलता का अभाव, लक्ष्यानुरूप उत्पादन की अनिश्चितता तदनुसार उत्तरोत्तर बढ़ता घाटा जैसे अवरोध व गतिरोध उभर कर स्थायी एवं विकराल रूप में उदय हुए। शीघ्र ही यह भी स्पष्ट हुआ कि निजी क्षेत्र तो निजी स्वार्थ की ही सोच सकता है, उससे कोई सार्थक योगदान, यथा आधारभूत उद्योगों की स्थापना, अवस्थापना सुविधाओं का प्रसार, देश की समीचीन सामाजार्थिक समस्याओं का निदान, क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति, औद्योगिक मरुस्थलों का विलुप्तीकरण, विदेशी मुद्रार्जन एवं राष्ट्रपक्ष में भुगतान संतुलन करने जैसी अति ज्वलन्त समस्याओं क़ा राष्ट्रीय स्तर पर तत्कालिक हल करने में कोई महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका निभाने की आशा नहीं की जा सकती। अस्तु इस समस्त वातावरण को विकासानुरूप क्रान्तिकारी रूप देने हेतु देश की सामाजार्थिक संरचना को एक अदम्य साहस एवं समेकित, समन्वित एवं संतुलित बृहत स्तरीय प्रयास की अनिवार्यता है। इस प्रकार के दधीचि प्रयास सरकार के सक्रिय माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की विस्तार प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। आज अब भारतीय योजनात्मक अर्थ व्यवस्था में विकास एवं न्यायोचित विवरण दोनों ही समस्याओं के निवारणार्थ कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, प्रगति के लाभों की निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों तक पहुंचाना है, औद्योगिक संरचना को उदृढ़ता प्रदान करना है, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक संतुलन को शीघ्रता से सम्भव बनाना है, वांछित उद्योगों एवं व्यवसायों का विकास

करना है, राष्ट्र की आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता को कुछ अर्थ एवं स्थायित्व प्रदान कर अक्षुण बनाना है, तो इन लक्ष्यों को पूर्ति एवं प्राप्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना एक पूर्व शर्त है।

जहाँ सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से देश के कर्णधारों ने, शीर्षस्थ नेताओं ने व राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों ने सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व को पहचाना है वहां योजनाकारों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उत्तरोत्तर बढ़ते महत्व को पहचाना है तथा प्राथमिकता प्रदान की है वहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण भी योजनान्तर्गत विनियोजन के महत्व को दर्शाता है–

योजनाकाल	कुल विनियोजन (करोड़ रु0 में)	सार्वजनिक क्षेत्र पर विनियोजन (करोड़ रु0 में)	विनियोजन का प्रतिशत	
			सार्व0क्षेत्र	निजी क्षेत्र
प्रथम योजनाकाल	3760	1960	46.0	54.0
द्वितीय योजनाकाल	7772	4672	54.0	46.0
तृतीय योजनाकाल	24882	15902	68.0	32.0
चतुर्थ योजनाकाल	53411	39303	55.0	45.0
पंचम योजनाकाल	47561	31400	66.0	34.0
षष्ठम् योजनाकाल	61000	14377	50.1	49.9
सप्तम योजनाकाल	348148	180000	52.0	48.0

निश्चय ही सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर उड़ेली अगणित धनराशि भारतीय योजनात्मक अर्थ व्यवस्था को नये–नये क्षितजों तक पहुंचायेगी और ये सार्वजनिक क्षेत्र के लोकोपक्रम निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। ऐसी ही आशा लेकर देश के योजनाकार योजनामृत द्वारा निष्प्राण भारतीय अर्थ व्यवस्था को एक सुदृढ़, सुनिश्चित और सजीव सुरेखा प्रदान कर नवीन युग के पूज्यस्थल एवं तीर्थ स्थलों का निर्माण करेंगे। आज सार्वजनिक क्षेत्र पर विनियोजित धनराशि जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही है उससे सरकार नय क्षेत्रों में पदार्पण कर रही है और नये–नये क्षेत्र, नये क्षितिज, नई दिशायें एवं नये मोड़ स्वतः खुलते जा रहे हैं और पिछले 37 वर्षों से ही यह सार्वजनिक क्षेत्र का अंकुरित वटवृक्ष, विशाल क्षेत्र में फैलता, फूलता और फलता न मालूम कितनी नई दिशाओं में बढ़ता चला जा रहा है।

इस प्रकार लोकोपक्रम को देश के आर्थिक मोक्ष प्राप्त का सुदृढ़ व स्थायी सोपान माना जाने लगा और इन पर अपार सम्पदा विनियोजित की जाने लगी, जिससे देश के हर प्रदेश में औद्योगिक मरुस्थलों का विलुप्तीकरण हो सके, रोजगार के अवसर पर इस प्रकार बढ़ें कि बेरोजगारी का नामोनिशान न रहे, उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण किया जाये जिससे प्रादेशिक संतुलन सम्भव हो सके और औद्योगिक क्रान्ति का स्वप्न साकार किया जा सके। परन्तु पिछले 37 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले लोकोपक्रमों की जो स्थिति उभरी है, उसकी मात्र कल्पना हमारे तन–मन को झकझोर कर एक ऐसे झंझावत उत्पन्न करती है जिसमें भविष्य तो क्या वर्तमान भी घोर अंधकार एवं निराशामय मनोभावनाएं उत्पन्न करने लगता है। प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र को लोग, 'सफेद हाथी', 'भ्रष्टाचार के अड्डे', 'भाई–भतीजावाद के चारागाह' के कुत्सित नामों से अलंकृत करने में नहीं हिचकते। तो क्या ऐसा है ? यदि है तो क्यों? और फिर इन सबका निदान क्या है ? इन्हीं सब संदेहों, आलोचनाओं और आपत्तियों ने सार्वजनिक क्षेत्र, पर एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। आज विशेषकर यह बात जोरों पर है कि लोकोपक्रमों में उत्तरोत्तर घाटा क्यों हो रहा है ? कार्य कुशलता हीन क्यों है ? निष्पादन असंतोषजनक क्यों है ? लाभदायकता के स्थान पर हानि और अत्यधिक हानि उत्तरोत्तर चिन्तनीय एवं विषम क्यों है ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी के शब्दों में, "हम पूँजी लगाते चले जायें और हमें 10 प्रतिशत भी लाभ न हो, यह नहीं चल सकता। अब काम का पूरा नजरिया बदलना होगा।" उन्होने आगे कहा, "पिछले वर्ष जिन उद्यमों में उपलब्धि अच्छी रही उनमें भी अब स्थिति बिगड़ गई है, इस प्रकार कोयला, बिजली, उर्वरक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों में स्थिति निराशाजनक है।" एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा, "कई परियोजनायें कुछ समय तक चालू रहने के बाद बन्द हो जाती हैं जिससे उत्पादन के लक्ष्य हासिल नहीं होते।" (आज, नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1983)।

विडम्बना और विस्मय इस बात का है कि जिस प्रदेश को देश का हृदय कहा जाता है, जो देश की सर्वाधिक 12 करोड़ जनसंख्या वाला प्रदेश है, जिसने संसार को एक नव सभ्यता सृजित की, जहां गंगा–यमुना जैसी अविरल धाराओं ने उर्वरक भूमि प्रदान कर कृषि उद्योग का समनिवत, स्वर्णिम अतीत प्रदान किया और स्वतन्त्रोत्तर काल

में देश को प्रथम तीन प्रधानमंत्री दिये उसी को मात दी जा रही है। कल तक के पिछड़े प्रदेशो द्वारा और इस प्रकार उत्तर प्रदेश के दो शब्द, यू0पी0 ''अण्डर प्रोडक्शन'' के पर्याय बन गए हैं। आज भी प्रदेश के 10 जनपद उद्योग शून्य हैं, कुछ ऐसे भी जनपद हैं, जहाँ सावजनिक क्षेत्र रूपी सूर्य द्वारा एक भी किरण नहीं पहुंचाई जा सकी है। परिणामतः जहाँ एक ओर विश्व–विकास प्रतिवेदन के अनुसार प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन को देखते हुए संसार में भारत का स्थान निर्धनतम देशों में पाँचवाँ है, वहीं उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 25 प्रदेशों में से 5 या 6 को छोड़कर सबसे कम है। राष्ट्र की तुलना में 4.52 प्रतिशत के स्थान पर प्रदेश में 2.78 प्रतिशत व्यक्ति ही उद्योगों में लगे हैं और प्रदेश की विकास दर भी अपेक्षाकृत असंतोष जनक चल रही है। यद्यपि प्रदेश के आर्थिक ढाँचे को एक नया आशामय स्वरूप देने को एवं प्रदेश के सुंदराँचलों का संतुलित विकास करने हेतु, प्रदेश के दरिद्र नारायणों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाने हेतु, कृषोन्मुखी अर्थ व्यवस्था को उद्योगोन्मुखी बनाने हेतु प्रदेश में अब तक 57 लोकोपक्रमों की स्थापना की जा चुकी है, फिर भी शोध प्रबन्ध में लिये गये 19 प्रादेशिक व एक केन्द्रीय लोकोपक्रम कुल मिलाकर उत्तरोत्तर गहराती हुई हानि को प्रदर्शित करते हैं जो अति चिन्तनीय एवं दुखद स्थिति का आभास दिलाता है। प्रदेश के इन लोकोपक्रमों के प्रति जो आशंका, अविश्वास यत्र–तत्र–सर्वत्र मुखरित हो रहा है जो विवाद एंव संशय के घेरे सार्वजनक क्षेत्र को व्यर्थ ही बदनाम व बेनाम करने को लगे हैं उस विषम स्थिति से कैसे इन्हे उबारा जाय, इनकी विफलताओं को सफलताओं में, अविश्वास को विश्वास में, निराशा को आशा में किस प्रकार परिवर्तित किया जाय, जिससे ये प्रकाश पुंज अन्धकार के गहनतम घेरे को मिटा सके और प्रदेश मे कृषोन्मुखी अर्थ व्यवस्था को उद्योगोन्मुखी बना सके, उद्योग शून्य जनपदों में लोकोपक्रकों को सफलतापूर्वक चला सके, स्थानीय रोजगार के अवसर पर उत्पन्न कर सके, लोकोपक्रमों को लाभार्जन की स्थिति में ला सके और एक आशामय सुनिश्चित स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने में सहायक हो सके, इस सभी के विकल्प, इस सब के लेखे–जोखो व प्रारम्भिक कठिनाइयों से बचाव, असामान्यतया उत्पन्न होने वाले अवरोध और उनका निराकरण करना इस शोध प्रबन्ध का मूल उद्देश्य है। कौन–कौन सी अव्यवहारिक नीतियाँ व रीतियाँ आज की निराशाजनक स्थिति के लिए उत्तरादायी रही है, उनको व्यवहारिकं कैसे बनाया जाये जिससे प्रादेशिक लोकोपक्रमों का एम समग्र, सुन्दर आशामय चित्र उभरे व प्रदेश में

ऐसे वातावरण को उत्पन्न किया जा सके। प्रोदशिक सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को पूरा किया जा सके व प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन को मिटाया जा सके, बढ़ती बेकारी पर अंकुश लगा सके, प्रदेश के ऊर्जा स्रोतों का समुचित विदोहन करके सस्ती अवस्थापना सुविधाओं का प्रसार करके, प्रदेश को एक देदीप्तमान स्वरूप प्रदान किया जा सके। इस अभीष्ट हेतु प्रादेशिक स्तर पर समन्वित योजना एवं जनपदीय स्तर पर योजनाबद्ध विकास खण्डीय रणनीति व अर्थनीति का सहारा लिया जा सके जिससे उत्तर प्रदेश के उद्योग शून्य जनपदों में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार द्वारा प्रादेशिक औद्योगीकरण का एक सफल, साल, सार्थक एवं समन्वित चित्रण इस शोध प्रबन्ध के माध्यम से किया जा सके। असतु मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि समय और साधनों की सीमितता, लोकोपक्रमों के अधिकारियों व निदेशकों के असहयोगी पूर्ण व्यवहार के बावजूद मेरा यह प्रयास निश्चय ही अभिनव मार्ग प्रशस्त करने में पर्याप्त रूप से सहायक होगा और मेरे विचार प्रसून मात्र शोध प्रबन्ध को सुशोभित व सुरभित ही नहीं करेंगे, वरन् व्यवारिक चिन्तन प्रस्तुत करेंगे जो जन–मानस को नवीन प्रेरणा एवं चेतना का सही एवं सद्मार्ग प्रशस्त करने में पूर्णतया सहायक हांगे।

शोध संरचना :–

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध आठ अध्यायों मे विभक्त होगा। इसमें प्रथम अध्याय से पूर्व प्राक्कथन सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है और पर्याप्त स्पष्टीकरण से उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन, लोकोपक्रमों की असंतोषजनक स्थिति और उनके सुधार की अनिवार्यता पर प्रकाश डालेगा।

शोध संरचना का प्रथम अध्याय उत्तर प्रदेश के भौगोलिक व सामाजिक स्थिति, प्रदेश के अनेकानेक निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों तथा उद्योग शून्य जनपदों की स्थिति को दर्शायेगा। साथ में प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए विदेशी ही नहीं वरन् राष्ट्रीय सरकार की राजकीय नीति व रीति, अनुदारता एवं अदूरदर्शिता के दुष्परिणामों को परिणिति है इसे भली प्रकार दर्शायेगा। जिसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक स्थापित 57 सार्वजनिक उद्यमों के अविवेकपूर्ण, अनिश्चय एवं उद्देश्यहीन विस्तार एवं विकास होने के कारण, प्रादेशिक आर्थिक उत्थान व राष्ट्रीय विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई जा सकेगी।

शोध प्रबन्ध के दूसरे अध्याय में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित इंजीनियरिंग लोकोपक्रमों में से एक केन्द्रीय लोकोपक्रम "भेल" झाँसी का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ–साथ प्रादेशिक लोकोपक्रम स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में स्थापित इकाइयों की स्थिति, उद्देश्य, उत्पादन, सफलतायें, समस्यायें एवं औद्योगिक महत्व को दर्शाया गया है।

तीसरा अध्याय उत्तर प्रदेश के वस्त्र उद्योग में हाल में ही गठित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर का सविस्तार वर्णन किया गया है तथा प्रदेश की रुग्ण इकाइयों के विषय व उसके परिणाम व उससे उपजी स्थिति को दर्शाया गया है।

शोध संरचना का चतुर्थ अध्याय प्रदेश में स्थापित विभिन्न सीमेन्ट उद्योगों की स्थिति व स्थापना के कारण पर सर्वप्रथम प्रकाश डालेगा। तत्पश्चात् उत्पादन लक्ष्य, उसकी सफलताओं व समस्याओं एवं औद्योगिक महत्व का मूल्यांकन करेगा। इस हेतु प्रदेश के अग्रणी उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड तथा चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर का विषद विवेचन प्रस्तुत किया है।

शोध प्रबन्ध के पंचम अध्यान्तर्गत प्रदेश की तीन प्रमुख वित्तीय संस्थायें (1) यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर, (2) प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तथा (3) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर को लिया गया है। क्योंकि लोकोपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रमुख रूप से इन्हीं संस्थाओं से मिलती है। वित्तीय सहायता का एक समेलित विवरण भी अलग–अलग प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में वित्त प्रदान करने की सीमाओं एवं वित्त वसूल करने की समस्याओं व उनका समाधान भी प्रस्तुत किया जायेगा।

षष्ठम् अध्याय में उत्तर प्रदेश के ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों का वर्णन है। इस सम्बन्ध में अधिकांशतः अग्रणी इकाई व प्राचीनतम स्थापित उद्योगों को लिया गया है। जिसमें से प्रमुख लोक उद्योग निम्नांकित हैं जिनकी स्थिति, उद्देश्य, सफलतायें, समस्यायें एवं औद्योगिक महत्व को दर्शाया गया है। सांख्यिकी की सहायता से जहाँ कहीं भी

आधुनिक स्थिति की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं उन्हें भी यथाशक्ति स्पष्ट किया गया है, ये उद्योग हैं–

(1) उत्तर प्रदेश ब्रास वेअर कार्पोरेशन, मुरादाबाद।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ।

(3) दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली।

(4) उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, लखनऊ।

(5) उत्तर प्रदेश रज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, कानपुर।

(6) उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम, आगरा।

(7) उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, लखनऊ।

(8) उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

(9) अन्य स्थापित प्रमुख लोकोपक्रम।

शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्यायान्तर्गत प्रदेश की दो प्रमुख लोकोपयोगी सेवाओं (1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ तथा (2) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ की हानिप्रद स्थिति को पूर्णतया उसके आधुनिकतम कारणों सहित दर्शाया गया है। वस्तुतः यह दो अवस्थापना सम्बन्धी अनिवार्य सेवाएँ ऐसी विषम स्थिति में हैं जिससे प्रदेश के लोकोपक्रमों की सम्पूर्ण स्थिति को ही एक अति असंतोषजनकहीन हो वरन् लज्जात्मक स्थिति में लाकर रख दिया है। इस स्थिति से उबरने हेतु सारगर्भित सुझाव भी अध्याय में ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

शोध प्रबन्ध के अन्तिम अष्टम् अध्याय में प्रदेश के समस्त लोकोपक्रमों के द्वारा प्रदेश में औद्योगीकरण का वातावरण तैयार करने में जहाँ तक सफलता मिल पाई है, इस हेतु एक समग्र, समेकित विस्तृत सारणी प्रस्तुत की गई है। जो प्रदेश के लोकोपक्रम की सम्पूर्णानुसार वस्तु स्थिति की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है तथा अति विषम आशा के विपरीत हानिप्रद स्थिति को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न लोकोपक्रमों व लोकोपयोगी सेवाओं की सफलताओं और विफलताओं का भी लेखा–जोखा प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त नये–नये औद्योगिक क्षेत्रॉंचलों में अभिनव उद्योग कहाँ–कहाँ लगाये जा रहे हैं व उद्योग शून्य जनपदों की प्रगति क्या है, इसकी भी विवेचना प्रस्तुत की गई है।

अन्ततोगत्वा लोकोपक्रमों के असंतोषजनक निष्पादन, हानि की स्थिति और उसके विभिन्न कारणों पर हर दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है तथा फिर उनके निराकरण के विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जो किसी हद तक अभिनव एवं मौखिक हैं साथ–साथ वे पूर्णतया व्यवहारिक भी हैं जिन्हें यदि मनसा–वाचा–कर्मणा से लागू किया जाय, तो निश्चय ही प्रदेश का एक आशामय, उल्लासमय चित्र उभरेगा और प्रत्येक जन–मानस को आर्थिक ऋण मिलेगा, अर्थमोक्ष प्राप्त होगा और अन्ततः वर्षा होगी– सुख और सम्पन्नता की, शान्ति और सन्तोष की।

शोध संयंत्र :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की इस अष्टखण्डीय इमारत को साकार रूप देने हेतु मैंने दो प्रकार के संयंत्रों का सहारा लिया है–

(अ) प्रत्यक्ष संयंत्र।

(ब) परोक्ष संयंत्र।

(अ) प्रत्यक्ष संयंत्र :

स्थलीय सर्वेक्षण–

शोध प्रबन्ध प्रारम्भ करने से पूर्व मुझे यह पूर्ण विश्वास था कि चूँकि अधिकांश लोकोपक्रम सरकार द्वारा संचालित है तथा अपनी प्रगति, उन्नति, अवनति, लाभ, हानि सभी का लेखा–जोखा प्रस्तुत करते ही हैं और सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से उनके ये अभिलेख गोपनीय नहीं होते हैं। अस्तु जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से मुझे यह सब लेखे–जोखे तो प्राप्त हो ही जायेंगे व साथ–साथ लोकोपक्रमों की कार्य पद्धति, उत्पादन विधि, कच्चे माल की प्राप्ति, क्रय–विक्रय सभी गतिविधियाँ देखने को मिल जायेगी। इस हेतु मैंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा सभी महत्वपूर्ण केन्द्रीय एवं प्रादेशिक लोकोपक्रमों से सम्पर्क करने व सूक्ष्मावलोकन हेतु अनुमति मांगी और उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि आप द्वारा प्राप्त सूचना व समंक मात्र शैक्षिक उद्देश्य से काम में लाये जायेंगे और न मैं इनका कदापि दुरुपयोग करूँगा न किसी अन्यान्य व्यक्ति को करने दूँगा। परन्तु मेरा दुर्भाग्य और विडम्बना यह रही कि एक से भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जिससे मुझे कितनी निराशा एवं मानसिक पीड़ा हुई इसे

में शब्दों में अंकित नहीं कर सकता।

जनसम्पर्क अधिकारियों से वार्तालाप–

इसके पश्चात् धैर्य व संतोष का सहारा लेकर मैं झाँसी, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मिरजापुर गया। कुछ ही स्थान पर भाग्यवश जनसम्पर्क अधिकारी मिल सके तथा अधिकांश के मुँह पर एक रटा–रटाया नारा सा था कि ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत आप संस्था की गतिविधियों व कार्यकलापों का निरीक्षण कर सकें। तब मैंने उनसे करबद्ध विनम्र निवेदन किया कि मुझे कृपया कुछ वार्षिक रिपोर्ट ही कुछ वर्षों की दे दें। उनका उत्तर था कि इन्हें मैं भिजवाने की कोशिश करूँगा, अभी मात्र मेरी सहानुभूति आपके साथ है। इस पन्द्रह दिन में यह भेज दी जायेगी, परन्तु वे दस–पन्द्रह दिन आज तक शायद पूरे नहीं हो पाये।

प्रभावशाली व्यक्तियों का माध्यम–

इस हेतु फिर मैंने कई लोकोपक्रमों में प्रभावशाली एवं अधिकारियों से परिचित एम0एल0ए0 व एम0एल0सी0 एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में अनुनय विनय की, परन्तु भाग्य ने मेरा साथ यहाँ भी नहीं दिया। इसका एक उदाहरण झाँसी "भेल" का देना पर्याप्त समझता हूँ जिसमें मालूम नहीं उस विशिष्ट व्यक्ति ने स्वयं और मेरे साथ कम से कम बीसों चक्कर लगाने का कष्ट किया, तब कहीं झाँसी "भेल" के कार्यकलापों पर नीं वरन् "भेल" की सभी शाखाओं की प्रयास किया गया है। जिससे व्यक्ति विशेष विभाग विशेष और व्यापार एवं उद्योग विभाग निश्चय ही लाभान्वित होंगे। रिपोर्ट थी, जिसमें "भेल" झाँसी की इकाई का कोई विशेष उल्लेख न था। चूँकि शोध संरचना में अधिकांश इकाइयों कानपुर एवं लखनऊ में स्थित थीं, अतः एक दो इकाइयों को छोड़कर शेष में निराशा ही हाथ लगी।

(ब) परोक्ष संयंत्र :

प्रादेशिक लोकोपक्रम एवं अन्य केन्द्रीय लोकोपक्रम व लोकोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित सामग्री के सैद्धान्तिक विवेचनार्थ निम्न संयंत्रों की सहायता ली गई है–

(1) आधिकारिक विद्वानों की पुस्तकें।

(2) शासनादेश।

(3) विभागीय प्रकाशित सामग्री।

(4) मासिक पत्र–पत्रिकायें एवं

(5) दैनिक समाचार पत्र।

अस्तु परोक्ष संयंत्र के माध्यम से ही इस शोध संरचना का सटीक विवेचन, विश्लेषण एवं आलोचनात्मक प्रस्तुतीकरण संभव हो सका है। ऐसे में यद्यपि मैंने यत्र–तत्र सर्वत्र मौलिक विचार प्रसूनों से इस शोध प्रबन्ध के सम्पूर्ण हार को संरचित कर पूर्ण करने का विशेष प्रयास किया है फिर भी यदि कोई जिज्ञासु पूर्णरूपेण सूक्ष्मावलोकन कर विचार मन्थन द्वारा मौलिक को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो निश्चय ही उसे निराशा ही हाथ लगेगी। इसका तात्पर्य कदाचित् यह नहीं कि कहीं कोई अभिनव सुझाव व्यवहारिक सुझाव या लीक से हटकर सटीक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया, वरन् निश्चय ही इस गहन गागर में सागर भरने का अनूठा, अवलोकनीय प्रयास किया गया है, जिससे व्यक्ति विशेष, विभाग विशेष और व्यापार एवं उद्योग विभाग निश्चय ही लाभान्वित होंगे।

उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त भौगोलिक विवरण

भारतीय गणतन्त्र के 32 प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश एक है। यह भारत के उत्तर में 23^0–52^0 उत्तरी अक्षांश से 31^0–28^0 उत्तरी अक्षांश तथा 77^0–3^0 पूर्वी देशान्तर से 84^0–39^0 पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ है। सिंहवत आकार के इस प्रदेश के उत्तर में चीन (तिब्बत) और नेपाल, उत्तर पश्चिम में हिमांचल प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूरब में बिहार तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान के प्रदेश हैं। प्रदेश 70 जनपदों में बँटा हुआ है। जिसमें 809 विकास खण्ड हैं। प्रदेश का क्षेत्रफल 294413 वर्ग किमी0 है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह चार भागों में विभक्त है– (1) उत्तरी पर्वती प्रदेश, (2) तराई प्रदेश, (3) गंगा–यमुना व अन्य नदियों का मैदानी प्रदेश, (4) दक्षिण का पठारी प्रदेश।

इसकी प्रमुख नदियाँ गँगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चम्बल, बेतवा, सिन्ध, केन व सोन आदि हैं। जलवायु के दृष्टिकोण से प्रधानतः तीन ऋतुएँ ग्रीष्म, वर्षा व शीत है। प्रदेश में पठारी भाग में न्यूनतम 50 सेमी0 व उत्तरी पर्वतीय प्रदेश

में अधिकतम 150 सेमी0 वर्षा होती है। प्रदेश में अनेक प्रकार के वन पाये जाते हैं। जिसका क्षेत्र प्रदेश का 17.42 प्रतिशत है। प्रदेश में कॉप मिश्रित लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, जो हिमालय से निकली नदियों द्वारा लाई गई है।

सिंचाई, नलकूप, कुएँ, तालाब, नहरों द्वारा होती है। प्रमुख नहरों में ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, बेतवा नहर, केन नहर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर व अन्य नहरें आदि है। विद्युत योजनाओं में जल विद्युत माता टीला, ओबरा, यमुना व टेहरी (ताप विद्युत) ओबरा, पारीछा (झाँसी), अनपारा (मिर्जापुर), टॉडा (फैजाबाद), सिंगरौली सुपर ताप विस्तार योजनाएँ प्रमुख हैं तथा नरौरा (बुलन्दशहर) में परिमाणु विद्युत योजनाएँ संचालित हैं। बहुउद्देशीय योजनाओं में प्रमुख, रामगंगा परियोजना, रिहिन्द बाँध, शारदा परियोजना, माताटीला, टेहरी बाँध, शारदा सहायक परियोजना जैसी कुल मिलाकर 12 योजनाएँ चल रही हैं।

खनिज सम्पदा के दृष्टि से प्रदेश का कोई महत्व नहीं। चूना पत्थर, डोलोमाईट, कोयला, भूरा कोयला, मैगानेसाईट, ताँबा, बाक्साइट, मैगनीज, एवरेस्ट्स, चीनी, मिट्टी आदि थोड़ी बहुत मात्रा में पाये जाते हैं। जिसका कार्यभार भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण खनिज समन्वेषण निगम व भारतीय खान ब्यूरो करता है।

कृषि में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत 78 है। प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, चना, चावल, जौ, मक्का, बाजरा व जुण्डी, नकद फसलों में कपास, अलसी, गन्ना, चाय, मूंगफली, सरसों, लाही, तिल व तम्बाकू आदि होते हैं। प्रमुख फलों में आम, अमरूद, सन्तरा, माल्टा, नीबू, लीची, सेब, बेर आदि हैं।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 11,08,62,013 थी जो 1984 में बढ़कर 11,95,86,000 के लगभग थी, की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत वर्ष में प्रथम स्थान है तथा देश की जनसंख्या का लगभग छठा भाग उत्तर प्रदेश में वास करता है। प्रदेश में गांवों की संख्या अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक है। प्रदेश के 12 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। प्रदेश के प्रमुख नगर एवं औद्योगिक केन्द हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रायपुर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, बदायूँ, बरेली, मथुरा, शाहजहाँपुर, आगरा,

फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, झाँसी, गोड़ा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि हैं जिनमें से अधिकांशतः नदियों के किनारे बसे हुए हैं। प्रदेश में 17 कमिश्नरियाँ व 298 तहसील हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जबकि देश की राजधानी दिल्ली भी प्रदेश की सीमा पर बसी है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है।

उत्तर प्रदेश में उद्योग :

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की आधारशिला है जिस पर प्रदेश की 75 प्रतिशत जनसंख्या का जीवकोपार्जन होता है। इसी से प्रदेश की कुल आय का 68 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है, फिर भी औद्योगिक विकास की अनेकानेक सम्भावनाएँ व सुविधाएँ उपलब्ध हैं। उद्योगों के लिए प्रदेश में अनेक नकदी व्यावसायिक फसलों से कच्चा माल सुलभ होता है यथा देश के उत्पादन का 45 प्रतिशत गन्ना व 14 प्रतिशत तिलहन के अतिरिक्त चाय, तम्बाकू, पटसन कपास उत्पन्न होता है, जिससे वस्तुओं के निर्माण तथा परिशोधन से सम्बन्धित औद्योगिक विकास हेतु असीमित क्षेत्र है। परन्तु प्रदेश के 42 जनपद आज भी औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े घोषित हैं। आज भी प्रदेश में कृषि उपजों पर आधारित चीनी, तेल व सूती वस्त्र उद्योग ही स्थापित हो पाये हैं। निजयोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत सुनियोजित सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप, स्वतन्त्रोत्तर काल में औद्योगिक विकास में कुछ तेजी आई है। उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग का प्रमुख राज्य है। हथकरघा यहाँ का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। इसके अतिरिक्त ऊनी व सूती कपड़ा, चमड़ा और जूता, कागज, रसायनिक पदार्थ, शराब, कांच का सामान व कृषि उपकरण के उद्योग इस राज्य में प्रगति कर रहे हैं।

निजी क्षेत्र के उद्योग :

निजी क्षेत्र के उद्योगों में प्रमुख रूप से चीनी की 74 मिलें, सूती वस्त्र की 25 मिलें, ऊनी वस्त्र की 14 मिलें, जूट की 3 मिलें, रेशमी वस्त्र उद्योग वाराणसी, इटावा, कांच उद्योग में 90 कारखाने व कांच का सामान 32 कारखाने, चमड़ा उद्योग में आगरा, कानपुर व सहारनपुर अग्रणी हैं। दियासलाई उद्योग इलाहाबाद, लखनऊ तथा बरेली में,

साइकिल उद्योग आगरा, इलाहाबाद, कानपुर व वाराणसी वनस्पति घी उद्योग अलीगढ़, कानपुर एवं मोदी नगर में, कागज उद्योग लखनऊ, सहारनपुर में, एल्यूमीनियम–रेनकूट (मिर्जापुर), सीमेंट उद्योग चुर्क, डल्ला व कजराहट, इंजीनियरिंग उद्योग आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ तथा बरेली में, सिगरेट सहारनपुर तथा स्कूटर उद्योग लखनऊ आदि में हैं।

कुटीर उद्योगों में हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग देवबन्द (सहारनपुर), सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर), पिलखुआ (गाजियाबाद), मगहर (गोरखपुर), टाँडा (फैजाबाद), मउनाथ में जन व मुबारिकपुर (आजमगढ़) आदि केन्द्रों में प्रदेश की 2.8 प्रतिशत जनसंख्या लगी है। प्रदेश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग केन्द्र निम्न प्रकार से हैं– हथकरघा रेशमी वस्त्र उद्योग केन्द्र, वाराणसी, मिर्जापुर, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) संड़ीला (हरदोई) में हैं। कलई व पीतल के बर्तन मुरादाबाद, वाराणसी, हाथरस, फर्रुखाबाद व हापुड़ में ढलते बनते हैं। इत्र व तेल कन्नौज, जौनपुर व गाजीपुर में बनता है। कालीन आगरा, मिर्जापुर एवं त्रिदोही (वाराणसी) में बनते हैं। ताले, कैंची व चाकू के प्रमुख केन्द्र अलीगढ़, मेरठ व मथुरा में है। लकड़ी पर नक्काशी का काम नगीना (बिजनौर) व सहारनपुर में होता है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी मे बनाए जाते हैं। प्रेस व प्रकाशन का कार्य आगरा, इलाहाबाद, सहारनपुर एवं मेरठ में होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र : केन्द्रीय लोकोपक्रम :

प्रदेश में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक बड़े व लघु औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं जिससे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को तेजी से विकसित एवं संतुलित करने का प्रयास किया गया है। इनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं– डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी, उर्वरक कारखाना गोरखपुर एवं इलाहाबाद, पनकी फर्टीलाइजर कानपुर। मॉर्डन बैकरीज कानपुर भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स, नैनी (इलाहाबाद), इन्द्रियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज नैनी, इलाहाबाद, त्रिवेणी, स्ट्रक्चुरल्स, नैनी इलाहाबाद, सीमेण्ट कारखाना चुर्क, सीमेण्ट कारखाना कंजराहट, सीमेण्ट कारखाना उल्ला, हिन्दुस्तान सल्यूमिनियम कार्पोरेशन रेनकूट मिर्जापुर, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, रायबरेली, डीप फ्रीज मीट प्लान्ट, टूण्डला, हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर, अपट्रान डिजिटल सिस्टम

लिमिटेड लखनऊ, स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूतों संस्थान कानपुर, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर अपट्रान केपीसिटर लिमिटेड लखनऊ, तेल शोधक कारखाना मथुरा, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री झाँसी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र सिंगरौली, फाउण्डी पार्न हरिद्वार, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स ऋषिकेश तथा भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स हरिद्वार।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित, प्रादेशिक लोकोपक्रम एवं लोकोपयोगी सेवाएँ :

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित लोकोपक्रम एवं लाक सेवाओं की संख्या पर्वरी 1987 तक 59 थीं, जिनमें मूलतः विकास एवं लोक सेवाओं की इकाइयों के अतिरिक्त निर्माण सम्बन्धी एवं वित्तीय संस्थाएँ आती है। इनमें विशेष उल्लेखनीय जिनका विशेष योगदान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रहा है और जिनका विषद विवेचन शोध प्रबन्ध का मूल विषय है वे निम्न प्रकार से हैं–

यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड चुर्क (मिर्जापुर), उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड कानपुर, ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड लखनऊ, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड बरेली, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य सडत्रक परिवहन निगम लखनऊ, यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड कानपुर, यू0पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड आगरा, उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवेअर कार्पोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद।

इनके अतिरिक्त राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत 11 कताई मिलें चल रही हैं।

परिवहन सेवाएँ :

परिवहन के प्रमुख साधन वायु परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन व जल परिवहन क्रमशः है। इसमें से सड़क परिवहन प्रदेश के राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा

12 क्षेत्रों के अन्तर्गत संचालित है। नगर बस सेवा प्रदेश के सात बड़े नगरों में चल रही है।

प्रदेश में चार क्षेत्रीय रेलों में उत्तरी रेलवे व उत्तर पूर्वी रेलवे मध्य रेलवे व पश्चिम रेलवे संचालित हैं जिसके बड़े–बड़े जंक्शन आगरा, अलीगढ़, टूण्डला, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं गोरखपुर है।

वायु परिवहन के हवाई अड्डे गोरखपुर, झाँसी, बरेली, सहारनपुर, आगरा (खेरिया), लखनऊ (अमौसी), कानपुर (चकेरी), वाराणसी (बमरोली), इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद में ही नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र भी है।

गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में नौका परिवहन व्यवस्था है।

शिक्षा व्यवस्था :

सन् 1981 की गणना के अनुसार प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 27.16 है। प्रदेश में नर्सरी स्कूल 125, प्राथमिक स्कूल 72, प्राथमिक स्कूल 72,213 माध्यमिक स्कूल व इण्टर कॉलेज 5410 महाविद्यालय 387 तथा विश्वविद्यालय 19 हैं। इनके अतिरिक्त प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज, 9 आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, 3 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, 7 राष्ट्रीय शोध संस्थान तथा 3 विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएँ हरिद्वार, दयालबाग, आगरा व कानपुर में हैं।

महत्वपूर्ण संस्थाएँ :

प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएँ निम्न प्रकार से है–

कन्हैयालाल मणिक लाल केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा, राष्ट्रीय अन्य केन्द्र देहरादून, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पैट्रोलियम देहरादून, इण्डियन मिलीटरी एकेडमी देहरादून, फोरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट देहरादून, सेण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट रुड़की, सहारनपुर, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, इन्स्टीट्यूटी ऑफ सोशल स्टडीज टाक्सीकॉलोजीकल रिसर्च सेन्टर लखनऊ, नेशनल शुगर रिसर्च इन्सटीट्यूट

कानपुर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, सेन्ट्रल इण्डियन मेडिसन प्लान्ट्स आर्गेनाइजेशन लखनऊ, नेशनल बोटोलीकल गार्डन्स लखनऊ एवं सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल अयोध्या, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, ऋषिकेश, वृन्दावन हैं तथा प्रमुख पर्यटन केन्द्र फूलों की घाटी नैनीताल, मसूरी, बद्रीनाथ, सारनाथ, कौशाम्बी, आगरा, वाराणसी, मथुरा, प्रयाग आदि नगर हैं।

उत्तर प्रदेश में लगभग 85 संग्रहालय हैं जो कला, संस्कृति, विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्र, वाद्ययंत्र शिक्षा तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित हैं इनमें राजकीय संग्रहालय लखनऊ प्रदेश का प्राचीनतम संग्रहालय है। इसके अतिरिक्त राहुल सांकृत्यायन संस्थान गोरखपुर, सारनाथ संग्रहालय आदि प्रमुख हैं।

निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश राजनैतिक, सामाजार्थिक, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक दृष्टिकोण से समूचे भारत वर्ष का प्रतिबिम्ब है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा प्रदेश नहीं है। जिसके जनमानस की आकाक्षाएँ, कुँठाएँ, उतार–चढ़ाव तथा सफलताएँ एवं विफलताएँ प्रतिलक्षित हों। परन्तु कुल को प्रभावित करते हैं।

इस प्रकार देश का आर्थिक जीवन एवं औद्योगिक क्रिया कलाप बहुत हद तक उसके भौगोलिक प्राकृतिक एवं माननीय संसाधनों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत जैसा पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश आज भी प्राकृतिक विपदाओं व आपदाओकं से प्रभावित है जिससे भारतीय कृषि आज भी मानसून में जुड़ा ही कहा जाता है। यद्यपि प्रकृति ने भारत को अपार प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदा दी है फिर भी प्रकृति उन्मुक्त रूपसे सभी जगह समान रूप से उदार नहीं रही है ओर यही कारण है कि कहीं कहीं तो समीप में ही प्रकृति की उदारता और कृपणता दोनों ही दृष्टिगोचर होती है, तथा पंजाब व राजस्थान बंगाल और तमिलनाडु की भौगोलिक ही नहीं वरन् भाषा, वेशभूषा, खान–पान एवं रहन–सहन सभी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। असम की या पूर्वांचल किसी भी प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था, क्रियाकलाप पश्चिम के किसी भी भारतीय प्रदेश से भिन्न हैं। वस्तुतः भारत वर्ष प्राकृतिक ही नहीं, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक भिन्नताओं वाला देश रहा है। अनेकता में एकता प्रतीक भारतवर्ष

भिन्न–भिन्न मिट्टियाँ, वनस्पतियों एवं जलवायु वाला देश रहा है। वैचित्र्य एवं वैसम्य हर ओर और हर प्रकार से दीखता है। यदि एक ओर बाढ़ की विभीषिका है तो दूसरे ओर सूखे का संकट यदि एक ओर हरे भरे विशाल क्षेत्र पर फैले सदाबहार वन हैं तो दूसरी ओर मीलों मरुस्थली भूमि है। यदि एक ओर गगनचुम्बी अनन्त पर्वतमालायें हैं तो दूसरी ओर संसार के सर्वाधिक उपजाऊ हरे–भरे लहलहाते मैदान हैं। कुछ प्रदेश एवं क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आर्थिक एवं औद्योगिक समृद्धि के प्रचुर साधन सुलभ हैं जबकि कुछ प्रदेशों में कृषि उपज बाहुल्य है तथा अर्थव्यवस्था कृषि प्राधान्य है। अस्तु प्रादेशिक प्राकृतिक सामाजार्थिक विषमताओं एवं विभिन्नताओं के परिप्रेक्ष्य में योजनान्तर्गत विकास प्रक्रिया का मूल बिन्दु, प्रादेशिक स्तर पर ही ऐसी रणनीति तैयार करने का होना चाहिए, जिससे कि प्रादेशिक स्तर पर आर्थिक विकास प्रक्रिया को प्रदेश व क्षेत्र की परिस्थितियों, संसाधनों और अवसरों के अनुरूप ढाला जा सके जिससे शीघ्रतय, मिलाकर प्रदेश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास अन्य प्रदेशों के अपेक्षाकृत अभी भी पिछड़ी अवस्था में हैं। सम्भवतः प्रादेशिक अर्थ व्यवस्था के आर्थिक शिथिलिता के दो ही प्रमुख कारक रहे हैं। प्रथम जनसंख्या का विस्फोटक गत से बढ़ना तथा मुख्यमंत्रियों का शीघ्र बदलाव। प्रदेश की निराशात्मक छवि में एक प्रकाश किरण उसकी कृषि विकास ही है।

क्षेत्रीय अध्ययन का महत्व :

संसार में चीन को छोड़कर भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या संसार की जनसंख्या का सातवाँ भाग है। इसका क्षेत्रफल 32,76,141 वर्ग किमी0 है। क्षेत्रफलानुसार भी भारत संसार का सातवाँ सर्वाधिक बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीप में भारत 8^0 4^0 व 37^0 6' उत्तरी अक्षांश से $68^0$7'से $97^0$25' पूर्वी देशान्तरों में स्थित है। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक यह लगभग 3219 किमी0 और पूर्व से पश्चिम तक 2977 किमी0 तक फैला है।[1]

साधारणतया आकार में भारतवर्ष त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर में है और इसका शीर्ष दक्षिण में है। इसकी थल सीमा 1520 किमी0 तथा तटीय लगभग 6100 किमी0 है। इस प्रकार भारतवर्ष अपने आकार व क्षेत्रफल में यह संयुक्त राज्य से 14 गुना, जापान से 9 गुना, कनाडा का एक तिहाई और यू0एस0एस0आर0 का छठवाँ भाग है।[2]

इस समय भारत में 26 राज्य और 7 केन्द्रीयशासित प्रदेश हैं। अस्तु इतने विशालाकार देश में क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक विषमताएँ, जलवायु, मिट्टी, भूमि की उपयोगिता, कृषि, औद्योगिक विकास, व्यापार, यातायात एवं संदेशवाहन की विषमताएँ एवं अन्तर होना अवश्यंभावी है। सी0एन0 वकील के अनुसार, "देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जलवायु की अत्यधिक विभिन्नता, अलग–अलीग सामाजिक एवं धार्मिक परम्पराओं व विश्वासों मे पली भिन्न–भिन्न जातियों का अस्तित्व और भारतीय समुदाय की सामान्य निरक्षरता, ऐसे प्रमुख कारक हैं जो लोगों की उत्पादक एवं सामाजार्थिक क्रियाओं अनुकूलतम एवं श्रेष्ठतम चतुरंगी संतुलित प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय विकास ही कर संपूर्ण देश का एक समरूपीय चित्र उभर कर आ सके।

इसके अलावा औद्योगिक विकासार्थ, नये उद्योगों की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि, जलवायु, अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता कुशल व अकुल श्रम, पर्याप्त पूँजी, यातायात व संदेशवाहन के साधनों का विस्तार, विद्युत आपूर्ति व मानव जीवन की आधुनिकतम अनिवार्यताएँ एवं सुख–सुविधाएँ, कच्चे माल की आपूर्ति व निर्मित माल की खपत हेतु स्थायी माँग व बाजार सभी ऐसे कारक और घटक हैं कि एक प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की नीति को अलग–अलग परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना एक अनिवार्यता तथा सफलता के लिए पूर्व शर्ता सी हो गई है। अस्तु सम्पूर्ण भारत को एकसी इकाई मानकर योजनाएँ लागू करना एक बड़ी भूल होगी और फलतः जो निर्णयात्मक निष्कर्ष निकलेंगे वे अति भ्रमात्मक एवं भ्रान्तिमय होंगे, आशा के अनुरूप न होंगे।

अस्तु एक सफल क्रमबद्ध और सुनियोजित, सुनिश्चित फलदायी प्रादेशिक योजना के कार्यान्वयन एवं विकास हेतु, जिससे प्रादेशिक असंतुलन कम हों, सुनिश्चित गम्भीर प्रयास करने होंगे, जिससे राष्ट्र के विभिन्न प्रादेशिक स्तर पर एक ऐसा मानचित्र उभरे जो स्थायी समृद्धि, सम्पन्नता का द्योतक बन सके। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश आर्थिक एवं औद्योगिक क्रिया–कलापों का सुदृढ़, सुनिश्चित आधार बन सकेगा और प्रत्येक प्रदेश सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति में और सम्पूर्ण राष्ट्र प्रदेश प्रदेश के विकास में अपना सहयोग और सक्रिय समर्थन प्रदान कर सकेगा। साथ–साथ प्रादेशिक या राजकीय स्तर पर किसी आर्थिक समस्या का अध्ययन उस प्रदेश के विकासर्थ आवश्यक संयत्र और अवसर प्रदान कर सकेगा व प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का विद्रोहन व क्षमताओं का उपयुक्त प्रयोग सम्भव हो सकेगा तथा

प्रदेश स्तर पर योजनाकारों को अनेक आधुनिकतम सम्यक् व सूचनाएँ प्रदान कर सकेगा। अतः इस दृष्टिकोण से प्रादेशिक या राज्य स्तर पर अध्ययन का महत्व और बढ़ जाता है और प्रादेशिक अध्ययन हमें उन कारकों एवं कारणों का सूक्ष्मावलोकन व गहन अध्ययन योजनाकारों को हर सम्भव सहायता प्रदान करने में सहायक हो सकेगा।

एक महत्वपूर्ण सर्वोपरि तथ्य यह भी है कि राष्ट्रीय एवं राज्यीय या प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास एक दूसरे पर आश्रित तथा अवलम्बित हैं। अधिक समृद्धिशाली एवं सम्पन्न प्रदेशों से कम प्रगतिशील एवं कम प्रदेशों को प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को स्थानान्तरित करके उसे विकसित किया जा सकता है और दूसरी ओर अधिक उन्नतिशील प्रदेशों को अपनी क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को अन्य कम विकसित प्रदेशों में लगाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश का अधिकतम विदोहन एक दूसरे के हित में हो सकता है और विकसित और अविकसित राज्य और अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्र तीव्र गति से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार सामाजार्थिक विकासक` फलों को देश के सभी प्रदेशों में समान रूप से बाँटा जा सकता है तथा प्रादेशिक आर्थिक असंतुलन - को कम किया जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों से प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन अधिक आकर्षण का केन्द्र बन गया है। एक केन्द्रीयकृत सर्वदेशीय योजना की कमियों ने विकेन्द्रीयकृत या बहुकेन्द्रिय अर्थात् प्रादेशिक योजनाओं के निर्माण एंव कार्यान्वयन पर अधिक बल दिया है, अस्तु यदि बृहत् आर्थिक अन्तर को कम करना है व सभी प्रदेशों एवं क्षेत्रों का जीवन स्तर समान स्तर पर लाना है, यदि सबको पेट भर भोजन देना है व राष्ट्र के सभी नागरिकों को रोटी–रोजी के समान अवसर जुटाना है। उन्नति के समान वसर प्रदान करना है व हर प्रदेश व हर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है तो उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन एवं शोध कार्य निश्चय ही महत्वपूग्र भूमिका निभायेंगे। प्रादेशक स्तर के अध्ययन को इसलिए भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इन प्रादेशिक स्तर के शोध संकेतों से यह पता सरलता से लग जाता है कि कोन–कौन से कारक अमुक प्रदेश के विकास को अवरोधित किए हुए हैं और किन–किन क्षेत्रों में विकास की सम्भावनायें कितनी उज्ज्वल हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रदेश की 898 विकास खण्डों में

विभक्त किया गया है ताकि आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अणु दृष्टिकोण से सद्भावलोकन कर सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जासके, व सही निष्कर्ष निकल सके और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। प्रो0 आर0 बालकृष्ण के शब्दों में, "भौगोलिक पृष्ठभूमि के बिना योजनाएँ पूर्णरूपेण अवास्तविक होंगी। भारत में प्रादेशिक दृष्टिकोण अपनाने की महती आवश्यकता, देश की विशालता, अवसरों की असमानता के कारण हैं। अस्तु सामाजार्थिक दृष्टिकोण से एक प्रादेशिक आधार पर योजनाओं को आधार देना सर्वथा न्यायोचित है।"

योजनाओं को प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य मे निर्मित करने का महत्व आज निःसन्देह इसलिए और भी उजागर हो गया है क्योंकि आर्थिक नियोजन के 35 वर्ष पूरे होने पर भी, योजनाओं मे जिन उद्देश्यों पर बल दिया गया, यथा आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, आर्थिक विषमाताओं को समाप्त करना, आर्थिक न्याय स्थापित करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना व गरीबी दूर करना, कोई भी ढंग से पूरे नहीं हो सके। सभी आधे–अधूरे आज भी पड़े हैं। इनके कतिपय जहाँ अनेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारण रहे हैं। वहीं योजनाओं का बृहताकार, केन्द्रीयकृत व्यापक दृष्टिकोण भी एक रहा है, जिससे प्रादेशिक स्थितियाँ, आशाओं, अपेक्षाओं की उपेक्षा कर सामान्य एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाना था। प्रदेशाँचलों में कमी, कोर–कसर किन–किन निश्चित स्थानों पर है, इस पर सूक्ष्मावलोकन करने का अवसर व्यापक दृष्टिकोण में कहीं नहीं था। अपेक्षाकृत यदि योजनाओं का अन्तर्मुखी एवं प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय स्तर पर गहन अध्ययन कर दूसरे शब्दों में प्रारम्भ से बृहताकार योजनाओं के स्थान पर अणु दृष्टिकोण अपना लिया गया होता, तो ढोल की पोल बनी न रहती और अभीष्ट की प्राप्ति में सरलता होती व व्यवहारिकता आती। अस्तु प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन का महत्व इस दृष्टिकोण से और अधिक बढ़ जाता है।

अंततः यह तो सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि देश का तीव्र गति से चतुरागी विकास तो होना है परन्तु एक बेतुके मनमाने एवं असंतुलित ढंग से नहीं, जैसा कि अभी तक होता रहा है। वस्तुतः प्रारम्भ से ही सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना का परम लक्ष्य प्रादेशिक असंतुलन समाप्त कर, प्रदेशों के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में संतुलित विकास किया जाय, इस हेतु ही अब जो अभिनव नीति अपनायी जा रही है और जो भी स्तर पर प्रयास

हो रहे हैं उनका लक्ष्य देश से पूर्व प्रदेश को प्राथमिकता देने का हो गयवा है और प्रदेशों के पिछड़े क्षेत्रों का इस प्रकार विकास किया जाए जिससे स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो और उसी क्षेत्र के "माटी के लालों" को अधिक भटकाव न हो और रोटी–रोजी के अवसर शीघ्रातिशीघ्र जुटाए जा सकें, चाहे इसमें स्थानीय मूल्य के लाभों से उपक्रमों को क्यों न वंचित होना पड़े। इस प्रकार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित औद्योगिक एवं कृषि अर्थ व्यवस्था का एक समतौल व संतुलित विकास सम्भव हो सकेगा व सहायक उद्योगों का भी विकास सम्भव हो सकेगा। अस्तु यदि हमें प्रादेशिक संतुलन के आदर्श तक पहुँचना है तो प्रादेशिक संतुलित विकासार्थ प्रादेशिक गहन अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर एक अपरिहार्य अनिवार्यता एवं महती आवश्यकता बन गया है।

अस्तु आज आधारभूत प्रश्न यह उठता है कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भावी विकास योजनाओं की रणनीति क्या हो ? मात्र विकेन्द्रित नीति से ही नही वरन् स्थानीय मानव शक्ति, पशुशक्ति और ऊर्जा पवन उर्जा और जल उर्जा से ही नवीनीकृत धनो के उपयोग की अधिक सुविधा रहती है अस्तु योजना के भावी स्वरूप को ही इस नये परिपेक्ष में ही प्रारमभ करना होगा। बीसवीं शती के पूर्वाद्व में सेवियत रूस के सफल नव निर्माण ने योजना शब्द को समस्त विश्व के समक्ष मात्र शोषण की समाप्ति व प्रगति के प्रतीक के रूप में ही नही दर्शाया वरन मानव जाति के हर प्रकार के रोग के निदान हेतु एक अचूक औषधि के रूप मे अपनाया है और तभी से यह अनेक राष्ट्रों के लिये यह महामंत्र बन गया है। हमारे देश के योजना करों ने स्वर्णिम भारत के निर्माण हेतु योजनाओं के माध्यम से ही सपने साकार करने का बीड़ा उठाया है। और योजनाओं के सोपानों का सहारा लिया है, परन्तु ऐसा लगता है इस महामंत्र के जाप में कही कमी रह गयी है कोई गम्भीर त्रुटि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो रही है जिससेयोजनायपी रोबोट (मशीन मानव) द्वारा वाछिंत लक्ष्यों कीपूर्ति न होकर प्रायः विपरीत परिणाम निकल रहे है। हमारा देश छः पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर सातवीं योजना को कार्यान्वित करने के लिये जुटा अवश्य है परन्तु परिणाम जो प्राप्त हुये है वह चाहे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय उत्पादन आयात निर्यात या भुगतान संतुलन किसी भी क्षेत्र के हो आधी पर ही सफलता ही मिल पाई है और अनेक क्षेत्रों में सफलता के स्थान पर असफलता लाभ के स्थान पर

हानि और आशा की जगह निराशा ही हाथ लगी है। मेरी समझ में यदि न असफलताओं के कारणों का सूक्ष्यावलोकन करें तो इन सबके पीछे एक ऐसा प्रभावी कारक रहा है, जो निश्चय ही उत्तरदायी रहा है और वह है योजनाओं का वृहताकार योजनाओं को भारी भरकम स्वरूप दे देने व मशीन मानव की भाति मुद्रा की भारी भरकम रकम से ही सही अभीष्ट की प्रगति होना सम्भव नहीं। रूपये की राशि को और अधिक बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होता। उसका सदुपयोग हो, भ्रष्टाचार का भ्रमजाल निबधिरूप स अगणित धनराशि को निगलता जा रहा है। नौकर शाही का नाग उस अग्निशिखा के समान बन गया है जो स्वजन हिताय सर्वजन के ध्येय हेतु अपार धन की आहुति देता जा रहा है और दूसरे का घर जलाकर तापने की नीति का अनुसरण कर रहा है। वृहताकार योजनाओं में निहित स्वार्थ सिद्धिकी सम्भावनाऐं अधिक होती है अस्तु राष्ट्रीय स्तर पर विशालकायी योजनाऐं हर उस तथ्य की उपेक्षा करके बनायी जाती है जो सफलता की मील का पत्थर कहा जा सकता है भारतवर्ष की विशालता, विविधता और विषमता, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अन्तर खान–पान, बेश–भूषा, भाषा सम्बन्धी व्यापक अन्तर इस प्रकार की समस्यांए उत्पन्न करते हैं कि एक मात्र विकल्प यही रह जाता है कि योजनाओ को अर्न्तमुखी एंव अणु आकार प्रदान किया जाय सोवियत रूस की भांति ही योजनाओं का केन्द्री कृत एंव विकेन्द्रीयकृत स्वरूप का समन्वय, प्रादेशिक व क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं और उनके व्यवहारिक समाधान को ध्यान में रखकर व सर्वोपरि प्राथमिकता देकर किया जाय। इसलिए क्षेत्रीय अध्ययन का महत्व अभीष्ट को प्राप्त करने में एक में एक सरलतम एवं सुदृढ़तम सोपान का कार्य करने में निश्चय ही सहायक होगा।

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक पिछड़ापन :

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, जो क्षेत्रफल में 26 राज्यों में तीसरे स्थान पर है, जिसे देश का हृदय कहा जाता है, जिसने देश को पाँच प्रधानमंत्री दिये, आज भी औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रतीक बना है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश के दो शब्द यू0पी0 (अण्डर प्रोडक्शन या औद्योगिक पिछड़ापन) के पर्याय बन गए हैं। आज भी प्रदेश के 61 जनपदों में से 42 पिछड़े घोषित हैं तथा 11 जनपद औद्योगिक मरुस्थल बने हुए हैं। एक और उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि 1947 तक औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी

प्रदेश, राष्ट्रीय सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण उत्तरोत्तर गिरता चला गया, जिससे प्रति व्यक्ति आय व क्रय शक्ति, तुलनात्मक दृष्टिकोण से घटी है, शिक्षित युवक बेकारी बढ़ी है, कृषि उत्पादन जनसंख्या वृद्धि की तुलना में पीछे रहा है। कारीगरों को अपने लघु उद्योग बन्द कर वैकल्पिक रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आना पड़ा है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक पिछड़ापन इस बात से भी स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग 2.78 है, जबकि समूचे भारत वर्ष का यह प्रतिशत 4.22 है। यदि प्रति व्यक्ति आय के औसत को आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक मान लिया जाए, तो जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा व राजस्थान जैसे कुछ प्रदेशों को छोड़कर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बहुत कम है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि उनके अनुसार 1977–78 में जबकि सम्पूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय 1163 रु0 है, पंजाब की 1919 रु0 है, महाराष्ट्र की 1628 रु0 है तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 916 रु0 मात्र थी। इस स्थिति में आज भी कोई विशेष सुधार नहीं दिखता जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका नं0 – 1

राज्य स्तरीय–प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भावों पर) रुपयों में

			वर्ष	
राज्य या प्रदेश	आय गणना की श्रेणी	1978–79	1982–83	1983–84
पंजाब	अधिकतम आय का प्रदेश	2351	3502	3801
म0प्र0	न्यूनतम आय वाला प्रदेश	892	1357	1636
उ0प्र0	न्यून आय वाला प्रदेश	835	1501	1655

स्रोत– सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 1985, पृ0 74–75।

इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बतलाया कि जब सम्पूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बढ़ी है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत गिरी है। प्रथम आयोजन के समय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 245 रु0 थी जबकि उ0प्र0 में प्रति व्यक्ति आय रु0 260 रु0 थी जबकि छठवीं योजना के अन्त में 1984–85 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय

आय 2344 हो गई। बढ़कर 23.44 रु0 हो गई, जबकि उ0प्र0 की प्रति व्यक्ति आय केवल 1764 रह गई है। निश्चय ही अन्य प्रदेशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि परिणामस्वरूप ही कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है जबकि उ0प्र0 की प्रति व्यक्ति आय, जो आर्थिक नियोजन से पूर्व सम्पूर्ण राष्ट्र की आय से अधिक हुआ करती थी जगभग 30–35 वर्ष के अन्तराल में बढ़ने के स्थान पर कमी है जिसे निश्चय ही औद्योगिक पिछड़ेपन का एक परिणाम कहा जायेगा।

स्वतन्त्रतोत्तर काल में निजी उद्योगपतियों की नीतियों व रीतियों से यह पूर्णतया व निःसन्देह स्पष्ट हो गया है कि वे स्वाभावतः उसी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान स्थापित करते हैं जहाँ हर प्रकार की अवस्थापना सुविधाएँ बेरोक–टोक सुलभ हों, चाहे वहाँ उद्योग का जमघट ही क्यों न हो, वे अपने लाभ की बात सोचते हैं चाहे देश का संतुलित विकास हो या न हो, चाहे स्थानीय रोजगार बढ़े या न बढ़े। अस्तु जब देश की राष्ट्रीय सरकार ने देश का त्वरित गति से, संतुलित विकास का बीड़ा उठाया है, तो फिर वही औद्योगिक शून्य क्षेत्र में सार्वजनिक उद्योग लगाकर या अवस्थापना सुविधाओं को सुलभ करा करके ही प्रादेशिक समृद्धि व संतुलित विकास, व रोजगार के स्थानीय अवसर उत्पन्न कर अपने औद्योगिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य पूरा कर सकती है परन्तु देश में औद्योगिक क्षेत्रों की विकास दर में छठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में जिस तेजी से गिरावट आई है उससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि केन्द्रिय एवं प्रादेशिक सरकार की नीतियाँ एक सीमा तक विफल रही हैं, जिससे औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकता की स्थिति में सुध ाार होना तो दूर, उसमें गिरावट आई है। आज भी देश एवं प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों मे उत्पादकता लक्ष्य से बहुत कम है और इसमें कमी आती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के स्थापित उद्योगों में जहां एक् ओर संघवाद तथा हड़तालों का बोलबाला है, बिजली की आपूर्ति की आंख मिचौनी है, वहीं दूसरी ओर अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में अनेक निर्मित आस्थान बन्द एवं बेकार पड़े हैं। जिसके फलस्वरूप न तो उत्पादन लक्ष्य पूरे हो पाते, तथा उत्पादन लागत बहुत अधिक आती है। जिससे औद्योगिक अवरोध व गतिरोध होता है।

घोंघे की गतिहीन गति से नौ दिन चले अढ़ाई कोस की कहावत चरितार्थ करने वाले, औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं की न्यूनता या नगण्यता ही किसी

हद तक इस औद्योगिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है, जिसका ज्वलंत उदाहरण कानपुर देहात के रनियां क्षेत्र का है जहाँ पिछड़े जनपदों में जो भी औद्योगिक आस्थान स्थापित किये गये हैं, उनमें शायद ही किसी में औद्योगिक इकाइयाँ भलीभाँति चल पा रही हो और अपनी निर्धारित क्षमता का सदुपयोग कर पाने में सफल हो पा रही हों स्थिति का बिगाड़ यहाँ तक है कि 52 औद्योगिक आस्थान जिनका बीजारोपण लगभग 1962–63 के आस–पास हुआ था, और जिसमें 108 औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जानी थी उनमे केवल 30 इकाइयाँ ही लग पाई और इनमें 10 इकाइयाँ ही ठीक ढंग से चल पा रही है जबकि 20 इकाइयाँ अपनी अन्तिम सांस ले रही हैं। जिन्हें अन्ततः बन्द ही होना है। रनियाँ औद्योगिक आस्थान ऐसोसिएशन के अध्यक्ष के कारण ज्ञात करने पर विदित हुआ कि इन इकाइयों को औद्योगिक आस्थान का नाम तो दे दिया गया, परन्तु अधिकांश में बिजली, पानी, यातायात, दूरसंचार, परिवहन, श्रम कल्याण जैसी आधारभूत सुविधाओं का पता तक नहीं। यदि कोई इत्यादि कुछ सुविधाएँ स्वतः जुटा भी ले, तो यदि उसे बिजली नहीं मिलेगी, तो उत्पादन प्रभावित होता है, उस इकाई की रोग ग्रस्तता प्रारम्भ होने लगती है और प्रगति मात्र का काग़ज पर तथा अधोगति वास्तविक व्यवहार में देखने को मिलती है। नये उद्योगपतियों का मनोबल गिरता है और फिर या तो सार्वजनिक क्षेत्र को स्वयं अपने उद्यम खड़े करने की बात सोचना पड़ती है या फिर इस तरह के बिगाड़ और बिखराव को सजाने व सम्हालने में अत्यधिक अनावश्यक व्यय करना पड़ता है और विलम्ब होता, जिससे प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है जिससे औद्योगिक पिछड़ापन और अधिक बढ़ता है। बातों–बातों में यह भी ज्ञान हुआ कि इस औद्योगिक अवरोध का मूल कारण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर है जिसके विकास कार्य से सम्बन्धित निगम के छुटभैये अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यों में अनावश्यक अड़ंगा लगाना है। विद्युत की आपूर्ति मात्र विद्युत विभाग के चहेतों को दी जा रही है क्योंकि यह चहेते विद्युत विभाग के नाके बाल है। यही स्थिति लगभग हर क्षेत्र में लगाये जा रहे आस्थानों तथा इकाइयों की है जिससे ये आस्थान बड़े पूंजीपतियों की हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं ओर औद्योगिक पिछड़ापन बरकरार है।

ठीक इसी प्रकार प्रादेशित स्तर पर जो अवस्थापना सुविधाओं का अन्तर देखने को मिला है। जिसकी पुष्टि समय–समय पर गठित की गई वे समितियों व आयोगों के

निष्कर्ष हैं जो इस बात के प्रतीक एवं प्रमाण दोनों ही हैं कि अन्य प्रदेशों के अपेक्षा उत्तर प्रदेश की स्थिति अवस्थापना सुविधाओं की प्राप्ति में असंतोष जनक ही है जो सिी सीमा तक प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। अवस्थापना सुविधाओं के प्रसार का मूल्यांकन करने हेतु सरकार द्वारा 1968 में पाण्डे समिति गठित की गई थी जिसे प्रादेशिक पिछड़ापन ज्ञात करना था। उस समिति के अनुसार 10 पिछड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश भी था। लगभग इसी प्रकार के निष्कर्ष श्री एन0 एन0 वान्चू, बी0 सिवरमन, एस0 चक्रवर्ती, नरोत्तमशाह, एम0 एन0 पाल, हेमलता राव, बी0 एन0 गंगुली व डी0 वी0 गुप्ता द्वारा प्रादेशिक स्तर पर अन्तर दर्शन के लिए समय–समय पर किए गए, जिसकी एक समेकित निम्नांकित तालिका इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश जैसा कृषि एवं कच्चेमाल से सम्पन्न प्रदेश, अवस्थापना सुविधाओं की प्राप्ति में कितना पिछड़ा है, परिणामतः औद्योगिक पिछड़ापन भी अवस्थापना सुविधाओं की न्यूनता का परिचायक एवं प्रतिफल भी है।

तालिका नम्बर – 2

राज्यानुसार अवस्थापना एवं विकास के समेकित सूचकाँक

राज्य	1960–61		1970–71		1980–81	
	अवस्थापना सुवधाएँ	आर्थिक विकास	अवस्थापना सुविधाएँ	आर्थिक विकास	अवस्थापना सुविधाएँ	आर्थिक विकास
पंजाब	166	124	283	174	190	163
हरियाणा	–	–	184	141	130	130
गुजरात	100	126	111	118	116	128
तमिलनाडु	171	152	160	150	136	122
महाराष्ट्र	186	123	115	113	133	115
कर्नाटक	142	93	126	104	117	107
पश्चिम बंगाल	156	122	119	111	105	106
केरल	161	100	166	103	137	102
आन्ध्रप्रदेश	103	95	102	99	100	93
उत्तर प्रदेश	78	85	92	88	97	87
बिहार	90	77	91	87	98	85

उड़ीसा	94	81	90	89	98	82
राजस्थान	82	73	83	77	85	80
हिमांचल प्रदेश	—	—	129	93	111	74
मध्यप्रदेश	86	76	76	76	79	70

स्रोत : याजना अंग्रेजी संस्करण, मार्च 1–15, 1987 पृष्ठ संख्या 6, संमक अवरोही क्रम में 1980–81 के आर्थिक विकास के आधार पर।

1– नोट– 1970–71 में हरियाणा एवं हिमांचल प्रदेश राज्य बन गए थे।

2– नोट– अवस्थापना सुविधाओं में 6 घटक, विद्युत, यातायात, सिंचाई, अधिकोषण सुविधाएँ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य लिए गए हैं, जबकि आर्थिक विकास हेतु 24 कारकों को ध्यान में रखा गया है जिसमें प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत संस्थानों व औसत दैनिक कार्यरत श्रमिकों की संख्या।

अवस्थापना सुविधाएँ :

उपरोक्त संमक तालिका नं0 2 से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में उत्तर प्रदेश पिछले 20 वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में अवरोही क्रम में निम्न स्तर पर है।

आर्थिक एवं औद्योगिक विकास :

अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं विकास पर किसी प्रदेश का औद्योगिक ढाँचा विकसित किया जाता है जिस पर उस प्रदेश का आर्थिक विकास सम्भव होता है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास एक ही पहलू के दो पक्ष हैं। औद्योगिक विकास से ही आर्थिक विकास बढ़ता है और आर्थिक सम्पन्नता आने पर राज्य या प्रदेश का पिछड़ापन दूर होता है। उपर्युक्त तालिका नं0 2 यह स्पष्ट करती है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि 1970–71 से 1980–81 में स्थिति और बिगड़ी ही है, आज भी सात प्रदेश, जिनमें उत्तर प्रदेश भी एक है, औद्योगिक पिछड़ेपन का शिक़ार है तथा आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में राष्ट्रीय

औसत से नीचे है।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में विकास का कार्यक्रम कितना बढ़ा है यह इस बात से स्पष्ट होता है कि 3000 औद्योगिक आस्थानों में से 936 में ही कारोबार हो रहा है। 2249 प्लांट आवंटित किए गए थे जिसमें से 1005 खाली पड़े थे। यह तथ्य 22 नवम्बर 1984 को नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहे थे और स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है, अतएव यदि आगामी 3 वर्षों अर्थात् मार्च 1987 तक 4500 करोड़ रुपया नहीं लगा तो आगे की राम जाने।

उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकोपक्रमों का वर्गीकरण :

आज संसार के सभी देशों में लोकोपक्रमों का बढ़ता हुआ महत्व देखने को मिलता है तथा हर देश की अर्थ व्यवस्था में लोकोपक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत वर्ष में स्वतंत्रता से पूर्व गिने लोकोपक्रम एवं लोकोपयोगी सेवाएं भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती थीं यथा अस्त्र–शस्त्र उद्योग, डाक तथा संचार सेवाएं, कुनेन व नमक उद्योग, रेल उद्योग, वायुयान निर्माण तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की सेवाएँ, स्वतंत्रोत्तर काल में राष्ट्रीय सरकार ने तीव्रगति से देश का संतुलित विकास का संकल्प लिया और इस क्रम में लोकोपक्रमों एवं लोकोपयोगी सेवाओं के माध्यम से इस उद्देश्य की प्रति स्वप्न साकार करने को साचा उसी समय एक सरलतम वर्गीकरण, विषय के अधिकारिक विद्वानों, रोबसन एवं हेन्सन के द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण को अंगीकार किया गया जो निम्न प्रकार से थे–

1. विभागीय व्यवस्था वाले लोकोपक्रम।
2. अर्द्ध सरकारी व्यवस्था वाले लोकोपक्रम।
3. पबिलक ट्रस्ट या जन संस्थाएँ।
4. लोक निगम।
5. मिश्रित पूंजी संस्थाएँ।
6. संयुक्त सरकारी पूंजी कम्पनी।
7. स्थानीय प्राधिकरण।

8. नियामकीय आयोग।

सार्वजनिक क्षेत्र का एक अन्य वर्गीकरण, लोकोपक्रमों के स्वाभावानुसार भी प्रचलित रहा है, जो निम्न प्रकार से है–

1. रक्षात्मक उपक्रम।
2. व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपक्रम।
3. विकास कार्यत्मक उपक्रम।
4. वित्तीय उपक्रम।
5. उपभोक्ता उपक्रम।
6. सरकारी विभागीय उपक्रम एवं
7. लोकोपयोगी सेवाएँ।

इधर पिछले दो या तीन दशकों से सार्वजनिक क्षेत्र के लोकोपक्रमों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कहीं इनका विकास आवश्यकतावश और कहीं–कहीं विवशतावश भी हुआ है। जिससे देश का सामाजिक आर्थिक विकास तीव्रतम एवं संतुलित गति से हो सके। इसी क्रम में भारत वर्ष में भी सरकार के रचनात्मक प्रयासों के सहारे व अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप हर क्षेत्र व हर दिशा में लोकोपक्रमों को विकास और विस्तार ही नहीं मिला वरन् अनेकानेक उपक्रम सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हैं।

ज्यों–ज्यों समय बीतता गया, नये–नये अछूते व अनदेखे क्षेत्रों मे भी सार्वजनिक क्षेत्र के लोकोपक्रम बढ़ते गए और आजज देश के कोने–कोने में, देश के हर जाने–अनजाने क्षेत्र में, बृहतस्तरीय एवं लघुस्तरीय उद्योगों में, लोकोपयोगी सेवाओं में, भारी व हल्के उद्योगों में कृषि एवं निर्माणी उद्योगों में, उपभोक्ता वस्तुओं व वित्तीय सेवाओं में विकास कार्यक्रमों में, अर्थात् हर सम्भावित क्षेत्र में इनकी संख्या में तीव्रगति से वृद्धि हो रही है। कुछ सक्रिय महानुमानीय उद्योग दिन दूना व रात चौगुना प्रगति के पांव बढ़ा रहे हैं तो कुछ सर्वथा निष्क्रिय लोकोपक्रम भी हैं जो वर्षों से किसी न किसी अवरोध के कारण बन्द पड़े हैं। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में लाभार्जन करने वाले उपक्रम हैं। जिनमें वर्षानुवर्ष लाभ

अर्जित किए व उत्पादनके नये कीर्तिमान खड़े किए हैं। जबकि दूसरी ओर वे उपक्रम हैं जिनमें हानि पर हानि दर्शायी गई है; कुछ उपक्रम ऐसे हैं जिन्होंने पर्याप्त विदेशी मुद्रार्जन की है और देश को विदेशी मुद्रा के संकट से उबारा है वहां वे भी उपक्रम हैं जिन्होंने विदेशी विपुल गुप्ता के सहारे जीवन प्राप्त किया है और कालान्–तर में विदेशी मुद्रा के संकट में डाला है।

भारतीय लोकोपक्रमों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण राष्ट्रीय सरकार द्वारा 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ चार वर्गों में बांटा गया था जो प्रादेशिक स्तर पर भी लागू होता था। जिसके अनुसार–

1. पहले वर्ग में केन्द्रीय सरकार द्वारा एकाधिकारी सिद्धान्त पर संचालित उद्योग रखे गए।

2. दूसरा वर्ग राज्य या प्रादेशिक सरकार द्वारा नई इकाइयों की स्थापना व संचालन में होगा।

3. केन्द्रीय नियमन एवं नियन्त्रण में चलने वाले 18 उद्योग रखे गए तथा

4. शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र को सौंप दिये गये। जो उपरोक्त तीन श्रेणी में नहीं आते थे।

तत्पश्चात् इस वर्गीकरण को 1956 की नीति के अनुसार परिवर्तित किया गया और देश–प्रदेश के सभी लोकोपक्रमों को तीन अनुसूचियों में विभक्त कर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है–

अनुसूची 'अ'– वे सभी उद्योग होंगे जिनका एकाधिकार एवं भविष्य में विकास का पूर्ण दायित्व सरकार का ही होगा।

अनुसूची 'ब'– इस में वे 12 उद्योग सम्मिलित किये गये जिनके विकास का दायित्व राज्य तथा व्यक्तिगत मिश्रित क्षेत्र का होगा। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण खनिज उद्योग होंगे।

अनुसूची 'स'– निजी क्षेत्र के उद्योग, उपरोक्त दो सूचियों में वर्णित उद्योगों के अतिरिक्त शेष सभी उद्योग।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वर्गीकरण:

1970 से पूर्व उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या नगण्य थी और अधिकांशतः लोकोपक्रम केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन में थे। सन् 1970 में इनकी संख्या 11 थी तत्पश्चात् आज प्रादेशिक सार्वजनिक खेत्र के उद्यमों की संख्या ही बढ़कर 1981–82 में 54 व अब 59 है। सर्वेक्षण से पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम तथा उनका वर्गीकरण सर्वथा अलग प्रकार के हैं। केन्द्रीय सरकार के उपक्रम जहाँ अधिकांशतः व्यावसायिक या उत्पदन कार्यों में लगे हैं जबकि प्रादेशित उपक्रम मुख्यतः उन्नति तथा विशेष विकास कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। इन उत्तर प्रदेशीय उपक्रमों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है इनका एक सरलतम कार्यानुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है–

तालिका संख्या – 03

क्रम	स्वभावानुसार वर्गीकरण	संख्या
1.	उद्योग विशेष संबंधी विकास काय्र	11
2.	क्षेत्रीय विकास संबंधी	11
3.	सेवा संबंधी	07
4.	निर्माण संबंधी	07
5.	निर्बल वर्गों का विकास	05
6.	वित्तीय एवं उन्नति संबंधी	05
7.	अन्य	08
	योग	54

तालिक संख्या – 04

स्थापना अवधि के आधार पर प्रादेशिक उपक्रमों का वर्गीकरण (1980 में)

क्रम	अवधि	संख्या
1.	10 वर्ष से अधिक अवधि वाले	09
2.	5 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि वाले	06
3.	3 से 5 वर्ष की अवधि वाले	06
4.	1 से 3 वर्ष की अवधि वाले	23
5.	1 वर्ष की अवधि वाले	10
	योग	54

इन्हीं उपक्रमसें का विनियोजित पूंजी के आधार पर 1980 का एक वर्गीकरण निम्न प्रकार से दिया जा सकता है–

तालिका संख्या 05

प्रादेशिक लोकोपक्रमों में विनियोजित पूँजी के आधार पर वर्गीकरण (1980 में)

क्रम	विनियोजित पूँजी (रु0 में)	संख्या
1.	0 से 50 लाख रु0 तक	25
2.	50 लाख से 1 करोड़ रु0 तक	08
3.	1 करोड़ से 10 करोड़ रु0 तक	13
4.	10 करोड़ रु0 से अधिक	07
	योग–	54

तालिका संख्या 06

उत्तर प्रदेश के लोकोपक्रमों का लेखों के विश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण (1981–82)

क्रम	लेखों के विश्लेषण के आधार पर	संख्या
1.	निर्माण संबंधी उपक्रम	08
2.	वित्तीय उपक्रम	05
3.	सेवा प्रदाय उपक्रम	08
4.	क्षेत्रीय विकास निगम	08
5.	क्षेत्रीय विशेष विकास निगम	15
6.	अन्य उपक्रम	13
	योग–	57

तालिका संख्या – 07

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा वर्ष 1981–82 के समेकित वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर प्रदेश के 57 उपक्रमों/निगमों का विभागावार वर्गीकरण निम्न प्रकार से दिया जा सकता है–

क्रम	विभाग का नाम	उपक्रमों की संख्या
1.	उद्योग विभाग	14
2.	क्षेत्रीय विकास विभाग	10
3.	चीनी एवं गन्ना विकास विभाग	05
4.	कृषि विभाग	03
5.	पर्वतीय विकास विभाग	03
6.	पशुधन विभाग	03
7.	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	03
8.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	02
9.	खाद्य एवं रसद विभाग	02
10.	आवास एवं नगर विकास विभाग	02

11.	ऊर्जा विभाग	02
12.	परिवहन विभाग	01
13.	वन विभाग	01
14.	सिंचाई विभाग	01
15.	नियोजन विभाग	01
16.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	01
17.	सहकारिता विभाग	01
18.	पर्यटन विभाग	01
19.	पंचायती राज विभाग	01
	कुल योग–	57

स्रोत : उ0प्र0 में सार्वजनिक उद्योगों की वार्षिक रिपोर्ट 1981–82 (पृष्ठ संख्या 01)।

सार्वजनिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में योगदान :

"हमारे औद्योगिक प्रयासों में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। यह प्रदेश प्राकृतिक सम्पदाओं से परिपूर्ण है तथा इनमें तीव्रता से औद्योगिक श्रम शक्ति का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश विश्वसनीय औद्योगिक अवस्थापना के लिए अधिक प्रयास, प्रगतिशील नीतियाँ एवं उद्यमियों के विकास के साथ तीव्र औद्योगीकरण के लिए आवश्यक उपलब्ध करा सकता है।"

–राजीव गाँधी (22 नवम्बर, 1986)

प्रादेशिक औद्योगकरण का स्तर :

वर्ष 1985–86 तक प्रदेश में केन्द्रीय, प्रादेशिक सार्वजनिक क्षेत्रों व सहाकरी व मिश्रित क्षेत्र में 2700 करोड़ रुपए का पूँजी का योगदान 490 भारी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों में हो चुका था जिसमें से–

तालिका नं0 – 08

निवेश (करोड़ रुपयों में)

निवेश	क्षेत्र	इकाइयाँ
772,83	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र	35 इकाइयाँ
1250,53	निजी क्षेत्र	350 इकाइयाँ
350,43	सहकारिता प्रादेशिक सार्वजनिक एवं मिश्रित क्षेत्र	36 इकाइयाँ
780,00	छोटी इकाइयों में	1,11 लाख इकाइयाँ
25,55	खादी ग्रामीण उद्योग क्षेत्र	77000

स्रोत : दैनिक जागरण (भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला), 22 नवम्बर, 1986।

उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कुछ चुने क्षेत्रों में केन्द्रीय एवं प्रादेशिक उपक्रमों की स्थापना कर वर्तमान योगदान में त्वरित वृद्धि हेतु इलैक्ट्रानिक उद्योग का विकास, उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास, बिजली पानी और यातायात की सुविधाएँ, औद्योगिक उत्पादनों के लिए कच्चे और उत्पादित माल के लिए बाजार की सुविधाएँ तथा उद्यमियों को उद्योग क्षेत्र में सलाह एवं प्रशिक्षण देना है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास :

प्रदेश के 42 पिछड़े जनपद औद्योगिक विकास के लिए चुने गए हैं। इनमें 11 उद्योग शून्य जनपदों के विकासार्थ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इनमें से 7 मैदानी जनपद फतेहपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, सुलतानपुर, बाँदा और जालौन एवं हमीरपुर आते हैं, जिनके लिए प्रत्येक जनपद को 6 करोड़ रुपए की पूँजी पहले ही आई.डी.बी.आई. द्वारा प्राप्त हो चुकी है। ऐसे ही कार्यक्रम कुछ छोटे स्तर पर 4 उद्योग शून्य पहाड़ी क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकासार्थ निम्न केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हो चुका है–

वर्ष	अनुदान राशि
1984–85	3,19 करोड़ रुपया
1985–86	12,59 करोड़ रुपया
1986–87	13,78 करोड़ रुपया

इस प्रकार औद्योगिक विकास अभियान को सफल बनाने के लिए औद्योगिक विकास के ध्रुवीकरण के लिए प्रदेश के हर जनपद को विकास खण्डों में विभक्त किया गया है और हर जनपद में एक छोटा औद्योगिक क्षेत्र जनपद सतर पर प्रदेश भर में बनाया जायेगा।

विभिन्न सहयोगी सार्वजनिक संस्थाओं का प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में योगदान :

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास अभियान में सहायक अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वित्तीय वर्ष 1980–81 के अन्त में उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के 56 निगमों में कुल प्रयुक्त पूँजी (कार्यशील पूँजी) 1524,43 करोड़ रुपया थी। इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (प्राधिकरण) तथा यू0पी0वित्तीय निगम कानपुर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित कर उपलब्ध कराती है। इन संस्थाओं ने पिछले 25 वर्षों में 20,000 एकड़ क्षेत्र औद्योगिक विकासार्थ सुलभ कराया है। सातवीं योजनान्तर्गत ये सार्वजनिक संस्थाएं 20,000 एकड़द्य क्षेत्र और अधिक विकसित करेगी। इस प्रकार औद्योगिक आस्थानों का विकास करना, हामीदारी एवं साम्य भागीदारी की व्यवस्था करना तथा संयुक्त तथा सहायक क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रोन्नत करना इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक वित्तीय निगम, कानपुर :

सन् 1984–85 में इस संस्था द्वारा 3898 इकाइयों को 95 करोड़ रुपए का भुगतान ऋण के रूप में दिये तथा 54 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। यह सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था लघु तथा मध्यम उद्योगों को 60 लाख रुपए तक के अवधि ऋण की व्यवस्था करता है। यह पिकप, आई.एफ.सी.एस.आई.सी.आई. के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्र में नाबार्ड योजनाओं के अन्तर्गत कारीगर तथा लघु उद्योग कर्मियों की 5 लाख रुपए तक के संयुक्त ऋण प्रदान करता है। वर्ष 1985–86 में सर्वाधिक (50 करोड़ रुपए) रुपए के ऋण स्वीकार कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रादेशिक औद्योगिक निवेश निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ :

यह संस्था पिछड़े क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान देती है, साथ ही साथ मध्यम तथा बड उदयोगो का अवधि ऋण की व्यवस्था करती है। संयुक्त क्षेत्र तथा सहायियक क्षेत्र की परियेजनाओं को प्रोन्नति करती है। हामीदारी तथा भागीदारी की सुविधाओं की व्यवस्था करती है। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रोन्नति में सहायक पिकप द्वारा 33,04 करोड़ रूपये का भुगतान कर तथा 70.11में अग्रणी हो गयी है, संस्था द्वारा उपरोक्त धनराशि का 70 प्रतिशत पिछडे क्षेत्रों की देने की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, लखनऊ :

यह संस्था इलेक्ट्रानिक्स परियोजनाओं की प्रोन्नति करता है। विपणन प्राणाली की व्यवस्था करता है तथा इलेक्ट्रानिक्स कम्लेक्स तथा परामर्शदात्री सेवा की प्रोन्नति कर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। सावतीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 500 करोड़ रू0 से 1700 करोड़ रूपये तक का उत्पादनल इलेक्ट्रानिकस सेक्टर में सम्भावित है। ये संस्था अपनी सहयोगी संस्थाओ की सहायता से प्रदेश और संयुक्त क्षेत्र की दस योजनाओं के कार्यान्वन में कुछ प्रसिद्ध विदेशी कम्पनियों के सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका अदाकर रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एंव विपणन निगम, आगरा :

यह सार्वजनिक संस्था चमडे का काम करने वाले कारीगरों को कच्चा माल पूर्ति तथा विपणन की व्यवस्था करता है तथा कारीगरों की डिजाइन तथा प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराता है।

उत्तर प्रदेश राज्य ब्रास वेयर कार्पोरेशन, मुरादाबाद :

यह संस्था पीतल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को डिजाइन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करती, पीतल की चादरें तथा कच्चा माल लघु इकाइयों को उपलब्ध कराती तथा आंतरिक विकास तथा निर्यात द्वारा विपणन में सहायता तथा अन्य सभी सुविधायें प्रदान

कर महत्व पूर्ण योगदान दे रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, लखनऊ :

प्रदेश में खनिजों का खनन व आपूर्ति करना तथा खनिज पर आधारित परियोजनाओं की प्रोन्नति करने का महत्वणूर्ण कार्य यह संस्था करती है।

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, कानपुर :

बुनकरों को कच्चे माल की आपूर्ति तथा विपणन सहायता व्यवस्था करके यह संस्था महत्वपूर्ण योगदान देती है इस संस्था का व्यापार वार्षिक व्यापार 72 करोड़ रूपये के लगभग तथा जनता वस्त्र का उत्पादन लगभग 33 करोड़ रूपये है।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर :

प्रदेश की लघु इकाइयों को कच्चा माल हेतु सहायता करता है। किराया क्रय पर मशीनलो की व्यवस्थरा कराताहै। तथा आवश्यक कच्चे माल की आयात करने में सहायता करता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट कार्पोरेशन, चुर्क, मिर्जापुर :

चुर्क, डाला तथा जराहाट की फैक्ट्रियो में सीमेण्ट उत्पादन में सहायता करता है जिससे इस संस्था द्वारा लगभग 16 लाख टन प्रतिवर्ष की उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उततर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, कानपुर :

यह संस्था हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति कराता है। नयी परियोजनाओं, पोलिस्टर, स्टेपल काईवार, प्रोसेसिंग आदि कार्यो का संचालन कराता है। इसके द्वारा 5.26 लाख तकुओ की 13 मिलो की स्थापना कर यह संस्था प्रादेशिक औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य चींनी निगम लि०, लखनऊ :

यह सार्वजनिक संस्था गन्ना का क्रय कराकर चीनी की उत्पादन तथा बिक्री

में महत्व पूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसके साथ बीमार मिलों का अधिग्रहण व पुनर्वास व्यवस्था कर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है।

ओटो ट्रेक्टसे लिमटेड, लखनऊ :

यह संस्था कम अरब शक्ति के ट्रेक्टर्स बनाती, तथा उनके अतिरिक्त पुर्जों का विनिर्माण तथा बिक्री का महत्वपूर्ण कार्य करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ :

जल विद्युत तथा ताप विद्युत दोनों के विद्युत उत्पादन केन्द्रों को स्थापित कराना, उनका संचालन करना, ट्रान्समिशन एवं वितरण लाइनों का निर्माण करना तथा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करना इसका मुख्य महत्वपूर्ण कार्य रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ :

इस संस्था द्वारा राज्य या अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बस यात्रियों के सस्ती, शीघ्रगामी, सुरक्षित तथा सुविधाजनक परिवहन सेवाएँ सुगम कराना है।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ :

कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होन वाले यंत्र, संयंत्र एवं उपकरण आदि के निर्माण हेतु उद्योगों को सहयोग देना तथा स्थापना करोन में सहायता करना, जिससे राज्य के कृषि उद्योगों के उत्पादन में अभिवृद्ध हो और हरित क्रान्ति का सपना साकार हो सके।

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ :

इस संस्था का मूल कार्य पारिश्रमिक लेकर विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थाओं या एजेसिंयें को आधुनिकतम प्रबन्धकीय विभागों द्वारा योजनाएँ बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में सहयोग देकर महत्वपूर्ण योगदान देना है।

उपरोक्त प्रादेशिक संस्थाओ के अतिरिक्त उपाय लिमिटेड लखनऊ, यू0पी0 हाटिफेल्चर, प्रोड्यूस एण्ड प्रौसेसिंग कार्पोरेशन, पर्वतीय क्षेत्रीय विकास, कृषि किवास, कृषि

क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य वित्त निगम, पंचायती राज विभाग में उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, खाद्य एवं रसद विभाग में, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, सहकारिता विभाग में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, सिंचाई में उत्तर प्रदेश जल निगम एवं आवास विकास परिषद, आवास एवं नगर विकास विभाग ने, उततर पदेश राज्य निर्यात निगम उद्योग विभाग, उततर प्रदेश वन निगम वन विभाग में, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पर्यटन विभाग कार्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड के पशुधन विभाग ने, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड में, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तथा अन्य अनेक प्रादेशिक सार्वजनिक संस्थाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाकर अपना महत्वपूण्र योगदान प्रदान किया है।

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक पिछड़ापन एवं औद्योगिक अभियान की अभिनव प्रवृत्तियाँ :

अस्तु आज कुछ ऐसा आभास होने लगा है कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन ने निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को अपेक्षाकृत उतना आकर्षित एवं उत्सुक नहीं कर पाया है जितना कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सरकार को कुछ इस प्रकार से बाध्य किया है कि हो न हो उत्तर प्रदेश का शीघ्रतम औद्योगिक विकास होना एक अनिवार्यता ही नहीं व उनके स्थायित्व और अस्तित्व के लिए एक पूर्व शर्त बन गई है। यह निःसन्देह इन सरकारों द्वारा दी जा रही अभिनव अवस्थापना सुविधाओं, वित्तीय अनुदानों व उपदानों एवं उदारनीतियों तथा रीतियों से दृष्टिगोचर होने लगा है। अस्तु प्रादेशिक सत्त प्रादेशित उत्थान तथा उन्नयन हेतु क्या करने जा रही है, उसकी नई रणनीति क्या होगी, उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसका आधुनिकतम समेकित विवरण निम्न प्रकार से है—

प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की योजनाओं में प्रारम्भ में मूलभूत क्षेत्र जैसे कृषि, ऊर्जा, यातायात के विकास द्वारा प्रादेशिक अर्थ व्यवस्था के सर्वांगीण विकासार्थ सेवा क्षेत्र के प्रसार का प्रयास किया गया, परन्तु शीध्र ही इस कदम की निस्सारता ज्ञात होते ही कि इससे तो रोजगार के सीमित अवसर ही बढ़ पायेंगे, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य सा हो गया कि वह परम्परागत उद्योगों तथा शक्कर व वस्त्रोद्योगों को विकसित

करे। अस्तु प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र क्षेत्र की परियोजनाओं को संस्थापित किया गया, जिसमें मूलभूत विद्युत उपकरण, सीमेण्ट, शक्कर, वस्त एवं औषधि उद्योग थे। राज्य प्रशासन द्वारा साथ–साथ आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं निस्तार किया गया। अस्तु औद्योगिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनने लगा और प्रदेश में कृषि जैसे परम्परागत उद्योगों के स्थान पर चमड़ा, रसायनिक, खनिज, इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रानिक्स व बनकी उद्योगों का विकास होने लगा। परन्तु विभिन्न प्रारम्भिक दत्य दुःख–दर्दों के कारण जैसे उपयुक्त भूमि अनुपलब्धता, पर्यावरण प्रदूषण, पूंजी का नगरों में केन्द्रीयकरण, श्रम सम्बन्धों में कटुता आड़े हाथ आगे आई, फलतः वृहत् स्तरीय उद्योगों एवं परम्परागत उद्योगों से पूंजी विनियोजन का विस्थापन बड़े नगरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर जैसे गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, देहात क्षेत्र, उन्नाव, काशीपुर (नैनीताल), रायबरेली व अदूरदर्शी अव्यवहारिक नीति के परिणाम स्वरूप चतुर्थ योजना के विपरीत पांचवी योजना के अन्त तक प्रदेश में लघु उद्योगों की संख्या 47943 हो गई थी परन्तु फिर भी प्रादेशिक सरकार प्रदेश में बढ़ती शिक्षित अशिक्षित व प्रशिक्षत, कुशल व अकुशल बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगा पाई थी। अस्तु छठवीं व सातवं योजना में औद्योगिक त्वरित विकासार्थ प्रदेशीय सरकार ने पुनः औद्योगिक अवस्थापना विकास हेतु व प्रारम्भिक दन्त दुःख निवारणार्थ निम्न अभिनव नीति अपनाई–

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना।

(ब) निजी क्षेत्र में बृहत् एवं माध्यम उद्योगों में पूंजी को बढ़ावा देना।

(स) राजकीय निगमों के सार्वजनिक तथा संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना।

(द) लघु स्तरीय तथा खादी एवं ग्रामोद्योग को अधिक संख्या में प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न रियायतों व सुविधाओं को सुलभ कराना।

इस प्रकार छठवीं योजना के अन्त तक 1,10,710 लघु स्तरीय इकाइयाँ स्थापित हो चुकी थीं तथा सातवीं योजना के अन्त तक 1 लाख तक अतिरिक्त नई इकाइयाँ स्थापित की जायेगी। राज्य के 42 पिछड़े जनपदों में केन्द्रीय पूंजी उपादान की सुविधा उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने उद्योग रहित जनपदों की एक व्यापक

योजना तैयार कर ली है, जिसमें उत्तर राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उन पिछड़े जनपदों में 86 औद्योगिक आस्थान विकसित किये गये हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विभिन्न चयनित विकास केन्द्रों में लगभग 20 हजार एकडत्र से भी अधिक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जायेगा।

वित्तीय सहायतार्थ सम्बन्धित संस्थाओं की कार्य प्रणाली को विकेन्द्रित किया गया है तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने प्रदेश में 19 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर वर्ष 1984–85 में 90 करोड़ का ऋण तथा 1985–86 में 150 करोड़ रु0 का ऋण स्वीकृत किया।

ऊर्जा विकास जो औद्योगिक विकास की आत्मा है में 7 बृहत हाईडिल परियोजनायें तथा अन्य अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस सबसे निकट भविष्य में 2000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की सम्भावना है।

प्रादेशिक सरकार द्वारा लघु स्तर कुटीर उद्योगों के विकासार्थ 1986 वित्तीय वर्ष्ज्ञ 21 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद द्वारा दी ज़ावेगी। 1985–86 में यह 12 करोड़ रुपए थी। इसके द्वारा 20000 ग्रामोद्योग इकाइयाँ हैं जिसमें 2,5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा 1986–87 में 31,300 व्यक्तियों को रोजगार मिलने का लक्ष्य निर्धारित है। उद्यमिता विकासार्थ सातवीं योजना में प्रति वर्ष 20,000 व्यक्तियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित कर प्रदेश में औद्योगिक क्रान्ति लाने का लक्ष्य है।

निष्कर्षतः प्रदेश के सार्वजनिक उद्योग की संख्या तथा निवेश में निरन्तर तीव्रगति से वृद्धि हो रही है और इनका योगदान प्रादेशिक औद्योगिक विकास में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एकाधिकार है ही। प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण हो गया है। कपड़े व चीनी जैसी रुग्ण मिलों का अधिग्रहण करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की वृद्धि करके प्रदेश के सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरणा मिली है। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में सार्वजनिक उद्यम अपने कर्मचारियों को आवास सुविधायें, स्वास्थ सेवा बाजार आदि की सुविधायें प्रदान

कर रहे है। इन प्रादेशिक सार्वजनिक उपक्रमो ने रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करायें है तथा कम आय वाले वर्गो के वेतन स्तर को उठाकर आय की विषमताओं को भी कम करने मे महत्वपूर्ण सहयोग व उल्लेखनीय योगदान दिया है।

हमारे देश में आज सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक ही नही वरन् सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इटेलियन प्रोफेसर पासकाले सारासोनी के अनुसार हमारा लक्षय इस्पात या मोटर कार बनाना नही वरन हमार लक्ष्य है इस्पात या कार निर्माण को सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक प्रगति का साधन बनाना है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सामाजोन्मुख करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वस्तुतः आज हम इस आशा और विश्वास का अनुभव कर रहे है कि निकट भविष्य में सार्वजनिक उद्‌यम प्रादेशिक औदयोगिक पुननिर्माण में एक प्रमुख एव प्रभावी भूमिका निभायेंगे व एक और औदयोगिककरण की दिशा में निरन्तर सहायक होंगे तो दूसरी ओर आर्थिक शक्ति का संचय कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित न होने देंगे। इस प्रकार योजनाबद्ध विधि से काम करके इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहारे हमारा आधुनिक एंव आत्म निर्भर होगा और सार्वजनिक उद्‌यम प्रादेशिक अर्थव्यस्था को एक स्थायी आधार प्रदान करने मे सहायक होगे और अनेकानेक नवीनतम क्षितिजों व अनदेखे क्षेत्रों को खेलकर व खोजकर प्रदेश के ओदयोगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर चार चांद लगायेंगें। इस प्रकार ये सार्वजनिक प्रादेशिक उपक्रम जिन्हे यु दृष्टा स्व0 पं0 जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्तमान युग के मन्दिर व तीर्थ स्थल बतलाया है उनकी पुत्री के संयोजे र्स्वणिम निम्नांकित स्वपनों को साकार करने में पूर्णतया सक्षम होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र की एक महान उपलब्धि होगी।

'अर्थ व्यवस्था की उचांइयो पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिये सामाजिक लीाा के विचार को प्रमुखता देने के लिये तथा व्यापारिक अतिरेक उत्पन्न करने के लिये जिससे आर्थिक विकास और अधिक तेज से बढ सके, सार्वजनिक उदयामो के विकास पर बल देते है।' (इन्दिरा गाँधी)।

□□□

अध्याय

द्वितीय

अध्याय–द्वितीय
उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकोपक्रम
(इंजीनियरिंग उद्योग)

(अ) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि0 झांसी :

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि0 झांसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह इकाई हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि0 भोपाल की एक अनुबन्धित शाखा है जो प्राथमिक रूप से एक ट्रान्सफार्मस प्लाण्ट निर्मित या उत्पादित करने वाली एक इकाई के रूप में कार्यरत रही है। वैसे भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि0 का सम्पूर्ण इकाइयो को लेकर भारतीय अर्थ व्यस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है और यह संस्था भारत के दस अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओ में से एक है।

इसमें से भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स झांसी भी लाभ जिन विशिष्ट उत्पादन व सामाजिक उदेश्यो को भली भाति पूरा करने में अपना एक अलग नाम बना चुकी है।

उददेश्य :–

(1) व्यावसायिक लक्ष्य :

ऊर्जा के क्षेत्रो व विदेशी बाजारों में गुणात्मक वस्तुओ के आपूर्तिकर्ता के रूप में तकनीकी उत्तमता माध्यम से अपनी अग्रणी स्थिति को निरन्तर त्वरित सेवाओं द्वारा बनाये रखना।

(2) विकास :

व्यावसायिक एंव व्यापारिक क्षेत्र में दृढ एंव स्थिर गति को इस प्रकार सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय कियाओं को आशानुरूप विकसित किया जा सकें।

(3) लाभदेयता :

कार्यत्मक कुशलता एंव क्षमता की अविवृद्धि द्वारा पूर्णरूपेण क्षमता का विदोहन करके उत्पादकता को बढाकर और आन्तरिक संसाधनों को इस प्रकार संचालित एंव सुनियोजित करना कि विनियोजित पूंजी पर एक सुनिश्चित एंव पर्याप्त लाभार्जन सम्भव हो सके।

(4) भावी स्वरूप :

अपने उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सदृश्य श्रेष्ठतम बनाकर उपभोक्ताओं को उतत्म सेवा प्रदान करना तथा विशेष रूप से दुर्लभ परन्तु आवश्यक पुर्जों की आपूर्ति सुनिश्चित करना व विक्रय के पश्चात् के सेवाएँ क्रेताओं की सुविधा के लिए शीघ्र और सस्ती दर पर सुलभ कराना जिससे भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स द्वारा उपभोक्ता, उद्योग एवं राष्ट्र व राजकीय त्रिपक्षीय हित सम्भव हो सके।

(5) निरन्तरता :

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स झाँसी की अग्रणीयता सुनिश्चित करने व उत्तरोत्तर बनाए रखने हेतु ऐसी विविध क्रियाएँ, प्रक्रियाएँ अपनाना जिससे मानवीय संसाधन का विकास शोध विकास तथा उत्तम प्रबन्ध हेतु सफलतम एवं शीघ्रतम प्रयास सम्भव हो सके।

(6) विनियोजन :

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड झाँसी का पांच वर्षीय विनियोजन निम्न प्रकार से रहा। निम्नांकित तालिका नये नियमों के अनुरूप बनाई गई है। जिसको उद्योग मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज और महालेखा अधिकारी के निर्देशानुसार बनाया गया है।

तालिका संख्या – 08

विनियोजन (लाख रुपयों में)

वर्ष	विनियोजन
1978–79	43 लाख 19 हजार रुपया
1979–80	48 लाख 10 हजार रुपया
1980–81	63 लाख 91 हजार रुपया
1981–82	62 लाख 08 हजार रुपया
1982–83	69 लाख 85 हजार रुपया

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन 'भेल' 1982–83 पृष्ठ संख्या 17।

उपरोक्त विनियोजन पर पाँच वर्षों में उत्पादन का निम्न प्रकार से रहा–

तालिका संख्या – 09

उत्पादन (लाख रुपयों में)

वर्ष	उत्पादन
1978–79	66 लाख 15 हजार 4 सौ रुपया
1979–80	72 लाख 77 हजार 8 सौ रुपया
1980–81	78 लाख 70 हजार 3 सौ रुपया
1981–82	94 लाख 31 हजार रुपया
1982–83	1 करोड़ 17 लाख 91 हजार रुपया 6 सौ रु0

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन 'भेल' 1982–83, पृष्ठ संख्या 17।

उपरोक्त दो तालिकाओं के अतिरिक्त भेल की विशेष उल्लेखनीय उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं–

तालिका संख्या – 10

(खातों में)

	वर्ष			
मद	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83
उत्पादन	72.78	78.70	94.31	1,11,792
पूँजी विनियोजन	49.1	50.8	81.7	75.7
कर से पूर्व लाभ	43.3	37.5	51.7	60.4
शोध एवं विकास व्यय	99.00	11.8	12.9	13.2
लाभांश	78.00	90.00	04.00	1,22,00
कुल अधिकारी एवं कर्मचारी	63.00	68.300	69.800	77.800

स्रोत : वार्षित प्रतिवेदन "भेल" 1982–83, पृष्ठ संख्या 2।

वित्तीय वर्ष 1982–83 अनेक दृष्टिकोण से उपक्रम का उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्ष रहा है। (1) इस वित्तीय वर्ष में उत्पादन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ा जबकि लाभ 16 प्रतिशत अधिक हुआ है। (2) भेल द्वारा लगभग 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन

आलोच्य वर्ष 1982 में इतना था जिसने 30 लाख घर में विद्युत प्रकाश सम्भव हो सकता था। (3) देश के तापीय विद्युत उत्पादन में वर्ष 1982 में अखिल भारतीय स्तर पर 75 प्रतिशत वृद्धि भेल द्वारा उत्पीड़ित संयंत्रों से ही हुई। (4) इसी वर्ष से भेल झाँसी द्वारा लाभार्जन प्रारम्भ हुआ।

इस प्रकार भेल द्वारा अपनी अन्य इाकइयों के साथ–साथ झाँसी की इकाई में भी गुणात्मक विकास के साथ–साथ तकनीकी अभिनव प्रवृत्तियों को भी अपनाया गया है तथा पाँच सौ मेगावाट क्षमता के तापीय संयंत्रों का उत्पादन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के इच्छानुसार वर्ष 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया गया और भेल की अन्य इकाइयों व झाँसी की इकाई लगभग एक हजार नई योजनाएँ देश के विभिन्न भागों में तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई, जिससे भेल को पर्याप्त बचत हुई तथा इसे "उत्पादकता पारतोषिक" 1982–83 की विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई।

भेल के वार्षिक प्रतिवेदन 1982–83 की अनुसूची 21 के अनुसार पृष्ठ संख्या 45 पर, भेल की झाँसी इकाई की आलोच्य वर्ष की उपलब्धियाँ निम्न प्रकार से रही।

तालिका संख्या – 11

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड झाँसी का उत्पादन

(लाख रुपए में)

उत्पादित वस्तु	इकाई	वर्ष में उत्पादन		पूर्ण वस्तुओं का प्रारम्भिक स्कंध		पूर्ण वस्तुओं का अंतिम स्कंध	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. पावर ट्रान्सफार्मर्स एवं स्पेशल ट्रान्सफार्मर्स	सं0	74	1335.12	23	439.70	6	62.68
2. रियेक्टर ट्रांसफार्मर्स एंड ई.एस.पी.	सं0	–	–	22	39.77	–	74.06
3. फ्रेट लोको ट्रांसफार्मर्स	सं0	33	195.50	8	32.93	–	–
4. ए.सी.ई.एम.यू. ट्रान्सफार्मर्स	सं0	–	–	11	27.95	18	52.20
5. इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रान्सफार्मर्स	सं0	1010	458.00	256	108.16	115	38.60
6. अन्य	सं0	50	109.60	32	64.36	4	4.67
7. रेक्टीफायर ट्रान्सफार्मर्स	सं0	–	–	–	–	–	–
		(पिछले वर्ष का 3.78)					

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन "भेल" 1982–83, पृष्ठ संख्या 45।

(ब) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, लखनऊ :

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड 1974 में राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में निगर्मित किया गया और इसने प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। अपनी स्थापना के प्रारम्भ से ही तीव्रगति से कार्य–कलापों में वृद्धि एवं प्रगति होने के कारण यह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। परिणामतः इसको स्वतंत्र सरकारी कम्पनी के रूप में जुलाई 1976 में मूल संख्या पिकप से अलग कर दिया गया है और स्वावयत्तता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 1976 में भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत एक शीर्ष संस्था के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ और तभी इसका पंजीकरण हुआ।

निगम का पंजीकृत मुख्यालय 4 प्राग नारायण रोड लखनऊ पर स्थित है।

पूँजी :

इस निगम की अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रुपया है जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभक्त है। निगम की वर्तमान प्रदत्त एवं चुकता पूँजी रु0 39000 लाख है। इसके सम्पूर्ण सामान्य अंश उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है।

प्रबन्ध :

निगम में एक अंश कालिक अध्यक्ष तथा एक पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक व 11 निदेशक हैं। निगम के निदेशक मण्डल में उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त भारतीय इलेक्ट्रानिक्स आयोग के प्रतिनिधि एवं देश के इलैक्ट्रानिक्स तकनीकी तथा उद्योगों के गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित है।

मुख्य उद्देश्य :

(1) उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग का विकास और उन्नति करना।

(2) विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों को चलाना या उनका प्रबन्ध अपने आधीन लेना ताकि उनका कार्य हो सके।

(3) उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से बाहर ऐसा उद्यम करना जो इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास पुर्जे जोड़कर बनाना, मरम्मत, क्रय–विक्रय तथा आयात

निर्यात आदि सभी तरह के कार्यों को बढ़ावा दे सके।

(4) इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों के विकास के लिए सेवा केन्द्रों, सामूहिक सुविधाओं तथा परख व प्रमाण इकाइयों का प्रबन्ध करना।

(5) लघु एवं मध्यम स्तरीय उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को उद्यम/सह उद्यम में सहयोग तथा बहुउद्देश्शीय पैकेज सहायता प्रदान करना।

(6) उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में राज्य सरकार के प्रतिनिधि का कार्य करना।

(7) स्वतः अथवा उद्यम कर्ताओं, उत्पादन संस्थाओं और कम्पनियों की ओर से या उनके प्रतिनिधि के रूप में नई इलैक्ट्रानिक्स औद्योगिक इकाइयाँ संयुक्त रूप में स्थापित करने अथवा वर्तमान उद्योगों का विकास करने अथवा उसमें विविधता लाने का कार्य आंशिक रूप में अथवा पूर्ण रूप में, जिसमें अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयों के चाहे वे सरकारी हो या प्राइवेट सहायक उद्योग भी हैं, हाथ में लेना।

(8) इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों का निकास करने के विचार से उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों, सम्भागों उत्पादों आदि के बाजारों का सर्वेक्षण करना या कराना, सामान्य से इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के सम्बन्ध में या विशिष्ट उत्पादन या प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में प्रायोजना की रूपरेखा, व्यवहार्यता अध्ययन तथा विनियोजन पूर्व अन्य अनुसंधान या ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन तथा प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रतिवेदन तैयार करना या उसे उपयुक्त प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा तैयार कराना और इलैक्ट्रानिक्स इकाइयों की स्थापना हेतु ऐसा प्रतिवेदन तैयार करने में भावी उद्यमियों की सहायता करना।

(9) इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के विकासार्थ विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में सेवा केन्द्र सामान्य सुविधाओं तथा जांच और मानकीकरण इकाइयों की व्यवस्था करना।

(10) सामान्यतः एक औद्योगिक प्रबन्धकीय एवं वित्तीय परामर्श दाता के रूप में कार्य करना तथा विशेष रूप से भावी उद्यमकर्ताओं, उत्पादन संस्थाओं तथा निगमित

निकायों का परामर्श देना तथा इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिए उनकी सहायता तथा सेवा करना।

उत्पादन तथा सफलताएँ :

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन द्वारा विभिन्न परियोजना की प्रगति और कार्य स्थिति निम्न प्रकार से है–

(अ) सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित कम्पनियों की स्थापना की है :

(1) अपट्रान इण्डिया लिमिटेड :

इसके अन्तर्गत इलाहाबाद एवं लखनऊ में दो फैक्ट्रियाँ है। इन दोनों में टेलीविजन का निर्माण किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 25,000 टी.वी. सेट प्रति वर्ष है। 1981–82 में दिसम्बर तक इस संस्था ने 22,225 टी.वी. सेटों का उत्पादन किया था।

(2) अपट्रान कैपेसिटर्स लिमिटेड :

इस फैक्ट्री की स्थापना ऐशबाग लखनऊ में कैपेसिटर्स के निर्माण हेतु की गई। इसकी उत्पादन क्षमता 600 लाख कैपेसिटर्स प्रतिवर्ष है। इस इकाई द्वारा दिसम्बर 1981 तक रु0 88.52 लाख के मूल्य का उत्पादन किया गया।

(3) अपट्रान डिजिटल लिमिटेड :

इसकी स्थापना भी ऐशबाग लखनऊ में की गई है। वर्षान्त 1981 तक कम्पनी ने रु0 188.50 लाख मूल्य का उत्पादन किया।

(4) अपट्रान इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड :

इस कम्पनी की स्थापना गाउण्ड बाटर बेल लागर्स के उत्पादन हेतु सरोजिनी नगर लखनऊ में की गई। कम्पनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 20 यूनिट की है। कम्पनी ने दिसम्बर 1981 तक रु0 33.70 लाख के मूल्य के सामान का उत्पादन किया है। निकट भविष्य में इसके और विस्तार की पूर्ण सम्भावनाएँ हैं।

(ब) संयुक्त क्षेत्र परियोजनाएँ :

निगम ने संयुक्त क्षेत्र में निम्नांकित कम्पनियों की स्थापना की है–

(1) हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड :

इस इकाई में मिनी कम्प्यूटर्स का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की यह भारत की सबसे बड़ी कम्पनी है। वार्षिक उत्पादन लगभग रु0 9 करोड़ है।

(2) अपट्रान आनन्द लिमिटेड :

इस उत्पादन इकाई में पिक्चर ट्यूब का उत्पादन किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 40,000 पिक्चर ट्यूब प्रतिवर्ष है।

(3) अपट्रान पावर ट्रानिक्स लिमिटेड :

इस कम्पनी में बैटरी चार्ज, नो ब्रेक पावर सप्लाई, इनवट्स, बेदियेबिल स्पीड ड्राईक्यूरस तथा पावर प्लांट फार कम्युनिकेशन सामग्री आदि का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 1981 में रु0 1.12 करोड़ का उत्पादन किया तथा 99 लाख रु0 का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

(4) अपट्रान की ट्रानिक्स :

इस इकाई द्वारा एम.एम.इलैक्ट्रानिक्स हीटिंग ईक्यूपमेन्ट, इण्डस्ट्रियल रैक्टीफायर, इण्डस्टिल रैक्टीफायर, चार्जिंग ईक्यूपमेन्ट, कण्ट्रोलर्स, इनर्टस, नो ब्रेक पावर सप्लाई आदि का उत्पादन किया जाता है।

(5) अपट्रान इलैक्ट्रानिक डिवाइसेज लिमिटेड :

इस कम्पनी का निर्माण स्वीडेन से आये विशेषांकों द्वारा किया गया है तथा इसमें लांग लाइफ हाई रिलायबिल्टी, एल्यूमिनियम इलैक्ट्रानिक्स एवं पालिस्ट्रान के पेसिटर्स आदि का उत्पादन होता है।

(स) प्रमोशन कार्य :

(1) इलैक्ट्रानिक्स टेस्टिंग एण्ड डेवलपमेन्ट सेन्टर, पनकी कानपुर :

प्रमोशनल कार्यकलाप के क्षेत्र में निगम ने, केन्द्र तथा राज्य सरकार की सहायता से, पनकी कानपुर में एक इलैक्ट्रानिक्स टेस्टिंग एण्ड डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना की है जिसका कार्य निगम, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कर रहा है। यह केन्द्र इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों के लिए नितान्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण टेस्टिंग, केलीब्रेशन आदि की सुविधाएँ देता है।

(2) इलैक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रियल इस्टेट्स :

भारत सरकार के इम्प्लायमेण्ट प्रमोशन प्रोग्राम के अन्तर्गत पनकी कानपुर में निगम में अपट्रान आस्थान की स्थापना की है, जिसके लिए निगम को रु0 46.32 लाख की धनराशि सरकार से प्राप्त हुई है।

प्रमोशनल कार्यक्रम के अन्तर्गत निगम अन्य स्थानों पर भी औद्योगिक आस्थान स्थापित कर रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

तालिका संख्या – 12

क्रम	स्थान जहाँ औद्योगिक आस्थान स्थापित किए गए हैं	इकाइयों की संख्या	अब तक चयन की गई इकाइयाँ
1.	पनकी, कानपुर	40	32
2.	रायबरेली	8 प्रथम चरण	8
		16 द्वितीय चरण	14
3.	साहिबाबाद	40	48
4.	नोयडा	100 प्रथम चरण	128
		200 द्वितीय चरण	—
5.	आगरा	16	9
6.	लखनऊ	20	7

स्रोत : उ0 प्र0 शा0 1982–83, उद्योग विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, बजट पृ0 63।

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा 44,756 टी.वी. सेटों का उत्पादन वर्ष 1981–82 में किया गया जबकि पिछले वर्ष 20339 टी.वी. सेटों का उत्पादन किया गया था। वित्तीय वर्ष 1981–82 में 12.82 करोड़ रुपए की निजी हुई जबकि पिछले वर्ष 1980–81 में 5.38 करोड़ रुपए की बिक्री की गई थी।

(1) अपट्रान कैपेटिलर्स लिमिटेड द्वारा 250 लाख इलैक्ट्रोनिक्स कैपेटिलर्स, जिनका मूल्य लगभग रुद्ध 200 लाख था का उत्पादन किया गया।

(2) अपट्रान कम्यूनिकेशन एण्ड इन्सट्रेमेन्ट्स लिमिटेड ने लगभग रु0 84 लाख के ग्राउण्ड वाटर बेल सागर का निर्माण किया।

(3) अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1981–82 में रु0 4.04 करोड़ का उत्पादन तथा रु0 3.96 करोड़ का विक्रय किया गया।

वित्तीय संसाधन :

वर्ष 1981–82 में निगम की रोकड़ एवं बैंक शेष की मद में जमा राशि विगम वर्ष के रु0 49.81 लाख से बढ़कर रु0 99.55 लाख हो गई, जिससे निगम के उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से सम्भव हो सकेगी।

वर्ष 1981–82 में निगम की चार सहायक कम्पनियों ने 30 जून सन् 1982 तक रु0 19.4 करोड़ का व्यापार किया जो विगत वर्ष के विक्रय से लगभग दुगना है।

रोजगार क्षमता :

यू0 पी0 इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों मे कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 1500 है। जिसमें से लगभग 200 इन्जीनियर हैं। निगम की संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की कुल संख्या 1000 है जिसमें 250 इंजीनियर हैं।

लाभ हानि : निम्नांकित तालिका निगम की स्थिति दर्शाती है।

तालिका संख्या – 13

वर्ष	लाभ हानि (लाख रुपयों में)
1976–77	–5.22
1977–78	–1.07
1978–79	+5.28
1979–80	+11.55
1980–81	+27.97
1981–82	+21.55

स्रोत : पूर्व उल्लिखित (उत्तर प्रदेश शासन 1982–83) उद्योग विभाग पृष्ठ–64।

समस्याएँ :

निगम के अबाध व नियमित कार्य संचालन में सबसे बड़ी बाधा विद्युत आपूर्ति रही है। श्रम एवं प्राविधिक एवं तकनीकी कठिनाइयाँ भी उत्पादन को बाधित करती है। इंजीनियरिंग उद्योग महासंघ द्वारा इस सम्बन्ध में अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, जो निम्नांकित है–

(1) इंजीनियरिंग उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की मांग में गिरावट।

(2) वास्तविक निवेश में कमी।

(3) अपर्याप्त रुक–रुक कर विद्युत आपूर्ति।

(4) विदेशी प्रतिस्पर्धा।

(5) कच्चे माल की किल्लत।

(6) वित्तीय साधनों का अभाव।

संतोष इस बात पर व्यक्त किया गया कि निगम ने अधिकांश प्रारम्भिक कठिनाइयों को पार कर लिया है। अस्तु उत्तरोत्तर प्रगति व सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है।

औद्योगिक महत्व :

निगम अपने पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत भावी उद्यमकर्ताओं को हर कदम पर

सहायता दे रहा है। जिसमें प्रायोजना व्यवहार्यता अध्ययन करना, वित्तीय तथा विपणन सम्बन्धी सहायता देना, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएँ आदि की व्यवस्था करना भी सम्मिलित हैं।

निगम के अन्तर्गत एक पृथक प्रभाग बनाया गया है। ऐसा करने से उन प्राविधिक उद्यमकर्ताओं को अत्याधिक लाभ पहुंचा है। जिन्हें अपने में तकनीकी उत्कृष्टता होने पर भी किसी विनियात्मक अथवा वाणिज्यिक कृत्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, ऐसा करने से निगम देश के हर कोने से योग्य उद्यमकताओं को उत्तर प्रदेश में आकृष्ट करने में समर्थ हुआ है।

निगम के तत्वावधान में इस राज्य में बहुत से इलैक्ट्रानिक्स कूलस्टर्स स्थापित किए हैं और आत्मनिर्भर छोटी विनिर्माण इकाइयाँ सृजित करने का प्रयास किया है, जिसमें से प्रत्येक इकाई, कलस्टर में किसी अन्य इकाई के पूरक के रूप में कार्य कर रही है और इस प्रकार स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं तथा इन इकाइयों में इलैक्ट्रानिक्स के कई प्रकार के सामान तैयार किये जा रहे हैं।

"उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन की यह विशेषता है कि उसने टेलरमेड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है जिसमें लघु तथा मध्यम श्रेणी की उद्यमों के प्रबन्ध, विनियात्मक तथा वाणिज्यिक कार्यकलापों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है।

इसी प्रकार इस निगम द्वारा इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज रायबरेली में आई.टी. आई. स्वीचिंग की एक सहायक इकाई की स्थापना की गई है।

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन का संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक महत्व :

निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में कई प्रायोजनाओं को भी कार्यान्वित किया गया है तथा प्रमाणित ख्याति वाले उद्यमकर्ताओं को उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े प्रदेश की ओर आकृष्ट किया है।

निगम ने नोइटा में अपनी इकाई में उतपादन करके प्रभावकारी शुरुआत की है, जिसमें हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड, नई कम्पनी खोली है।

निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में ही टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स के निर्माण के लिए "अपट्रान आनन्द लिमिटेड" स्थापित किया है। जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 40000 ट्यूब्स है।

टाटा ग्रुप के एक मुख्य संस्था से निगम ने सहयोग करके अपट्रान कारवेस का प्रारम्भ कराया जिससे लगभग पाँच करोड़ रुपए का विक्रय धन प्रतिवर्ष होने की सम्भावनाएँ हैं।

निगम की ही नीति के फलस्वरूप ऐसे सक्षम उद्यमकर्ताओं को जो नये उत्पाद बनाने की क्षमता रखते हैं, परन्तु साधनों की कमी के कारण उनका क्रय–विक्रय मितव्ययता से करने में असमर्थ है, की सहायतार्थ अपट्रान कम्पोजेन्टल लिमिटेड तथा अपट्रान सेमपैक लिमिटेड की स्थापना की है। इससे ट्रान्जिस्टस हेडर्स, टेप डेस्क और अनेकानेक इलैक्ट्रानिक पुर्जे बनाए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन की सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व :

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन की विकास नीति के तीसरे पहलू के रूप में पूँजी व प्रौद्योगिकी सघन परियोजनाओं को केवल अपनी ही छत्रछाया में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देता है। निगम द्वारा इलाहाबाद में इलैक्ट्रानिक्स फैक्ट्री स्थापित करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ये प्रायोजनाएँ पूँजी आवश्यकता के क्षेत्र में तथा टेक्नोलॉजी के स्वरूप के मामले में संयुक्त भिन्न है।

इन सबके अतिरिक्त निगम द्वारा कानपुर में एक पूर्ण विकसित परीक्षण तथा विकास केन्द्र को स्थापित किया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन सहायक उद्योगों के विकास एवं प्रतिभाशाली उद्यमकर्ताओ को प्रोत्साहित करने और उनकी क्षमता का पूरा–पूरा लाभ उठाने में पूर्णतया सफल रहा है और इसका महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

भविष्य में कार्यक्रम एवं भावी भूमिका :

यू0पी0 इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन को उस समस्त क्षेत्र में जहाँ प्रौद्योगिक (टेक्नोलॉजी) का उपयोग विकास कार्यों में किया जाता है वहाँ शोध तथा विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी तद्नुसार राज्य सरकार की सहायता से डिजाइन तथा विकास केन्द्र की स्थापना के

लिए योजनाएँ तैयार करनी होगी। ऐसा विश्वास है कि वाणिज्यिक उपयोग तथा औद्योगिक विकासार्थ विभिन्न प्रकार की उत्पाद वस्तुओं का विकास किया जायेगा। राज्य की अनेक लघु इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा निगम की उत्पाद वस्तुओकं के बाजार में बिक्री की सरलता व सुलभता के लिए एक क्रय–विक्रय विभाग की भी स्थापना की गई है। जिसमें अनेक व्यावसायिक व्यक्ति की भी स्थापना की गई है। जिसमें अनेक व्यावसायिक व्यक्ति कार्यरत हैं। यह प्रयाग अभी प्रारम्भिक अवस्था में है परन्तु यह आशा है कि निकट भविष्य में ही इसके कार्यकलाप और तीव्रगति से बढ़ेंगे।

तालिका संख्या – 14

यू0पी0 इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन लिमिटेड के लेखों का समेकित विश्लेषण

वर्ष 1981–82 (लाख रुपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81–	1979–80
(क) उपलब्ध साधन			
अधिकृत पूँजी	500.00	500.00	500.00
चुकता पूँजी (राज्य सरकार)	390.00	340.00	275.00
निर्बाध प्रारक्षित निधि	52.82	31.26	3.20
मूल्य ह्रास 6.83	3.23	6.62	
दीर्घकालीन ऋण	226.10	135.00	14.65
(राज्य सरकार से)			
(ख) साधनों का उपयोग–			
सकल सम्पत्ति	31.80	8.62	25.83
निर्माणाधीन सम्पत्ति	–	–	1.63
कार्यशील पूँजी	374.64	309.20	171.13
विनियोग–			
(क) सहायक कम्पनियों में	211.49	134.74	72.65

	(ख) अन्य 57.66	56.68	50.00	
	अस्थगित संचालन व्यय	0.16	0.25	3.75
(ग)	सरकार द्वारा लगाई गई निधि (वर्ष के अन्त में)			
		616.10	475.00	289.65
	निबल मूल्य (वर्षान्त में)	442.66	371.09	274.45
	प्रयुक्त पूँजी (वर्षान्त में)	399.61	314.59	190.34
	निबल मूल्य (औसतन)	406.84	322.73	222.56
	प्रयुक्त पूँजी (औसतन)	57.10	252.47	167.46
	ऋण तथा अग्रिम–			
	(क) सहायक कम्पनियाँ	252.31	252.35	21.21
	अन्य	51.13	55.37	60.99
(घ)	चालू दायित्व (अन्य)	28.35	48.33	35.43
(ड)	कार्य संचालन परिणाम (बिक्री)			
	बिक्री/कार्य पालन से आय	–	–	361.03
	ब्याज से आय	46.59	1.11	1.50
	विविध आय	32.64	65.80	9.00
(च)	बिक्री की लागत–			
	उत्पादन (कार्य संचालन व्यय)	33.65	35.02	62.55
	मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था	3.70	0.89	2.68
	अस्थागेत संचालन व्यय	0.08	0.08	0.68
	सकल लाभ संचालन व्यय	41.80	30.92	14.93
(छ)	ब्याज–			
	राज्य सरकार के ऋणों पर	71.84	22.95	3.38
	(1) लाभ/हानि (ब्याज लगाने के बाद)	23.93	27.97	11.55
	(2) कर के लिए व्यवस्था	2.41	–	–
	(3) शुद्ध लाभ/हानि	21.55	27.97	11.55
	(4) घोषित लाभांश	–	–	–
	(5) प्रतिधारित लाभ	21.55	27.97	11.52

जनशक्ति–			
(क) नियोजित व्यक्तियों की संख्या	146.00	130.00	282.00
(ख) नियोजित प्रति व्यक्ति सरकारी निधि	4.22	3.65	1.03
(ग) नियोजित प्रतिव्यक्ति मजदूरी/वेतन(रु.में)	110.96	9331	10053
(ज) गतवर्ष की तुलना में उन्नति/अवनति			
निबल मूल्य	19.31	35.18	60.81
सकल परिसम्पत्ति	268.91	–66.63	77.40
शुद्ध परिसम्पत्ति	363.27	–71.94	83.48
शुद्ध चालू पूँजी	21.16	–80.68	27.61
कुल आय	18.41	–81.99	146.49
कुल व्यय	41.94	–89.18	147.49
सकल/लाभ/हानि	35.19	–107.10	127.25
शुद्ध लाभ/हानि	–22.95	142.16	118.75
नियोजन (रोजगार)	12.31	–53.90	3.30

स्रोत : उ0प्र0 के सार्वजनिक उद्यमों की वार्षिक रिपोर्ट 1981–82, पृ0 141–144।

1981–82 के वित्तीय वर्ष के समंकों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यू0पी0 इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की आर्थिक स्थिति अति संतोषजनक है। प्रदेश के 57 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से लगातार पिछले तीन वर्षों में जिन 20 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया है इनमें से इस निगम का आरोही क्रम में आठवां स्थान है। निगम द्वारा राज्य सरकार से लिए गए ऋण के ब्याज की पूरी पूरी रकम चुकता कर दी गई है। जैसा कि पूर्वांकित तालिका के (छ) से स्पष्ट होता है। निगम में लगी कुल पूंजी की तुलना में सकल लाभ/हानि के प्रतिशत का विवरण उपरोक्त 1981–82 को रिपोर्ट से देखने में ज्ञात होता ह कि निगम का वित्तीय दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर अधिक सुदृढ़ हुई है व सकल लाभ लगी पूंजी के अनुपात में 10 प्रतिशत से अधिक है। लाभ–हानि का विवरण निम्न प्रकार से है–

तालिका संख्या – 15

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड में–

लगी पूँजी	(लाख रुपये में)	399.61
सकल लाभ	1979–80	7.84
सकल लाभ	1980–81	9.83
सकल लाभ	1981–82	11.30
सकल लाभ कुल लाभ का प्रतिशत		41.80

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ 11।

(स) ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड, लखनऊ :

ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड, लखनऊ जिसे राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 1976 को ऑटो मोबाइल्स प्रोडक्शन ऑफ इण्डिया लिमिटेड से अधिग्रहीत किया गया था, एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। इस उपक्रम को 1 जुलाई 1977 से राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। निगम का कार्यालयं 6, तेजबहादुर, सप्रू मार्ग, लखनऊ में स्थित है।

पूँजी :

इस उपक्रम की प्राधिकृत पूंजी 50 लाख रुपए है। जो 10 रु0 के 5 लाख अंशों में विभाजित है। 31 मार्च, 1977 को इसकी अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए थी, जबकि वित्तीय वर्ष 1981–82 में यही प्रदत्त पूंजी 831.51 लाख रुपए थी।

प्रबन्ध :

कम्पनी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक है और इस समय अध्यक्ष सम्मिलित करते हुए निदेशक मण्डल में आठ निदेशक हैं।

उद्देश्य :

निगम का प्रमुख उद्देश्य लेलैण्ड–154, ट्रैक्टर्स का निर्माण करना, उनके अतिरिक्त पुर्जों का विनिर्माण तथा संयोजना और उन्हें घरेलू और विदेशी बाजारों में बेचना है। इसके अतिरिक्त

इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वचालित के लिए खाली इंजनों का निर्माण करना भी है, जो समुद्री नौकाओं में लग सकते हैं तथा जिनका उपयोग अभियंत्रण प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

कार्यकलाप, उत्पादन एवं सफलताएँ :

कम्पनी द्वारा लखनऊ–इलाहाबाद–वाराणसी राजमार्ग पर भूपियामऊ तथा बहरानपुर, प्रतापगढ़ से 7 किमी. दूर, दो गाँवों में 113.62 एकड़ भूमि अर्जित की है। इस परियोजना से सम्बन्धित कार्य लखनऊ में ही कम्पनी का एक प्राविधिक कक्ष कर रहा है। प्रतापगढ़ में परियोजना कार्यालय स्थापित तथा सामग्री प्रबन्ध विभाग कार्य कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में परियोजना कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। ट्रैक्टरों का वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर 1981 में प्रारम्भ हो गया था तथा दिसम्बर 1981 तक 48 ट्रैक्टर बना कर बेचे गये थे, जबकि जुलाई 81 में पहले दो ट्रैक्टर बनाए गए थे। वर्ष 1981–82 के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियों मे 300 ट्रैक्टर्स के लक्ष्य के विरुद्ध 151 ट्रैक्टर्स की संयोजना की गई तथा 150 ट्रैक्टर्स की बिक्री की गई। सितम्बर 1982 तक निगम तक द्वारा इंजनों की संरचना का लक्ष्य था। निगम का आगामी वर्षों का उत्पादन कार्यक्रम निम्नलिखित है–

तालिका संख्या – 16

वर्ष	ट्रैक्टर्स	इंजन
1982–83	2200	200
1983–84	3500	1000
1984–85	5000	1500
1985–86	6000	2000

स्रोत : पूर्वोलिखित, पृष्ठ संख्या 18।

तालिका संख्या – 17
ओटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, लखनऊ के लेखों का समीकरण
विश्लेषण

वर्ष 1981–82 (लाख रुपयों में)

विवरण		1981–82	1980–81	1979–80
(क)	उपलब्ध साधन तथा उपयोग			
	अधिकृत पूँजी	750.00	750.00	500.00
	चुकता पूँजी, राज्य सरकार	831.50	831.50	406.50
	अन्य	0.01	0.01	0.01
	निर्वाध प्रारक्षित निधि	40.33	7.10	–
	मूल्य ह्रास	48.11	8.85	3.04
	दीर्घकालीन ऋण–			
	राज्य सरकार से	224.92	–	–
	संस्थागत ऋण	552.00	–	–
	नकद ऋण/अग्रिम	38.19	–	–
(ख)	साधनों का उपयोग–			
	(1) सकल परिसम्पत्ति	600.16	153.93	68.45
	(2) निर्माणाधीन सम्पत्ति	109.67	239.06	33.00
	(3) कार्यशील पूँजी	694.70	441.49	300.42
	(4) अस्थगित संचालन व्यय	111.30	1.08	0.90
	(5) घाटा	218.43	11.90	6.78
(ग)	सरकार द्वारा लगाई गई निधि–			
	(1) निबल मूल्य (वर्षान्त में)	1055.42	831.50	406.50
	(2) प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	542.31	825.63	358.83
	(3) प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	916.66	476.20	219.20
	(4) निबल मूल्य (औसतन)	683.57	612.23	249.05
(घ)	कार्यशील पूँजी का विवरण–			

(अ) स्टाक–			
(1) कच्चा माल	182.83	3.52	–
(2) निर्माणाधीन माल	56.95	–	–
(3) स्पेअर्स तथा अन्य	20.12	10.40	5.56
(4) निर्माण सामग्री	25.39	1.65	1.55
(ब) उपर्जित ब्याज–			
(1) रोकड़ एवं बैंक शेष			
पी0एल0ए0	0.30	10.35	150.50
सावधि जमा	–	44.00	40.00
अन्य	98.61	46.53	0.65
(स) ऋण तथा अग्रिम–			
अन्य	407.29	356.82	133.83
चालू दायित्व			
अन्य देय	114.98	31.62	30.41
(ड़) कार्यचालन परिणाम (बिक्री कार्य)–			
(चालन पर व्यय)			
(1) बिक्री/कार्य चालन से आय	78.11	0.36	1.49
(2) ब्याज से आय	1.06	1.66	0.99
(3) विविध आय	1.80	0.62	0.20
(4) बिक्री लागत	263.37	38.07	11.03
सकल लाभ हानि	–175.18	–5.12	0.38
ब्याज–			
(अ) राज्य सरकार के ऋणों पर	14.46	–	–
(ब) अन्य ऋणों पर	0.06	–	0.20
(स) संस्थागत ऋणों पर	21.63	–	0.21
बिक्री/कार्य संचालन की लागत	292.30	7.76	2.51
(च) कार्य चालन परिणाम–			

	(उत्पादन/कार्यचालन की लागत)			
	(1) बिक्री/कार्यचालन आय	78.11	0.26	1.49
	(2) ब्याज से आय	1.06	1.66	0.99
	(3) विविध आय	1.80	0.62	0.22
(छ)	उत्पादन/कार्यचालन मूल्य	136.88	38.88	12.33
	(1) कच्चा माल/पैकिंग सामग्री	164.74	0.65	—
	(2) मजदूरी वेतन व प्राविधान	35.14	24.46	6.97
	(3) अन्य व्यय	75.87	16.08	4.06
	(4) मूल्य ह्रास के लिए	36.31	5.81	0.92
	(5) सकल लाभ/हानि	–175.18	5.12	0.38
	(6) ब्याज	36.15	—	0.21
	(7) लाभ/हानि (ब्याज के बाद)	–211.33	5.12	0.17
	(8) कर के लिए व्यवस्था	—	—	—
	(9) शुद्ध लाभ/हानि	–211.33	5.12	0.17
(ज)	जनशक्ति के आँकड़े–			
	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	609	299	68
	नियोजित प्रति व्यक्ति (सरकारी निधि)	1.73	2.73	5.98
	नियोजित प्रति व्यक्ति मजदूरी (वेतन रु० में)	5770	7177	10250
(झ)	प्रतिशतता–			
	(1) प्रयुक्त पूंजी की तुलना में सकल लाभ/हानि (प्रतिशत)	–14.05	–0.87	0.10
	(2) निबल मूल्य की तुलना में शुद्ध लाभ/हानि (प्रतिशत)	–38.97	–0.62	0.04
	(3) प्रकृक पूंजी की तुलना में कुल आय (गुना)	0.06	0.01	0.01
	(4) कुल आय की तुलना में कार्यचालन की लागत (प्रतिशत)	361.00	293.94	93.66

	(5) कुल आय की तुलना में सकल लाभ/हानि (प्रतिशत)	216.36	193.94	14.18
(ञ)	गत वर्ष की तुलना में उन्नति/अवनति (प्रतिशत)–			
	(1) निबल मूल्य	–34.32	107.01	301.76
	(2) संस्थागत ऋण	100.00	–	–
	(3) सकल परिसम्पत्ति	289.89	124.88	109.45
	(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	280.51	121.80	114.04
	(5) शुद्ध चालू पूंजी	57.35	46.96	614.95
	(6) कुल आय	2967.05	–1.49	82.31
	(7) कुल व्यय	3666.75	209.16	71.92
	(8) सकल लाभ/हानि	–3321.48	–1447.37	37.00
	(9) शुद्ध लाभ/हानि	–4027.54	3111.76	16.00
	(10) नियोजन (रोजगार)	103.68	339.71	79.95

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 25 से 28।

औद्योगिक महत्व एवं रोजगार क्षमता :

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर यद्यपि इस संस्था के औद्योगिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता परन्तु आज की यह संस्था अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना सकी है। वर्षानुवर्ष हानि दर्शाने के अतिरिक्त यह संस्था आज भी सरकारी ऋण उपादान पर जीवित कही जायेगी। संस्था में निरीक्षण करने पर इसकी रोजगार क्षमता का आंकलन निम्न प्रकार से प्राप्त हो सका–

तालिका संख्या – 18

(अ)	प्रबन्ध कार्य तथा अन्य अधिकारी–	
(1)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
(2)	महाप्रबन्धक	1
(3)	प्रबन्धकीय पद	30
(4)	अन्य अधिकारी	103
	योग–	135
(ब)	मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ	350
(स)	वर्कमेन	335
कुल योग–		820

स्रोत : उत्तर प्रदेश शासन 1982–83, उद्योग विभाग, पृ0सं0–81।

सरकारी ऋण और उपादान की बैसाखियों पर टिकी यह संस्था उ0प्र0 सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूण्र इकाई अब तक की उपलब्धियों के आधार पर नहीं कही जा सकती। पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर हानि के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी ही हुई है, यथा–

वर्ष	लाभ/हानि	
1979–80	0.17	
1980–81	–5.12	
1981–82	–211.33	
1982–83	–221.00	अनुमानित

इसमें मेरी समझ में राज्य सरकार का यह आश्वासन कि प्रथम तीन वर्षों में होने वाली नकद हानि की प्रतिपूर्ति वह स्वयं वहन करेगी, नियन्त्रण ही निगम की कार्यक्षमता की गिरावट में सहायक ही कही जायेगी। वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण अनेक औपचारिकता के कारण समय से प्राप्त नहीं हो सका, जिससे उत्पादन कार्य में विलम्ब हुआ है। इसी प्रकार हर वर्ष निगम के कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी हेतु सरकार व वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना प्रगति का सूचक तो नहीं कहा जायेगा।

इंजीनियरिंग उद्योग की निराशा ज़नक़ प्रगति ने सरकार की उदारवादी नीतियों पर तो प्रश्नचिन्ह लगा ही दिया है साथ–साथ यह सोचने को को विवश कर दिया है कि सरकारी नीतियों में अवय ही कहीं ऐसी खामी है जिसके कारण इंजीनियरिंग उद्योग अपने पुरोन ढर्रे पर पड़ा हुआ है। न तो विकास दर ही बढ़ पा रही है और न ही निर्यात क्षेत्र में, कोई अतिरित उपलब्धि प्राप्त हो पा रही है।

(द) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम, लिमिटेड, लखनऊः

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ या जिसे यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 22 मार्च 1967 को की गई। इसका पंजीकृत कार्यालय 22, विधान सभा मार्ग, लखनऊ में स्थित है।

पूँजी :

निगम की अधिकृत आं पूंजी 8.5 करोड़ रुपया है। जिसमें 100–100 रुपए के 8. 5 लाख सामान्य अंश है। इसमें प्रदत्त पूंजी प्रारम्भ में 6.32 करोड़ रुपया थी। परन्तु वह बढ़कर 1981–82 में 723.83 लाख रुपया हो गई। इस पूंजी में 50:50 के समान अनुपात में उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के अंश सम्मिलित है।

प्रबन्ध :

निगम के निदेशक मण्डल में 19 सदस्य हैं, इसमें से 13 निदेशक केन्द्रीय सरकार के हैं जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पूर्णकालिक हैं तथा शेष निदेशक गैर सकरारी हैं।

निगम के 9 शाखा कार्यालय, लखनऊ, झाँसी, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, आगरा तथा मेरठ में हैं जहाँ एक–एक शाखा प्रबन्धक मुख्य कार्याधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रों का पर्यवेक्षण करने के लिए पांच प्रभागीय अभियन्ता भी हैं।

उद्देश्य :

उत्तर प्रदेश के कृषि औद्योगिक विकास के बढ़ावा देने तथा प्रोन्नत करने के उद्देश्य से इस निगम की स्थापना की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य तथा कार्य निम्नांकित हैं–

(1) राज्य में कृषि उद्योगों में उत्पादन हेतु यंत्र, संयंत्र एवं उपकरणों आदि के निर्माण

हेतु उद्योगों को सहयोग देना, सहायता पहुंचाना, उन्हें प्रोन्नत करना, विकसित या स्थापित करना, जिससे राज्य में कृषि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले अथवा उन्हें प्रोन्नत किया जा सके।

(2) निजी, सहाकरी, राजकीय और राज्य अन्य किसी क्षेत्र के कृषि उद्योगों और इसमें सम्बन्धित कार्यकलापों को वित्तीय, प्राविधिक और प्रबन्धकीय सहायता प्रदान की जा सके।

(3) उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं इत्यादि के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने का उपाय करना।

(4) इनकी आवश्यकता पूर्ति और उत्पादन सम्बन्धी प्रवृत्तियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण करना।

(5) कृषि औजारों, मशीनों इत्यादि से सम्बन्धित अभियन्त्रण व मरम्मत की दूकानों या कार्यशालाओं को चलाना जिनमें इन यंत्रों का विनिर्माण क्रय–विक्रय होता है।

(6) विभिन्न कृषि उद्योगों की स्थापना के लिए सीधे अथवा किसी अभिकरण के माध्यम से ऋण वितरित करना।

(7) कृषि उद्योगों की सहायतार्थ उपलब्ध कच्चे माल का जनपदानुसार सर्वेक्षण कराना।

निगम के कार्यकलाप :

निगम प्रमुख निम्नांकित कार्यकलाप करता है–

(1) कृषि औजारों का विनिर्माण और उनकी बिक्री करना।

(2) ट्रैक्टरों का वितरण करना।

(3) संतुलित पशु आहार का उत्पादन तथा उसकी बिक्री।

(4) फलों तथा सब्जियों का संरक्षण, उनकी डिब्बा बन्दी, बोतल बन्दी तथा उनका निर्यात।

(5) ट्रैक्टरों तथा खेती के अन्य औजारों और मशीनों को किराये पर देकर

सहायता प्रदान करना तथा उनकी सफाई आदि कराना।

(6) उर्वरकों तथा कीटाणुनाशक दवाओं की अधि प्राप्ति तथा उनका वितरण।

(7) स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत कृषि तथा अभियन्त्रण के बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षित करना।

निगम के विभिन्न विभाग :

(1) ट्रैक्टर प्रभाग :

1972–73 तक इस ट्रैक्टर संयोजन कायालय में चेकोस्लाविया से आयातित लगभग 3950 ट्रैक्टरों का संयोजन किया गया। बाद में ट्रैक्टर संयोजन कार्य मेसर्स एच.एम.टी. पिजौर, हरियाणा इकाई को दे दिया गया तथा 1973 के जून से पुराने ट्रैक्टरों के नवीनीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया।

(2) कृषि उपकरण कार्यशाला :

यह कार्यशाला तालकटोरा, लखनऊ में स्थित है। जिसमें बैलों तथा ट्रैक्टरों द्वारा खींचे जाने वाले, कल्टीवेटर, थ्रेशर, डिस्क प्लाऊ, बीज एवं उर्वरक ड्रिल, ट्राली लेवेलर तथा अनाज संग्रह कुशल इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के कृषि संयंत्र, तथा पर्वतीय छोत्रों के लिए विशेष प्रकार के कृषि यंत्र भी निर्मित किए जाते हैं तथा इन औजारों का निर्यात का पाकिस्तान, मध्य एशिया तथा सुदूर एटलांटिक महासागरीय देशों को निर्यात भी किए जाते हैं।

(3) उर्वरक प्रभाग :

प्रारम्भ में 1969 में जाड़ों में निगम के उर्वरक वितरण विभाग ने कार्य करना शुरू किया और विदेशों से प्राप्त उर्वरकों को इसी संस्था के माध्यम से बेचा जाता रहा। सन् 1964 से निगम द्वारा अनेक बिक्री केन्द्र खोले गए जिनके माध्यम से उर्वरकों की बिक्री की गई। निगम का यह प्रभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिक्री केन्द्रों की संख्या लगभग 350 है। इनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार फसल आने पर अन्य केन्द्र भी खोल लिए जाते हैं। समस्त उत्तर प्रदेश में उर्वरक वितरण का एक चौथाई कार्य इसी संस्था के द्वारा किया जाता है।

खाद्य संरक्षण प्रभाग :

इस प्रभाग का शुभारम्भ 1968–69 में किया गया। उसी समय प्रदेश की कई फल उपयोगीकरण से सम्बन्धित फैक्ट्रियों को इस निगम को हस्तातंरित कर दिया गया। इस विभाग के कार्यकलापों का और अधिक विस्तार किया गया है तथा आज प्रदेश में 12 फैक्ट्रियां निम्नांकित नगरों में चल रही हैं–

(1) फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, रामगढ़, नैनीताल।

(2) फूड प्रोसेसिंग कैनिंग फैक्ट्री, हापुड़।

(3) फूड प्रोसेसिंग एण्ड कौनिंग फैक्ट्री, कायमगंज (फर्रुखाबाद)।

(4) एग्रो कैनिंग एण्ड बाटलिंग फैक्ट्री, लखनऊ।

(5) एग्रो कैनिंग एण्ड पिकित्स फैक्ट्री, खलीलाबाद (बस्ती)।

(6) एग्रो कैनिया एण्ड बाटलिंग फैक्ट्री, कोसी (अल्मोड़ा)।

(7) फूड पैकिंग केसेज, फैक्ट्री, भुवाली।

(8) फूड पैकिंग केसेज फैक्ट्री, कर्ण प्रयाग (चमौली)।

(9) फूड पैकिंग केसेज, फैक्ट्री, हल्दानी।

(10) एग्रो स्पाई फैक्ट्री, झाँसी।

(11) हनी कलेक्शन एण्ड मारकेटिंग यूनिट, हल्द्वानी।

(12) एग्रो केनिंग एण्ड बाटलिंग फैक्ट्री, कोटद्वार (पौड़ी–गढ़वाल)।

इस प्रभाग का इस प्रकार से दुहरा महत्व है। एक तो वे सब्जियाँ व फल जो बेकार या जानवरों के कुतरे होते हैं उनका प्रयोग हो जाता है। साथ–साथ उपरोक्त फैक्ट्रियाँ की सूची को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संस्थाएं उन क्षेत्रों में स्थापित की गई है जो अधिकांशतः पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिससे उसी क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें।

खादय संरक्षण विभाग का केन्द्रीय गोदाम :

निगम के इस प्रभाग द्वारा उपयोगीकृत खादय एंव मसालों की विभिन्न क्षेत्रों व प्रदेशों को वितरित करने के लिये सम्पूर्ति को नियमित करने हेतु लखनऊ तथा हापुड में एक केन्द्रीय डिपो स्थापित किये गये है तथा गोदमों की स्थापना भी की गयी।

सर्विसिंग एण्ड कस्टम हायरिंग डिवीजन :

1969–70 में यह प्रभाग इस उददेश्य से खोला गया था कि लघु एंव सीमान्त कृषकों को किराये पर ट्रेक्टरों, बुलडोजरों, समेत औजारों को उपलब्ध कराये जायें उनकी खेती की मशीनों की सफाई तथा मरम्मत कर उनकी सहायता की जाय इन केन्द्रो पर फालतु पुर्जे भी रखे जाते है और उन्हे किसानों को बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त यहां ताक कटोरा निर्माण शाला में बचे हुये विभिन्न औजारो को बेचा जाता हैं इसके अतिरिक्त ऐसी भी योजना है कि खण्ड स्तर पर इस प्रकार के केन्द्रो की स्थापना की जाये।

पशुचारा विभाग :

सन् 1969–70 में विभाग द्वारा डेरी मालिकों तथा कुक्कुट पालको को सस्ते दर पर पशुओं को संतुलित आहार की व्यवस्था करने हेतु इस प्रभाग को आरम्भ किया गया था। इस समय गोरखपुर मुरादाबाद एंव लखनऊ में निगम की तीन फैक्ट्रियों संतुलित चोर का उत्पादन कर रही है। राज्य का पशुपालन विभाग इन फैक्ट्रीयों में उत्पादित चाराव खली का प्रमुख उत्पादक रहा है। इन उत्पादों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये व्यापारियो की नियुक्ति की जा रही है।

स्वतः रोजगार योजना :

कृषि तथा अभियन्त्रण(मेकेनीकल) स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हेतु स्वतः रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे बेरोजगार कार्मिकों को ट्रेक्टरो खेती के औजारों इत्यादि के प्रयोग उनके रख रखाव तथा मरम्मत के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाता है। आवश्यक प्रशिक्षण देने के उपरान्त इन प्रशिक्षार्थियों को, निजी कृषि सेवा केन्द्र खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त ऋण व्यवस्था करवा दी जाती है। इसे प्रकार की विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 1000 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 500 से अधिक उद्यमी अपने निजी कृषि सेवा केन्द्र खोल चुके हैं। निगम द्वारा इन प्रशिक्षित उद्यमियों को ही उर्वरकों एवं खेती के औजारों को बेचने के लिए अधिकृत विक्रेता नियुक्त किया जाता है।

तालिका संख्या – 19

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड के लेखों का विवरण

(लाख रूपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) उपलब्ध साधन			
(1) अधिकृत पूँजी	850.00	850.00	850.00
(2) चुकता पूँजी–			
राज्य सरकार	391.00	391.00	386.00
अन्य	332.83	332.83	332.83
(3) निर्बाध प्रारम्भिक निधि	12.54	12.54	12.60
(4) मूल्य ह्रास	159.95	148.15	135.38
(5) दीर्घकालीन ऋण–			
राज्य सरकार से	613.25	597.78	615.36
(6) नकद ऋण	719.28	882.69	223.50
योग	2228.85	2364.99	1705.67
(ख)साधनों का उपयोग–			
(1) सकल परिसम्पत्ति	271.39	258.42	237.92
(2) कार्यशील पूंजी	1054.22	1335.20	806.74
(3) विनियोग सहायक कम्पनियों में	5.00	5.00	5.00
(4) घाटा	898.24	766.08	655.60
योग–	2228.85	2364.99	1705.67
(ग) सरकार द्वारा लगाई गई निधि (वर्षान्त में)	1004.25	1321.61	1334.19
(1) निबल मूल्य (वर्षान्त में)	161.87	–30.00	75.42
(2) प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	1165.66	1445.47	909.28
(3) निबल मूल्य (औसतन)	–94.94	22.71	134.05

(4) प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	1305.57	1177.57	993.33
(घ) कार्यशील पूंजी का विवरण–			
(1) छः माह से अधिक	250.00	250.00	196.51
(2) अन्य	150.00	140.00	108.23
(च) बिक्री की लागत–			
योग	4756.37	3478.28	2811.17
(छ) सकल लाभ/हानि	41.65	–1.78	–43.91
(ज) कार्यचालन परिणाम (उत्पादन) लागत			
योग	4798.02	3476.50	2767.23
(1) स्टाक में कमी या वृद्धि	273.36	40.01	–320.49
(2) उत्पादन कार्य संचालन मूल्य	5071.38	3516.51	2446.77
(3) उत्पादन कार्य संचालन पर लागत–			
घटाकर शेष	5029.73	3518.29	2490.68
(झ) शुद्ध लाभ/हानि	–132.16	–91.15	–117.39
(ड) पिछले वर्षों की तुलनायें–			
(1) उन्नतिया अवनति	–432.90	–139.78	–60.87
(2) संस्थागत ऋण	–18.51	294.94	–29.41
(3) सकल परिसम्पत्ति	5.02	8.62	–14.07
(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	22.55	38.14	33.99
(5) शुद्ध चालू पूंजी	–21.04	65.51	–12.78
(6) कुल आय	38.01	25.62	–9.40
(7) कुल व्यय	38.19	23.68	–9.57
(8) सकल लाभ/हानि	2439.89	95.95	39.58
(9) शुद्ध लाभ/हानि	–44.99	22.35	14.66

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 5–8।

निगम के परिचालन वित्तीय परिणाम देखने से ज्ञात होता है कि यद्यपि निगम ने सकल लाभ 41.65 लाख रु0 सन 1981–82 में हुआ। (देखें स्तम्भ 6) परन्तु ब्याज भार अधिक होने के कारण 132.16 लाख रु0 की शुद्ध हानि हुई, जैसा कि स्तम्भ (झ 1981–82) से स्पष्ट है।

वित्तीय वर्ष 1981–82 के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ बिक्री/कार्य संचालन से आय 47.98 लाख रु0 हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में 38.01 प्रतिशत अधिक है।

कार्यशील पूंजी में भी वर्ष्ज्ञ 1980–81 की तुलना में 21004 प्रतिशत कमी आई। इसका मुख्य कारण चालू दायित्वों में वृद्धि तथा वर्ष में हुई हानि का होना है।

वर्षान्त में संचित घाटा 98.24 लाख रुपए हो गया। (देखें स्तम्भ ख 4)। जो पिछले वर्ष से अधिक है। निरन्तर हानि में वृद्धि के परिणामस्वरूप निबल मूल्य ऋणात्मक है (देखें स्तम्भ ग 1 व 3) निगम की पिछले तीन वर्षों की हानि 132,16 91.15 एवं 1170.39 लाख रुपया है। इसलिए निगम द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर ब्याज का भुगतान नहीं। जो कि क्रमशः 0.08 लाख रु0 1981–82 तथा पूर्व के दो वर्षों में था। इसके अतिरिक्त निर्बाध प्रारक्षित निधि होने के बावजूद निगम द्वारा लाभांश नहीं घोषित किया।

सन् 1981–82 के प्रतिवेदन के अनुसार पश्चिमी जनपदों में दानेदार उर्वरक तैयार करने के लिए एक लघु संयंत्र तथा कीटनाशक औषधियों का संयंत्र तथा आलू के चिप्स या क्यूब्स और फ्लेक्स तथा प्याज के स्लाइसेज तैयार करने के संयत्र लगाने के प्रस्ताव थे।

(ह) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर :

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1958 में हुई थी तथा यह निगम की भांति 13 जून 1978 को कार्य करने लगा। निगम का मुख्य कार्यालय बी–15 सर्वोदय नगर कानपुर में है।

पूँजी :

निगम की प्राधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपया है जिसमें 100–100 रु0 के 1 लाख सामान्य अंश हैं। वर्ष 1975–76 में इसकी अभिदत्त पूंजी 65 लाख रु0 थी जो वित्तीय वर्ष 1981–82 में 147.00 लाख रुपए बढ़कर हो गई।

प्रबन्धन एवं संगठन :

कम्पनी का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है और निगम का प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यवाही अधिकारी होता है। प्रबन्ध निदेशक के विभिन्न कार्यों में एक प्रधान प्रबन्धन तथा उप प्रबन्धक एवं सचिव सहायता करते हैं। प्रत्येक प्रभाग एक प्रभागीय प्रबन्धक के प्रभार में रखा गया है। विकास सम्बन्धी कार्य कलापों के लिए एक प्रयोजना प्रबन्धक और चार प्रायोजना उपप्रबन्धक हैं।

सचिव उद्योग विभाग निगम के अंशकालिक अध्यक्ष हैं। निगम का एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित निदेशक मण्डल में कुल आठ सदस्य होते हैं।

उद्‌देश्य :

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना मूलरूप से राज्य में लघु उद्योगों के विकास और उसमें तेजी लाने के लिए हुई है ओर इस हेतु पूंजी, साख, ऋण तकनीक, वित्तीय विपणन तथा अन्य इसी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा अपने ज्ञापन में दिए गए अन्य लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं–

(1) प्रदेश के लघु उद्योगों के उत्पादन की विधियाँ, क्रय–विक्रय और उत्पादन तकनीक में सुधार लाया जा सके।

(2) राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिए योजनाओं को बढ़ावा देना और इन्हें चलाना।

(3) बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों में समन्वय स्थापित करना।

(4) लघु उद्योगों को भूमि अध्यायत करने, सज्जा और सक्रिय पूंजी की सुविधाओ के लिए ऋण स्वीकृत करना।

(5) समस्त लघु औद्योगिक संस्थाओं की सम्भावित उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए सभी आवश्यक तथा अपेक्षित कार्यवाही करना।

(6) माल, सामान और विभिन्न प्रकार की सज्ज़ा का ढाँचा ढालने, निर्माण करने जोड़ने तथा आपूर्ति करने का ठेका लेना तथा उनको पूरा करने की व्यवस्था करने के लिए

लघु उद्योगों को उप ठेके पर देना।

निगम के कार्यकलाप, उत्पादन व सफलताएँ :

कच्चे माल अधिप्राप्ति तथा विवरण :

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम राज्य में लघु उद्योगों की दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध कराना है। प्रदेश को 13 क्षेत्रों में विभक्त करके प्रदेश की समस्त औद्योगिक इकाइयों को निगम ही एक मात्र लौह एवं इस्पात वितरण है। इस प्रदेश को जितना भी लौह तथा इस्पात आवंटन किया जाता है वह क्षेत्रीय मण्डलीय अधिकारियों के माध्यम से अपने भण्डारों से वितरित किया जा रहा है वर्ष 1981–82 में निगम द्वारा दिसम्बर 1981 तक 22,727 मैट्रिक टन लौह तथा इस्पात का वितरण किया गया था तथा 26,785 में टन पिग आइरन वितरित किया गया था, जो वास्तविक लक्ष्य से कम था।

निगम द्वारा अलौह पदार्थों के अन्तर्गत ही दुर्लभ सामग्रियों जैसे कास्टिक सोड़ा, प्लास्टिक, सोड़ा ऐश, निकिल लेड या सीसा जस्ता, केडियम इत्यादि धातुओं एवं मटन टैलो (भेड़ की चर्बी) फैटी एसिड के वितरण का कार्य किया जाता है। वष्र 1981–82 में इन धातुओं के वितरण का लक्ष्य 220 लाख रुपए रखा गया था जबकि दिसम्बर 81 तक 123.03 लाख रुपए मूल्य की अलौह धातुएँ तथा सामग्री वितरित की जा सकी थी। अलौह धातुओं के लिए निगम द्वारा एक एजेन्सी के माध्यम से कार्य हो रहा था जिसमें दिसम्बर 1981 तक 1490 लाख रुपए मूल्य की सामग्री वितरित की जा चुकी थी।

कालीन उद्योग के लिए ऊनी धागे :

निगम के व्यापारिक कार्य के अन्तर्गत ही ऊनी धागों को बनाने वाली देश की ख्याति प्राप्त मिलों से ऊनी धागा क्रय करके कालीन निर्माताओं को 150 दिन के उधार पर धागा वितरित किया जाता है। इस प्रकार योजनान्तर्गत भदोही, खमरिया, गोपीगंज, वाराणसी इत्यादि के कालीन निर्माताओं को ठोस सहायता प्रदान की जाती है जो कालीनों को विदेशों में नियति करते तथा प्रदेश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुलभ कराते हैं। वर्ष्ज 1981–82 में इस योजना का लक्ष्य 130 लाख रुपए रखा गया था।

कोल और कोक का वितरण :

व्यापारिक कार्यकलापों के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए कोल या कोक उपलब्ध कराना निगम का दायित्व है। निगम द्वारा स्टीम कोल के वितरण करने के लिए गाजियाबाद, सहारनपुर, खुर्जा, कानपुर और फिरोजाबाद में कोयले के डम्प खोले है। 1981–82 के लिए 40 लाख रुपए मूल्य का वितरण का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से लगभग 29.25 लाख रुपए का वितरण कर लक्ष्य पूरा करने में सफलता प्राप्त कर ली गई थी।

आयतित माल की आपूर्ति तथा वितरण :

निगम द्वारा सेवा सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत कच्चे माल का आयात करके लघु इकाइयों को वितरित करने का दायित्व भी इसी संस्था का है। इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित पार्टियों को केवल 10 प्रतिशत धनराशि लगाना पड़ती है। शेष 90 प्रतिशत निगम द्वारा लगाई जाती है। इतनी सुविधा होने पर भी 1981–82 के 225 लाख रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 1981 के अन्त तक मात्र 140.77 लाख रुपए की ही निगम को उपलब्धि हो चुकी है।

विपणन सहायता योजना :

इस सहायता के अन्तर्गत निगम द्वारा पंजीकृत लघु उद्योगों को उनके उत्पादन को सरकारी विभागों, संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने में सहायतार्थ आमंत्रित निविदाओं/पूंछतांछ इन इकाइयों को भेज दी जाती है और इनके अनुरोध पर विभिन्न संस्थाओं से आपूर्ति के आदेश ऐसी पंजीकृत इकाइयों को दे दिये जाते हैं।

किराया क्रय योजना :

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और प्रसार के लिए एक किराया क्रय योजना चलाई जा रही है। सन् 1981–82 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक उत्पादन की इकाई को 5000 से 50000 रुपए की प्रचुर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वाणिज्यिक योजना :

निगम द्वारा उत्पादन कार्य हेतु वाणिज्यिक इकाइयां भी चलाई जा रही हैं जो

उद्योग निदेशालय द्वारा निगम को हस्तांतरित की गई हैं जिसमें कानपुर में आई.यू.सी.डी. प्लास्टिक फैक्ट्री, वुड सीजिनिंग प्लान्ट इलाहाबाद, स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री इलाहाबाद तथा चिनहट में पाट्रीज है। 1980–81 में 10 लाख रु0 मूल्य के दरवाजे और खिड़कियां विभिन्न सरकारी कार्यालयों को बेचकर लाभ अर्जित किया।

संयुक्त परियोजना :

निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम भी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अधिक स्थानीय अवसर प्रदान करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इन संयुक्त योजनाओं पर इस निगम द्वारा कुल 16.155 लाख रुपये की साम्य पूंजी तथा व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा 49 प्रतिशत के आधार पर 15.525 लाख रुपए पूंजी का विनियोजन हो चुका है। यह इकाइयां अधिकतर प्रदेश के पूर्वी जनपदों में स्थापित की गई हैं जिनमें आजमगढ़, बस्ती, मऊ, एटा, कासगंज, फैजाबाद, बिन्दकी, गाजीपुर आदि में स्थित की गई है इसके अतिरिक्त छठीं योजनान्तर्गत नये संयुक्त उपक्रम चलाये जाना है उसमें जो मंडलीय विकास निगमों की भागीदारी रखी गई है तथा लघु उद्योग निगम द्वारा पूर्व 51 प्रतिशत के स्थान पर अब मात्र 25 प्रतिशत पूंजी विनियोजन का ध्येय है तथा शेष 26 प्रतिशत पूंजी विकास मण्डलीय निगम लगायेंगे। विशेष बात यह है कि सभी नये उपक्रम देश के पिछड़े जनपदों में लगाए जायेंगे।

औद्योगिक संकुलों की स्थापना :

उपर्युक्त कार्य–कलापों के अतिरिक्त लघु औद्योगिक इकायों को स्थापित करने व नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना एवं प्रेरणा देना भी निगम का मुख्य लक्ष्य रहा है। इस हेतु निगम ने प्रदेश सरकार की पैकेज सहायता योजना के अन्तर्गत औद्योगिक संकुलों की स्थापना का कार्य एक एजेन्सी के रूप में किया है। निगम द्वारा भूमि की अधि प्राप्ति और विकास, पानी की आपूर्ति, फैक्ट्री शेडों का निर्माण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, मशीनरी का चुनाव तथा बैंकों और वित्तीय निगम से ऋण दिलवाने में तथा उद्यमियों को ठोस सहायता प्रदान करने में इस निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस योजना के अन्तर्गत मथुरा, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, झाँसी, हरिद्वार तथा रायबरेली में औद्योगिक संकुलों की स्थापना हो चुकी है और अधिकतर इकाइयाँ उत्पादन भी कर रही है।

चीनी पात्र उद्योग विकास कार्यक्रम :

निगम द्वारा सम्बर्द्धनात्मक कार्यों के अन्तर्गत व्यक्तिगत कुम्हारों (पार्टस) को कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा निजी उत्पादन के लिए चिमनी आदि का प्रबन्ध कराने, जिससे चीनी पात्र उद्योग को गुणवत्ता और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो सके, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इस हेतु यू0पी0एस0आई0सी0 पाट्रीज लिमिटेड की स्थापना की गई। इसी संस्था द्वारा छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक सैनीटरी वेअर यूनिट लगाने का प्रस्ताव है।

इस सब में सर्वोपरि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम का मुख्य कार्य, हरिजन और अनुसूचित जन–जाति को इन सम्बर्धनात्मक योजनाओं से लाभान्वित कराना है।

तालिका संख्या – 20

उत्तर प्रदेश उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर के लेखों का विश्लेषण

(लाख रुपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) उपलब्ध साधन तथा उपयोग–			
(1) अधिकृत पूंजी	300.00	300.00	300.00
(ख) चुकता पूंजी–			
राज्य सरकार	147.00	100.00	85.00
आन्तरिक साधन–			
(1) विशिष्ट प्रारक्षित निधि	27.50	25.50	27.50
(2) निर्बाध प्रारक्षित निधि	107.69	58.96	5.75
(3) मूल्य ह्रास	16.49	15.20	13.91
दीर्घकालीन ऋण–			
(1) राज्य सरकार से	258.81	318.56	238.11
(2) संस्थागत ऋण	307.30	364.11	454.30
(3) नकद ऋण/अग्रिम	99.83	317.34	145.03

योग–	964.62	1201.67	1009.60
(ग) साधनों का उपयोग–			
(1) सकल परिसम्पत्ति	39.93	36.92	34.13
(2) निर्माणाधीन सम्पत्ति	5.23	0.21	0.18
(3) कार्यशील पूंजी	888.89	1134.97	945.54
विनियोग–			
(1) सहायक कम्पनियों में	28.50	28.50	28.50
(2) अन्य	2.18	–	–
(3) आस्थगित संचालन व्यय	0.39	1.07	1.25
(4) घाटा	–	–	–
योग–	964.62	1201.67	1009.60
(घ) सरकार द्वारा लगाई गई निधि (वर्षान्त में)	405.81	418.36	323.11
(1) निर्बल मूल्य (वर्षान्त में)	253.80	157.89	129.50
(2) प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	912.33	1156.69	965.76
(3) निर्बल मूल्य (वर्षान्त में)	205.85	143.70	124.02
(4) प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	1034.51	1061.23	338.23
(ड़) कार्यवालन परिणाम (बिक्री चालन व्यय)	2747.66	2425.19	1699.60
बिक्री की लागत	2602.53	2347.13	1594.23
सकल लाभ/हानि	145.13	107.06	105.37
(च) कार्यचालन परिणाम	2747.66	2454.19	1699.60
(उत्पादन कार्यपालन की लागत)			
उत्पादन/कार्यपालन पर लागत	2703.62	2430.87	1582.01
(1) सकल लाभ/हानि	145.13	107.06	105.37
(2) ब्याज	96.25	60.04	80.41
(3) लाभ/हानि ब्याज	48.78	47.02	24.96
लाभ/हानि ब्याज लगाने के बाद	48.78	47.02	24.93
(4) कर के लिए व्यवस्था	28.83	27.77	10.70

(5) शुद्ध लाभ/हानि	19.95	19.25	14.26
(छ) गत वर्ष की तुलना में उन्नति/अवनति (प्रतिशत)			
(1) निर्बल मूल्य	60.74	21.92	9.25
(2) संस्थागत ऋण	–40.26	13.70	12.17
(3) सकल परिसम्पत्ति	8.15	8.17	1.07
(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	7.92	7.42	–3.21
(5) शुद्ध चालू पूंजी	–21.86	20.03	6.26
(6) कुल लाभ	11.96	44.40	79.12
(7) कुल व्यय	12.12	43.74	78.35
(8) सकल लाभ/हानि	35.56	1.60	47.37
(9) शुद्ध लाभ/हानि	3.64	234.99	145.73

स्रोत : पूर्वलिखित, पृ0 सं0 41–44।

(ज) जनशक्ति आंकड़े–

(1) नियोजित व्यक्तियों के संख्या	533
(2) नियोजित प्रति व्यक्ति सरकारी निधि	0.76
(3) नियोजित प्रति व्यक्ति औसत वेतन	9301 रुपया

इस प्रकार उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि करोपरान्त वित्तीय शुद्ध लाभ 19.95 लाख रुपया वित्तीय वर्ष 1981–82 में हुआ। इसके अतिरिक्त यह संस्था प्रदेश के उन 10 अग्रिम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में से एक है जिसने लगातार तीन वर्ष से लाभ अर्जित किया। जो सन् 1980–81 में भी 19.95 ही था व 1979–80 में 14.26 लाख रु0 था। अपनी सुदृढ़ स्थिति होने के कारण, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड उन पांच प्रमुख प्रादेशिक संस्थाओं में से एक है जिसने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभांश का भुगतान निम्न प्रकार से किया है–

तालिका संख्या – 21

वर्ष	लाभ (लाख रुपयों में)
1979–80	5.10
1980–81	6.00
1981–82	6.15

स्रोत : पूर्वलिति, पृष्ठ संख्या 8।

विभिन्न वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि निगम सफलता के मार्ग पर उत्तरोत्तर अग्रसर है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां आइरन स्टील के व्यापार से निगम के विक्रय में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है।

भावी कार्यक्रम :

यह निगम मुख्यतया दुर्लभ कच्चा माल प्राप्त करने और उसे लघु औद्योगिक इकाइयों को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने में लगा हुआ है। परिवर्तनीय परिस्थितियों में यह अनुभव किया जा रहा है कि परम्परागत वस्तुओं के साथ–साथ अन्य नई वस्तुओं की उपलब्धि हेतु अधिकाधिक साधन खोजे जायें। निगम का विपणन सहायता सम्बन्धी एक महत्वांकाक्षी योजना भी चलाये जाने का विचार है। अन्ततः निगम का लक्ष्य 200 इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने का है।

□□□

अध्याय

तृतीय

अध्याय–तृतीय

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर :

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड कानपुर प्रारम्भ में 2 दिसम्बर 1969 को सरकारी कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया तत्पश्चात् दिसम्बर 1973 में यह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत इसे सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया गया। निगम का पंजीकृत कार्यालय 7–बी, सर्वोदय नगर, कानपुर में स्थित है।

पूँजी :

प्रारम्भ में निगम की पूँजी 3 करोड़ रुपया थी जो आवश्यकतानुसार समय–समय पर बढ़ाई जाती रही है। इसकी वर्तमान अधिकृत पूंजी 45 करोड़ रुपया है और चुकता पूंजी 35,52,87,000 रुपया है। राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 5,50,00,000 रुपया निगम के अंशकों का क्रय करने हेतु प्राप्त हुए हैं। इस धनराशि के अंशकजारी करने से निगम की चुकता पूंजी 41,02,87,000 रुपया हो गई है। यह अंश पूंजी पूर्णतया समता अंशक के रूप में होगी, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के अधिकार में रहेंगे।

अब यह निगम अभिरक्षक (कस्टोडियन) या प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में बीमार सूती मिलों का प्रबन्ध कर रही है। उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 के अन्तर्गत निगम को कानपुर स्थित दो सहायक कम्पनी उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी नं0 1 लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स नं0 2 लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स नं0 2 लिमिटेड का प्राधिकृत नियोजक किया गया।

बीमार सूती प्रतिष्ठान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत भारत सरकार ने सहारनपुर, लखनऊ और हाथरस की तीन बीमार मिलों का अधिग्रहण कर लिया है और नवम्बर 1972 से निगम को इनका अभिरक्षक नियुक्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त निगम ने वर्ष 1978–79 में राज्य सरकार से प्राप्त रु0 14,47,000 नगीना सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड नगीना तथा संत कबीर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड मगहर के अशंकों में विनियोजित किया है। आधुनिकतम सूचनाओं के आध ार पर निगम के पास 13 ऐसी ही मिलें हैं जिनमें कुल मिलाकर लगभग 21 हजार आदमी कार्य कर रहे हैं।

प्रबन्ध :

निगम के निदेशक मण्डल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्धक और आठ निदेशक भी हैं। इनमें से चार निदेशक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नामित किये जाते हैं।

उद्देश्य :

सामान्य रूप में निगम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

(1) वस्त्र मिलों की समस्त शाखाओं से सम्बन्धित कार्य करना, और किसी भी ऐसे उद्योग और प्रतिष्ठान का प्रबन्ध करना जो राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाए।

(2) किसी भी वस्त्र कम्पनी को इसकी सहायक कम्पनी के रूप में प्रोन्नत करना।

(3) ऊनी मिलों की स्थापना करना और सभी प्रकार के सूती, जूट, सिल्क, पटसन और उन इत्यादि तथा मनुष्य द्वारा निर्मित धागे और रेशे से सम्बन्धित सामग्री की कताई, बुनाई, रंगाई आदि से सम्बन्धित कार्य करना।

(4) सभी प्रकार के सूत का निर्माण करना और उससे सम्बन्धित कार्य करना।

(5) वस्त्र मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना अथवा बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रदत्त ऋण दिलाने हेतु गारन्टी प्रदान करना और

(6) किसी प्रायोजना प्रतिवेदन को तैयार किए जाने के विषय में अध्ययन करना तथा सम्भावनाओं के विषय में भी अध्ययन करना तथा वस्त्र व्यवसाय के विषय में सामान्य परामर्श दात्री अभिकरण के रूप में कार्य करना।

निगम के कार्यकलाप एवं उत्पादन कार्य :

निगम ने 25,000 तकुओं की क्षमता वाली आठ सूत कताई मिलों की स्थापना की है। इनमें वे मिलें भी सम्मिलित हैं जो इसकी सहायक कम्पनी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) द्वारा भी स्थापित की गई हैं। प्रत्येक मिल का कुल पूँजी परिव्यय पांच करोड़ रुपया है और ये आठ मिलें रायबरेली, मऊनाथ भंजन, अकबरपुर, बाराबंकी, संडीला, काशीपुर, झाँसी और मेरठ में स्थित है। पहली चार मिलें उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स द्वारा तथा अन्तिम चार मिलें

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र द्वारा स्थापित की गई हैं।

निगम को फरवरी 1972 में स्टेपिल फाइबर धागे की उगाही और उसके वितरण के लिए राज्य सरकार की ओर से मनोनीत किया है। यह निगम 11 जनपदों में स्थित अपने 15 डिपो के माध्यम से वितरण का कार्य सम्पादित करता है। भारत सरकार ने मार्च 1973 में सूती धागे का नियंत्रण करने के लिए निगम को राज्य सरकार ने नामित अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। यद्यपि जनवरी 1974 में मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया तथापि निगम यह कार्य बराबर करता रहा और उसके प्रबन्ध के आधीन जितनी मिलें थीं उनके द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण धागे का वितरण व विक्रय होता रहा।

कताई परियोजनाएँ :

प्रदेश में हथकरघा एवं शक्ति चालित करघा उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र सूत की मांग की पूर्ति हेतु निगम ने स्वतः चार कताई मिलें, निगम की सहायक कम्पनी, उ0प्र0 राज्य कताई मिल्स कम्पनी लिमिटेड ने सण्डीली, मेरठ, काशीपुर और झाँसी में लगाई है। प्रत्येक आठ मिलों की उत्पादन क्षमता 25000 तकुए प्रति मिल है। सूत की बढ़ती मांग एवं इसकी पूर्ति की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के निर्णय पर राज्य वस्त्र निगम एवं इसकी सहायक इकाई उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड की प्रत्येक इकाई में 25000 तकुए की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना में थी। इस विस्तार कार्य को दो चरणों में पूरा करना था।

उपरोक्त आठ मिलों के अतिरिक्त पांच अन्य मिलें जसपुर (नैनीताल), मेजा (इलाहाबाद), मवई बुजुर्ग (बाँदा), बलिया तथा जौनपुर में लगाई जायेगी। इसमें से जसपुर की इकाई निगम द्वारा लगाई गई है जबकि शेष चार उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी (नं0 2) द्वारा लगाई गई हैं। इन मिलों के अतिरिक्त निगम को प्रोसेसिंग हाऊस लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा लाइसेन्स प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र में भी दो परियेाजनाएं लगाने हेतु निगम को दि प्रोदशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यू0पी0 लि0 लखनऊ के माध्यम से कार्यवाही कर रहा है।

निम्नलिखित तालिका में निगम को 1976–77 से 1980–81 तक की आय व्यय तथा

लाभ–हानि की स्थिति दर्शायी गयी है–

तालिका संख्या – 22

(लाख रुपयों में)

वर्ष	पूंजी परिव्यय	स्थूल आय	कार्य उत्पादन व्यय	शुद्ध लाभ	ब्याज	शुद्ध लाभ/हानि
1976–77	284.89	15.29	12.10	–2.12	4.193	–7.05
1977–78	1350.84	175.01	359.52	184.51	59.41	–243.92
1978–79	1419.93	593.48	434.66	158.82	88.16	70.66
1979–80	1264.86	902.76	459.59	443.17	85.86	357.31
1980–81	1279.59	881.57	488.01	393.56	73.27	320.29

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 33 (उद्योग विभाग)।

तालिका संख्या –23

उ0प्र0 वस्त्र निगम लिमिटेड कानपुर के वित्तीय वर्ष 1981–82 लेखों का विश्लेषण

(लाख रुपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) उपलब्ध साधन–			
(1) अधिकृत पूंजी	4500.00	4000.00	2500.00
(2) चुकता पूंजी (राज्य सरकार)	4137.87	3146.87	2414.19
(3) विशिष्ट प्रारक्षित निधि	16.88	15.17	14.51
(4) निर्बाध प्रारक्षित निधि	524.87	526.06	203.85
(5) मूल्य ह्रास	948.93	780.93	632.65
दीर्घकालीन ऋण	–	–	–
संस्थागत ऋण	577.10	650.70	727.53

अन्य ऋण	110.00	—	—
नकद ऋण अग्रिम	122.09	46.37	1.04
योग	6437.74	5166.10	3993.77
(ख) साधनों का उपयोग–			
(1) सकल परिसम्पत्ति	2281.74	1833.78	1759.72
(2) निर्माणाधीन सम्पत्ति	1087.76	651.89	152.52
(3) कार्यशील पूंजी	1548.81	1514.15	8992.05
विनियोग–			
(1) सहायक कम्पनियों में	1503.01	1150.01	1070.01
(2) अन्य	14.47	14.47	10.70.01
(3) अस्थगित संस्थान व्यय	1.95	1.80	—
(4) घाटा	—	—	—
योग	6437.74	5166.10	3993.77
(ग) सरकार द्वारा लगाई गई निधि			
(1) वर्षान्त में	4137.87	3146.87	2414.19
(2) निबल मूल्य (वर्षान्त में)	4660.79	367.13	2618.04
(3) प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	2881.62	2567.00	2124.12
(4) निबल मूल्य (औसतन)	4165.96	3144.59	2339.94
(5) प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	2724.31	2345.56	1925.68
(घ) कार्यशील पूंजी	1548.84	1514.15	997.05
(ड) चालू दायित्व	300.03	195.34	157.14
(च) कार्यपालन परिणाम बिक्री व्यय–			
(1) बिक्री कार्य संचालन से आय	3137.47	2690.16	2290.74
(2) ब्याज से आय	28.23	37.97	20.80
(3) विविध आय	7.01	14.06	11.86
योग	3172.81	2742.19	2326.40
(छ) बिक्री की लागत–			

(1) उत्पादन कार्यपालन पर व्यय	2927.64	2220.46	1667.94
(2) स्टाक में वृद्धि/कमी–	———		
अ– निर्मित माल	0.06	–16.30	36.91
ब– निर्माणाधीन माल	–9.97	–5.25	3.67
स– मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था	165.88	148.70	174.55
द– बट्टा खाता	0.06	0.45	0.25
योग	3084.21	2348.76	1883.22
सकल लाभ/हानि (च–छ)	88.60	394.13	443.18
(ज) ब्याज–			
(1) संस्थागत ऋणकर	76.39	73.27	85.86
(2) बिक्री/कार्यपालन की लागत	3160.60	2421.33	1969.08
(3) लाभ/हानि ब्याज के बाद	12.21	320.86	357.32
(4) शुद्ध लाभ/हानि	12.21	320.86	357.32
(5) प्रतिधारित लाभ	12.21	320.86	357.30
(झ) कार्यपालन परिणाम उत्पादन/कार्यचालन लागत			
(1) बिक्री/कार्यपालन से आय	3137.47	2690.16	2293.74
(2) ब्याज से आय	28.33	37.93	20.80
(3) विविध आय	7.01	14.06	11.86
योग	3172.81	2742.19	2326.40
(ञ) स्टाक में कमी/वृद्धि	9.91	21.55	–40.48
(ट) उत्पादन/कार्यपालन मूल्य	3094.12	2369.61	1842.74
सकल लाभ/हानि	88.60	394.13	357.32
ब्याज	76.39	73.27	85.86
लाभ/हानि ब्याज के बाद	12.21	320.86	357.32
शुद्ध लाभ/हानि	12.21	320.86	357.32
(ठ) जनशक्ति आँकड़े			
(1) नियोजित व्यक्तियों की संख्या	6034	4872	5118

(2) नियोजित प्रति व्यक्ति सरकार द्वारा लगाई गई निधि	0.69	0.65	0.47
(3) नियोजित प्रति व्यक्ति/औसत मजदूर वेतन (रु0 में)	5370.00	5527.00	45.74
(ड) प्रतिशतता			
(1) प्रयुक्त पूंजी की तुलना में सकल लाभ/हानि (प्रतिशत)	3.07	15.35	20.86
(2) निबल मूल्य की तुलना में शुद्ध लाभ/हानि (प्रतिशत)	0.27	8.74	13.65
(3) प्रयुक्त पूंजी की तुलना में कुल आय (गुना)	1.10	1.07	1.09
(4) कुल आय की तुलना में बिक्री/कार्यचालन की लागत (प्रतिशत)	99.62	88.30	84.64
(5) कुल आय की तुलना में सकल लाभ/हानि (प्रतिशत)	2.79	14.37	19.05
(द) वर्ष 1980–81 की तुलना में			
(1) निबल मूल्य	28.34	40.22	20.98
(2) संस्थागत ऋण	16.08	–4.32	–1.15
(3) सकल परिसम्पत्ति	24.43	4.21	3.27
(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	26.59	–6.59	–9.71
(5) शुद्ध चालू पूंजी	2.29	51.86	108.16
(6) कुल आय	30.53	22.96	0.21
(7) कुल व्यय	30.53	22.96	0.21
(8) सकल लाभ/हानि	–77.52	11.07	179.05
(9) शुद्ध लाभ/हानि	–90.19	–10.20	305.69
(10) नियोजन	27.85	4.81	अप्राप्य

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 21 से 24 तक।

उपक्रम की प्रमुख उपलब्धियों में विशेष उल्लेखनीय करोपरांत वर्ष 1981–82 में 21.21 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमा गया।

विक्रय कार्य संचालन आय वित्तीय वर्ष 1980–81 के 26.90 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 31.37 करोड़ रुपया हो गई अर्थात् 16.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निगम ने जो बढ़े हुए वित्तीय संसाधन थे उनका उपयोग निर्माणाधीन सम्पत्ति प्राप्त करने तथा सहायक कम्पनियों में विनियोग की मद में किया गया।

परिचालन कार्य सम्पादन :

जहाँ तक परिचालन कार्य सम्पादन का सम्बन्धन है सूती धागे के उत्पादन तथा बिक्री से प्रगतिशील परिणाम देखने को मिले हैं जैसा कि निम्नांकित आंकड़ों से विदित होता है–

तालिका संख्या – 23

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(अ) धागे का उत्पादन (लाख किग्रा0)	147.93	145.67	130.51
(ब) धागे की बिक्री (लाख किग्रा0)	148.59	145.05	132.72
(स) बिके हुए धागे का मूल्य (लाख रुपए)	315.95	2662.45	3267.25
(द) बिके हुए रद्दी माल का मूल्य (लाख रुपए)	26.92	22.90	23.26

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ 18।

लाभ के आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि यद्यपि प्रदेश के अनेक बीमार व बेकार मिलों का अधिग्रहण निगम द्वारा किया गय है फिर भी अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संस्था प्रदेश के उन 20 उपक्रमों में से है जिसने पिछले तीन वर्षों से उत्तरोत्तर लाभ अर्जित किया है। यद्यपि इस लाभ में वर्षानुवर्ष कमी आई है जो कि विशेषकर बीमार मिलों के अधिग्रहण के कारण हुई है। जैसा कि निम्नांकित आंकड़े प्रदर्शित करते हैं–

वर्ष	लाभ (लाख रुपयों में)
1979—80	357.32
1980—81	320.86
1981—82	12.21

अन्ततः उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर यदि लगी पूँजी की तुलना में लाभ का प्रतिशत विवरण देखा जाय तो भी एक अति संतोषजनक स्थिति नहीं उभरती है और इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि निगम उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग से हटता है। कहाँ 357.32 लाख रुपए का लाभ जो धीरे—धीरे मात्र 12 लाख 21 हजार रुपया ही रह गया है। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो एक दिन गम्भीर घाटे की स्थिति आ सकती है—

तालिका संख्या – 24

लगी पूंजी (लाख रुपए में)	2881.62		
सकल लाभ/हानि (लाख रुपए में)	88.60		
	1981—82	1980—81	1979—80
लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ/हानि का प्रतिशत	3.07	15.35	20.86

प्रमुख समस्याएँ :

इसमें संदेह नहीं कि निगम विविधताओं एवं विषमताओं से परिपूर्ण है जो अनेक समस्याओं का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त लम्बे रेशे की कपास का अभाव, उपयुक्त रासायनिक पदार्थों की कमी, रंगों की कीमतों में असाधारण वृद्धि के कारण लागत बढ़ी है व लाभदायकता में कमी आई है। उत्पादन क्षमता का अधूरा प्रयोग अधिक बोनस की माँग पूरी न होने पर श्रम असंतोष ऊर्जा संकट, पुरानी मशीनें, कोयल की अपर्याप्त आपूर्ति ने उत्पादन प्रक्रिया को कुप्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त बीमार मिलों के अधिग्रहण से भी निगम ने एक बड़ा सिरदर्द मोल लिया है।

भावी कार्यक्रम :

इस निगम के द्वारा कई केन्द्रों पर स्वचलित करघों की स्थापना छठवीं योजना के

अन्तर्गत किया गया है जिसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ–साथ भारत सरकार ने "बहु धागा नीति" प्रारम्भ की है।

एक आधुनिकतम सूचना के आधार पर राज्य कपड़ा निगम को वित्तीय वर्ष 1986–87 में 12 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसके मुख्य कारण रुई के मूल्य में वृद्धि, बिजली की दरों में वृद्धि तथा मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि रही है। बिजली की दरों में वृद्धि होने से, एक–एक इकाई पर 30–30 लाख रु0 का अतिरिक्त भार पड़ा है। इससे सबसे कच्चे या ाल पर 15 प्रतिशत पर 12 प्रतिशत और बिजली पर 15 प्रतिशत खर्च आता है। इस सबमें सबसे सर्वोपरि समस्या बिजली का दिन में 6–6 घण्टे न आना है। मिलों में आन्तरिक अशान्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इस कारण से जहाँ 1980 में लगभग 13 इकाइयों में से प्रत्येक इकाई नले 1–1 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था, वहीं औद्योगिक अशान्ति का अखाड़ा बन जाने के कारण उत्तरोत्तर घाटा बढ़ता जा रहा है। (दैनिक जागरण, 27.04.1987, पृष्ठ संख्या 3, नगर संस्करण)।

□□□

अध्याय चतुर्थ

अध्याय–चतुर्थ

सीमेण्ट उद्योग :

तालिका संख्या – 25

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम, मिर्जापुर के 1981–82 क लेखों का विश्लेषण

(लाख रुपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) उपलब्ध साधन–			
(1) अधिकृत पूंजी	5000.00	5000.00	5000.00
(2) चुकता पूंजी (राज्य सरकार)	4099.00	3707.00	3707.00
(3) आन्तरिक साधन			
अ– विशिष्ट प्रारक्षित निधि	0.05	0.05	0.05
ब– निर्वाध प्रारक्षित निधि	5.79	–	–
स– मूल्य ह्रास	923.94	808.70	687.44
(4) दीर्घकालीन ऋण			
अ– राज्य सरकार	1471.42	1679.35	1541.05
ब– 5956.88	5027.12	3798.95	
(5) नगद ऋण/अग्रिम	41.04	142.88	129.94
योग	12498.12	11365.10	9864.43
(ख) साधनों का उपयोग			
(1) सकल परिसम्पत्ति	2458.23	2152.81	2043.74
(2) निर्माणाधीन सम्पत्ति	8001.04	6978.89	5464.67
(3) कार्यशील पूंजी	950.35	1210.01	1577.66
(4) विनियोग	21.85	21.85	21.85
(5) अस्थागित संचालन व्यय	0.90	1.51	2.12

(6) घाटा	1065.25	1000.03	754.39
योग	12498.12	11365.10	9864.43
(ग) सरकार द्वारा लगाई गई विधि (वर्षान्त में)	5570.42	5386.35	5248.05
(1) निबल मूल्य (वर्षान्त में)	3038.14	2705.46	2950.49
(2) प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	2484.64	2554.12	2933.96
(3) निबल मूल्य (औसतन)	2871.80	2827.98	3032.80
(4) प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	2519.38	2744.04	2212.43
(घ) कार्यशील पूंजी का विवरण	199.47	201.48	117.06
(ड़) स्टाक	1264.74	944.57	739.59
(च) उपार्जित ब्याज एवं रोकड़ व बैंक शेष	354.52	58.81	394.01
(छ) ऋण एवं अग्रिम	1420.39	1525.23	1553.94
योग (घ+ड़+च+छ)	3252.06	2746.88	2817.51
घटाइये कुल चालू दायित्व	2301.71	15.87	1239.85
कार्यशील पूंजी	905.35	1210.01	1577.66
(ज) चालू दायित्वों का विवरण			
(1) राज्य सरकार को देय (उपार्जित व्यय)	2.47	14.68	0.87
(2) केन्द्रीय सरकार को देय	648.51	526.99	332.52
(3) अन्य देय	1650.73	995.20	906.46
योग	2301.71	1536.87	1239.85
(झ) कार्यचालन परिणाम (बिक्री पर व्यय)			
(1) बिक्री की कार्यचालन से आय	238.64	1962.78	1249.59
(2) बिक्री लागत	2405.85	2201.83	1473.35
(3) सकल लाभ/हानि	–22.21	–239.05	223.76
(ञ) ब्याज			
(1) राज्य सरकार के ऋणों पर	4.83	8.28	0.86
(2) अन्य ऋणों पर	10.78	12.98	7.78
(3) बिक्री/कार्यसंचालन की लागत	2421.46	2223.10	481.99

(4) लाभ/हानि (ब्याज के बाद)	37.82	260.32	232.40
(5) शुद्ध लाभ/हानि	37.82	260.32	232.40
(ट) कार्यचालन परिणाम उत्पादन/कार्यचालन (लागत)			
(1) बिक्री/कार्यचालन से आय	1785.41	1859.74	1237.95
(2) ब्याज से आय	6.33	5.10	4.42
(3) विविध आय	519.90	97.94	7.22
योग	2383.64	1962.78	1249.59
(4) स्टाक में वृद्धि या कमी	46.29	5.83	44.59
(5) उत्पादन/कार्यचालन मूल्य (ट का योग+4)	2429.93	1968.61	1294.18
(ठ) उत्पादन/कार्यचालन पर लागत	2452.14	2206.66	1517.94
(ड) सकल लाभ/हानि (ठ–ट(5)	22.21	239.05	223.76
(ढ) ब्याज (देय	15.61	21.27	8.64
लाभ/हानि ब्याज लगाने के बाद (ट+ठ)	–37.82	–260.32	–232.40
(ण) शुद्ध लाभ/हानि	–37.82	–260.32	–232.40
(त) जनशक्ति के आँकड़े–			
(1) नियोजित व्यक्तियों की संख्या	4667	5040	4236
(2) नियोजित प्रति व्यक्ति सरकार द्वारा लगाई गई विधि	1.19	1.07	1.24
(3) नियोजित प्रतिव्यक्ति औसत मजदूरी/वेतन रुपये में	10269.00	8669.00	8018.00
(थ) प्रतिशतता			
(1) प्रयुक्त पूंजी की तुलना में सकल लाभ/हानि (प्रतिशत)	0.89	9.36	7.63
(2) निबल मूल्य की तुलना में सकल शुद्ध लाभ/हानि (प्रतिशत)	1.24	9.62	7.88
(3) प्रथम पूंजी की तुलना में आय (गुना)	0.96	0.77	0.43

(4) कुल आय की तुलना में कार्य संचालन लागत (प्रतिशत)	101.59	113.26	118.60
(5) कुल आय की तुलना में सकल लाभ/हानि (प्रतिशत)	0.93	12.18	17.91
(द) गत वर्ष की तुलना में उन्नति/अवनति (प्रतिशत)			
(1) निबल मूल्य	12.30	–8.30	–5.28
(2) संस्थागत ऋण	16.01	31.59	100.00
(3) सकल परिसम्पत्ति	14.19	5.34	23.91
(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	14.15	0.90	25.07
(5) शुद्ध चालू पूंजी	–21.46	–23.30	286.22
(6) कुल आय	21.44	57.07	4.23
(7) कुल व्यय	8.92	50.01	4.23
(8) सकल लाभ/हानि	90.71	6.83	20.85
(9) शुद्ध लाभ/हानि	85.47	12.01	–21.93
(10) नियोजन (रोजगार)	–7.40	18.98	अप्राप्त

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 9 से 12 तक, सार्व उद्योगों की वार्षिक रिपोर्ट 1981–82।

प्रमुख विशेषताएँ :

(1) निगम का उत्पादन बजाय अपने लक्ष्य पूरे करने के उत्तरोत्तर गिरा है। इसका मूल कारण विद्युत आपूर्ति में भारी कटौती रहा है।

(2) चूंकि चुर्क सीमेटन्ट कारखाना काफी पुराना हो चुका है। अस्तु उसके पुनर्वासन व आधुनिकीकरण के कारण इस इकाई को लम्बे काल तक बन्द रखना पड़ा है।

(3) डाला यूनिट में उत्पादन की कमी का कारण चूना पत्थर की आपूर्ति में भारी कमी।

(4) रेलवे बैगनों की उपलब्धता में अनिश्चितता एवं अपर्याप्तता।

(5) अत्यधिक पानी बरस जाने से जिप्सम प्रायः भीग जाती है और कोयले की खानों

में पानी भर जाने से पत्थर की खुदाई का कार्य बुरी तरह प्रभावित होना।

(6) इसके अतिरिक्त एक बार पुल टूट जाने के कारण उत्पादन एवं सीमेण्ट का प्रेषण तथा जिप्सिम की आपूर्ति में लगभग 6 माह तक अवरोध बना रहा।

(7) कोयले की कमी प्रायः उत्पादन में बहुत बड़ी बाधा रही है।

उपलब्धियाँ व सफलताओं या विफलताओं का आंकलन :

उपरोक्त लेखों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 1981–82 में भी निगम को 37.82 लाख रुपए की शुद्ध हानि हुई परन्तु संतोष इस तथ्य से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 1980–81 की तुलना में यह हानि अत्यधिक कम एवं नियंत्रित हुई है। सकल और शुद्ध लाभ वर्ष 1981–92 में 90.71 एवं 85.47 लाख रु0 क्रमशः हुई है। जो एक आशामय भविष्य का आभास देता है। रोकड़ एवं बैंक शेष विगत वर्ष के रुपए –58.18 से बढ़कर रुपया 345.52 लाख हो गया है जो लाभदायकता में उन्नति के कारण हुआ। स्टाक की राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसका कारण यातायात अवरोध मुख्यतया रहा है परन्तु अब इसे कम किया जा सकता है। चूंकि निगम को वर्षानुवर्ष घाटा हुआ है। संचित घाटा 1065.25 लाख रुपया 1981–82 में हुआ, जिसके कारण से निगम की निर्वाध प्रारक्षित निधि 5.79 लाख रु0 होने पर भी यह पिछले तीन वर्ष से लाभ घोषित नहीं कर सका है। हानि की स्थिति होने के कारण यह राज्य द्वारा प्रदत्त ऋणों का ब्याज भी चुकता नहीं कर सका जो 1981–82, 1980–81 एवं 1979–80 में 2.47, 14.68 तथा 0.87 लाख रुपया था। निष्कर्षतः निगम में लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ/हानि के प्रतिशत का विवरण निम्नवत् है–

तालिका संख्या - 26

(वित्तीय वर्ष 1981–82)

(1) लगी पूंजी (लाख में)	2584.64
(2) सकल लाभ/हानि (लाख में)	–22.21
(3) लगी पूंजी की तुलना में लाभ/हानि (प्रतिशत)	
(क) 1979–80	–7.62
(ख) 1980–81	–9.36
(ग) 1981–82	–0.89

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 12।

□□□

अध्याय
पंचम

पंचम–अध्याय

उत्तर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय लोकोक्रम :

(अ) यू0पी0 स्टेट इन्ड्रस्टियल डेवलमेन्ट कार्पोरेशन लि0, कानपुर

यू0पी0 इन्ड्रस्टियल डेवलमेन्ट कार्परेशन लि0 कानपुर, या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 कानपुर अपनी सेवा मे लगभग 25 वर्ष पूरे कर चुका है । यह संस्था कम्पनी अधिनियम के अन्तग्रत एक निजी सीमित दायित्व की कम्पनरी के रूप में मार्च 1961 में प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उददेश्य से पंजीकृत करायी गयी थी। वर्तमान समय में यह संस्था राज्य के अभिकरण के रूप मे औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण द्वारा स्थायी सेवा कर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसका पंजीकृत कार्यालय कानपुर में 117/420 जी टी रोड, पोस्ट बाक्स न. 413 पर स्थित है। आजकल यह निगम मेसर्स अल्मोडा मेगनेसाइट लि0 अल्मोडा नामक परियोजना का एक प्रमुख भागीदार है।

पूंजी :

निगम को प्रभावी ढंग से अपने कार्यकमों का सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु सक्षम बनाने के उददेश्य से निगम के वित्तीय ढांचे को समय–समय पर सुद्ढ एंव परिवर्धित किया गया है। प्रारम्भ मं सन् 1975–76 में इसकी अधिकृत पूंजी 10 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी 8करोड 67लाख 73हजार रूपया थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के 3करोड. 54लाख 75हजार के अंश थे। वर्तमान समय में इसकी पूंजी की स्थिति निम्न प्रकार से है:

(1) प्राधिकृत पूंजी 20करोड़ रूपया

(2) चुकता पूंजी 15.457 करोड़ रूपया

(3) लगी हुयी पूंजी 18.7832 करोड़ रूपया

यदि समस्त धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

प्रबन्ध :

निगम के कार्य संचालन हेतु निम्न प्रबन्ध व्यवस्था है :

प्रबन्ध निदेश	1
सामान्य प्रबन्धक	2
उपसामान्य प्रबन्धक	2
मुख्य प्रबन्धक	3
क्षेत्रीय प्रबन्धक	2
वरिष्ठ प्रबन्धक	3
सम्भागीय प्रबन्धक	4
विधि परामर्श दाता	1
योग	17

उददेश्य :

निगम के मुख्य उददेश्य उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोन्नत अथवा विकसित करने के जिये उपयुक्त भूखण्डों को प्राप्त करना उन्हे विकसित करके इच्छुक उद्यम कर्ताओं को पटटे अथवा किराया कय पद्धति क आधार पर आवश्यक सुविधायें जैसे विद्युत, मल विकास तथा अन्य सामुदायिक सुविधायें उपलब्ध कराना।

निगम ने अपने ज्ञापन में विस्तृत रूप में जो मुख्य उददेश्य और कार्य निर्धति किये है वे निम्नवत् है :

(1) निगम द्वारा अथवा कम्पनियों और सघों के माध्यम से निर्माण और उत्पादन के प्रयोजनार्थ उद्योगों, परियोजनाओं, उपकमों को स्थापित कर प्रोन्नति एंव कार्यान्वित करके उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मं प्रोन्नति अथवा अभिवृद्धि करना।

(2) सरकारी, संविधिक अथवा निजी निकाय जैसे किसी भी क्षेत्र में पूंजी, ऋण अन्य साधन अथवा संसाधन आदि के रूप में औद्यागिक प्रतिष्ठान परियोजना अथवा उपकम की सहायता करना तथा उनको वित्तीय सहायता करना।

(3) मशीन सज्जा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये पूंजी प्राप्त करना तथा ऐसी किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों के रूप में अंशको, ऋण पत्रों के लिये अभिदान देना, उनके स्थान पर दायित्व ग्रहण करना अथवा कार्यवाही करना।

(4) उत्तर प्रदेश में पूंजी विनियोजन के लियें सुअवसरों की खोज करना और प्राप्त करना।

(5) सभी प्रकार के खोज सम्बन्धी व्यवस्था को चलाना, विशेषतया खानो और ऐसे क्षेत्रों की खोज करना जहां पर खनिजों बहुमूल्य रत्नो आदि के पाये जाने की सम्भावना हो।

(6) विभिन्न जनपदों और में उपयुक्त भूभागों को प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो उक्त स्थलों में बिजली, पानी, यातायात, सीवर आदि जैसी अवस्थापनों सम्बन्धी मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके उन्हे इच्छुक व्यक्तियशे या समुदायों को विक्रय करना, पट्टो पर देना अथवा क्रय के आधार पर देना।

(7) किसी व्यवसाय को सयुंक्त रूप से चलाने के लिये किसी भागीदारी अथवा योजना के सम्बन्ध में अनुबन्ध करना।

(8) किसी भी कम्पनी अथवा सस्था को उसके विकास और प्रसार के निमित्त अथवा कोई नय उद्योग प्रारम्भ करने के लिये ऋण अथवा अग्रिम धनराशि स्वीकृत करना अथवा उनके सम्बन्ध में प्रतिभूति देना।

निगम के कार्यकलाप एंव सफलतायें :

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में निगम द्वारा जो प्रमुख कार्यक्रम चलाये जा रही है, उनका विवरण एंव उपलब्धियें का ब्यौरा निम्नांकित है :

(1) औद्योगिक अवस्थापना की व्यवस्था तथा विकास करना।

(2) संयुक्त/सहायक क्षेत्र मे बृहत तथा मध्यम स्तरीय इकाइयों की स्थापना।

(3) अंश पूंजी, अशंक अभिगोपन, सेतु ऋण योजनाओं द्वारा उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना।

(4) औद्योगिक संकुलो की स्थापना एंव विकास।

(1) औद्योगिक अवस्थापना की व्यवस्था तथा विकास :

भूमि औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु सर्वप्रथम तथा अपरिहार्य आवश्यकता है।किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिये विकसित भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व निगम को सौंपा गया है। निगम की ओर से भूखण्ड उद्यमकर्ताओं को 90 वर्ष के पटटे पर निगम की शर्तो के आधार पर अवस्थापना सुविधाओ से युक्त भूखण्ड आवंटित किये जाते है और उसका भुगतान 8 से 10 वर्षो में लिया जाता है।

निगम द्वारा 25 जनपदों में 45 स्थानों मर औद्योगिक इकाइयों हेतु 15229 एकड़ भूमि अध्याप्ति की जा चुकी है। जिसमें से दिसम्बर 1981 तक 9796 एकड़ भूमि विकसति की जा चुकी है। और 6421 एकड़ भूमि का आवंटन हो चुका है। यह योजना 12 पिछड़े जनपदों व 6 उपादान वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा चुकी है तथा पिछले पांच वर्षो में विशेशकर उद्योग शून्य जनपदों में यह कार्य और प्रारम्भ किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 22 करोड़ रूपये का विनियोजन हो चुका था जिसके फलस्वरूप पिछड़े जनपदों मे औद्योगिक वातावरण सृजित हुआ है।

इस सम्बन्ध में सबसे बडी समस्या विद्युत आपूर्ति की है। वर्षो तक इकाइयां निर्मित हा जाने पर भी विद्युत आपूर्ति न होने पर सर्वप्रथम बेाकर हो जाते है जैसा कि कानपुर देहात क्षेत्र में रनियां के बारे मे पूर्वोलेख किया जा चुका है।

फिर भी निर्मित भवनों में औद्योगिक शेड़ की सुविधा देने तथा औद्योगिक भूखण्डो के आवंटन में उत्साह वर्धक उपलब्धियां हुयी। इस योजना से विशेषकर लघु उद्यमियों को लाभ हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन, कागज, चमड़ा सिन्थेटिक फोम पी.वी.सी पाईप तथा फाईवर ग्लास आदि महत्वपूर्ण उद्योगो की स्थापना हुयी है और आर्थिक महत्व वाले अन्यान्य उद्योगों स्थापना के लिये भविष्य उज्जवल हुआ है।

औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएँ :

आजकल निगम प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में, जो उद्योग शून्य हैं, व शहर से दूर है सामान्यतया सभी मूल सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं वहाँ एक ही भवन के अन्दर, डाकघर, तारघर, बैंक,

टेलीफोन, जलपान, गृह, अतिथिगृह, सामान्य सुविधा केन्द्र, पुलिस चौकी, श्रमिक आवास, बस आश्रय, स्थल आदि की व्यवस्था कर रही है इस योजना के अन्तर्गत उन्नाव, सिकन्दराबाद, साहिबाबाद, संडीला, हरिद्वार, मथुरा, आगरा, रायबरेली, नैनी, रामनगर (वाराणसी), बस्ती, मोहान, जगदीशपुर, झाँसी, जालौन, जगदीशपुर एवं सरोजनी नगर (लखनऊ) आदि क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं तथा मांग को ध्यान में रखकर अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी है। उद्यमकर्त्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से निगम ने विशिष्ट स्थानों पर भूमि की दर में विशेष छूट प्रदान की है। यथा मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स काम्पलेक्स में 4.00 रु0 प्रति गज की दर से छूट उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापना की समस्या और अधिक जटिल है। अस्तु पिछड़े जनपदों में उद्यमियों को आकर्ष्रित करने हेतु शत–प्रतिशत अनुदान की योजना चलाई जा रही है।

(2) संयुक्त/सहायक क्षेत्र में बृहत् तथा मध्म इकाइयों की स्थापनाः

निगम का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य बृहत् तथा मध्यम स्तरीय इकाइयों का संयुक्त / सहायक क्षेत्र में स्थापना कराना है। इन परियोजनाओं की स्थापना का मुख्य दृष्टिकोण (1) ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना जिनका राज्य में पर्याप्त प्रयोग हो, (2) जिनके लिए राज्य में पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो, और (3) जिनके लगने से आयात में कमी हो तथा पूँजी विनियोजन एवं रोजगार सृजन द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो। इस कार्य के अन्तर्गत सामान्य रूप में अंश पूँजी में निगम द्वारा 26 प्रतिशत निजी सहयोगी द्वारा 25 प्रतिशत और शेष जनसाधारण के सहयोग से प्राप्त किया जाता है परन्तु सहायक क्षेत्र में निगम 10–15 प्रतिशत का सहयोग होता है। यथा यू0पी0 ट्रायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड रायबरेली सल्फर इण्डिया लिमिटेड उन्नाव, सिन्थेटिक फोम लिमिटेड सिकन्दराबाद आदि है।

(3) अंश पूँजी, अंशक अभिगोपन, सेतु के ऋण हेतु वित्तीय सहायता :

निगम द्वारा उद्यमियों को इस योजना के अन्तर्गत तीन प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(अ) साम्य सहभागिता :

यह योजना 1975–76 से प्रारम्भ की गई थी, जिसमें अभी तक 14.53 लाख की सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा निगम द्वारा इस हेतु 8 करोड़ रुपए से अधिक पूँजी का विनियोजन किया जा चुका है तथा लगभग एक हजार से अधिक व्यक्तियों के रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है।

(ब) औद्योगिक काम्प्लेक्सेज (संकुलों) की स्थापना :

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जनपदों में औद्योगिक काम्प्लेक्सों की प्रोन्नति का कार्य कर रहा है। निगम द्वारा विकसित औद्योगिक संकुलों में निम्नलिखित है :

(1) ओटोमोबाइल एन्सीलरी काम्प्लेक्स, उन्नाव।

(2) टैक्सटाइल मशीनरी काम्प्लेक्स, संडीला (हरदोई)।

(3) सिकन्दराबाद में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना।

(4) सेतु ऋण योजना :

औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय निगम अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्राप्त करने में कुछ वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण करनी होती हैं जिसमें समय लगता है। जिसके फलस्वरूप इकाई के कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है। उद्यमियों की इस कठिनाई के निराकरण हेतु निगम सेतु ऋण स्वीकृत करता है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 1981 तक 1246.32 लाख रुपया का ऋण स्वीकृत किया जा चुका था।

(5) पर्वतीय क्षेत्र :

निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में वाच कम्पोनेन्ट्स एसेसरीज का निर्माण किया है जिसके अन्तर्गत निगम ने यू0पी0 डिजिटल लि0, की स्थापना भुवाली, जनपद नैनीताल में की है। जो एच0एम0टी0 के सहयोग से घड़ियों के संग्रहण का कार्य कर रही है।

वित्तीय उपलब्धियाँ :

यद्यपि निगम एक प्रोत्साहक प्राधिकरण है, फिर भी निगम का मुख्य कार्य औद्योगिक कार्यकलापों को पिछड़े क्षेत्र की ओर आकर्षित करके औद्योगिक वृद्धि दर को तीव्र करना है तथापि निगम ने उक्त उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त इसने लाभ भी अर्जित किया है तथा साथ–साथ विनियोजित सृजित करने का भी सफल प्रयास किया है। निगम की वित्तीय उपलब्धियों का मूल्यांकन उसके द्वारा अर्जित लाभ से लगाया जा सकता है। जो निम्नवत् है–

तालिका संख्या – 29

(लाख रुपये में)

31 मार्च के अन्त तक	कर से पूर्व लाभ	कर के बाद लाभ
1975	30.89	17.07
1976	57.04	34.68
1977	64.00	40.55
1978	69.50	47.50
1979	71.49	52.75
1980	119.62	82.15
1981	137.29	91.29
1982	161.98	119.38

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 30।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम के लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 1974–75 लाभ की धनराशि 33.89 थी जो बढ़कर वर्ष 1981–82 में यह लाभ बढ़कर 161.98 लाख रुपया हो गया। लाभांश की दृष्टि से भी उपलब्धियाँ अति संतोषजनक रही। निगम ने अब तक राज्य सरकार की, जिन्होंने सम्पूर्ण हिस्सा पूंजी उपलब्ध कराई है तथा 214 लाख रुपए का लाभांश प्रदान किया। निगम की आय–व्यय का ब्यौरा निम्न लिखित है–

तालिका संख्या – 30

आय–व्यय एवं लाभ–हानि का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

वर्ष	पूँजी परिव्यय	स्थूल आय	कार्य सम्पादन व्यय	शुद्ध आय	ब्याज	शुद्ध लाभ
1973–74	798.73	90.32	11.71	7861.00	18.40	60.21
1974–75	798.73	76.69	21.18	5551.00	21.62	33.89
1975–76	867.73	97.54	22.17	75.37	18.33	57.04
1976–77	1422.63	133.53	34.55	98.98	34.98	64.00
1977–78	1422.73	149.47	39.33	110.14	40.63	69.50
1978–79	1430.73	153.21	41.68	111.53	40.03	71.49
1979–80	1432.73	208.07	50.25	153.82	34.19	119.62
1980–81	1540.73	226.64	60.02	166.02	28.73	137.29

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 30।

जनशक्ति आंकड़े :

विवरण	1981–82	1980–81
(1) नियोजित व्यक्तियों की संख्या	5.45	4.69
(2) नियोजित प्रति व्यक्ति सरकार द्वारा लगाई निधि	3.13	3.62
(3) नियोजित प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी/वेतन रु. में	51.49	57.38
गत वर्ष की तुलना में उन्नति/अवनति (प्रतिशत)		
(1) कुल आय	21.28	10.32
(2) कुल व्यय	26.45	4.02
(3) सकल लाभ/हानि	14.33	6.93
(4) शुद्ध लाभ/हानि	30.77	11.11
(5) नियोजन (रोजगार)	16.20	अप्राप्त

उपरोक्त आँकड़ों का विश्लेषण करने से यह विदित होता है कि निगम (1) अपने उद्‌देश्यों की पूर्ति में बहुत हद तक सफल हुआ है। (2) वित्तीय सेवाओं को प्रदान करते हुए भी

इसने वर्षानुवर्ष शुद्ध लाभ कमाया है जो क्रमशः बढ़ता ही गया है। वित्तीय वर्ष 1980–81 की तुलना में रु0 91.29 लाख के स्थान पर 1981–82 में बढ़कर 119.38 लाख रुपया हुआ है। (3) देनदार तथा विनियोग की निरन्तर वृद्धि हो रही है। (4) निगम ने अभियोजन का वही कार्य किया है जहाँ पिकप जैसी संस्था से इस प्रकार की सहायता देने में असमर्थ रही है।

राज्य उपक्रमों में लाभार्जन की दृष्टिकोण से निगम दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जिसने पिछले तीन वर्षों से बराबर लाभार्जन किया है जो निम्न प्रकार से है–

वर्ष	लाख रुपए में
1979–80	82.16 लाख रुपया
1980–81	91.29 लाख रुपया
1981–82	119.38 लाख रुपया

इस लाभार्जन के साथ–साथ एक अति महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निगम ने लगातार लाभांश का भुगतान किया है जो निम्नवत् है–

वर्ष	लाख रुपए में
1979–80	42.92 लाख रुपया
1980–81	64.47 लाख रुपया
1981–82	30.81 लाख रुपया

लगी पूँजी की तुलना में सकल लाभ/हानि का प्रतिशत विवरण भी संतोषजनक स्थिति का परिचायिक है जो निम्नवत् है–

(1) लगी पूँजी (लाख रुपयों में) 1878.32

(2) सकल लाभ/हानि (लाख रुपयों में) 189.81

(3) प्रतिशत आधार पर लाभार्जन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो निम्न प्रकार से है–

वर्ष	लाभ प्रतिशत
1979–80	8.56
1980–81	8.97
1981–82	10.11

(ब) दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यू0पी0 लि0, लखनऊ (पिकप) :

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यू0पी0, लखनऊ जिसे हम पिकप के नाम से जानते हैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार एक पंजीकृत सरकारी कम्पनी है। इसकी स्थापना 29 मार्च, 1972 को हुई थी। निगम का मुख्यालय जवाहर भवन (एनेक्सी) लखनऊ में स्थित है।

पूँजी :

पिकप की अधिकृत पूँजी 10.00 करोड़ रुपए और चुकता पूँजी 7 करोड़ 20 लाख रुपया है। अंशपूँजी के अतिरिक्त अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निगम द्वारा बाजार ऋण तथा राज्य सरकार से भी ऋण प्राप्त किये जाते हैं। वर्ष 1981–82 में भी निगम द्वारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति बन्ध पत्र जारी करके ऋण के रूप में प्राप्त की गई थी तथा 150 लाख रुपए ऋण के रूप में सरकार से प्राप्त किये थे। वर्ष 1982–83 में निगम द्वारा 4.40 करोड़ रुपए की धनराशि बाजार ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित बन्ध पत्र निगमित किये गये तथा 12 करोड़ 50 लाख रुपए अंश पूँजी प्राप्त करने की बात थी जिससे पर्वतीय क्षेत्र की इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता पहुँचाई जा सके। वित्तीय वर्ष 1981–82 में अन्य आन्तरिक उपलब्ध साधनों में–

(अ) विशिष्ट प्रारक्षित निधि	78.91 लाख रुपया
(ब) निर्बाध प्रारक्षित निधि	62.67 लाख रुपया
(स) मूल्य ह्रास तथा	5.47 लाख रुपया
दीर्घकालीन ऋण के रूप में–	
(अ) राज्य सरकार से	1831.49 लाख रुपया
(ब) संस्थागत ऋण	2382.07 लाख रुपया

विनियोजित था।

प्रबन्ध :

निदेशक मण्डल में एक अंशकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक है। मण्डल में 3 गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कुल 12 निदेशक हैं।

उद्देश्य :

प्रमुख रूप से निगम के मूल उद्देश्यो तथा कार्य निम्न प्रकार से हैं—

(1) उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उपक्रमों को स्थगित करने, चलाने, विस्तार करने, आधुनिकीकरण करने अथवा अन्य किसी कार्य हेतु वित्त उपलब्ध कराने में निर्नित एक विनियोजक कम्पनी के रूप में कार्य करना।

(2) किसी भी प्रकार के औद्योगिक उपक्रमों को प्रारम्भ करने, चलाने अथवा ले.... लिए जाने के लिए कम्पनियों तथा एसोसिएशन स्थापना करना।

(3) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उपक्रमों में पूँजी लगाये जाने के कार्य को प्रोत्साहन देना तथा उनकी अभिवृद्धि करना।

(4) उत्तर प्रदेश के बाजारों में पूँजी लगाये जाने के कार्य को प्रोत्साहित करना और उसका अधिक प्रसार करना।

(5) नये अंश, ऋण पत्र तथा अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों को जारी करना तथा उनके अभिगोपन का दायित्व लेना।

(6) सामान्य रूप से औद्योगिक अथवा किसी उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं की जांच पड़ताल करने का कार्य अपने हाथ में लेना अथवा उसमें सहायता पहुंचाना।

(7) किसी भी कम्पनी आदि द्वारा जारी किये गये अथवा गारण्टी पर लिए गए शेअर ऋण पत्र आदि क्रय करना, हामीदारी करना, पूँजी लगाना, अध्याप्त करना अथवा रखना।

(8) प्रतिभूति अथवा बिना प्रतिभूति के ऋण देना तथा अग्रिम धनराशियाँ देना।

(9) राज्य में स्थापित की जाने वाली ऐसी औद्योगिक प्रयोजनाओं के बारे में पता लगाने

के लिए बाजार सम्बन्धी सर्वेक्षण करना, जिसके अन्तर्गत उपक्रमों की व्यवहारिकता के बारे में अध्ययन करना तथा तत्सम्बन्धी प्रोयाजिना रिपोर्ट तैयार करना।

(10) नये उद्यमियों को राज्य में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं से प्रोत्साहित करना तथा उन्हें इस राज्य में अपनी प्रायोजनाएँ स्थापित करने के लिए राजी करना।

(11) मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को सभी प्रकार की सहायता देना तथा प्रबन्ध, प्राविधिक, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

निगम के कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ :

(अ) आवधिक ऋण :

पिकप मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए दीर्घवाधि ऋण की व्यवस्था करता है। चाहे वे उद्योग इसके अपने हों, अथवा केन्द्रीय या राज्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्योग हों। वर्ष 1976–77 के मध्यम निगम ने 448.03 लाख रुपए 19 इकाइयों को ऋण वितरित किया गया। इन इकाइयों में 5 इकाइयों में 5 इकाइयों पिछड़े जनपदों में थी। सन् 1980–81 में 776.39 लाख रुपया 56 इकाइयों को वितरित किया गया और सन् 1981 के दिसम्बर 15 तक 577.09 लाख रु0 की राशि 51 इकाइयों में वितरित की गई तथा 1982–83 में 1700 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत करने व 1400 लाख रुपया वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था जो निगम ने समय के अन्दर ही पूरा कर दिया था।

(ब) अंशों का अभिगोपन या हामीदारी करना :

पिकप द्वारा राज्य में उद्योग स्थापित करने वाली कम्पनियों के सार्वजनिक निकासी की हामीदारी का कार्य अपने हाथ में लिखा है। मार्च 1977 तक निगम ने 27 कम्पनियों को 183.88 लाख रुपया की अभिगोपन सम्बन्धी सहायता स्वीकृत की। वित्तीय वर्ष 1980–81 में 3 इकाइयों को 15.30 लाख रु0 की सहायता अंशों के अभिगोपन के रूप में स्वीकृत किये और 1 इकाई को 1.22 लाख रु0 अंशों के अभिगोपन दायित्व के रूप में भुगतान किए। वर्ष 1981 में दिसम्बर तक 3 इकाइयों को 14.30 लाख रुपये अंशों के अभिगोपन सहायता तथा 2.21 लाख रुपया अभिगोपन

सहायता के रूप में व प्रत्यक्ष पूंजी सहयोग के रूप में 230 लाख रुपए तथा अंशों के अभियोजन दायित्व के रूप में 15 लाख रु0 स्वीकृत किए।

(स) संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाएँ :

निगम द्वारा अभी तक कई इकाइयों की स्थापना संयुक्त क्षेत्र में की हैं जिनमें से प्रमुख मेसर्स यू0पी0 दवीगा फाइबर ग्लास लि0 सिकन्दराबाद, ग्लास फाईबर, चोपड़ स्टैण्ड्स मैट और बोवर सेविंग्स, बुलन्दशहर तथा यू0पी0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लि0 लखनऊ है। उपरोक्त के अतिरिक्त निगम ने भारत सरकार से 21 अन्य परियोजनाओं के लिए आशय पत्र की प्रार्थना की है जिनमें से तीन परियोजनाओं के आशय पत्र प्राप्त हो चुके हैं जो क्रमशः (1) शीट मेटिंग कम्पाउण्ड (2) थिन वाल्ड वाई मैटलिक वियरिंग्स एण्ड बुशेज तथा पेसिशन मेजनिंग इन्सट्रूमेन्ट्स हैं।

(द) प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना :

ऋण प्रत्याभूति योजना :

राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में निगम मध्यम पैमाने के उद्योगों को उत्तर प्रदेश वित्त नगम या अनुमोदित बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 7 लाख रुपए तक के ऋणों की प्रत्याभूति के लिए एक योजना चलाता है। उक्त प्रत्याभूति के अन्तर्गत 50 लाख रुपए (पिछड़े जनपदों में एक करोड़ रुपए) की पूंजी विनियोग वाली इकाइयों को दिये जाने वाले औद्योगिक ऋण आते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के अतिरिक्त इस योजना में 11 बैंक भी भाग ले रहे हैं।

(ह) पूंजी साझेदारी योजना :

चुने हुए क्षेत्रों में मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों तथा पिकप द्वारा एक संयुक्त रूप से वित्त पोषित योजना भी चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत उद्यमियों को मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए सीमित धनराशिं की सहायता दी जाती है। यदि निगम उपयुक्त समझता है तो कुछ मामलों में ब्याज के भुगतान को अस्थिगित कर सकता है और इस ऋण की धनराशि एक ऐसे सामान्य अंश के रूप में हो सकती है जिसका उक्त धनराशि में कोई मांग न हो।

(र) अनावासिक भारतीयों के लिए योजना :

इस योजना के अन्तर्गत विदेशों में निवास करने वाले भारतीयों को जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उन्हें निम्नांकित सहायता प्रदान की जाती है :

(1) सामान्य या समता अंश में साझेदारी।

(2) अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था

(3) बैंकों के माध्यम से हामीदारी पर प्रतिबन्ध लगाना।

(4) तकनीकी आर्थिक सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(5) पांच वर्षों तक की अवधि के लिए बिक्री कर सम्बन्धी सुविधा प्रदान करना।

(ल) प्रेरक योजनाएँ :

राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में पिकप एवं सामूहिक प्रेरक योजना भी चला रहा है जिसमें–

(1) बिक्री कर ऋण योजना

(2) पूँजी सम्बन्धी उपादान योजना

(3) चुंगी, पथकर तथा सीमान्त कर से छूट

(4) प्रारम्भिक पूंजी योजना

(5) औषधि निर्माण इकाई अमौसी, लखनऊ

(6) प्रबन्ध विकास संस्थान (डमडप)

(7) उपकरण कक्ष योजना

(8) अन्य परियोजनाएँ

(व) अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यकलाप :

निगम द्वारा उन क्षेत्रों का पता करके जहाँ सहायता की वस्तुतः आवश्यता है तथा नये उद्यमियों के समक्ष उनकी अभिगोपन सम्बन्धी सुविधाओं में होने वाली रुकावटों पर विचार करके राज्य के औद्योगिकीकरण की त्वरित अभिवृद्धि किए जाने के उद्देश्य से, अनेक कार्य कर रहा है। निगम ने स्वयं अधिक उदारता पूर्वक अभिगोपन करना प्रारम्भ कर दिया है और साथ ही साथ

व्यापारिक बैंकों को संयुक्त साझेदार के रूप में सम्मिलित होने के नए तैयार कर लिया है। इसके परिणामतः लाभ भी मिलने लगा है और कई कम्पनियाँ पने अभिगोप की प्रतिबद्धता करने में समर्थ हो चुकी है।

निगम द्वारा राज्य में अपनी इकाइयाँ स्थापित क तथा उद्यमकर्ताओं को राजी करने के लिए कलकत्ता अन्य बड़े नगरों में बैठकों आयोजित की इससे औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि में सहायता मिल रही है।

यह नगम औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि का क विदेशों में चले भारतीयों की सहायता से भी कर रहा है। इस सम्बन्ध में एक शिष्ट मण्डल इंग्ल ड, अमरीका, कचडा और पूर्वी अफ्रीका भी गया। इस सम्बन्ध में अनेक परियोजनाओं को व्यवहा रूप दिया जा रहा है तथा 16 से अधिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आदे दे दिये गये हैं। पिकप ने परामर्शदाताओं के माध्यम से लगभग 50 से अधिक प्रतिवेदन तथा प्र जनाएँ तैयार की जा चुकी हैं। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत निगम द्वारा व्यवहारिकता सम्बन्धी तेवेदन तैयार करने के लिए उद्यमियों को 75 प्रतिशत राज्य सहायता प्रदान की जाती है।

तालिका संख्या – 31

पिकप के वष 1981–82 के लेखों ा विश्लेषण

(लाख रुपयो में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) उपलब्ध साधन	5081.36	4333.90	3351.29
(ख) उपलब्ध साधनों का प्रयोग–			
(1) सकल परिसम्पत्ति	42.52	40.17	8.20
(2) कार्यशील पूंजी	4600.43	3940.29	3067.86
(3) विनियोग	436.80	350.13	234.85
(4) अस्थगित संचालन व्यय	1.61	2.05	2.50
(5) घाटा	—	1.26	—
योग	5081.36	4333.90	3351.29

(6) सरकार द्वारा लगाई गई निधि (वर्षान्त में)	2552.24	2368.26	1910.65
(7) निर्बल मूल्य (वर्षान्त में)	781.81	769.99	717.34
(8) प्रयुक्त पूँजी (वर्षान्त में)	4637.48	3976.48	3073.37
(9) निर्बल मूल्य (औसतन)	775.90	743.67	789.84
(10) प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	4306.96	3524.93	2734.08
(ग) कार्यशील पूँजी–योग	4600.43	3940.29	3067.86
(घ) चालू दायित्व–योग	111.91	107.55	144.27
(ङ) कार्यचालन परिणाम–			
(1) बिक्री आय	251.29	121.06	182.59
(2) बिक्री की लागत	44.17	27.23	25.81
(3) सकल लाभ/हानि (1–2)	207.12	93.83	156.78
(4) ब्याज	172.36	96.63	83.84
(5) बिक्री कार्यशाला की लागत (2+4)	216.53	123.86	109.65
(6) लाभ/हानि ब्याज लगाने के बाद	34.76	–2.80	72.94
(7) कर व्यवस्था	10.72	–	26.76
(8) शुद्ध लाभ/हानि (6–7)	24.04	–2.80	46.18
(9) घोषित लाभांश	–	–	13.32
(10) प्रतिधारित लाभ (8–9)	24.04	–	32.86
(च) कार्यचालन परिणाम (उत्पादन, कार्यचालन गति) योग–	251.09	121.06	112.59
(छ) उत्पादन कार्यचालन पर लागत–योग	44.17	27.23	25.81
(ज) सकल लाभ/हानि (च–छ)	206.92	93.83	156.78
(झ) ब्याज	172.36	96.63	83.84
(ञ) लाभ/हानि ब्याज लगाने के बाद (ज–ञ)	34.76	–2.80	72.94
(ट) कर व्यवस्था	10.72	–	–
(ठ) शुद्ध लाभ/हानि	24.08	–2.80	46.18
(ड) जनशक्ति आंकड़े–			

(1) नियोजित व्यक्तियों की संख्या	169	136	104
(2) नियोजित प्रति व्यक्ति सरकार द्वारा लगाई गई निधि	15.10	17.41	18.37
(3) नियोजित प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी (रु0में)	11598	10441	12086
(ढ) गत वर्ष 1981 की तुलना में उन्नति/अवनति (प्रतिशत)			
(1) निबल मूल्य	1.54	7.34	–16.81
(2) संस्थागत ऋण	29.26	39.86	34.64
(3) सकल परिसम्पत्ति	5.85	389.88	5.81
(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	2.38	556.81	3.57
(5) शुद्ध चालू पूँजी	16.75	28.44	28.39
(6) कुल आय	107.57	–33.70	18.47
(7) कुल व्यय	74.82	12.96	21.47
(8) सकल लाभ/हानि	120.74	–40.15	27.63
(9) शुद्ध लाभ/हानि	958.57	–106.06	36.30
(10) नियोजन (रोजगार)	24.26	30.77	2.97

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 45–48 ।

कार्यचालन वित्तीय परिणाम को देखने से ज्ञात हो ा है कि कार्यचालन आय विगत वर्ष 1980–81 की 121.06 की तुलना में बढ़कर 251.09 लाख हो ग ई है। निगम द्वारा विगम वर्ष के शुद्ध हानि रुपया 2.80 लाख की तुलना में वर्ष 1981–82 में 24.04 लाख रु0 का शुद्ध लाभ अर्जित किया। तब से आज तक और पिछले वर्षों में केवल 1980–81 को छ ड़कर निगम ने सदैव लाभार्जन ही किया है जैसा कि निम्न तालिका से भी स्पष्ट होता है–

तालिका संख्या – 3 :

निगम के पिछले वर्षों की लाभ हा ने की स्थिति

(लाख रु0 में)

वर्ष	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82
शुद्ध लाभ/हानि	4.95	4.53	11.18	13.70	16.59	16.02	–2.80	24.04

बढ़े हुए वित्तीय संसाधनों का उपयोग कार्यशील ूंजी तथा विनियोग की प्राप्ति में किया गया। वैसे तो इस संस्था को बराबर ही लाभ रहा है परन्तु त्र 1980–81 में हल्की सी हानि की स्थिति उत्पन्न हुई थी जो कतिपय कुछ गलत अनुमानों के ारण हुई। अनिश्चित स्थिति के कारण निगम के पास निर्बाध प्रारक्षित निधि होने के बावजूद ला ांश घोषित नहीं किया।

शुभ लाभांश अर्जित करने के बावजूद भी पिकप द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों का भुगतान नहीं किया जा सका जो उचित नहीं का जा सक ा। अन्ततः लगी पूँजी की तुलना में सकल लाभ/हानि के प्रतिशत के विवरण के आधार पर कहा ज सकता है कि पिकप द्वारा अपने प्रारम्भावस्था से आज तक 10 प्रतिशत तक लाभार्जन अवश्य ही केया है।

(स) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर :

उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तु, तथा उद्योग शून्य जनपदों में उद्योगों के विकासार्थ, यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्प ेशन लिमिटेड कानपुर तथा दि प्रादेशिय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यू0पी0 लिमिटेड, लखनऊ (पिकप) के अतिरिक्त तीसरी, महत्वपूर्ण संस्था उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का पुर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य वित्तीय अधिनियम 1951 की धारा संख्या 63 धारा प्रदत्त अधि कारों का प्रयोग करके 1 नवम्बर 1954 को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की। इसका मु ालय 14/88 सिविल लाइन्स, कानपुर में स्थित है।

निगम की पूँजी :

निगम की प्राधिकृत पूँजी सन् 1975–76 में 5 क ाड़ रु0 थी तथा प्रदत्त पूंजी 3 करोड़ रुपया थी जो सन् 1981–82 में बढ़कर 10 करोड़ हो गई। इसी वष में निगम मे कुल पूँजी

117 करोड़ 84 लाख 68 हजार रुपया थी।

प्रबन्ध :

इस निगम में प्रबन्ध निदेशक सहित 12 निदेशक हैं जिनमें से चार निदेशकों को राज्य सकरार द्वारा मनोनीत किया जाता है तथा एक निदेशक को जर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा और दो निदेशकों को इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया द्वा नामित किया जाता है। चार निदेशकों का चुनाव विभिन्न श्रेणियों के अंशकधारकों द्वारा किया ज ता है।

उद्देश्य :

निगम मुख्यतः ऐसी विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं अथवा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक संस्थाओं को सफल परिसम्पत्ति जैसे भूमि, फैक्ट्री, भवन और संयंत्र तथा मशीनों की अध्याप्ति तथा नई इकाइयों की स्थापना के लिलए अथवा नवीकरण सार, आधुनिकीकरा इत्यादि के लिए आवधिक ऋण देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। कार्यशील पूंजी के लिए तथा पूर्व ऋण के भुगतान हेतु ऋण स्वीकार नहीं किया जाता है। उत्तर प्र श राज्य में कार्य करने वाली लघु तथा मध्यम श्रेणी की औद्योगिक संस्थाएं इस निगम से ऋण त कर सकती हैं।

निगम को औद्योगिक संस्थाओं, निजी तथा सार्वज नेक लि0 कम्पनियों अथवा पंजीकृत सहकारी समितियों को 30 लाख रुपए की धनराशि तक त ा स्वामित्व अथवा साझेदारी संस्थाओं को 15 लाख रुपए की धनराशि तक आवधिक ऋण स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त निगम अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त ऋण उपलब्ध कराता है। साथ–साथ विदेशी मुद्रा में ऋण भी निगम द्वारा उपलब्ध कि जाते हैं। इसके साथ–साथ निगम औद्योगिक विकास में सहायक शासन की विशिष्ट योजनाओं का संसाधन भी निगम एक अभिकर्ता के रूप मे करता है।

निगम के कार्यकलाप एवं सफलताएँ :

कार्य को गति प्रदान करने के लिए तथा उद्यमियों क स्थल पर ही सेवा की सुविध ा प्रदान करने के लिए, वाराणसी, आगरा, फैजाबाद, गाजियाबाद, हल्द नी तथा नोएडा (नई दिल्ली)

में छः सम्भागीय कार्यालय, गोरखपुर मे, झाँसी में और देहरादून में ान परिक्षेत्रीय (जोनल) कार्यालय तथा इलाहाबाद, बरेली व नैनीताल में तीन शाखा कार्यालय और श्र ागर (गढ़वाल) में एक उपशाखा कार्यालय की स्थापना की गई है। अब सम्भागीय कार्यालयों में ांच लाख रुपए तक के ऋण प्रार्थना–पत्र को पूर्णरूप से अभी औपचारिकताओं सहित अभिलेख तैयार किए जाते हैं। परिक्षेत्रीय कार्यालय को चार लाख रुपए तक के ऋण प्रार्थनापत्रों के सम्बन् में तथा शाखा कार्यालयों को 2 लाख रुपए तक के ऋण पत्रों के सम्बन्ध में अभिलेख रखने की ाक्ति प्रदान की गई है।

निगम निम्नांकित कार्यकलाप सम्पन्न कर रहा : -

(1) आवधिक ऋण :

यह निगम राज्य में लघु उद्योगों को विकसित क े में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है तथा आवधिक ऋण प्रदान करने में इसने कई बैंकों से स झौता किया है। तथा कई बैंकों को (पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैक ऑ इण्डिा, बैंक ऑफ बड़ौदा) वित्त पोषित इकाइयों को कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित्त अपनी सहमति दे दी है।

(2) शासकीय योजना :

निम्नलिखित विशेष योजनाओं के प्रशासन एवं सं तरण हेतु यह निगम राज्य तथा केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है–

(क) शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः रोजगार ाजना।

(ख) औद्योगिक संकुलों के लिए सीमान्त धन ऋ ा योजना।

(ग) पूंजीगत राज्य सहायता।

(घ) लघु स्तरीय इकाइयों को ब्याज सम्बन्धी स ायता।

(ड) विदेशी मुद्रा ऋण।

(3) होटल उद्योग को ऋण :

निगम द्वारा होटल व्यवस्था हेतु भी ऋण स्वीकृत किये जाते हैं।

(4) प्राविधिक उद्यमियों को सहायता :

निगम प्राविधिक उद्यमियों को रियायती सुविध प्रदान करता है। ये सुविधाएं सीमांत धनराशि को कम करके प्रयोजना के निर्माण मे प्राविधिक म दर्शन प्रदान करके तथा आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करके प्रदान की जाती है। अनावासिक भारतीयों को भी कतिपय विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ताकि वे इस राज्य में उद्योगों की ापना कर सकें।

(5) औद्योगिक काम्पलेक्स (संकुल) :

औद्योगिक संकुलों के विकासार्थ राज्य सरकार रा बनाई गई योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने विभिन्न औद्योगिक संकुलों पर ार्यरत इकाइयों को वित्त पोषित करने के निमित्त आवधिक ऋण स्वीकृत करने की नीति अंगीकार ो है। राज्य में स्थापित की जाने वाली योजनान्तर्गत औद्योगिक संकुलों की संख्या 30 से अधिक । इन संकुलों की इकाइयों का संचालन करने के निमित्त चुने गये उद्यमियों को प्राथमिकता पणन सर्वेक्षण, प्रयोजनाओं का अभिनिर्धारण, भूमि की अध्याप्ति तथा विकास व्यवस्था, बिजली व जल सम्पूर्ति की व्यवस्था, फैक्ट्री शेड का निर्माण, प्रायोजना की रूपरेखा की तैयारी में सहायता, त्र में सज्जा का क्रय, कार्यशील पूंजी की तथा उसके उत्पादों के विपणन में सहायता करने के स न्ध में पैकेज सहायता करने की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1980–81 में निगम ने अपने कार्यों में चतुर्मुख सफलता प्राप्त की है। आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा उनका निस्तारण, ऋण वितरण तथा वसूली क रने में निगम ने आशातीत प्रगति की है। शासन की वर्तमान नीति के अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली एवं पद्धति को ढालने के लिए निगम ने सफल प्रयास किए हैं तथा ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयं को अधिकाधिक सहायता प्रदान की है।

निगम राज्य के एक विकास बैंक के रूप में अपने ायित्वों को सफलतापूर्वक निभा रहा है। अतः समय–समय पर निगम द्वारा औद्योगिक वातावर बनाने तथा नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करने हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन ्या जाता है। ऐसे ही अनेक कार्यक्रमों का आयोजन सन् 1980–81 तक किया गया है व लग ग प्रतिवर्ष किया जाता है।

निगम द्वारा कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट छूट ा प्रावधान है। जैसे कम मार्जिन पर ऋण स्वीकृत, ऋण भुगतान के लिए अधिक परिपक्वता अवि कम ब्याज पर आदि अन्य छूटें दी जाती हैं।

निगम द्वारा अधिकारों का विकेन्द्रीकरण तथा ऋण वीकृत, वैधानिक औपचारिकताओं की परिपूर्ति, ऋण का वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया का पुनर्विश्लेषण कर सरल बनाया गया है। नई औद्योगिक इकाइयों को समय–समय पर उचित सुझाव देने के ए निगम ने इकाइयों के समीप ही अपने कार्यालय स्थापित किए हैं तथा अपने क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्र कार्यालयो के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को सहायता पहुंचाई है।

वर्ष 1981–82 के लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

छठीं पंचवर्षीय योजनाओं में निहित नीतियों के प्रतिपालन हेतु निगम ने अपनी विस्तृत योजना 1980–1985 तक की तैयार की है। अपनी नीतिये में निगम द्वारा राज्य के कमजोर वर्गों एवं ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है तथा उद्योगवार सहायता, विशेष उद्योगों की उन्नति पर बल तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया है।

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1981–82 में माह दिसम र 1981 तक की गई प्रगति का विवरण निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है–

तालिका संख्या – 3:

(लाख रुपयों में)

विवरण	उपलब्धि 1981–82 दिसम्बर 80 तक	उपलब्धि 1980–81 ि तम्बर 80 तक	गत वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत
1. ऋण स्वीकृत	2806.45	1915.75	47
2. ऋण वितरण	1725.00	1326.07	30
3. ऋण वसूली	915.00	644.20	42
4. पुनर्वित्त प्राप्ति	1210.04	803.82	52

स्रोत : पूर्वलिखित, पृ0 संख्या 17।

विशिष्ट क्षेत्रों में सहायता :

(1) लघु इकाई ऋण योजना :

वित्तीय वर्ष 1980–81 में 1 दिसम्बर 1980 तक निग ने रु0 1633.22 लाख 1581 लघु इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया था, जबकि 1981–82 इसी अवधि में रु0 2277,92 लाख 26.16 इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया। इस प्रकार ल इकाइयों को कुल ऋण की स्वीकृत का 85 प्रतिशत ऋण स्वीकार किया गया।

(2) पिछड़े क्षेत्र ऋण योजना :

इसी प्रकार वर्ष 1980–81 में दिसम्बर 1980–81 में सम्बर 1950 तक पिछड़े क्षेत्रों में रु0 1110.91 लाख 654 इकाइयों को स्वीकृति किया गया जबकि 1981–82 में इसी अवधि में सहायतार्थ रु0 1327.16 लाख 1092 इकाइयों को दिया गया है।

(3) पर्वतीय ऋण क्षेत्र योजना :

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1980–81 में मा दिसम्बर 1980 तक कुल रु0 074.47 लाख 126 इकाइयों को स्वीकृत किया गया जबकि इसी वधि में 1981–82 तक रु0 40.39 इकाइयों को स्वीकृत किया गया।

(4) समष्टि ऋण योजना :

इस योजना के अन्तर्गत शिल्पकार एवं अन्य उद्यमियों को स्वतः रोजगार के उद्देश्य से रु0 25,000 तक का ऋण अचल सम्पत्ति क्रय एवं कार्यशी पूंजी हेतु प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1980–81 के दिसम्बर माह तक 6836 इकाइयों को 9.50 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि इसी अवधि में 1981–82 में 1712 इकाइयों को 23 42 लाख स्वीकृत किया गया। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निगम की उपलब्धियाँ देश के मस्त राज्य निगमों की कुल उपलब्धियों का लगभग 50 प्रतिशत हैं।

(5) हथकरघा योजना :

इस योजना का प्रारम्भ निगम द्वारा राज्य के बुन रों की सहायतार्थ यिग या जिसके अन्तर्गत उदार शर्तों पर लूम तथा सूत क्रय करने के लिए ऋ ग प्रदान किया जाता है। वर्ष

1980–81 में दिसम्बर तक निगम ने 1349 बुनकरों को रु0 51.61 लाख की सहायता स्वीकृत की। जकि इसी अवधि में 1981–82 में 600 इकाइयों को 20 लाख ऋण स्वीकृत किया गया।

(6) बीमार इकाई योजना :

इस योजना के अन्तर्गत बीमार इकाइयों के पुनःसंचालन हेतु बकाया ऋणों का पुनर्निधारण, ब्याज की वसूली का स्थगन, मशीनों/संयंत्रों हेतु अतिरिक्त ऋणों की स्वीकृति तथा इकाई के आधुनिकीकरण की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। साथ-साथ विद्युत कटौती से प्रभावित इकाइयों को दण्ड ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से मुक्त कर दिया जाता है।

(7) ट्रान्सपोर्ट योजना :

इस योजना के अन्तर्गत निगम आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को स्वतः रोजगार के उद्देश्य से एक नई गाड़ी जैसे ट्रक, मिनी ट्रक, स्टेशन वैगन, पब्लिक डिलीवरी वैन क्रय करने हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन पर ऋण दिया है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 1982 तक लगभग 20 इकाइयों को रु0 32 लाख की सहायता स्वीकृत की गई थी।

(8) विशेष पूंजी सहायता योजना :

लघु कुटीर इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे उद्यमियों को जो धनाभाव के कारण उद्योग लगाने में असमर्थ हैं, निगम ने विशेष पूँजी सहायता योजना प्रारम्भ की है। यह योजना विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग हेतु लागू की गई है।

शासन की विशिष्ट योजनाएँ :

राज्य के औद्योगिकीकरण में तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से निगम केन्द्र राज्य सकरार की कुछ विशिष्ट योजनाओं को अभिकर्ता के रूप में संचालित कर रहा है। इनमें प्रमुख योजनाएँ निम्न प्रकार से हैं–

(1) पूँजी अनुदान योजना (केन्द्रीय सरकार)।

(2) अभियन्ता उद्यमियों हेतु ब्याज अनुदान (केन्द्रीय सरकार)।

तालिका संख्या – 3 ।

गत वर्ष की तुलना में उन्नति/अव ाति (प्रतिशत)

विवरण	1981–82	1980–81	प्रतिशत वृद्धि
(1) निबल मूल्य	3.41	29.60	–
(2) संस्थागत ऋण	33.95	29.70	–
(3) सकल परिसम्पत्ति	11.95	25.94	–
(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	7.45	26.45	–
(5) शुद्ध चालू पूँजी	31.02	31.08	–
(6) कुल आय	19.30	34.44	–
(7) कुल व्यय	–4.35	34.48	–
(8) सकल लाभ/हानि	–23.64	34.95	–
(9) शुद्ध लाभ/हानि	–63.09	34.32	–
(10)ऋण वितरण (लाख रु0)	3162.37	2499.37	26.52
(11)ऋण वसूली (लाख रु0)	1451.07	1027.00	39.80

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 40।

इस प्रकार उपरोक्त आंकड़े यह भी स्पष्ट करते ह कि परिचालन कार्य सम्पादन में उत्तरोत्तर उन्नति हुई है जबकि कुल आय, कुल व्यय, सकल हा ा व शुद्ध हानि से में जो स्थिति उभरती है वह यद्यपि संतोषजनक तो नहीं लगती परंतु 1981–8 : से 1986 तक पूंजी पंचवर्षीय योजना का जो समय बीता है उससे निगम की सराहनीय प्रगति ा आंकलन किया जा सकता है जो संतोषजनक ही कहा जायेगा। तुलनात्मक रूप से कुल व्यय त ा कुल आय सकल लाभ/हानि व शुद्ध लाभ/हानि वित्तीय वर्ष 981 के अपेक्षा 1982 में दर्शाई गइ है जो हानि का प्रतीक न होकर अवन्नति का प्रतीक कही जायेगी, क्योंकि निगम राज्य के उन ामुख उपक्रमों में से है जिसने लगातार पिछले तीन वर्ष से निम्नांकित लाभ अर्जित किया है–

वर्ष	लाभ
1979–80	90–86 लाख रुपए
1980–81	122.04 लाख रुपए
1981–82	43.95 लाख रुपए

निगम ही उपरोकत तीन वर्षों में ऐसी संस्था र है जिसने बराबर लाभ वितरण किया है जो निम्नवत् है–

(3) शिक्षित बेरोजगार हेतु मार्जिन मनी ऋ (राज्य सरकार)

(4) औद्योगिक संकुलों हेतु मार्जिन मनी ऋ (राज्य सरकार)

(5) लघु ऋणियों हेतु ब्याज अनुदान (राज्य सरकार)

(6) जेनरेटिंग सेट अनुदान (राज्य सरकार)

वर्ष 1982–83 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य :

छठीं पंचवर्षीय योजना में निहित शासन की औ ोगिक नीति के परिपालन हेतु निगम ने वर्ष 1980 से 1985 तक के लिए एक समग्र योजना तैर की है जिसमें निगम के लक्ष्य निम्नवत् हैं–

(1) ऋण स्वीकृत	रु0 5000.00 लाख
(2) ऋण वितरण	रु0 4000.00 लाख
(3) ऋण एवं ब्याज की वसूली	रु0 1700.00 लाख
(4) पुनर्वित्त प्राप्ति	रु0 2500.00 लाख

निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश वित्तीय नि न की आय व्यय का तथा लाभ हानि को दर्शाया गया है जो निगम की प्रगति का संतोषजनक प्र ति है–

तालिका संख्या – 35

(लाख रुपयों में)

वर्ष	पूंजी परिव्यय	कुल आय	कार्य सम्पादन व्यय पर ऋण पर ब्याज छोड़कर	ुद्ध ाय	ब्याज	शुद्ध आय
1973–74	1744.82	152.29	28.44	3.85	71.61	52.24
1974–75	2218.53	219.59	28.37	0.22	93.36	86.86
1975–76	2639.92	280.09	53.14	2 6.95	126.54	100.41
1976–77	3315.45	212.14	70.34	2 1.80	150.00	91.69
1977–78	4128.59	388.69	88.14	3 8.55	192.54	108.01
1978–79	5297.87	485.27	107.38	3 7.89	241.77	136.12
1979–80	6845.70	572.15	124.52	4 7.63	306.82	140.81
1980–81	8963.90	765.98	162.92	5 4.06	414.92	189.14

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 20।

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि निगम व प्रमुख सफलताएँ, उत्तरोत्तर ऋण की धनराशि वितरण में वृद्धि तथा ऋण वसूली में आशातीत सफ ता में निहित हैं। जो निम्नवत् हैं–

तालिका संख्या – 36

वर्ष	लाभांश का भुगतान (लाख रुपए में)
1979–80	21.93
1980–81	26.75
1981–82	33.54

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 8।

लाभांश का निरन्तर वर्षा वर्ष भुगतान करना निग की ठोस उन्नति व प्रगति का प्रतीक है।

अन्ततः निगम में लगी पूंजी की तुलना में सकल ल भ का विवरण देखने से विदित होता है कि उस दृष्टिकोण से भी निगम की स्थिति प्रशंसनीय ही जो निम्नांति आंकड़ों से स्पष्ट होता है–

तालिका संख्या – 37

वित्तीय वर्ष 1981–82 में

(1) लगी पूँजी (लाख रुपए में	11784.69
(2) सकल लाभ	461.27
(3) लगी पूँजी की तुलना में सकल लाभ/हानि का प्रतिशत	
1979–80	5.52
1980–81	6.71
1981–82	3.91

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 12।

ऋण प्रार्थना पत्रों का निस्तारण के आधार पर भी निगम की स्थिति प्रशंसनीय ही कही जायेगी जो निम्नवत् है–

1978–79	88 प्रतिशत
1979–80	92 प्रतिशत
1980–81	94 प्रतिशत

अधिकांशतः निस्तारण तीन माह के अन्दर ही कर दिये गये हैं।

भावी कार्यक्रम :

निगम अपने प्रगतिशील उपलब्धियों में और अधिक प्रगति हेतु योजनाएँ बना रहा है। शासन की नीति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तव्र करने के लिए वांछनीय हुआ तो उस प्रक्रिया को सरल और सुपावाही बनाया जायेगा।

□□□

अध्याय षष्ठम्

अध्याय–षष्ठम्

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमि ड, लखनऊ :

चीनी दैनिक उपयोग की वस्तु है और देश के लिए वेदेशी मुद्रा अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत। राष्ट्र में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक ानी मिलों वाला राज्य होने का गौरव प्राप्त है। वस्तुतः नकदी फसल गन्ना कृषि आधारित चीनी उद्द ग उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का मूल्य स्रोत बनकर गन्ना कृषकों की खुशहाली की उन्नतिशील मेका निभाता हुआ राष्ट्रीय स्तर पर चीनी उपभोक्ताओं की मांग को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण माध्य है।

विगत कुछ वर्षों से राज्य का सबसे बड़ा उद्योग ंकट की स्थिति में आ गया और सूखे तथा कतिपय अपरिहार्य कारणों से चीनी उत्पादन में चिन्तनीः गिरावट आ गई थी अस्तु सभी संकटों के निवारणार्थ तथा बीमार मिलों को नवजीवन प्रदान क ा हेतु 26 मार्च 1971 को एक सरकारी कम्पनी के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटे की स्थापना लखनऊ में हुई। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 25–बी, अशोक मार्ग, लखनऊ पर रि त है। निम्नलिखित सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ इसकी सहायक कम्पनियाँ हैं–

(1) किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड।

(2) चाँदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड।

(3) नंदगंज–सिहोरी कम्पनी लिमिटेड।

(4) छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड।

(5) दरियापुर (रायबरेली) चीनी मिल।

संघटक इकाइयाँ :

यह निगम विभिन्न हैसियतों से बहुत से चीनी ारखानों का प्रबन्ध करता है। निगम स्वयं 6 इकाइयों का स्वामी है। इनमें से एक का प्रबन्ध वह उद्योग अधिनियम के प्राविधानों के आधीन व तीन इकाइयों का प्रबन्ध भारत सुरक्षा अधिनियम के अ ीन करता है और पाँच इकाइयों का वह रिसीवर हैं। इन इकाइयों को निगम समय–समय पर प्राविा क एवं आर्थिक सलाह देता है।

चीनी निगम के कारखाने :

उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 बीमार इकाइयों को 3 ुलाई 1971 से अधिग्रहित करके उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ को सौंप दिय अब निगम के पास निम्नांकित प्रतिष्ठान ही रह गए हैं, जिसका प्रबन्ध वह आज भी कर रहा है -

(1) मोहीउद्दीनपुर, जनपद मेरठ।

(2) सखोटी टांडा, जनपद मेरठ।

(3) बाराबंकी, जनपद बाराबंकी।

(4) भटनी, जनपद देवरिया।

(5) खड्डा, जनपद देवरिया।

निगम द्वारा भारत सुरक्षा अधिनियम के आधे न प्रबन्धित कारखाने:

भारत सुरक्षा अधिनियम के आधीन उत्तर प्रदे ा के राज्यपाल ने निगम को निम्नांकित इकाइयों का प्रबन्ध अपने हाथ मे लेने के लिए प्राधिक ा किया है–

(1) लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर।

(2) अमृतसर शुगर मिल्स, रोहानाकलाँ, जनपद ुजफ्फरनगर।

(3) एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, बरेली।

कारखाने जिनका रिसीवर हैं–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड निम्न केत पांच चीनी कारखाना को आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय एवं प्राविधिक विषयों पर विशेषज्ञ ो भांति सलाह देता है–

(1) बुलन्दशहर।

(2) अमरोहा, जनपद मुरादाबाद।

(3) बुढ़वल, जनपद बाराबंकी।

(4) जरबल, जनपद बहराइच।

(5) रामकोला (खेतान), रामकोला, जनपद देवरि ा।

इस समय निगम के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 लें कार्यरत हैं–

(1) भटनी (देवरिया)।

(2) खड्डा (देवरिया)।

(3) बाराबकी (बाराबंकी)।

(4) मोहिउद्दीनपुर (मेरठ)।

(5) सखौती टाण्डा (मेरठ)।

(6) रामकोला (देवरिया)।

(7) लक्ष्मीगंज (देवरिया)।

(8) जखल रोड (बहराइच)।

(9) बुढ़वल (बाराबंकी)।

(10) पिपाराईच (गोरखपुर)।

(11) अमरोहा (मुरादाबाद)।

(12) बिजनौर (बिजनौर)।

(13) रामपुर (रामपुर)।

इसके अतिरिक्त चीनी निगम की चार सहायक कम्पनियों द्वारा पांच चीनी मिलें संचालित हैं–

पूँजी :

निगम की समस्त अंश पूँजी राज्य सरकार द्वार लगाई गई है।

तालिका संख्या – 38

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
अधिकृत पूँजी	5500.00	2500.00	2500.00
चुकता पूँजी (राज्य सरकार)	5329.44	2498.00	1998.00
आन्तरिक साधन	646.26	552.47	422.33
दीर्घकालीन ऋण :			
(1) राज्य सरकार से	595.31	2613.53	2260.34
(2) संस्थागत ऋण	314.32	116.61	142.91
(3) अन्य	855.79	600.94	400.09
नगद ऋण/अग्रिम	2664.18	840.63	254.41
योग	10005.30	7144.18	5478.10

प्रबन्ध :

निगम में एक अंशकालिक अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक एक प्रबन्ध निदेशक नियुक्त है। निदेशक मण्डल में नौ निदेशक से सात निदेशक सरकारी पदाधिकारी हैं ओर दो निदेशक गैर सरकारी है।

उद्देश्य :

चीनी निगम द्वारा अपने ज्ञापन में विस्तृत रूप से मूल उद्देश्य और कार्यकलाप निर्धारित किये हैं जो निम्न प्रकार से है–

(1) चीनी मिलों की सभी शाखाओं के व्यापारों को चलाना और केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये किसी व्यवसाय अथवा प्रतिष्ठान का प्रबन्ध करना।

(2) किसी चीनी कम्पनी के प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी सहायक कंपनी के रूप में प्रोन्नति करना।

(3) शक्कर, गन्ना, शीरा और उनके सभी उत्पादों तथा उत्पादोत्पादों बनाना, खरीदना, संग्रह करना और विक्रय करना।

(4) राज्य को ऐसी चीनी मिल जो दि ालिया हो गई हो अथवा किसी अन्य कारण से अथवा बनद कर दी जाने वाल हो उसे अपने अधिकार में ले लेना और उसे बेरोजगारी सम्बन्धी समस्या हल रने के उद्देश्य से चलाना।

(5) आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिक । अथवा दीवानी न्यायालय अथवा राज्य सरकार के रिसीवर की हैसियत से किस चीनी प्रतिष्ठान का कार्य देखना।

(6) चीनी व्यवस्था की परियोजना ि ार्ट का अध्ययन करना और उसे तैयार करना तथा इस व्यवसाय की सम्भावन ों के सम्बन्ध में अध्ययन करना।

(7) चीनी मिलों को वित्तीय सहायता ना तथा उनके द्वारा बैकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए ऋणों के सम्बन्ध में प्रत भूति देना।

कार्यकलाप एवं सफलताएँ :

यद्यपि चीनी उद्योग को स्वस्थ ीति से चलाने के लिए उसके कार्यकलाप के सम्पादन से प्राविधिक ढंग अपनाए जाने से बहुत सहायता मिली है तथापि उसकी आर्थिक क्षमता अधिकतर अच्छे किस्म के गन्ने की पर्याप्त मात्रा सम्पूर्ण पर ही निर्भर करती है जो चीनी मिलें अब चीनी निगम के अधिकार में आ गई है उनके भूतपूर्व मालिकों ने न तो गन्ना विकास की ओर ध्यान दिया है और साथ-साथ निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अच्छे मूल्यवान संयंत्रों का घटिया से प्रतिस्थापन किया जिससे उतपादन क्षमता में गिरा ट आई वरन् गम्भीर घाटे की समस्या का उदय जानबूझ कर कराया गया जिससे बेरोजगारी की िथति उत्पन्न हो और सरकार की ऐसी मिल का अधिग्रहण विवशता वश करना पड़े। परन्तु निगम द्वारा ऐसी मिल ऐसी मिलों का अधिग्रहण करने के बाद गन्ना विकास कार्यक्रम पर पूरा-पूरा ध न दिया है तथा निर्धारित लक्ष्य पूरी करने में सफलताएँ प्राप्त की है जैसा कि निम्नांकित तालि ा से स्पष्ट होता है-

तालिका संख्या – 39

पेराई सत्र 1981–82 के निर्धारित लक्ष्य एवं क्रमिक उपलब्धियाँ

इकाई का नाम	गन्ने की पिराई		प्रत्याप्ति का प्रतिशत	
	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि	लक्ष्य (लाख)	उपलब्धि
(अ) इकाइयाँ–				
(1) भटनी	6.00	2.24	9.20	8.70
(2) खड्डा	10.50	2.92	9.10	9.71
(3) बाराबंकी	6.50	0.52	9.10	7.99
(4) मोहिउद्दीनपुर	10.50	3.77	9.80	8.76
(5) सखौती टाण्डा	8.50	2.05	9.60	8.48
(6) रामकोला	10.00	2.14	9.10	8.64
(7) जवरलरोड	6.00	1.50	8.50	7.54
(8) लक्ष्मीगंज	11.00	2.81	9.10	8.43
(9) बुढ़वल	6.50	0.31	9.20	7.65
(10) रामपुर	25.00	5.10	9.50	8.97
(11) बिजनौर	15.00	3.32	9.25	8.48
(12) अमरोहा	26.00	3.44	9.30	8.15
(13) पिपरामऊ	10.00	2.72	9.20	8.84
(ब) सहायक इकाइयाँ–				
(1) किच्छा	28.00	4.99	9.90	9.46
(2) चाँदपुर	18.00	7.33	9.75	8.74
(3) छाता	12.00	3.24	9.80	8.70
(4) नन्दगंज	3.00	2.58	8.50	7.73
(5) रायबरेली	6.00	0.77	9.50	8.01

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 134 ।

तालिका संख्‍T – 40

(लाख रु0 में)

गत वर्ष की तुलना में	19 1–82	1980–81	1979–80
उन्नति/अवनति			
(1) निबल मूल्य	99.09	27.79	28.90
(2) संस्थागत ऋण	20.40	95.41	20.16
(3) सकल परिसम्पत्ति	20.02	16.99	4.62
(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	14.66	10.86	–2.16
(5) शुद्ध चालू पूँजी	56.47	83.40	191.23
(6) कुल आय	10.09	43.12	107.91
(7) कुल व्यय	18.08	50.66	56.85
(8) सकल लाभ/हानि	– 35.90	–129.88	146.67
(10) शुद्ध लाभ/हानि	- 72.88	–135.87	58.45

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 16।

उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि निगम को लक्ष्य प्राप्त करने में आंशिक सफलता मिली है। इसका मूल कारण बीमार मिलों का अधिग्रहण करना रहा है, जिससे घाटे की स्थिति उत्पन्न हुई है। परिचालन वित्तीय परिणाम देखने से स्पष्ट होता है कि शुद्ध हानि वित्तीय वर्ष 1981–82 में 1051.48 लाख है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 1980–81 से 1979–80 में क्रमशः 628.23 व 257.87 रु0 की हानि हुई। वर्ष 1979–80 में क्रमशः 628.23 व 257.87 रु0 की हानि हुई। वर्ष 1979–80 से निगम का अन्तिम रहसिया तेजी से बढ़ गया था। जो वर्ष 1981–82 में 24.63 करोड़ की रिकार्ड सीमा पर पहुँच गया। इसी कारण निगम का संबंधी घाटा बढ़ने से कार्यशील पूंजी में कमी आई है तथा निगम द्वारा निर्बाध प्रारक्षित निधि होने के बावजूद लाभांश घोषित नहीं किया–

निर्बाध प्रारक्षित निधि :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	1981–82	80–81	1979–80
निर्बाध प्रारक्षित निधि	216.39	184.12	167.02

निगम लगातार हानि उठाने के कारण लाभांश भी षित नहीं कर सका। संचित घाटे की स्थिति निम्नप्रकार से थी–

वर्ष	संचित घा (लाख रु.0 में)
1979–80	4087.36
1980–81	3246.21
1981–82	2637.99

यदि निगम में लगी पूँजी की तुलना में सकल लाभ हानि का प्रतिशत देखा जाय तो संस्था की वित्तीय स्थिति अति असंतोषजनक ही उभरी है जो 10 तिशत से आकि है और प्रदेश के 57 उपक्रमों में नीचे से 50वें नम्बर पर थी व निम्नवत् है–

वर्ष	लगी पूँजी	सकल/लाभ/हानि	लगी पूँजी की तुलना में सकल लाभ/हानि का प्रतिशत
1979–80	2918.08 लाख रु0	–462.64	11.06
1980–81	लाख रु0	–462.64	–2.19
1981–82	लाख रु0	–462.64	–15.85

फिर भी प्रमुख उपलब्धियों में 1980–81 की तुलना 123.50 कुन्टल के स्थान पर 199.79 कुण्टल गन्ना पूरा गया। इसके साथ–साथ निगम नये संयंत्र स्थापित करता जा रहा है और प्रदेश में उद्योग के विकासार्थ संलग्न है।

(द) उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड, लखनऊ :

क्षेत्रीय विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड लखनऊ की स्थापना कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के आधीन, सूचना विभाग के कार्यक्षेत्र के

अन्तर्गत एक कम्पनी के रूप में 10 सितम्बर, 1976 को पंजीकरण के रूप में हुई। इसके दायित्व अंशों तक सीमित है। निगम का पंजीकृत कार्यालय बी–2, प्रेमनगर, शांक मार्ग, लखनऊ में स्थित है।

पूँजी :

पंजीकरण के समय निगम की अधिकृत पूँजी 5 लाख रुपए थी जो सौ–सौ रुपए के 50000 सामान्य अंश में विभक्त थी। उस समय इसकी प्रद पूंजी 0.30 लाख तथा अतिरिक्त तथा आरक्षित धनराशि 0.09 लाख रुपया थी। पूँजी में उत्तरोत र वृद्धि दर्ज है, जो निम्नवत् है–

तालिका संख्या –4 1

(लाख रुपए में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) अधिकृत पूँजी	400.00	400.00	400.00
(ख) उपलब्ध साधन–			
(1) चुकता पूँजी (राज्य सरकार)	307.84	257.84	157.22
अन्य	0.22	0.22	0.22
(2) आंतरिक साधन–			
मूल्य ह्रास	61.02	31.22	10.88
(3) दीर्घकालीन ऋण–			
राज्य सरकार से	21.00	–	–
संस्थागत ऋण	98.30	54.10	–
(4) नकद / ऋण / अग्रिम	6.45	9.90	12.32
योग	494.83	253.28	181.26

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 161।

प्रबन्ध :

सूचना विभाग के आयुक्त एवं सचिव निगम व अंशकालिक अध्यक्ष और सूचना विभाग के निदेशक निगम के अंशकालिक प्रबन्ध निदेशक हैं। स समय निदेशक परिषद में 5

निदेशक है जिनमें दो गैर सरकारी हैं।

उद्देश्य :

(1) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को उनके सामाजिक और नैतिक मूल्य को बढ़ानेवाली तथा सामाजिक रूप से प्रगतिशील फिल्में दिखाकर उन्हें स्वच्छ मनोरंजन उपलब्ध कराना।

(2) मनोरंजन कर की वसूली बढ़ाकर राज्य के राजस्व में वृद्धि करना। निगम के अन्य उद्देश्य निम्नवत् हैं–

(3) थियेटरों, सिनेमाओ, संगीत गोष्ठी हालों, सिनेमाघरों, स्केटिंग हालों, टूरिंग टाकीजों और फिल्म निर्माण स्टूडियो के मालिकों, स्वामियों, वितरकों, प्रबन्धकों, व्यवस्थापकों, पहरेदारों, किरायेदारों और प्रदर्शकों के रूप में कार्य करना।

(4) चलचित्र टाकीजों, रंगमंच, नाटकों, ड्रामों, नृत्य–नाटकों, नृत्य प्रदर्शनों, उच्चकोटि की संगीत गोष्ठियों और नाटकीय आयोजनों के निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और प्रस्तुतीकरण के बारे में सभी आवश्यक व्यवस्था करना और सामान्य रूप से चलचित्र दर्शकों को अच्छी फिल्में देखने के लिए प्रेरित करना।

(5) फिल्म निर्माण स्टूडियो, प्रयोगशालाओं, सिनेमा घरों, हालों, थिएटरों, कर्मशालाओं और अन्य सभी प्रकार के भवनों को बनाना, खड़ा करना, निर्मित करना, क्रय करना, पट्टे करना या किराये पर लेना, उसमें सुधार करना, परिवर्तित करना, अभिवृद्धि करना या अन्यथा अर्जित करना या आरक्षित करना और आवश्यक मशीनों तथा अन्य उपकरणों को अधिष्ठापित करना और कम्पनी के व्यवसाय के प्रयोजनार्थ सुविधाएँ जुटाना।

(6) फिल्म, कैमरों, प्रोजेक्टरों, साउण्ड रिकार्डिंग, रिप्रोड्यूसिंग मशीनों, फोनोग्राफिक्स और अन्य वाद्य उपकरणों, यंत्रों, सहायक पुर्जों और ग्रामोफोन रिकार्डों का निर्माण करना, उन्हें खरीदना, आयात या निर्यात करना, किराए पर लेना या अर्जित करना और व्यापार करना।

(7) निगेटिव पाजिटव, प्रिन्टिंग और सभी अन्य प्र ार के फोटो के कैमिकल कार्य लेना और विधायित करना, विकसित करना।

(8) फोटोग्राफरों, कलाकारों, पेन्टरों, डिजाइनों, त्कीर्णकों, मुद्रकों, फिल्मों, पुस्तकों, संगीत गानों, प्रत्येक प्रकार के नाटकों के स न्ध में सभी कार्यों को करना।

(9) सभी विषयों पर सवाक् एवं मूक चलचित्रों, टेलीविजन फिल्मों और कार्यक्रमों, नाटकों, कार्टूनों, समाचारों, सामयिक या स्थाा क घटनाओं से सम्बन्धित व्यापारिक एवं शैक्षिक फिल्मों को तैयार करना तथा ि र्ताताओं, वितरकों, प्रदर्शकों, प्रत्येक प्रकार के सिनेमोटोग्राफिक, फिल्मों और सवाव चित्रों के उन्नायकों के व्यवसाय को उनकी सभी शाखाओं में करना और इन व्यवस यों से सम्बन्धित सभी आवश्यक एवं उपयोगी कार्य करना।

कार्यकलाप एवं सफलताएँ :

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम का पहला सिने हाल दिसम्बर, 1977 में फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में चालू हो गया था। इसके पश्चात् आठ ौर सिनेमाघर फतेहपुर मुख्यालय, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद), ओवरा तथा रेणूकूट (मिर्जापुर), हरदु ागंज (अलीगढ़), हमीरपुर (जनपद मुख्यालय जालौन और पुरकाजी), मुजफ्फरनगर में चल रहे तथा नये उपयुक्त स्थानों पर भी बनाने की योजनाएँ चल रही हैं।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड, लखनऊ के लेखों का विश्लेषण :

तालिका संख्या – 4

(लाख रुपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) साधनों का उपयोग–			
(1) सकल परिसम्पत्ति	376.81	246.48	91.44
(2) निर्माणाधीन सम्पत्ति	79.15	52.22	34.12
(3) कार्यशील पूँजी	7.92	32.66	40.76
(4) विनियोग	—	—	—
(5) अस्थगित संचालन व्यय	0.26	0.38	0.50
(6) घाटा	30.69	21.54	4.44
योग	494.83	353.28	181.26
(ख) सरकार द्वारा लगाई निधि (वर्षान्त में)	328.84	257.84	157.84
(ग) निबल मूल्य (वर्षान्त में)	277.11	236.14	153.12
(घ) प्रयुक्त पूँजी (वर्षान्त में)	323.71	247.92	121.32
(ड) निबल मूल्य (औसतन)	256.63	189.63	107.21
(च) प्रयुक्त पूँजी (औसतन)	285.82	184.62	90.71
(छ) कार्यशील पूंजी	283.45	298.43	252.44
(ज) स्टाक	14.21	12.40	17.63
(झ) उपार्जित ब्याज	0.90	0.43	0.51
(ञ) रोकड़ एवं बैंक शेष	42.05	30.78	39.29
(ट) ऋण एवं अग्रिम	37.36	46.91	17.12
योग (छ+ज+झ+ञ+ट)	94.52	90.52	74.49
(ठ) घटाइए कुल चालू दायित्व	86.60	57.86	33.73
कार्य पूंजी योग ठ	7.92	32.66	40.76

(ड) कार्यचालन परिणाम बिक्री/ कार्यचालन व्यय (योग)	127.74	65.86	13.24
(ढ) बिक्री की लागत	124.36	68.47	21.08
(ण) सकल लाभ/हानि	3.28	–2.61	–7.84
(त) ब्याज (ऋणों पर)	11.64	3.96	0.24
(थ) ब्याज लगाने के बाद लाभ/हानि	–8.26	–6.57	–8.08
(द) शुद्ध लाभ/हानि	–8.26	–6.57	–8.08
(ध) घोषित लाभांश	–	–	–
(न) नियोजित व्यक्तियों की संख्या	545.00	428.00	211.00
(प) गतवर्ष की तुलना में उन्नति/अवनति (प्रतिशत)			
(1) निबल मूल्य	17.35	64.99	100.73
(2) संस्थागत ऋण	13.67	419.48	100.00
(3) सकल परिसम्पत्ति	52.88	169.55	291.94
(4) शुद्ध परिसम्पत्ति	46.70	167.20	302.60
(5) शुद्ध चालू पूँजी	–75.75	–19.87	–16.24
(6) कुल आय	93.96	397.43	125.55
(7) कुल व्यय	87.77	239.73	182.01
(8) सकल लाभ/हानि	299.50	66.71	363.91
(9) शुद्ध लाभ/हानि	–25.72	18.69	378.11
(10) नियोजन (रोजगार)	27.34	102.84	151.19

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 161–164।

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है ि सकल परिसम्पत्ति तथा शुद्ध परिसम्पत्ति में वर्षानुवर्ष कमी होती चली गई है। शुद्ध पूंजी में 980–81 की तुलना में बहुत कमी आई है तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण से कुल आय में भी भारी गि वट आई है। शुद्ध हानि 1981–82 में अन्य वर्षों के लाभ के स्थान पर घाटा हुआ है। साथ–साथ ौद्योगिक महत्व भी कोई महत्वपूर्ण

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धीरे–धीरे प्रतिवर्ष निगम में कार्यर व्यक्तियों की संख्या में भारी कमी आई है।

फिर भी सफलताओं के दृष्टिकोण से पिछले वर में निगम को निम्न उपलब्धियाँ हो सकी हैं–

(1) विक्रय कार्यचालन से आय वर्ष 1980–81 व रु0 64.71 लाख की तुलना में 1981–82 में बढ़कर 125.51 लाख हो गई।

(2) वर्ष 1981–82 में निगम को 61.67 लाख का कद लाभ हुआ।

(3) बढ़े हुए संसाधनों का उपयोग सिनेमा गृहों के निर्माण में किया गया।

(4) 1981–82 तक 9 सिनेमा गृहों का निर्माण कार्य ामाप्त कर फिल्म प्रदर्शन का कार्य प्रारम्भ किया गया।

(5) सत्रह अन्य स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर था।

(6) इस प्रकार वर्ष 1981–82 तक 33 सिनेमा गृह ालू थे।

(7) परन्तु निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में लगातार शुद्ध हानि प्रदर्शित की गई–

1979–80	:	0.08 लाख रुपया
1980–81	:	6.57 लाख रुपया
1981–82	:	8.26 लाख रुपया

यह हानि उत्तरोत्तर बजाय घटने के बढ़ी है।

(8) निगम के संचित घाटे में उत्तरोत्तर वृद्धि होने व कारण कोई लाभांश घोषित नहीं किया जा सका। संचित घाटा निम्नवत् रहा।

1979–80	:	14.44 लाख रुपया
1980–81	:	21.54 लाख रुपया
1981–82	:	30.69 लाख रुपया

अन्ततः निगम की कुल पूंजी 1981–82 में 323.7 लाख रुपए थी जिस पर सकल

लाभ 3.38 लाख रुपया था जबकि तीन वर्षों में सकल लाभ/हा ो का प्रतिशत क्रमशः 1.4, –1.05 तथा –6.46 रहा।

अभी प्रदेश विधान सभा के 1987 के वर्षाकालीन त्र में उ0प्र0 विधान परिषद में एक माननीय सदस्य ने नियम 110 के अन्तर्गत सदन को सूचित कि ा कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम भारी कर्ज में डूबा हुआ है। मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन नामक ांस्था का लगभग 25 लाख रुपए का कर्ज इस उपक्रम पर शेष है। इस लिए इस एसोसिएशन ने ्स सदस्यता से निकाल दिया है। जिसका परिणाम यह होगा कि ऐसासिएशन एशन के माध्यम से ेलने वाली फिल्में इसे प्रदर्शन के लिए अब नहीं मिलेंगे। कर्ज चुकाने में असफल हो जाने पर नि ा ने अपने सिनेमा घरों का बेचना प्रारम्भ कर दिया है। (दैनिक जागरण 29.07.1987)।

(ह) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, लेमिटेड, कानपुर :

उद्योग विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य थकरघा निगम लिमिटेड, कानपुर, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा एवं शक्ति चालित करघा वि ा एवं विकास निगम लिमिटेड के नाम से भी जान जाता है, की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वार स्थापित "रामसहाय आयोग" की संस्तुति पर 9 जनवरी 1973 को की गई। तत्पश्चात् व्यवसाय प्रार भ करने का प्रमाण पत्र 22 जनवरी 1973 को जारी किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय बी–25 सर्वोदय नगर कानपुर में है।

पूँजी :

प्रारम्भिक वर्षों में इसकी प्राधिकृत पूँजी 5 करोड़ रुपया थी। जो 10–10 रु0 के 50 लाख अंशों में विभक्त थी। उस समय प्रदत्त पूंजी 75.10 लाख रु थी और यह पूर्णतया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उनके मनोनीत व्यक्तियों के अधिकार में है। ाज निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपया है। प्रदत्त अंश पूंजी 673.49 लाख रु0 की है जो र्णतया शासन द्वारा प्रदान की गई है। शेष पूंजी तथा उपलब्ध साधन वित्तीय वर्ष 1979 से मार्च 1 82 से निम्नवत थे–

तालिका संख्या – 43

(लाख रुपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) अधिकृत पूंजी	1000.00	1000.00	1000.00
(ख) चुकता पूंजी	673.49	673.49	463.49
(ग) निर्बाध प्रारक्षित निधि	41.75	24.13	12.68
(घ) मूल्य ह्रास	48.80	31.95	21.15
(ड़) दीर्घकालीन ऋण (राज्य सरकार से)	377.32	301.25	228.97
योग	1231.36	1030.82	726.29

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 137।

प्रबन्ध :

निगम में एक अंशकालिक अध्यक्ष और एक पू ा कालिक प्रबन्ध निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त एक और निदेशक, निगम के निदेशक मण्डल में है जिसमें से छः निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत हैं। एक बैंकिंग संस्थाओं का है और ए शीर्ष सहकारी समिति (अपेक्स) का प्रतिनिधि है।

उद्देश्य :

(1) इस निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थकरघा क्षेत्र के सम्यक् विकास के लिए कार्य करना है। इसके साथ–साथ व्य क्तिगत क्षेत्र से संबंधित विकास के कार्यक्रमों को प्रगति देना राज्य करघा निग का उत्तरदायित्व है।

(2) नए हथकरघों एवं शक्तिचालित करघों की स ापना की अभिवृद्धि करना, सहायता देना अथवा वित्त पोषण करना, पुरानी अथवा ौजूदा हथकरघा और शक्तिचालित इकाइयों को सहायता देना अथवा वित्त पोष ा करना।

(3) ऐसे प्रतिष्ठानों, उपक्रमों, जिनसे राज्य के थकरघा और शक्ति चालित करघा उद्योग का विकास, सुसाध्य और गतिशील हे ना सम्भावित हो, का प्रबन्ध स्थापना

(5) हथकरघा संकुलों की योजना तथा

(6) टेरीकाट कपड़े का उत्पादन।

(7) क्रय–विक्रय कार्यक्रम।

(1) विपणन कार्यक्रम :

निगम द्वारा विपणन के कार्यक्रम निम्नलिखि‍ प्रणालियों द्वारा किया जा रहा है–

(अ) थोक क्रय।

(ब) अपने विक्रय केन्द्रों की स्थापना क के।

(स) एजेन्सियों एवं गली–गली बेचने व ाों की नियुक्त करके।

(द) प्रदर्शनियों का आयोजन एवं उसमें भाग लेकर।

अपना थोक व्यापार निगम मुख्यालय से राज्‍ एवं केन्द्र स्तरीय सहकारी संस्थाओं एवं एन.टी.सी. जैसी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से सम्पन्न ‍र रहा है। इसके अतिरिक्त थोक व्यापारी/खरीदारों को छूट प्रदान करके निगम ने अपने व्याप र को अत्यधिक बढ़ाने पर में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

निगम इस समय लगभग 100 विक्रय केन्द्र राज्य के अन्दर व राज्य से बाहर स्थापित कर चुका है। इन पर निगम के कर्मचारी नियुक्त है था किराये पर दुकानें प्राप्त कर बड़े पैमाने पर हथकरघा वस्त्रों की बिक्री की जा रही है।

हथकरघा निदेशालय तथा हथकरघा निगम ने संयुक्त तत्वाधान में प्रदर्शनियां आयोजित करके, हथकरघा वस्तुओं की व्यापक बिक्री करने था जन रुचि पैदा करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है।

वर्ष	आयोजित प्रदर्शनियाँ
1978–79	21
1979–80	29
1980–81	33
1981–82	10 सितम्‍ र तक

(2) उत्पादन कार्यक्रम :

तकनीकी उच्चीकरण एवं आीनवीकरण द्वारा ्नकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा उन्हें सतत् काम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनता स्त्र उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत निगम द्वारा अपने उत्पादन केन्द्र स्थापित करके बड़े पैमाने पर जनता धोती, साड़ी का उत्पादन किया जा रहा है। इस समय प्रदेश ऐसे 127 से अधिक उत्पादन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा उपदान की सुवि प्रदान किए जाने के कारण बुनकरों की मजदूरी में वृद्धि हुई है, उन्हें बराबर रोजगार मिला है तथ वे बाजार में अन्य उत्पादकताओं से स्पर्धा करने में समर्थ हुए हैं। निगम द्वारा उत्पादन क्षेत्र में प्रवे करने से निगम निर्मित वस्तुओं में विश्वसनीयता बढ़ी है। बुनाई की तकनीक की विविधता तथा श् द्रता के कारण निगम द्वारा उत्पादित माल में जहां उपभोक्ताओं को विश्वास पैदा हुआ है वहीं बुनव रों में भी विशेष अभिरुचि पैदा करने में सफलता प्राप्त की है।

बहुत थोड़े समय में अपना उत्पादन 1975–7 में 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर वर्ष 1979–80 में 1615.63 लाख रुपए कर लिये तथा सन् 1975– 6 में जहां उत्पादन विक्रय केन्द्रों की संख्या मात्र 10 थी वही इसे बढ़ाकर 127 केन्द्र करने में सफल ता प्राप्त की है व बुनकरों की दैनिक आय में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि करने में स फलता प्राप्त की है।

वित्तीय वर्ष 1981–82 में दिसम्बर तक स्थि ो निम्न प्रकार से थी–

तालिका संख्या – 44

क्रम.	विवरण	इकाई	1978–79	̧979–80	1980–81	1981–82 दि0 1981 तक
1.	उत्पादन	लाख रु0 में	951.38	1615.63	2532.86	1782.35
2.	क्रय	लाख रु0 में	486.00	408.99	1124.05	1293.67
3.	विक्रय	लाख रु0 में	1500.04	2413.97	4072.68	3251.06
4.	उत्पादन केन्द्र	संख्या	56	79	117	176
5.	विक्रय केन्द्र	संख्या	46	57	67	127

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 48 (उद्योग)

(3) हस्तकरघा सघन विकास परियोजन एँ :

सघन विकासार्थ बुनकरों को भारत सरकार द्व ा सहायता प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में ऐसी परियोजनाएँ निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित है तथ उनकी तुलनात्मक प्रगति स्थापना वर्ष 31 दिसम्बर 1981 तक निम्नवत् थी–

तालिका संख्या – . 5

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	परियोजनायों का नाम	स्थापना वर्ष	करघों का प्रशिक्षण (संख्या)	बुनकरों का प्रशिक्षण (संख्या)	कच्चा माल विपरीत (संख्या)	कपड़े का उत्पादन (संख्या)	करघों का आधुनिकीकरण (संख्या)
1.	गोरखपुर बस्ती	1976–77	12994	1942	391.14	2226.01	5617
2.	बिजनौर	1976–77	10888	1403	420.22	1626.21	2262
3.	माऊथभंजन	1976–77	11025	8925	-55.84	1805.25	4801
4.	मेरठ	1977–78	3765	2571	25.77	221.96	1800
5.	रामपुर–मुरादाबाद	1979–80	1764	122	45.56	191.50	422
6.	फैजाबाद–बाराबंकी	1979–80	3447	1405	5.73	245.59	880

स्रोत : पूर्वलिखित, पृ0 48।

(4) भण्डार गृहों की स्थापना :

प्रदेश के अनेक बाहुल क्षेत्र के अनेक नगरों बुनकरों को भण्डारगृहों की सुविध ाएँ उपलब्ध कराई हैं। उनमें प्रमुख रूप से मेरठ, गोरखपुर, बिज नौर, इटावा, नेहटोर उल्लेखनीय है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकर अपने माल को मंदी काल में इन भण्डारों मे रख सकते हैं तथा अपने उत्पादन का 70 प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। जिससे ह अपनी उत्पादन क्रिया चालू कर सकते हैं।

(5) हथकरघा संकुल (कम्पलेक्स) योज ना :

इस योजना के अन्तर्गत जहाँ एक ओर अच्छे नियंत्रित कपड़े का उत्पादन है वहीं

दूसरी ओर से बुनकर जो अपने करघे लेकर बुनने में समर्थ न: है। उन्हें करघे दिलाकर उन्हें आजीविका दिलाने में सहायता करती है यह योजना 25 से 50 रघों के लिए लागू की जाती है, परन्तु परिस्थितिवश यह कम भी की जा सकती है। जिन उद्यमि ों के पास अपनी स्वयं की भूमि या कार्यशाला नहीं होती, उनको भूमि प्राप्त करने, शेड बनाने तथा करघों एवं अन्य उपकरण सामान खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश वित्त निगम से कुल आवश्यकता क 0 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शेष 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में उद्यमियों को यं लगाना पड़ता है। इस योजना का प्रतिवेदन हथकरघा भवन कानपुर में है।

योजना की सफलता इसी से आंकी जा सकती कि दिसम्बर 1981–82 तक यह योजना 17 स्थानों पर चल रही है। जिसके लिए 224 उद्यमियों को चुन लिया गया है तथा 144 योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत हो चुका है। 47 इकाइयों के न निर्माण का कार्य चल रहा था तथा 42 इकाइयों ने उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

(6) टेरीकाट कपड़े का उत्पादन :

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के प्रयासों मऊरानीपुर, परियॉवा, प्रतापगढ़, कालपी में 1982 तक हथकरघे पर पोलिस्टर धागे के उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। लगभग 50 करघों पर अच्छे प्रकार के सूटिंग एवं शर्टिंग का व ड़ा भी बनाया जा रहा है।

(7) क्रय–विक्रय कार्यक्रम :

निगम द्वारा वस्त्रों का थोक क्रय–विक्रय किया जाता है। सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में वर्दी के कपड़े की आपूर्ति कर रहा है। निर्यात गृहों रा माल विदेशों को निर्यात किया जाता है। निगम के देश के अन्दर निम्नांकित विक्रय केन्द्र हैं– ल्ली में 4, लखनऊ में 3, कानपुर में 2 तथा अन्य नगरों में एक केन्द्र हैं इनमें इलाहाबाद, बहरा च, वाराणसी, गाजियाबाद, बम्बई, चंडीगढ़, बागा, भागलपुर (बिहार), खलीलाबाद, हरदोई सीतापुर जौनपुर, पटियाला, अलीगढ़ और दरभंगा आदि।

तालिका संख्या – 4

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम के लेख ं का विश्लेषण

(लाख रुपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81	1970–80
(क) साधनों का उपयोग–			
(1) सकल परिसम्पत्ति	260.80	143.24	121.10
(2) निर्माणाधीन सम्पत्ति	–	90.00	90.00
(3) कार्यशील पूँजी	929.82	756.74	474.22
(ख) विनियोग–			
(1) सहायक कम्पनियों में	21.00	21.00	21.00
(2) अन्य	19.45	19.45	19.45
(3) अस्थगित संचालन व्यय	0.29	0.39	0.57
योग	1231.36	1030.80	726.29
(ग) सरकार द्वारा लगाई गई निधि (वर्षान्त में)	1140.81	974.74	692.46
(घ) निबल मूल्य (वर्षान्त में)	804.95	697.23	475.60
(ड) प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	1141.82	868.03	574.17
(च) निबल मूल्य (औसतन)	751.09	586.42	418.03
(छ) प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	1004.92	721.10	633.31
(ज) सकल लाभ/हानि	53.27	49.52	–37.86
(झ) लाभ/हानि ब्याज लगाने के बाद	26.00	30.98	23.13
(ञ) कर व्यवस्था	21.60	18.96	16.93
(ट) शुद्ध लाभ/हानि	14.42	11.43	6.18
(ठ) नियोजित व्यक्तियों की संख्या	1362	724	अप्राप्त
(ड) गतवर्ष की तुलना में सकल लाभ/हानि (प्रतिशत)	7.75	30.80	35.02
(ण) गतवर्ष की तुलना में शुद्ध लाभ/हानि (प्रतिशत)	26.16	84.95	25.61

स्रोत : पूर्वलिखित, पृ0 संख्या 137–140।

समस्याएँ :

निगम के प्रमुख समस्यायें निम्न प्रकार की हैं–

(1) कच्चे रंग का प्रयोग, जिससे फिर निगम की वस्तुओं को संदेह की निगाह से देखा जाता है

(2) कुछ बुनकरों द्वारा सही तकनीक का प्रयोग न करना। प्रायः अच्छे कच्चे माल को बेचकर घटिया माल का प्रयोग करना।

(3) अधिकांश विक्रेताओं द्वारा कार्य में रुचि न लेना।

(4) प्रायः बड़ी मात्रा में माल का रुक जाना।

(5) बाजार भाव में गिरावट आ जाने से माल की मांग गिर जाना।

(6) बुनकरों के पास सूत की कमी।

इतना सब होते हुए भी निगम उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उत्पादन केन्द्रों व विक्रय केन्द्रों की संख्या में बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है। परिचालन वित्तीय परिणाम देखने से विदित होता है कि निगम द्वारा 1979–80 में 6.18 लाख रु0 1980–81 लाख रुपया तथा 1980–82 में 14.42 में 14.4 लाख रु0 का शुद्ध लाभ अर्जित किया जो पिछले कुल वर्षों में और अधिक हुआ है। इस प्रकार निगम एक ऐसी संस्था बन गई है जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा प्रगति के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। निर्बाध प्रारक्षित निधि में वर्षानुवर्ष बढ़ोत्तरी होने पर भी निगम ने लाभांश घोषित नहीं किया। एक तथ्य अवश्य ही खटकने वाला रहा है कि लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के बावजूद, व निर्वाध प्रारक्षित निधि होने पर भी निगम द्वारा सरकारी ऋण पर ब्याज नहीं अदा किया गया एक अन्य तथ्य यह भी है कि लगी पूँजी जो सन् 1981–82 में 1141.82 लाख रुपए थी तथा जिस पर सकल लाभ के प्रतिशत में निम्नवत् उत्तरोत्तर कमी आई है।

तालिका संख्या – 47

वर्ष	सकल लाभ	शुद्ध लाभ
1979–80	35.02 लाख रुपया	25.61 लाख रुपया
1980–81	30.80 लाख रुपया	84.95 लाख रुपया
1981–82	7.75 लाख रुपया	26.16 लाख रुपया

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 140।

(क) उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम, आगरा :

चर्म उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कम्पनी की 1956 की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार एक सरकारी (पब्लिक) कम्पनी के रूप में फरवरी 1974 में स्थापना हुई थी। इसने अपने व्यावसायिक कार्यकलाप 1974–75 के वित्तीय वर्ष के लगभग अन्त में प्रारम्भ किए। निगम का पंजीकृत कार्यालय, चर्मकला भवन, हींग की मण्डी आगरा में स्थित है।

पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूंजी एक करोड़ रुपए की है। प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष 1974–75 व 1975–76 में इसकी प्रदत्त पूंजी 25 लाख रु0 थी जो निम्नवत् बढ़कर 88 लाख रुपया हो गई–

वर्ष	प्रदत्त पूंजी (लाख रुपए में)
1979–80	67
1980–81	67
1981–82	88

इसके अतिरिक्त आन्तरिक साधन और दीघ्रकालीन ऋण मिलाकर स्थिति निम्न प्रकार से है–

विवरण	1979–80	1980–81	1981–82
आन्तरिक साधन	8.29	13.02	20.15
दीर्घकालीन ऋण–			
1– राज्य सरकार से	–	6.77	8.64
2– संस्थागत ऋण	–	–	33.45
योग–	75.29	86.79	150.24

प्रबन्धक :

निगम के निदेशक मण्डल में एक अंशकालिक अध्यक्ष (उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव) हैं तथा एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक मिलाकर आठ सदस्य हैं।

उद्देश्य :

निगम की स्थापना के पार्षद सीमा नियम में संकलित उद्देश्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(1) मुख्य उद्देश्य,

(2) आकस्मिक उद्देश्य,

(3) अन्य उद्देश्य।

ये तीनों मुख्य द्वितीयक उद्देश्यों की एक लम्बी सूची को परिभाषित करते हैं जो कुटीर क्षेत्र के चर्म एवं चर्म वस्तुओं के उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इस लम्बी सूची को निम्नवत् संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है–

(1) नवीन कुटीर जूता उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान करना, वर्तमान इकाइयों की कार्य पद्धति में सुधार लाना तथा कुटीर क्षेत्र के जूता निर्माताओं के उत्पादन एवं विपणन की विधियों का विकास करना।

(2) उत्तर प्रदेश में कुटीर क्षेत्र के जूता उद्योग के विकास की गति को तीव्र करने के लिए तथा आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए उन प्रतिष्ठानों जिन्हें कम्पनी आवश्यक समझती है, यथा डिजाइन केन्द्र, माल का डिपो इत्यादि।

(3) उन संस्थाओं की सहायता करना जिन्हें कम्पनी कुटीर क्षेत्र के जूता उद्योग के विकास की सुविधा तथा तीव्र करने के लिए आवश्यक समझती है।

(4) जूता बनाने में सहायक विभिन्न प्रकार के यंत्रों, उपकरणों, साज–सज्जा तथा कच्चे माल का क्रय–विक्रय, उत्पादन, आयात तथा निर्यात करना।

(5) नई–नई विधियों का पता लगाने के लिए शोध कार्य तथा वर्तमान चर्मशोध तथा जूता निर्माण तथा डिजाइन, कार्य करने की शैली संगठन, विपणन तथा विक्रय प्रणाली और तत्सम्बन्धित व अन्य कार्य कलापों में सुधार आ सके।

(6) जूता निर्माताओं के प्रशिक्षण के लिए तथा नई प्रविधि में निपुण करने के लिए आवश्यक कदम उठाना ताकि वे अच्छे किस्म का जूता बना सकें।

(7) भारत तथा भारत के बाहर जूते की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार की प्रवृत्तियों का अध्ययन कराना तथा उपभोक्ताओं की पसन्द की जानकारी एकत्र कराना।

(8) जूते की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार–प्रसार करना।

(9) कुटीर जूता उद्योग के विकास से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।

(10) चमड़े पर आधारित खेल सामग्री उद्योग का विकास करना।

(11) सहायक उद्योग जैसे सह–उत्पादों, रसायनों, रबर, सरेस, मोची के सामान आदि का विकास करना।

(12) कुटीर और लघु उद्योग क्षेत्र में निर्मित उत्पादों को प्राप्त करना और उनका क्रय–विक्रय करना।

(13) विद्यमान इकाइयों और प्राविधिक रूप से योग्यता सम्पन्न उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित करके चर्मकला संकुलों के अन्तर्गत आने वाले कतिपय क्षेत्रों का विकास करना।

(14) प्राविधिक, आर्थिक तथा समाजकल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों के आधीन कार्यकारी

प्रौद्योगिक आस्थान खोलना।

(15) वित्तीय सहायता प्राप्त करने, किराया के आधार पर मशीनें प्राप्त करने, आधुनिकीकरण आदि के लिए चर्मोद्योग को सहायता प्रदान करना।

(16) पशु नस्ल और चर्म तथा त्वचा की गुणवत्ता में सुधार सहित समस्त सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों के कार्यक्रमों को समन्वित रखना।

निगम के कार्यकलाप एवं सफलताएँ :

उपरोक्त उद्देश्य को पूर्ति के लिलए निगम ने अपने कार्यक्रमों को निम्न विभागों में विभाजित किया है–

(1) क्रय विभाग

(2) उत्पादन विभाग

(3) कच्चा माल डिपो

(4) विकासात्मक विभाग

(1) क्रय विभाग :

निर्बल वर्ग के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अपने उत्पाद हेतु निरन्तर विपणन स्रोत खोजने की है। यह विभाग उत्तम प्रकार के कच्चे माल, फर्मे, पैटर्न, डिजाइन एवं तकनीकी सहायता के आधार पर लघु एवं कुटीर क्षेत्र से जूतों का उत्पादन कराकर उसके क्रय की व्यवस्था करता है तथा विपणन का प्रबन्ध करता है। निगम द्वारा विक्रय हेतु निम्न विधियाँ अपनाई हैं–

(1) शासन/सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों से प्रतियोगिता के आधार।

(2) जूतों की बिक्री के लिए नियुक्त विक्रय प्रतिनिधियों के माध्यम से।

(3) फ्रेन्चाइस आधार पर बिक्री केन्द्रों द्वारा।

(4) निजी बिक्री केन्द्रों द्वारा।

निगम ने विपणन समर्थन निम्न प्रकार से तीन वर्षों में प्रदान किए हैं–

वर्ष	1979–80	1980–81	1981–82
क्रय–विक्रय	12.65	23.71	21.66 (दिस. तक)
लाभान्वित	915	1255	1100 (दिस. तक)

निगम ने अभी हाल में निर्यात व्यापार में प्रवेश किया है तथा कुछ समुद्र पारीय आदेश भी प्राप्त कर लिए हैं तथा अन्य देशों से प्रयास जारी है। रूस इनमें से प्रमख आयातकर्ता है।

(2) उत्पादन विभाग :

क्रय–विक्रय ही नहीं वरन् निगम ने उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य किया है जहाँ विशिष्ट तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए निगम ने यू0पी0एस0 आई0सी0 द्वारा हस्तांतरिक पायलेट प्रोजेक्ट का कतिपय नवीन मशीनरी द्वारा सुसज्जित करने तथा पुराने मशीनों की मरम्मत कराकर यूनिट के रूप में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। 1981–82 वर्ष के प्रारम्भ में निगम ने इस यूनिट का फुटवियर कम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित कर दिया।

इस फुटवियर कम्प्लेक्स (संकुल) में निगम ने शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति के कलाकारों को व सहकारी समितियों के गहन को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक सुविधाएँ प्रदान कराई हैं। ताकि औद्योगिक अवसरों का वे सम्यक् उपयोग कर सकें। इस दिशा में निगम की प्रगति एवं सफलता निम्न प्रकार से रही–

वर्ष	1979–80	1980–81	1981–82
विक्रय	54.87	53.41	42.42 (दिस. तक)

विशेष :

इस संस्था द्वारा इस वर्ष 1987 के मई के महीने तक 3.85 लाख रुपयों का व्यापार किया। इसमें नागरिक क्षेत्र में 2.62 लाख रुपए की तथा कच्चे माल की 24 हजार रुपए की बिक्री हुई। इसके अतिरिक्त निगम के पास 174.50 लाख रु0 मूल्य के सामान के आदेश हैं निगम जूता

निर्माताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि वे आधुनिक प्रकार के जूते बना सकें। इसके लिए इस वर्ष 4.23 लाख रु0 की व्यवस्था की गई है। (दैनिक जागरण, कानपुर, दिनाँक 12.06.1987)।

इसी सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग निगम के आधीन फैजाबाद में स्थापित माइक्रो सर्विस सेन्टर को राज्य सकरार ने 20 लाख 40 हजार रु0 का अनुदान मंजूर किया है। अनुदान का उद्देश्य संस्था को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना है। धनराशि का उपयोग तकनीकी क्षमता बढ़ाने व अधिक उपयोगी मशीनो के लगाने में किया जायेगा। (13 जून, दैनिक जागरण, पृ0 7)।

(3) कच्चा माल डिपो :

जूता क्रमिकों की एक प्रमुख समस्या उचित दरों पर श्रेणीकृत कच्चा माल की उपलब्धि है। इसके विवरणार्थ निगम द्वारा आगरा, मुरादाबाद, जगदीशपुर तथा फैजाबाद में एक–एक कच्चा माल डिपो स्थापित किया गया है। कच्चा माल विभाग की उपलब्धि निम्न प्रकार से रही–

वर्ष	1979–80	1980–81	1981–82
क्रय–विक्रय	7.52	33.40	22.66
लाभान्वित	950	1450	990

(4) विकासात्क विभाग :

इस विभाग के कार्यकलाप चार भागों में विभाजित हैं–

(1) डिजाइन एण्ड डेवपलमेन्ट सेन्टर, आगरा।

(2) सामूहिक सुविधाएँ।

(3) प्रशिक्षण केन्द्र।

(4) अन्य सामूहिक सुविधाएँ।

निगम द्वारा सामूहिक सुविधाओं हेतु कानपुर तथा फैजाबाद में दो केन्द्र स्थापित किये हैं ओर दो करने जा रहा हूँ। निगम द्वारा प्रदान की गई सुविधा इस प्रकार है–

वर्ष	1979–80	1980–81	1981–82
प्रदत्त सामूहिक सुविधा	.04	1.11	1.34
लाभान्वित	87	812	221

निगम की कार्य समीक्षा का वित्तीर्ण मूल्याँकन :

निगम के कार्य का वित्तीय मूल्यांकन निम्न प्रकार से है–

तालिका संख्या – 48

(लाख रुपयों में)

वर्ष	पूँजी	शुद्ध प्राप्ति	शुद्ध व्यय	लाभ/हानि
1974–75	25.00	8.00	9.45	–1.45
1975–76	6.00	30.00	31.82	–1.82
1976–77	6.00	37.44	37.88	–1.44
1977–78	6.00	45.07	44.56	–0.51
1978–79	30.00	71.84	69.97	–1.07
1979–80	–	94.86	85.70	9.16
1980–81	3.00	111.43	115.14	–3.71

स्रोत : पूर्वलिखित, पृ0सं0 53।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 1981–82 में 3.71 लाख रुपए की हानि हुई परन्तु इसके पश्चात् 1980–81 में लगभग 3.71 लाख रु0 का लाभ अर्जित किया। प्रदत्त पूँजी धीरे–धीरे बढ़कर 88 लाख रुपए हो गई जबकि 108.44 लाख रुपए की धनरांशि बैंकों पी0एल0ए0 में अनुपयोगित पड़ी रही जो प्रदत्त पूँजी का लगभग 123.23 प्रतिशत है।

कार्यशील पूँजी में गतवर्ष की तुलना में 258.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बहुत कम है।

तालिका संख्या – 49
परिचालन कार्य सम्पादन

(लाख रुपयों में)

क्र.	विवरण	1979–80	1980–81	1981–82
1.	कच्चेमाल की बिक्री	7.52	33.40	50.33
2.	फुटवियर / बूट	66.07	76.07	121.63
3.	हेण्डग्लब्ज	0.81	1.05	0.10
4.	अन्य बिक्री	0.26	0.35	16.27
5.	ब्याज से आय	0.57	0.30	0.11
6.	अन्य आय	0.11	0.26	0.36
	योग	75.70	111.43	188.80

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 35।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। विदेशों में विशेषकर ठण्डे प्रदेशों में निगम के विक्रय में वृद्धि हुई है। प्रायः ऐसा भी हुआ है कि विदेशों को भेजा गया माल किसी न किसी छोटे–मोटे कारणों को बताकर वापिस कर दिया गया है जो निगम की हानि का एक विशेष कारण रहा है। इसी कारण से निर्यात प्रारक्षित निधि होने के बावजूद लाभांश घोषित नहीं किया गया और न ही राज्य सरकार के प्रदत्त ऋणों पर 0.86 लाख रुपए का ब्याज का भुगतान नहीं कर सके। वर्ष 1981–82 में लगी पूँजी की तुलना में पिछले तीन वर्षों के लाभ / हानि को प्रतिशत निम्न प्रकार से रहा–

वर्ष	लाभ का प्रतिशत (लाख रु0 में)
1979–80	12.41
1980–81	–4.82
1981–82	4.44

उत्तर प्रदेश चर्म विकास निगम को पिछले पाँच वर्षों में 205.32 लाख अर्थात् दो करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है। घाटे का मुख्य कारण विकासात्मक योजनाओं से कोई अग्रिम लाभ न होना तथा व्यय भार निगम पर पड़ना, तथा छोटी–छोटी इकाइयों को स्वीकृत धनराशि

देना तथा कच्चे माल का मूल्य वापस न होना। इसके साथ–साथ अर्थाभाव के कारण परियोजनाओं के समय से प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ का न मिलना बताया जाता है।

समस्याएँ :

निगम की प्रमुख समस्याएँ निम्नवत् हैं–

(1) माल का तुरन्त विक्रय न होना।

(2) उचित दरों पर श्रेणी कृत कच्चे माल की उपलब्धि न होना।

(3) लौटाए माल को हानि पर बेचना।

भावी योजनाएँ :

छठीं पंचवर्षीय योजनाओं में निगम ने जो लक्ष्य रखे थे वे सभी पूरे हो गए तथा 1981–82 तक 1085 लाख रुपए का माल उत्पादित करने और बेचने का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया। इस योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम निर्यात में वृद्धि करना है। निगम द्वारा एक अति महत्वपूर्ण लक्ष्य, सामाजिक दायित्वों को पूरा करना है जो यह पूरा कर रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, लखनऊ :

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत 23 मार्च, 1964 को एक सरकारी कम्पनी के रूप में नियमित किया गया था। कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण पत्र 27 मार्च 1974 को जारी किया गया। इस निगम का पंजीकृत कार्यालय बी–52, मन्दिर मार्ग, महानगर एक्सटेन्शन, लखनऊ–6 में स्थित है।

पूँजी :

निगम की पूँजी का विवरण निम्नवत् है–

विवरण	1974–75	1979–80	1980–81	1981–82
अधिकृत पूँजी (लाख रुपयों में)	200.00	1000.00	1000.00	1500.00
प्रदत्त पूँजी	30.00	534.00	684.00	894.00
आरक्षित एवं अतिरिक्त पूँजी	0.09	26.45	37.37	46.73
योग	30.09	560.45	721.37	940.73

प्रबन्ध :

निगम का एक अंश कालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक है। इसके निदेशक मण्डल में 9 निदेशक हैं।

संगठन :

निगम द्वारा तीन शाखा कार्यालय स्थापित किये हैं जो निम्नवत् हैं–

(1) मंसूरी, जनपद देहरादून।

(2) विली, जनपद मिर्जापुर।

(3) मानिकपुर, जनपद बाँदा।

ये कार्यालय क्रमशः माइनिंग इन्जीनियर, माइन्स मैनेजर और सहायक माइनिंग इन्जीनियर द्वारा चलाये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त चार अन्य अधिकारी भी हैं।

उद्देश्य :

निगम ने अपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से अपने लिए निम्नलिखित आधारभूत उद्देश्य तथा कार्य निर्धारित किए हैं–

(1) उत्तर प्रदेश में तथा अन्यत्र, सभी बड़े एवं छोटे खनिजों को खोदने तथा उनके विकास का कार्य आरम्भ करना। खनिज कर्म सामान्य तथा सभी शाखाओं में तथा सभी पहलुओं से करना।

(2) राज्य में खनिज विकास से संबंधित सभी कार्य प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करना।

(3) उत्तर प्रदेश में अथवा अन्यत्र किसी भी खान तथा खनिज वाली भूमि को अर्जित करना, क्रय करना, पट्टे पर लेना और उस पर कार्य करना।

(4) खानों, खनिजों और खनिज पदार्थों का विकास करने में सहायता देना, उनके लिए वित्त व्यवस्था करना। उन्हें बढ़ावा देना अथवा उनके विषय में परामर्श देना।

निगम के कार्यकलाप एवं सफलताएँ :

निगम द्वारा 1981–82 तक चलाई जाने वाली योजनाओं की प्रगति एवं कार्य स्थित

व सफलता निम्न प्रकार से है–

(1) लम्बीधार खान परियोजना, मंसूरी, जिला देहरादून :

यह खदान मंसूरी के पश्चिम में लगभग 6 किमी0 की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना को 8.20 लाख रुपए की लागत से 4.5 लाख टन विभिन्न श्रेणी के लाइम स्टोन मार्बिल हेतु विकसित किया गया है। क्रेशर द्वारा तोड़ा गया माल रोपवे द्वारा देहरादून जनपद के पुरकुल गाँव तक लाया जाता है और तब ग्राहकों को बेचा जाता है। इस योजना के सफल संचालन हेतु विद्युत व जल आपूर्ति विभिन्न योजनाओं से की जा रही है। वर्ष 1981–82 में 90000 टन उत्पादन का लक्ष्य था जो लगभग प्राप्त कर लिया गया।

(2) कैल्शियम कार्बाइड परियोजना, देहरादून :

इस परियोजना के अन्तर्गत निगम ने अपनी एक सहायक सम्पनी उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड कैमिकल लिमिटेड पूर्ण अंश पूँजी स्वामित्व के आधार पर स्थापित की है। परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता 21 हजार टन कैल्शियम कार्बाइड उत्पादन की है। योजना की पुनरीक्षित लागत रु0 1072.00 लाख हैं जिसमें निगम की अंश पूंजी व केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं का ऋण शामिल है।

(3) भलुआ लाइम स्टोन खान, चोपान, जनपद मिर्जापुर :

इस खान को फरवरी 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निम से हस्तांतरित किया गया था। अब इस खान से प्रति वर्ष लगभग 300000 टन ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड लाइन स्टोन पत्थर विभिन्न स्पात संयंत्रों की पूर्ति हेतु विकसित किया जा रहा है।

(4) बारी डोलोमाइट खान, चोपान, जनपद मिर्जापुर :

इस खान को वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने इस निगम को हस्तांतरित किया था। वर्ष 1981–82 में इसके द्वारा लगभग 60000 टन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया।

निगम द्वारा संचालित निम्न अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं–

(5) निधा मार्बिल खान, ओबरा, जनपद मिर्जापुर।

(6) रजहुआं बाक्साइट खान, मानिकपुर, जिला बाँदा।

(7) सिलका सैण्ड परियोजना, शंकरगढ़, जिला इलाहाबाद।

(8) राक फास्पेट परियोजना, ललितपुर।

(9) सिन्थेटिक एमरी प्रोजेक्ट मानिकपुर, बाँदा।

(10) एल्यूमिना रिपेंक्टरीज प्रोजेक्ट, रायबरेली।

इन उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त निगम–

(अ) व्हाइट सीमेन्ट प्लान्ट।

(ब) नीलाईट बैनीफिशियन्स रिफेक्टरीज, इलैक्ट्रो सिरेमिक लाइम प्रोजेक्ट आदि सम्मिलित हैं।

(स) प्रदेश में खनिजों के सुनियोजित विकास एवं उत्खनन हेतु खनिज उद्योग की स्थापना का नई–नई परियोजनाओं के सृजन हेतु निगम द्वारा शोध एवं विकास कार्यक्रम चलाये जाते हैं। जिसमें प्रदेश में तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन आदि अन्य खनिजों की खोज व शोध दोनों के लिए प्रयास किये जाते हैं।

तालिका संख्या – 50

निगम के तीन वर्षों का लेखों का विश्लेषण

(लाख रुपयों में)

उपलब्ध साधनों का उपयोग	1979–80	1980–81	1981–82
(1) सकल सम्पत्ति	47.55	73.54	131.56
(2) निर्माणाधीन सम्पत्ति	32.75	78.41	171.40
(3) कार्यशील पूंजी	257.61	266.33	303.93
(4) विनियोग	222.54	303.10	327.84
योग	560.45	721.37	940.73
सरकार द्वारा लगाई गई निधि	534.00	684.00	894.00
निबल मूल्य (वर्षान्त में)	526.03	663.14	850.24
प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	287.15	315.58	403.63
निबल मूल्य (औसतन)	452.67	588.05	742.72
प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	332.15	301.27	359.67
कार्यचालन परिणाम (उत्पादन/कार्यपालन की लागत)	86.45	113.01	93.66
निर्मित माल	7.21	–2.00	22.92
उत्पादन/कार्यचालन मूल्य	93.60	111.01	111.50
उत्पादन/कार्यचालन पर लागत	87.39	102.19	111.36
सकल लाभ/हानि	6.27	8.82	0.22
शुद्ध लाभ/हानि	6.27	8.82	0.22
गत वर्ष की तुलना में उन्नति/अवनति (प्रतिशत)–			
सकल परिसम्पत्ति	11.15	54.66	78.90
शुद्ध परिसम्पत्ति	–0.17	66.72	102.44
शुद्ध चालू पूंजी	–25.88	3.38	14.12
कुल आय	–17.34	30.72	–17.12
कुल व्यय	–19.27	29.95	–10.32
सकल लाभ/हानि	19.66	40.67	87.5
शुद्ध लाभ हानि	19.66	40..67	97.51

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 145–148।

तालिका संख्या – 51
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के विभिन्न वर्षों के लाभ/हानि का समेकित विवरण

वित्तीय वर्ष	लाभ हानि (लाख रुपए में)	
	टैक्स के पूर्व	टैक्स के पश्चात्
1977–78	–3.04	–3.04
1978–79	–5.24	–5.24
1979–80	–3.41	–3.41
1980–81	–5.68	–2.32
1981–82	0.22	0.22

यद्यपि वर्ष 1981–82 में शुद्ध लाभ 0.22 लाख रुपपया हुआ फिर भी कुल निर्धारित लक्ष्य रु0 4.50 लाख रुपया के विरुद्ध मात्र 2.28 लाख रुपया का उत्पादन किया गया जो 50.66 प्रतिशत ही है। जब कि इसे बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता था तथा इससे सकल व शुद्ध लाभ भी अधिक हो जाता। बढ़ हुए साधनों का उपयोग मुख्यतया निर्माणाधीन सम्पत्ति को ही बढ़ाने के लिए किया गया जो कि नये क्षेत्रों की खोज और विकास में लगाया जाना चाहिए था।

स्थूल और शुद्ध लाभ के आंकड़े देखने से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक वर्षों में अनुभव की कमी होने के कारण निगम को घाटा उठाना पड़ा परन्तु 1978 से 1982 तक उत्तरोत्तर लाभार्जन की स्थिति से स्पष्ट होता है कि पिछली कमियों व गल्तियों को समाप्त कर निगम प्रगति के मार्ग पर सुदृढ़ कदम रख आगे बढ़ रहा है नये क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहा है।

निगम की निर्वाध प्रारक्षित निधि पर्याप्त है जो इसकी ठोस वित्तीय स्थिति का परिचायक है परन्तु इतना होने पर भी निगम द्वारा कोई लाभांश 1979–80 से 1981–82 तक घोषित नहीं किया गया।

अन्ततः निगम की 1981–82 में कुल लगी पूंजी 403.63 लाख की तुलना में लाभ का प्रतिशत यद्यपि उत्तरोत्तर कम हुआ है फिर भी लाभ की स्थिति बनी रही जो निम्न प्रकार से है–

वर्ष	1979—80	1980—81	1981—82
लाभ का प्रतिशत	2.18	2.79	0.05

(ग) उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊः

यह निगम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के आधीन 15 मार्च 1977 को एक सरकारी कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसको कार्य करने का प्रमाण पत्र जून 1977 के पहले सप्ताह में जारी किया गया।

पूँजी :

निगम की पूँजी का ब्यौरा निम्नवत् है—

विवरण	1981—82	1980—81	1979—80
उपलब्ध साधन तथा उपयोग—			
(1) अधिकृत पूंजी	100.00	100.00	100.00
(2) प्रदत्त पूंजी	60.00	60.00	60.00
(3) निर्बाध प्रारक्षित	7.12	5.35	2.77
(4) मूल्य ह्रास	3.47	2.35	0.49
(5) दीर्घकालीन राज्य सरकार से ऋण	94.80	93.82	92.95
(6) अन्य ऋण	6.80	6.80	6.80
योग	172.19	168.32	163.01

स्रोत : पूर्वलिखित।

प्रबन्ध :

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इस निगम के अंशकालिक अध्यक्ष हैं और नियोजन विभाग के सचिव इसके अंशकालिक प्रबन्धन निदेशक हैं। अध्यक्ष और निदेशक को सम्मिलित करके निदेशक मण्डल में 12 निदेशक हैं। ये सभी सरकारी पदाधिकारी हैं।

उद्देश्य :

स्थापना के समय इस निगम के निम्नलिखित उद्देश्य तय किये गये थे—

(1) शुल्य या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक लेकर विभिन्न सरकारी विभागों, एजेन्सियों या संस्थाओं को आधुनिक प्रबन्धकीय तरीकों द्वारा योजनाएँ बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में सहयोग तथा सलाह देना।

(2) विशेषज्ञों एवं अनुभवी व्यक्तियों का एक समूह बनाना और विकास योजनाएँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने, आधुनिक प्रबन्ध प्रणाली लागू करने ओर संगत गुणात्मक तथा परिणात्मक सूचना एकत्र करने, विधायन करने, संग्रह करने, जाँच पड़ताल करके पुनः प्राप्त करने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों, अभिकरणों और संस्थाओं से शुल्क प्राप्त कर या निःशुल्क सहायता देना तथा परामर्श देना।

(3) विभिन्न प्रयोजनाओं, क्षेत्रों या विकास क्षेत्रों के संबंध में स्वयं या अन्य संगठनों, अभिकरणों, संस्थाओं या व्यक्तियों के सहयोग से या उनके माध्यम से अन्वेषणात्मक, मूल्य निर्धारण संबंधी विश्लेषणात्मक तथा औद्योगिक आर्थिक अध्ययन अग्रगामी क्रियात्मक शोध प्रायोजनाएं और सर्वेक्षण करना।

(4) एकीकृत योजनाएँ आरम्भ करना या उन्हें तैयार करने में सहायता देना और उनके कार्यान्वयन की देखरेख करना।

(5) त्वरित तथ कुशल प्रबन्ध से संबंधित विचारों तथा प्राविधानों के प्रसार को बढ़ावा देना।

(6) समंकों को सम्भाल कर रखने वाली तथा उसकी संगणना करने वाली किसी प्रकार की ऐसी सेवा को स्वतंत्र रूप से या अन्य व्यक्तियों आदि के सहयोग से गठित करना, स्थापित करना, उनका प्रबन्ध करना तथा उसे चलाना जिससे कम्पनी की राय में विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों को सहायता मिलने की संभावना हो।

तालिका संख्या – 52

उ0प्र0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के लेखों का विश्लेषण

(लाख रुपयों में)

(1) साधनों का उपयोग	1981–82	1980–81	1979–80
(क) सकल परिसम्पत्ति	8.68	6.27	2.83
(ख) कार्यशील पूंज	163.39	161.91	160.02
(ग) अस्थगित संचालन व्यय	0.12	0.14	0.16
योग	172.19	168.32	163.01
(2) सरकार द्वारा लगाई निधि (वर्षान्त में)–			
(क) निबल मूल्य (वर्षान्त में)	154.80	153.83	152.95
(ख) प्रयुक्त पूंजी (वर्षान्त में)	168.60	165.83	162.36
(ग) निबल मूल्य (औसतन)	66.11	63.91	63.50
(घ) प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	167.22	164.10	162.76
(3) कार्यचालन परिणाम (उत्पादन)–			
(क) बिक्री/कार्यचालन से आय	33.45	41.13	14.80
(ख) ब्याज से आय	2.03	2.41	3.75
योग	35.48	43.54	18.55
(4) उत्पादन कार्यपालन पर लागत–			
(क) मजदूरी वेतन व प्राविधान	21.03	27.28	8.19
(ख) अन्य व्यय	5.36	9.22	4.73
(ग) मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था	1.12	0.90	0.49
योग	27.51	37.40	13.40
(5) सकल लाभ/हानि (3–4)	7.97	6.19	5.14
(6) लाभ/हानि ब्याज लगाने के बाद	7.97	6.19	5.14
(7) कर के लिए व्यवस्था	4.49	3.60	2.97
(8) शुद्ध लाभ/हानि (5–6)	3.48	2.54	2.17

स्रोत : पूर्वलिखित।

उपर्युक्त आंकड़ों के देखने से स्पष्ट है कि 1979–80 से 1981–82 तक उत्तरोत्तर निगम के लाभ में वृद्धि हुई है जो निगम की सफलता का परिचायक है। वर्ष 1982 के मध्य निगम के पास विभिन्न संस्थाओं के योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन के 15 अनुबन्ध थे।

वर्षान्त 1981–82 में 253.06 लाख की धनराशि बैंकों तथा पी0एल0ए0 में तरल कोषों के रूप में बेकार पड़ी रही जिसका सदुपयोग किया जा सकता था।

कार्यचालन से आय गत वर्ष 43.54 लाख की तुलना में घटकर आलोच्य वर्ष 1981–82 में 35.48 लाख हुई परन्तु शुद्ध लाभ 2.54 लाख की तुलना में बढ़कर 3.48 लाख रु0 हुआ।

इस प्रकार निगम प्रदेश की उन 20 महत्वपूर्ण संस्थाओं में से है जिसने वर्षानुवर्ष लाभार्जन किया है परन्तु निर्वाध प्रारक्षित निधि निम्नवत् होने पर इसने कोई लाभांश घोषित नहीं किया–

तालिका संख्या – 53

वर्ष	निर्वाध प्रारक्षित निधि
1979–80–80	2.77 लाख रुपया
1980–81	5.35 लाख रुपया
1981–82	7.12 लाख रुपया

अन्ततः 1981–82 में लगी पूंजी 168.60 पर लाभ की प्रतिशतता निम्न प्रकार से रहा–

वर्ष	लाभांश प्रतिशत
1979–80	3.17
1980–81	3.70
1981–82	4.73

समस्या :

यद्यपि निगम द्वारा उत्तरोत्तर लाभार्जन किया है और ज्ञात सूचना के आधार पर नये–नये क्षेत्रों में प्रवेश कर लाभांश का प्रतिशत बढ़ाया है फिर भी एक गम्भीर समस्या का सामना

इसे बराबर करना पड़ा है और वह समस्या निम्न प्रकार की है–

जब कभी किसी भी नये क्षेत्र में खुदाई कराना होती है तो निगम को दादा जैसे स्थानीय ठेकेदारों से सामना करना पड़ता है और अन्ततः उनसे हारकर ही अधिक रकम चुकाकर ठेका उन्हीं को देना पड़ता है, जो मनमानी तरीके से, समय का ध्यान न रखकर और न उनकी कार्यविधि से होने वाली हानिक की भी उपेक्षा कर कार्य करते हैं जिससे जो लाभ और अधिक हो सकता है नहीं हो पाता तथा समय भी प्रायः अधिक लग जाता है। यद्यपि निगम के अपने लोग होते हैं परन्तु वे स्थानीय कुप्रभाव एवं दबाव के कारण कुछ अपने ढंग से कार्य करने से वंचित रह जाते हैं।

(घ) अन्य स्थापित एवं संचालित एवं निर्माणाधीन उपक्रम :

इस समय प्रदेश में 57 सार्वजनिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। जिनमें से 20+6 (केन्द्रीय) का विशद विवेचन पिछले अध्यायों में किया गया है तथा यह बीस उद्योग विभिन्न प्रकार के वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कार्यरत एवं निर्माणाधीन प्रादेशिक सार्वजनिक प्रतिष्ठान निम्नवत् हैं जिनकी विभागवार सूची निम्नवत् है–

क्र.सं.	विभाग का नाम	उपक्रमों की संख्या
1.	उद्योग विभाग	14
2.	क्षेत्रीय विकास विभाग	10
3.	चीनी एवं गन्ना विकास विभाग	05
4.	कृषि विभाग	03
5.	पर्वतीय विकास विभाग	03
6.	पशुधन विभाग	03
7.	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	03
8.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	02
9.	खाद्य एवं रसद विभाग	02
10.	आवास एवं नगर विकास विभाग	02
11.	ऊर्जा विभाग	02

12.	परिवहन विभाग	01
13.	वन विभाग	01
14.	सिंचाई विभाग	01
15.	नियोजन विभाग	01
16.	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	01
17.	सहकारिता विभाग	01
18.	पर्यटन विभाग	01
19.	पंचायती राज विभाग	01

तालिका संख्या – 54

राज्य के अन्य लोकोपक्रमसें कस विभागवार संक्षिप्त विवरण 1981–82 के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम (विभागवार)	प्रदत्त पूंजी	शासकीय ऋण	कुल विनियो. धनराशि	करोपरांत लाभ/हानि	शासकीय ऋण पर ब्याज	योग	प्रदत्त पूंजी की तुलना में करो–परांत लाभ/हानि	बिक्री कार्य चालन से आय	शुद्ध संचित घाटा अस्थगित संचालन व्यय(–) निर्बाध प्रारक्षित निधि
1.	उद्योग विभाग									
	उ0प्र0 निर्यात लि0, कानपुर	163.18	60.98	224.14	8.19	18.02	16.21	5.02	584.93	–
2.	कृषि विभाग									
	यू.पी.हाटीकल्चर प्रोड्यूस एण्ड नार्केटिंग कार्पो.लि., लखनऊ	30.00	45.00	75.00	–30.55	–	–30.55	–101.83	14.84	112.34
3.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि.,लखनऊ	130.00	–	130.00	–3.96	–	(5)3.96	–3.05	5.33	11.92
	पर्वतीय विकास विभाग–									

4.	कुमायूँ मण्डल वि.नि.लि. नैनीताल	216.00	105.00	321.00	0.61	2.61	2.90	0.28	211.14	–
5.	गढवाल मण्डल वि.नि.लि.देहरादून	215.00	185.62	410.82	–1.46	–	–1.48	0.69	189.79	17.05
6.	उपाय लि., लखनऊ	17.01	–	17.01	–0.20	–	–0.20	1.18	–	2.89
	पशुधन विभाग									
7.	उ.प्र. पशुधन उद्योग नि.लि.अलीगढ़	65.05	10.00	75.05	–3.32	1.25	–2.07	–3.18	102.38	30.07
8.	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम कर्वी (बाँदा)	50.00	–	50.00	–0.38	–	–0.38	–0.38	6.80	51.16
9.	उ.प्र.मत्स्य विकास निगम लि.,लखनऊ	59.16	–	59.16	–1.25	–	–1.25	–1.25	9.41	1.66
	पंचायती राज विभाग									
10.	उ.प्र.पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	80.66	15.20	95.86	3.14	1.09	4.23	3.89	–	–
	सहकारिता विभाग									
11.	उ.प्र. राज्य भण्डारागार नि., लखनऊ	405.50	–	405.50	117.17	–	117.17	28.70	565.47	–
	क्षेत्रीय विकास विभाग									
12.	बुन्देलखण्ड विकास निगम लि., झाँसी	98.30	–	98.30	(5)4.58	–	–4.58	–4.66	16.01	58.10
13.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड, इलाहाबाद	55.00	–	55.00	–0.57	–	–0.07	–1.04	87.87	0.25
14.	मेरठ मंडल विकास निगम लि., मेरठ	100.00	–	100.00	2.13	–	2.13	2.13	20.48	–
15.	गोरखपुर मंडल विकास निगम लिमिटेड, गोरखपुर	87.03	–	87.03	–11.10	–	–11.10	12.75	42.19	48.47
16.	मुरादाबाद मंडल विकास निगम लि0 मुरादाबाद	20.00	–	20.00	0.05	–	0.05	0.25	2.59	–
17.	वाराणसी मंडल विकास निगम लि. वाराणसी	55.00	–	55.00	–0.29	–	–0.29	0.50	21.76	3.64
18.	लखनऊ मंडल विकास निगम लखनऊ	50.00	–	50.00	–0.29	–	0.29	0.50	21.76	3.64
19.	आगरा मंडल विकास निगम	100.00	–	100.00	–8.70	–	–8.70	8.70	33.12	5.31

	लिमिटेड, आगरा									
20.	पूर्वांचल विकास निगम लि. फैजाबाद	100.00	–	100.00	–7.74	–	–7.74	3.87	69.72	23.30
21.	पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लि.	अप्राप्त	–	अप्राप्त	अप्राप्त	–	–	–	अप्राप्त	अप्राप्त
	चीनी एवं गन्ना विकास विभाग									
22.	उ.प्र. (पश्चिमी) बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, मुरादाबाद	16.95	–	1985	–8.77	–	8.77	51.74	10.83	6.56
23.	उ0प्र0 (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	14.33	–	14.33	0.52	–	0.52	3.63	2.72	6.56
24.	उ0प्र0 (मध्य गन्ना) बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	14.66	–	14.66	0.53	–	0.53	3.62	–	–
25.	उ.प्र. (रुहेलखंड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0, इज्जतनगर बरेली	23.84	–	23.84	2.61	–	2.61	10.95	3.67	–
	ऊर्जा विभाग									
26.	उ0प्र0 रज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ	100.00	1295.00	1395.00	निर्माणाधीन	–	2.61	10.95	3.67	–
	सार्वजनिक निर्माण विभाग									
27.	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि. लखनऊ	150.00	–	150.00	317.00	–	317.00	211.33	5572.00	–
28.	उ.प्र. राजकीय निर्माण नि.,लखनऊ	100.00	–	100.00	21.65	–	21.65	21.65	2560.78	–
	आवास एवं नगर विकास विभाग									
29.	उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	–	8423.58	8423.58	–143.45	अप्राप्त	–143.45	–	787.68	777.09
30.	उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद लखनऊ	–	2280.50	2280.50	32.57	158.97	191.24	–	अप्राप्त	–
	हरिजन एव समाज कल्याण विभाग									
31.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, बरेली	25.00	25.00	50.00	–1.38	–	–1.38	–5.52	–	5.05
32.	उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ	679.47	–	679.43	5.54	–	5.54	0.31	–	6.09

33.	उ0प्र0 हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ	15.00	–	15.00	5.35	–	5.35	35.67	125.78	–
	खाद्य एवं रसद विभाग									
34.	उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु विकास निगम लि0, लखनऊ	50.00	15.00	65.00	30.9	–	30.9	60.98	3562.18	–
35.	उ.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण निगन, लखनऊ	–	17.55	17.55	−1.40	−0.43	–	2916.80	9.73	–
	वन विभाग									
36.	उ.प्र. वन विभाग निगम, लखनऊ	–	91.39	91.39	80.11	–	80.11	–	3425.62	–
	सिंचाई विभाग									
37.	उ.प्र. नलकूप निगम लि., लखनऊ	440.00	–	440.00	2.40	10.06	0.55	–	37.47	–
	पर्यटन विभाग									
38.	उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	94.77	37.61	122.38	132.38	−15.85	–	−15.85	−16.72	28.98

अध्याय सप्तम्

अध्याय–सप्तम्

उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकोपयोगी सेवाएँ (अवस्थापना उद्योग)

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (लखनऊ) :

राज्य के आर्थिक विकास में विद्युत शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, विद्युत शक्ति और यातायात आर्थिक ढाँचे की संरचना के मूल आधार हैं और इनकी कमी, अर्थ व्यवस्था के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। प्रदेश मे विद्युत उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग प्रदेश के उत्पादक क्षेत्रों में लगा हुआ है। विशेष रूप से लगभग 78 प्रतिशत विद्युत उद्योग एवं कृषि क्षेत्र में प्रयुकत होती है। शेष 22 प्रतिशत अन्य सेवाओ में प्रयुक्त होती है। इसकी थोड़ी सी भी कमी राष्ट्रीय आय के विकास में सीधा प्रभाव डालती है। देश एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विकास के संदर्भ में संसाधनों की अल्पता आज भी बनी है और बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्युत शक्ति के क्षेत्र में उत्तरोत्तर पूंजी और मानव शक्ति को बढ़ाकर विद्युत उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया गया है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय अधिनियम के आधीन राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1 अप्रैल 1959 में की गई थी बाद में सरकारी कम्पनी के रूप में अप्रैल 1985 से कार्य करने लगा। इस परिषद का पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ में है। स्थापना तिथि को इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 343 मेगावाट थी।

पूँजी :

परिषद की पूँजी सरकारी ऋण के रूप में है जो दो भागों में विभक्त की जा सकती है–

तालिका संख्या – 55

(लाख रुपए में)

क्र.	विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
1.	आन्तरिक साधन			
	(क) विशिष्ट प्रारक्षित निधि	3671	3642	3529
	(ख) निर्बाध प्रारक्षित निधि	15998	11225	7171
	(ग) मूल्य ह्रास	19835	19835	19829
2.	दीर्घकालीन ऋण			
	(क) राज्य सरकार से	221119	190806	175924
	(ख) संस्थागत ऋण	51987	43222	35927
	(ग) अन्य	2500	2500	2000
	योग	315110	277260	244380

वर्तमान में यह सरकारी ऋण 2224.55 करोड़ रुपया है।

प्रबन्ध :

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ही मात्र एक ऐसी संस्था है जिसने कार्यात्मक आधार पर परिषद का पुनर्गठन प्रयोगात्मक ढंग से किया है। सितम्बर 1974 के अन्त में परिषद का पुनर्गठन किया गया था। इस परिषद में कार्यात्मक आधार पर काम करने वाले पांच पूर्णकालिक सदस्य और दो पदेन सदस्य हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में चेअरमैन ही परिषद का प्रशासनिक सदस्य होता है। बोर्ड का विद्युत उत्पादन संबंधी कार्य सदस्य (उत्पादन), प्रेक्षण एवं वितरण का कार्य सदस्य (टी एण्ड डी), वाणिज्यिक कार्य सदस्य (वाणिज्य) तथा वित्तीय कार्य सदस्य (वित्त एवं लेखा) द्वारा देखा जाता है। राज्य सरकार के विधि सचिव विधिक मामलों के संबंध में सलाह देने के लिए पदेन सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश शासन के वित्त सचिव भी परिषद के पदेन सदस्य हैं।

उद्देश्य और कार्य :

विद्युत परिषद के लिए मुख्यतया निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य निर्धारित किये

गये हैं–

(1) राज्य में जल विद्युत और तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों का निर्माण करना, उन्हें अधिष्ठापित करना तथा संचालित करना तथा ट्रान्समिशन एवं वितरण लाइनों का निर्माण करना।

(2) सम्पूर्ण राज्य में विद्युत प्रेषण वितरण लाइनों का अनुरक्षण करना।

(3) वाणिज्यिक आधार पर विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को विद्युत सम्पूर्ति करना।

(4) भारत सरकार के विद्युत अधिकारी द्वारा विद्युत की भावी आवश्यकताओं आदि का अनुमान लगाने के लिए किये गये भार सर्वेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के लिए व्यापक विद्युत आयोजनाएँ तैयार करना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की ऐसी योजना तैयार और कार्यान्वित करना जिसके अन्तर्गत ग्राम और हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण और राज्य नलकूपों और निजी नल–कूपों या पम्पसेट का विद्युतीकरण भी सम्मिलित है।

(6) विद्युत संबंधी सभी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना।

(7) विद्युत जनन प्रेषण और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों का निर्देशन करना।

(8) विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रबन्ध व्यवस्था में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्तियों के ज्ञानार्जन के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

उत्पादन व सफलताएँ :

प्रदेश में पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में राज्य में विद्युत उत्पादन व वितरित करने वाले केवल गैरसरकारी अनुज्ञप्तिकारी थे और अधिष्ठापित क्षमता लगभग 179 मैगावाट थी। उसी समय राज्य शासन तेजी से कार्यवाही कर रहा था और चतुर्थ आयोजना अवधि के अन्त में इसकी अधिष्ठापित क्षमता 1674 मेगावाट थी जिसमें 600 मेगावाट जल विद्युत और तापीय विद्युत 1074 मेगावाटी थी। प्रदेश की विद्युत की कुल उत्पादित स्थापित क्षमता में निरन्तर वृद्धि हुई है। यह 1959 में 348.73 मेगावाट थी जो 1980–81 में 3712.9 मेगावाट हो गई थी। इस प्रकार वृद्धि के अपेक्षा 11

गुनी हो गई थी। इसी प्रकार 1960–61 में विद्युत उत्पादन 913 मि.यू. था जो 1980–81 में बढ़कर 10,190.49 मि.यू. हो गया। इसमें जल विद्युत का योगदान 33.92 प्रतिशत व तापीय विद्युत का योगदान 66.08 प्रतिशत था। यदि 1974–75 को आधार वर्ष मान लिया जाए तो अगले 6 वर्षों की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित वृद्धि हुई–

वित्तीय वर्ष	स्थापित क्षमता में प्रतिशत वृद्धि
1975–76	12.5 प्रतिशत
1976–77	33.62 प्रतिशत
1977–78	52.38 प्रतिशत
1978–79	62.80 प्रतिशत
1979–80	72.61 प्रतिशत
1980–81	89.68 प्रतिशत

इसी आधार वर्ष के आधार पर वर्ष 1980–81 में तापीय विद्युत में 114.22 प्रतिशत स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई जबकि तापीय उत्पादन में केवल 4719 प्रतिशत वृद्धि हो सकी थी।

विद्युत उपभाग :

यदि उपभोग की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 1960–61 से 20 वर्ष के अन्तराल में उपलब्ध विद्युत व उपभाग या विक्रय विद्युत के आंकड़ों को देखा जाए तो वर्षानुवर्ष शत–प्रतिशत उत्पादन का उपभोग नहीं हुआ। जिससे निरन्तर हानि हुई है–

तालिका संख्या – 56

उपलब्ध विद्युत लाइन से हानियाँ

वर्ष	विद्युत उपलब्धता आयात के साथ मि.यू.	पोषण एवं वितरण मि.यू.	विद्युत विक्रय मि.यू.	उपलब्ध विद्युत की प्रतिशत हानि
1960–61	882	173	663	20.6
1965–66	2,897	478	2,419	16.5
1970–71	5,612	1,692	6,246	21.5
1978–79	9,844	1,915	8,029	18.5
1980–81	9,696	1,499	8,197	57.4

स्रोत : प्रबन्ध............पृष्ठ संख 67।

विद्युत उपयोग के विषय में सामान्य धारण यहीं आज तक कि इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में कृषि के अपेक्षाकृत है परन्तु सत्यता इसके विपरीत है। आज कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। वैसे इन दोनों ही क्षेत्रों पर मिलकर उपलब्ध विद्युत का लगभग 80 प्रतिशत उपभोग होता है शेष 20 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों को मिलता है।

प्रदेश के प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के मामले में अन्य प्रदेशों के अपेक्षा बहुत ही असंतोषजनक सदैव से रही है। वर्ष 1980–81 में उत्तर प्रदेश में अनेक प्रदेशों की तुलना में स्थिति निम्नवत् थी–

वर्ष 1980–81	
उत्तर प्रदेश	87.44 किलो वाट घ0
हरियाणा	212.93 किलो वाट घ0
पंजाब	314.92 किलो वाट घ0
महाराष्ट्र	272.26 किलो वाट घ0
सम्पूर्ण राष्ट्र का औसत	134.82 किलो वाट घ0

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति उपभोग देश के उपभोग औसत से भी कम है। इधर कुछ पिछले वर्षों में प्रदेश की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है जो अब लगभग

12 करोड़ पर पहुंच रही है। जनसंख्या विकास दर 25.4 प्रतिशत है। अस्तु परिषद को विद्युत उत्पादन बढ़ाना नितांत आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि विकास दर भी बढ़ती रहे।

इस राज्य में विद्युत प्रेषण और वितरण तंत्र देश भर में सबसे बड़ा है। विद्युत प्रेषण तंत्र जिसका अत्यधिक विद्युत दाव 400 किलो बोल्ट है। 9911 सी.के.टी. किलो मीटर लम्बी 66 से अधिक और पांचवीं योजनावधि में 132 और उससे अधिक किलो वोल्ट की 1255 सी.के.टी. किलोमीटर लम्बी लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका था।

ग्राम्य विद्युतीकरण :

चतुर्थ और पंचम आयोजना के अन्त तक ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् थी–

	चतुर्थ योजना	पंचम योजना
(1) निजी नलकूपों व पम्पसेट कनेक्शन्स	2,16,466	60288
(2) गांवों का विद्युतीकरण	29,765	3333
(3) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	5,960	3045

ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युतीकरण संबंधी कार्य को और अधक प्रभावशाली बनाने हेतु, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि वित्त निगम, जीवन बीमा निगम व राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

तालिका संख्या – 57

परिषद के लेखों का विश्लेषण

(लाख रुपयों में)

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
(क) 1. सरकार द्वारा लगाई गई निधि	221119	196806	175924
2. निबल मूल्य	–	–	–
3. प्रयुक्त पूंजी	211629	187003	124599
4. निबल मूल्य (औसतन)	–	–	–
5. प्रयुक्त पूंजी (औसतन)	199316	155801	119813
(ख) कार्यशील पूंजी	96306	69280	48417
(ग) चालू दायित्व	62317	42744	32446
(घ) कार्यचालन परिणाम (बिक्री) :–			
कार्य संचालन पव्यिय	50626	42868	35770
(ण) सकल लाभ/हानि	18782	16515	14112
(च) लाभ/हानि ब्याज लगने के बाद	3443	2608	1750
(छ) शुद्ध लाभ/हानि	3443	2608	1750
(ज) घोषित लाभांश	–	–	–
(झ) प्रतिधारित लाभ	3443	2608	1750
(य) कार्यचालन परिणाम (उत्पादन) :–			
कार्य चालन की लागत	50626	42868	35770
उत्पादन/कार्यचालन पर लागत	31844	26353	21658
(ट) सकल लाभ/हानि	18782	16515	14112
(ठ) ब्याज	15339	13907	12362
(ड) लाभ/हानि ब्याज लगने के बाद	3443	2608	1750
(ढ) कर के लिये व्यवस्था	–	–	–
(ण) शुद्ध लाभ/हानि	3443	2608	1750

(त) गत वर्ष की तुलना में उन्नति/अवन्नति (प्रतिशत में)

1.	निबल मूल्य	–	–	–
2.	संस्थागत ऋण	20.28	20.30	18.54
3.	सकल परिसम्पत्ति	8.49	42.04	3.47
4.	शुद्ध परिसम्पत्ति	9.52	49.72	4.10
5.	शुद्ध चालू पूंजी	37.00	52.47	92.10
6.	कुल आय	18.10	19.84	47.11
7.	कुल व्यय	17.20	18.34	47.11
8.	सकल लाभ/हानि	13.72	17.03	188.53
9.	शुद्ध लाभ/हानि	32.02	49.03	35.18
10.	नियोजन(रोजगार)	3.98	10.90	–

परिषद में नियोजित व्यक्तियों की संख्या निम्नवत् रही है :–

1979–80	88944
1980–81	98641
1981–82	102563
वर्तमान स्थिति	89.114

समस्यायें :

राज्य विद्युत परिषद जनन क्षमता को आवश्यकता के अनुरूप बढ़ा नही पा रहा
है। विद्युत की कमी का सीधा प्रभव उद्योगों पर पड रहा है। उत्पादन व वांछित लक्ष्य पूरे नही होते,
लागत बढती है जिसका अन्ततः अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडता है।
विद्युत आपूर्ति की कमी इस कारण से भी है कि विद्युत की खपत उत्तरोत्तर कृषि क्षेत्र में बढती जा
रही है परन्तु समस्या यह नही है कि उद्योगो को प्राथमिकता कम क्यों दी गयी वरन समस्या विद्युत
आपूर्ति बढाने की है। जिससे कृषि उद्योगों एंव उपभोक्ताओं की बढती मांग को पूरा किया जा सके।
अस्तु उत्पादन बढाना होगा। अन्यथा उत्पादन में वृद्धि एंव मांग मे हो रही वृद्धि के कारण मध्य दूरी
कम करना कठिन होगा। इसके लिये भविष्य की विद्युत आवश्यकताओं का आंकलन और लक्ष्य निध
ारिण करना होगा एंव विद्युत के उत्पादन को भी उसी के अनुरूप बढाना होगा। मांग पक्ष के अन्तर्गत

हमें प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, विद्युत उपभोग की विकास दर, प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत उपभोग के विकास की दर पर ध्यान देना होगा। दूसरी ओर पूर्ति पक्ष के अन्तर्गत अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन, ट्रान्समिशन एंव वितरण प्रणाली को देखते हुये उपभोक्ता क्षेत्र तक विद्युत की पूर्ति के संदर्भ में विचार करना होगा।

अग्निकाण्डों की समस्या :

विद्युत उत्पादन के संदर्भ में एक अन्य ज्वलन्त समस्या प्रायः होने वाले अग्निकांडों की भी है जो इस तथ्य को उजागर करती है। कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में घोर अकर्मण्यता व्याप्त है। हो सकता है कि परिषद के उच्च अधिकारी उतने दोषी न हों परन्तु चिन्तनीय विषय यह हैकि लगभग पिछले दशक से राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश की जनता पर बोझ बन चुका है। विद्युत उत्पादन गृह में अनुशासन नाम की कोई वस्तु नही रह गयी है जिसे जो जी में आता है करता है और क्या मजालज है उकसे इस अनुशासन के विरूद्ध कोर्ठ भी कडा कदम उठाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में अनेक विद्युत उत्पादन केन्द्रों में अब तक भयंकर अग्निकाण्ड हो चुके है अरबों खरबों रूपयों की क्षति वर्षो में हो चुकी है परन्तु आज तक यह प्रकाश में नही आ सका कि किसी व्यक्ति को दण्डित किया गया हो सभी जानते है कि निलंबन दंड नही है क्योंकि यह बात जग जाहिर है कि निलंबित अधिकारी साल दो साल में पुनः काम पर आ जाते है। उतएव अपराधी अधिकारियों व कर्चचारियों के साथ कडाई करने के लिये उचित प्रभावी कानूनी प्राविधान होने चाहिये।

श्रम आधिक्य की समस्या :

सार्वजानिक क्षेत्र के कई कारखानों में तो श्रमिकों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि उनमें से तीन चौथाई श्रमिक हटा दिये जायें तब भी वहां श्रमिक आवश्यकता से अधिक बनें रहेगें। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में भारी संख्या में मजदूरों की ऐसी फौज है जिसके लिये कोई काम नही है और जो निरन्तर घाटा दे रही है। (सम्पादकीय—दैनिक जागरण 6अगस्त 1986)

भावी योजनाएं :

भविष्य में बढती हुयी मांग को ध्यान में रखते हुये (एस पी एस) के अनुसार विकास दर का अनुमान 10.4 प्रतिशत लगाया गया है जब कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने 1984 से 89 तक विकास दर 13.5प्रतिशत अनुमानित की है। राज्य विद्युत परिषद के अनुसार ही :–

(1) उद्योगों में विकास दर 13 प्रतिशत होगी।

(2) सिंचाई हेतु विकास दर 16 प्रतिशत होगी।

(3) घरेलु कार्यो हेतु विकास दर 15 प्रतिशत होगी।

(4) व्यापार कार्यो के लिये 15 प्रतिशत होगी।

(5) रेल पथ विकास दर 8 प्रतिशत होगी।

इस सबके लिये 2144 मेगावाट अतिरिक्त स्थापित क्षमता निकट भविष्य में 1985 तक नई प्रायोजनाओं से प्राप्त हो सकेगी।

विवरण निम्नवत् है :–

तालिका संख्या–58

नयीं परियोजना द्वारा अतिरिक्त स्थापित क्षमता वर्ष 1980–85 तक

वर्ष	जल विद्युत	हाइड्रोपावर	ताप विद्युत	थर्मल पावर	कुल
1980–81	144		200	ओवरा	344 प्राप्त हो चुकी
1981–81	–		200	ओवरा	200
1982–83	90	(खोदरी)	220	परीछा	310
1983–84	120	(खोदरी–मनारी भारी)	530	टाण्डा,अनपरा	640
1984–85	–		640	टाण्डा	
				अनपरा 210	
				ऊंचाहार 210	
1080–85	354		790		2144

(ब) उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम , लखनऊ :

दिसम्बर 1986 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 57 राज्य स्तरीय लोकोपक्रम अभी तक स्थापित किये है इनमें से उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम लखनऊ प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला है और विनियोजन के दृष्टिकोण से पांचवा सबसे बडा उद्योग है। सडक परिवहन निगम अधिनियम 1950 से अधीन 1947 में उ0प्र0 राजकीय रोडवेज की स्थापना की गयी थी। तत्पश्चात् जून 1972 से इस संस्था को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहननिगम की स्थापना के साथ इसी में मिला दिया गया, जिससे राज्य में मितव्ययी तथा सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था द्वारा राज्य का चर्तुमुखी संतुलित विकास त्वरित गति से किया जा सकें, रेल सड़क परिवहन का स्वस्थ समन्वय सम्भव हो सके, अवस्थापना सुविधाओं को और सुदृढ सरल और सस्ती हो सकें। रेल सेवा की अनिश्चयता तदनुसार यात्रियों को होने वाली असुविधा समय और धन की बर्बादी के कारण और लगभग हर समय और हर स्थान के लिये उपलब्ध होने के कारण व किसी हद तक द्वार सेवा की सुविधा के कारण किराया भाड़ा अपेक्षाकृत रेल से अधिक होने पर भी उ0प्र0 रोडवेज क लोकप्रियता बढी ही है और परिणामतः रेल के समान्तर भी रोडवेज की सेवाओं में वृद्धि हुयी है।

निगम का मुख्य कार्यलय टेढी कोठी, लखनऊ में है। आज निगम राज्य के सभी महत्वपूर्ण मार्गो पर बस सेवा कर रहा है और यथासम्भव ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 31 दिसम्बर 1985 को इसके पास 6268बसों, 154ट्रक, 52टैक्सी थी जो कि 1994 मार्गो पर चल रही थी। इसमें 160 करोड़ रूपये का विनियोजन था तथा इसी दिन 48223 व्यक्ति इसमें लगे हुये है। परन्तु इतना होने पर उत्तर प्रदेश के सडको की चौथई लम्बाई पर ही बस सेवा सम्भव हो पा रही है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से जहां महाराष्ट्र व गुजरात राज्य ने राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों को पूरा कर लिया है ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को अभी अभी कुछ समय और लगेगा। इसके लिये बस सेवा की कार्यकुशलता में गुणात्मक सुधार, हानि की समाप्ति, पुरानी बसों का नवीनीकरण व बस सेवा की नियमितता पर ध्यान देना होगा। इसके लिये इसके प्रबन्ध मण्डल को कार्यत्मक कार्य कुशलता को बढ़ाना होगा तथा लाल फीताशाही को समाप्त कर वांछित स्तर व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुधार करना होगा।

पूंजी :-

उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम लखनऊ में 1974–75 में विनियोति धनराशि 6210 लाख रुपए थी जो सन् 1981–82 में विनियोजित पूँजी की स्थिति निम्न प्रकार से थी–

तालिका संख्या – 59

प्रदत्त पूँजी.....................रु0 4697.20 लाख

विवरण	1981–82	1980–81	1979–80
आन्तरिक साधन–			
(1) विशिष्ट प्रारक्षित निधि	–	–	–
(2) निर्बाध प्रारक्षित निधि	112.88	115.29	118.12
(3) मूल्य ह्रास	8307.32	7137.74	6159.90
दीर्घकालीन ऋण–			
(1) राज्य सरकार से	2530.03	2533.46	2109.46
(2) संस्थागत ऋण	1985.40	1644.46	1176.50
(3) अन्य	168.00	186.67	205.33
(4) नकद ऋण/अग्रिम	94.69	94.70	82.03
योग	17895.52	15713.83	13197.84

प्रबन्ध :

निगम का प्रबन्ध संचालन मण्डल द्वारा किया जाता है। जिसमें 9 सदस्य होते हैं और उनमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इनमें से तीन सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं और दो गैर सरकारी सदस्य और चार अन्य सदस्य (अध्यक्ष सहित) राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं। इन चार सदस्यों में से तीन सदस्य पदेन सदस्य होते हैं अर्थात् वे उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के सचिव, न्याय विभाग के सचिव तथा परिवहन के सचिव होते हैं।

उद्देश्य तथा कार्य :

राज्य में कुशल, समुचित मितव्ययी तथा उचित रूप से समन्वित परिवहन सेवा

प्रणाली की व्यवस्था करने वाला उसे बढ़ावा देने के प्रयोजन से ही इस निगम की स्थापना की गई है। इस वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निगम निम्नलिखित कार्य करता है–

(1) राज्य में तथा किसी अन्य विस्तारित क्षेत्र में सड़क परिवहन सेवा का परिचालन करना।

(2) इस संगठन के कुशल कार्य संचालन के निमित्त अपेक्षित किसी अनुषंगी सेवा की व्यवस्था करना।

(3) सड़क परिवहन सेवा के प्रयोग के लिए उपयुक्त गाड़ियों का क्रय करना।

(4) माल भेजने, उसका संग्रह करने तथा माल छुड़ाने के लिए सुविधा प्रदान करना।

(5) कार्यक्षमता की अधिवृद्धि हेतु सुधार की दृष्टि से कर्मिकों को प्रशिक्षित करना ताकि उनकी कार्यदक्षता में सुधार लाया जा सके। प्रशिक्षण शिक्षा तथा शोध की सुविध ा की व्यवस्था करने के लिए अन्य व्यक्तियेां की सहायता करना।

(6) चल स्टाक, गाड़ियों, उपकरणों, संयंत्र तथा सज्जा आदि का निर्माण, क्रय करना, उनका अनुरक्षण करना तथा उनकी मरम्मत करना।

कार्यकलाप एवं सफलताएँ :

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का परिचालन क्षेत्र व्यापक है और आज इसका विस्तार न केवल ग्रामीण, अन्ततः सम्भागीय मैदानों और पर्वतीय क्षेत्रों तथा आगरा, वाराणसी, बरेली, इलाहाबाद, कानपुर तथा लखनऊ जैसे बड़े नगरों में नगर परिवहन सेवा तक तथा विकासशील उपनगरों को मुख्य कस्बों से जोड़ने वाली उप नगरीय सेवाओं तक है वरन् इसका व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं तक है जिसके माध्यम से इस राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, पड़ों राज्य अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़े हुए हैं। निगम उपर्युक्त मार्गों पर यात्रा करने वाली जनता पर यात्रा करने वाली जनता की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निगम, साधारण, मेल तथा द्रुतगामी व रात्रि सेवा का परिचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट जनों, विदेशी एवं देशी पर्यटकों के लिए आरामदायक वातानुकूलित बसों का भी परिचालन किया जा रहा है। विशेष अवसरों एवं मेलों और त्यौहारों के

अवसर पर विशेष सेवा का परिचालन करता है। इलाहाबाद और कुम्भ के मेलों में निगम ने विशेष बस सेवाओं का परिचालन कर अति प्रशंसकीय कार्य किया, जिसमें गभग 25.19 लाख यात्रियों ने 93.52 लाख किलोमीटर की यात्रा की।

परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए विभिन्न मार्गों के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियमित स्टापों तथा आवेदित बस स्टापों के अतिरिक्त 500 से अधिक बस स्टेशनों की व्यवस्था की है इनमें से 20 से अधिक स्टेशन तो निगम की निजी इमारतों में स्थित हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रतीक्षालय, प्रसाधन कक्ष, शीतल पेय जल, अल्पाहार स्टाल पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग टिकट घर, बुक स्टाल इत्यादि उपलब्ध हैं। वर्ष 1976–77 के दौरान पनिवहन निगम ने सड़क दुर्घटना हेतु "यात्री जीवन बीमा योजना" लागू की है। दैनिक बस यात्रियों, पत्रकारों तथा उनके सहयात्रियों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को यात्रा में रियायत भी स्वीकृत की गई है।

परिवहन सेवाओं के कुशल एवं निर्विघ्न परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम ने कर्मशालाओं का जाल बिछा दिया है। कानपुर केन्द्रीय कर्मशाला, 12 सम्भागीय कर्मशालाएँ तथा पूरे राज्य में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थिति 62 डिपो कर्मशालाएँ भी सम्मिलित हैं। केन्द्रीय कर्मशाला में मोटरों की बाडी का भी निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त टायरों की मरम्मत, इंजनों का पुनरोद्धार, गियर बॉक्सों का सुधार, एक्सिलों का पुनरोद्धार भी यिका जाता है।

तालिका संख्या – 60

निगम द्वारा परिचालित बसों का बेड़ा

वर्ष	बसों की संख्या	ट्रकों की संख्या	टैक्सियों की संख्या
31.3.1973	4.582	351	65
31.3.1980	5.679	156	50
31.3.1984	6.052	153	55
31.12.1985	6.268	154	52

स्रोत : इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक इण्टर कॉलेज, पेज 30।

निगम में रोजगार :

सन् 1972–73 में निगम में 30,898 व्यक्ति कार्यरत थे जो 1985 में बढ़कर 48.223 हो गयी। दूसरे शब्दों में 56 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 1017 व्यक्ति दैनिक वेतन पर रखे गये थे। आजकल निगम अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोगों की भी भर्ती हेा रही है। दिसम्बर 1985 में अनुसूचित जाति का अनुपात 11.37 प्रतिशत जनजाति के 0.08 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के 17.31 प्रतिशत कर्मचारी थे।

यदि बस किराये भाड़े में छठी योजना से ही उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है फिर भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम अपने प्रारम्भ से ही उत्तरोत्तर घाटा सहता चला आ रहा है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है–

किराये भाड़े में वृद्धि :

जनवरी 1981 में	25 प्रतिशत वृद्धि
अक्टूबर 1981 में	15 प्रतिशत वृद्धि
सितम्बर 1983 में	25 प्रतिशत वृद्धि
1987 में	20 प्रतिशत वृद्धि

तालिका संख्या – 61

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की लाभ/हानि की स्थिति

वर्ष	विनियोजित पूँजी	लाभ/हानि (करोड़ रु0 में)
1972–73	25.97	–0.99
1973–74	28.02	0.51
1974–75	30.05	–2.51
1975–76	60.00	–3.28
1981–82	85.43	–2.68
1982–83	92.23	–11.61
1983–84	107.11	–8.08
1984–85	132.04	–15.65
1985–86	159.96	–6.68

स्रोत : पूर्वलिखित, पृष्ठ संख्या 32।

निगम को जो उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हानियों हुई हैं उन्हें कम करने के लिए इसके द्वारा बार–बार किराये भाड़े में वृद्धि की नीति अपनाई है इससे हानि में थोड़ी बहुत कमी तो हुई है परन्तु कुछ समय बाद फिर हानि पुनः बढ़ने लगी है और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 1983–84 तक यद्यपि रिये भाड़े में तीन बार 25 प्रतिशत, 15 प्रतिशत व 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। वस्तुतः यह हानि मूलरूप से अत्यधिक संचालन व्यय के कारण था जो 1972–73 में 1.54 में प्रति किमी0 था जो बढ़कर 1982–83 में 3.81 रु0 प्रति किमी0 हो गया, एक प्रकार से 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जहाँ तक आय का प्रश्न है कि यह 1974–75 में 157 पैसा प्रति किमी0 से बढ़कर 36.3 पैसा प्रति किमी0 वर्ष 1985–86 में हो गई। यात्रियों की संख्या में 1972–73 में 23.82 करोड़ की तुलना में 1980–81 में 46.10 करोड़ यात्री अर्थात् दूने के लगभग वृद्धि हुई। परन्तु येन केन प्रकारेण किराये में वृद्धि का प्रभाव अवश्य पड़ता है व 1982–83 में यात्री संख्या घटकर 36.51 करोड़ रह गई और अभी हाल सन् 1986–87 की वृद्धि निश्चित ही इस संख्या में और गिरावट लायेगी

क्योंकि इस अप्रत्याशित किराये भाड़े की वृद्धि ने यात्री उपभोक्ताओं को इस बात के लिए सोचने पर विवश किया है कि लगभग 100 किमी0 पर 4 किपये 8 रुपये तक का अन्तर कुछ अपने में महत्व रखता है। समय और सुविधा की तुलना में मौद्रिक हानि का अनुभव 90 प्रतिशत यात्री करते हैं।

तालिका संख्या – 62

वर्ष	यात्रियों ने यात्रा की (करोड़ रु0 में)
1973–74	27.96
1980–81	46.10
1981–82	41.47
1982–83	36.51
1983–84	38.11
1984–85	38.12

इसी प्रकार के अन्य आंकड़े मार्ग संखय जिन पर बसें चली व इन मार्गों पर कितने किमी0 की यात्रा तय की वह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होती है–

वर्ष	मार्ग संख्या जिन पर बसें चलीं	किमी0 दूरी तय की
1973–74	1908	1,43,492
1980–81	1972	2,84,862
1982–83	1843	2,73,442

समस्याएँ :

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का विकास यद्यपि प्रभावशाली रहा है परन्तु वित्तीय दृष्टिकोण से इसकी स्थिति अति चित्तहीन है। अस्तु प्रबन्धकों को निगम की भौतिक एवं वित्तीय दशा सुधारने हेतु व सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वांगीण दृष्टिकोण से योजनाबद्ध प्रयास करने होंगे। निगम की प्रमुख आन्तरिक और बाह्य समस्यायें निम्न प्रकार की हैं–

(1) अनुधिकृत बसों या उम्मारभार बसो का चालन राष्ट्रीय मार्गों पर।

(2) निगम की आय में कई प्रकार से कमी।

(3) वर्तमान संसाधनों की अपर्याप्तता।

(4) पुरानी और जर्जर बसों की मरम्मत व बदलाव।

(5) कर्मशालाओं और डिपो का उपर्युक्त प्रभावशाली प्रबन्ध।

(6) बसों का प्रभावशाली आक्सनिक निरीक्षण।

(7) बसों की नियमितता और समयबद्धता।

(8) यात्रियों को समुचित एवं सुविधाजनक और उत्तम सेवा आदि।

(9) संचालन व्यय की अत्याधिकता।

(10) बसों का अनिर्वाच्यरूप से प्रति दिन 2 से 3 घण्टे तक कर्मशाला में जाना जिससे अनावश्यक व्यय व समय की बर्बादी।

इस प्रकार से निगम की असंख्य और पेचीदा समस्याएँ हैं जिनके लिए एक योजनात्मक रणनीति अपनानी होगी। जिस प्रकार इस निगम के व्यय बढ़ रहे हैं उस अनुपात में आय में वृद्धि नहीं हो रही है जो एक गम्भीर समस्या है, यद्यपि इस समस्या का निदान भारतीय औद्योगिक बैक सहायता एवं सहयोग से सम्भव हो सका है और चार हजार पुरानी बसों को बदलने व 1050 नई बसें खरीदने का कार्यक्रम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान राज्य परिवहन मंत्री संजय सिंह के अनुसार परिवहन निगम को वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

भावी कार्यक्रम :

आगामी वर्षों में परिवहन निगम के कार्यकलापों का नये मार्गों पर प्रसार करने तथा वर्तमान मार्गों पर सघन परिचालन करने के अतिरिक्त परिवहन निगम की बसों, कर्मशालाओं में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का प्रसार करने का प्रस्ताव है। यह यह भी प्रस्ताव है कि निगम के मूल उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान प्रदान करने के उद्देश्य से व्यय को कम करने, प्रतिमान, मानक तथा प्रबन्ध की नई तकनीक लागू करने के लिए ठोस कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय

अष्टम्

अध्याय–अष्टम्

उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण में प्रादेशिक उपक्रमों के योगदान की समीक्षा :

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि विकास के साथ–साथ औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उनके द्वारा न केवल रहन–सहन का स्तर ऊँचा उठाने, प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि करने एवं श्रमशील के लिए रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। वर्तमान औद्योगिक नीति के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है ओर इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में सार्वजनिक उद्यमों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। 1970 में इनकी संख्या केवल 11 थी, किन्तु वर्ष 1973 के अन्त में इनकी संख्या 29 और तत्पश्चात् 1980 में 54 और विभागीय व्यवस्था से पृथक गत दशक में स्थापित निगमों/उपक्रमों की संख्या तथा इनमें निवेशित पूंजी एवं उनके द्वारा सृजित रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वर्तमान समय में प्रदेश में 57 निगम कार्यरत है जिनकी 34 सहायक तथा संयुक्त कम्पनियों को शामिल करते हुए कुल संख्या 103 तक पहुँच गई है। 1984–85 की एक सूचना के अनुसार इनमें विनियोजित पूंजी 4650 करोड़ रुपया तक पहुँच गई थी तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 2.5 लाख से 3 लाख के बीच थी।

प्रदेश के औद्योगिकीकरण अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो रहा है तथा इनसे प्रदेश सरकार एवं जनता को बड़ी अपेक्षाएँ हैं।

"सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से प्रादेशिक अर्थ–व्यवस्था का आधारभूत ढाँचा सुदृढ़ होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, आयात प्रतिस्थापन व निर्यात प्रोत्साहन की प्रेरणा मिलेगी, प्रादेशिक समानता लाई जा सकेगी, बड़ी इकाइयों के पास अनेक सहायक इकाइयों का जमघट करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा तथा निजी क्षेत्र में एकाधिकार व आर्थिक सस्ता का केन्द्रीयकरण पर रोक लगेगी और प्रदेश का तीव्र गति से अधिक विकास होगा।" (भारतीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मीनारायण, नाथूराम का....., पृष्ठ संख्या 330)।

प्रदेश के समन्वित आर्थिक विकास में उद्योगीकरण की भूमिका को रखते हुए, राज्य सरकार ने 1981–82 में औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान की है तथा

पिछड़े क्षेत्रों के विकासार्थ नई रणनीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत 21 ऐसे जनपदों का चयन किया गया है जहाँ एक करोड़ से ऊपर लागत के कोई बड़े उद्योग नहीं थे। साथ ही इनमें कौन से उद्योग लगायें जायें इसका भी चयन किया गया व लाइसेन्स प्रदान किये गये। प्रदेश के 11 उद्योग शून्य क्षेत्रों के त्वरित विकास पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की गई।

वर्तमान औद्योगिक नीति के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर जिला उद्योग केन्द्र खोले गये हैं। जिसमें उद्यमियों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सहायतायें उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण औद्योगिक विकास कार्यक्रम को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में अतिरिक्त विकास केन्द्र (ग्रोथ सेन्टर्स) खोले गये हैं। हरिजनों एवं भूमिहीनों को जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है। औद्योगिक सहकारी समितियाँ गठित कर औद्योगिकीकरण व विकेन्द्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने हेतु राज्य सरकार ने वर्तमान उद्यमियों की सहायतार्थ ''उद्योग बन्धु'' जैसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जजो उद्यमियों के प्रार्थना पत्र पर यथा शीघ्र सुनवाई कर उनकी कठिनाइयों को दूर करती है। राज्य क्षेत्र में एवं संयुक्त क्षेत्र में भी सीमेन्ट, कताई मिलों व इलैक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उद्योग शून्य जनपदों में भी लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के ध्येय से 17 औद्योगिक आस्थान विकसित किए जा रहे हैं इसके अतिरिक्त नये प्लाटों तथा शेडों का भी अनेक स्थानों पर आबंटन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों विकेन्द्रीकृत नीति के अन्तर्गत रुपया तथा 1982–83 मे यह बढ़ाकर 2088 लाख रुपया कर दिया गया। हस्तशिल्प क्षेत्र के अन्तर्गत शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए 150 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा हथकरघा उद्योग के विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 7 सहकारी कताई मिलों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई है। हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है और प्रादेशिक अर्थव्यवस्था में कृषि के पश्चात् दूसरा स्थान है वर्तमान समय में इस उद्योग से 15–20 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

(1) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम :

राज्य में उद्योगों की अवस्थापना एवं प्रसार हेतु ऋण के रूप में वित्तीय सहायता करता है।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम :

बृहत् तथा मध्यम उद्योगों की प्रोन्नति एवं विकास में और स्थापना में वांछितत सहायता एवं सहयोग प्रदान करता है।

(3) उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम :

राज्य में भलीभाँति न चलने वाले सूती मिलों को चलाने हेतु सहायता प्रदान करता है।

(4) उत्तर प्रदेश सीमेन्ट :

राज्य में सीमेन्ट उद्योग की वृद्धि हेतु सहायता प्रदान करता है।

(5) प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन (पिकअप):

प्रदेश में सभी उद्यमकर्ताओं को समस्त अवस्थापना, तकनीकी आर्थिक प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सेवाएँ प्रदान करता है।

(6) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम :

प्रदेश में लघु उद्योग इकाइयों को उचित मूल्य पर दुर्लभ कच्चा माल तथा इन इकाइयों को किराया क्रय पद्धति पर मशीनें उपलब्ध कराता है।

(7) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम :

प्रदेश में हथकरघा उद्योगों के विकास में योगदान प्रदान करता है।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य पीतल बर्तन निगम :

प्रदेश के बर्तन उद्योगों के उत्पादन में सहायक है।

(9) उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम :

प्रदेश के चमड़ा उद्योग के उत्थान में सहायता प्रदान करता है।

(10) उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स निगम :

उत्तर प्रदेश की इलैक्ट्रानिक्स इकाइयों की हर प्रकार से सहायता करता है।

(11) उत्तर प्रदेश खजिन विकास निगम :

प्रदेश के खनिज विकास तथा उस पर आधारित उद्योगों के विकास का कार्य करता है।

(12) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम :

कृषि उद्योगों में उत्पादन हेतु यंत्र, संयंत्र एवं उपकरणों आदि के निर्माण हेतु उद्योगों को सहयोग व सहायता करता, प्रोन्नत, विकसित या स्थापना करता है, जिससे राज्य में कृषि उद्योगों के उत्पादन में अभिवृद्धि हुई है।

(13) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम :

गन्ना के क्रय–विक्रय में सहायता करता तथा चीनी का उत्पादन एवं बिक्री करता है व आवश्यकता पड़ने पर फुटकर चीनी की बिक्री करता है। बीमार मिलों का अधि ाग्रहण करके पुनर्वास करना तथा उत्पादकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की है।

(14) दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड:

लोसे का क्रय करके उस पर आधारित विभिन्न उत्पादों तथा रोजिन तारपीन आदि उत्पादों के उत्पादों के उत्पादन तथा बिक्री में सहायता प्रदान करता है।

(15) ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड :

कम अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों तथा उनके अतिरिक्त पुर्जो का निर्माण करना, संयोजन व बिक्री भी करता है इस प्रकार कृषकों को कृषि क्षेत्र के विकासार्थ कम मुद्रा में ही सहायता पहुँचाता है।

(16) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद :

प्रदेश में जल विद्युत व ताप शक्ति दोनों को अधिष्ठापित करता तथा उन्हें चलाता और ट्रान्समिशन लाइन एवं वितरण लाइनों का निर्माण करता तथा विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक एवं सस्ते आधार पर विद्युत की आपूर्ति करता है। इस प्रकार उद्योग, कृषि एवं उपभोक्ता सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

(17) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम :

निगम राज्य के अन्दर या अन्तर्राज्यीय मार्गों में बस यात्रियों को सस्ती सुरक्षित, सामयिक, तेज एवं सुविधाजनक व आरामदायक सड़क परिवहन सेवायें सुलभ करा रहा है।

(18) उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड :

राज्य के अनेक पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक जागरुकता व चेतना जागृत करने हेतु प्रगतिशील चलचित्रों के प्रदर्शन करके स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के लिए कई छविगृह खोले हैं। इस प्रकार जहाँ एक ओर यह सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को ऊँचा उठाने के में समर्थ हुआ है वहीं दूसरी ओर मनोरंजन कर की वृद्धि कर राज्य की आय बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

(19) उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड :

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एजेन्सियों या संस्थाओं को अत्याधुनिक प्रबन्धकीय तरीकों द्वारा शुल्क या अन्य प्रकार का पारिश्रमिक लेकर योजनाएँ बनाता है एवं उनके कार्यान्वित में सहयोग प्रदान करता तथा सलाह देता है।

इस प्रकार 57 प्रादेशिक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में से 19 प्रतिष्ठानों द्वारा, जो कि विविध क्षेत्र के हैं, व शोध प्रबन्ध में हर क्षेत्र व हर प्रकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, विस्तृत अध्ययन हेतु चयनित किए गये उनसे यह स्पष्ट है कि प्रदेश के औद्योगिक अभियान में इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है उद्योग, कृषि, तकनीकी, वित्तीय ही नहीं वरन् प्रदेश चतुरंगी विकास में प्रगति के नये क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रांचल के अन्तर्गत आते जा रहे हैं। रोजगार के दृष्टिकोण से भी संगठित क्षेत्र में लगे लगभग 10 प्रतिशत व्यक्तियों मे से लगभग 6.6 प्रतिशत को रोजगार सार्वजनिक उद्योगों से मिला है जो अपने में एक उपलब्धि एवं एक कीर्तिमान कहा जा सकता है। शोध प्रबन्ध में वर्णित लोकोपक्रमों की अंकेक्षीय प्रगति समीक्षा तथा उनका प्रादेशिक औद्योगीकरण में योगदान निम्न समेकित तालिका से स्पष्ट होता है–

प्रादेशिक उपक्रमों के वित्तीय परिणाम

(लाख रुपयों में)

(करोपरान्त लाभ प्रदर्शित करने वाले प्रादेशिक उपक्रम)

1981–82

1.	उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, लखनऊ	022
2.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	3.48
3.	उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम, आगरा	3.71
4.	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर	12.21
5.	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, कानपुर	14.42
6.	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर	19.95
7.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, लखनऊ	21.55
8.	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यू0 पी0 लखनऊ	24.04
9.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर	43.95
10.	यू0 पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन, लखनऊ	119.38
	योग	262.91

तालिका संख्या – 63

वित्तीय वर्ष 1981–82 के आधार पर शोध प्रबन्ध में चयनित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की कार्य समीक्षा का समेकित विवरण

क्र. सं.	सार्वजनिक प्रतिष्ठान का नाम	प्रदत्त पूंजी (लाख रु0 में)	परिचालन वित्तीय परिणाम (लाख	ऋण	शुद्ध संचित घाटा
1.	उ0प्र0इलेक्ट्रानिक्स कार्पो0, लखनऊ	300.00	शुद्ध लाभ +21.55	226.10 लाख रु.	–
2.	ओटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड, लखनऊ	831.51	+211.33	223.92 लाख रु.	–289.20
3.	उ0प्र0 राज्य कृषि औद्योगिक नि0लि0लखनऊ	723.83	+132.16	613.25 लाख रु.	–885.70
4.	उ0प्र0 लघु उद्योग कानपुर	147.00	+19.95	258.81 लाख रु.	–
5.	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0 कानपुर	4137.87	+12.21	–	–
6.	उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 मिर्जापुर	4099.00	–37.82	1471.42	–1060.86
7.	यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पो0 लखनऊ	1552.73	+119.38	154.33	–
8.	उ0प्र0वित्तीय निगम कानपुर	1000.00	+43.95	355.10	–
9.	उ0प्र0 ब्रासवेअर कार्पो0 मुरादाबाद	200.50	शुद्ध हानि –4.22	45.13	–9.23
10.	उ0प्र0राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ	5329.44	–1051.48	595.31	–3069.46
11.	दि इंडियन टरपेन्टाइन एंड रोजिन कं0 लिमिटेड बरेली	21.93	83.48	–	–12.67
12.	उ0प्र0 चलचित्र निगम लखनऊ	308.06	–8.26	21.00	–3095
13.	उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि. कानपुर	763.49	+14.42	377.32	–
14.	उ0प्र0 चर्म विकास एवं विपणन लि. आगरा	88.00	+0.22	–	–
15.	उ0प्र0राज्य खनिज विकास निगम लखनऊ	894.00	+3.48	94.80	–
16.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पो0 लि0 लखनऊ	60.00	+3.48	94.80	–
17.	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ	–	–20005.00	221119.00	–611.00
18.	उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	4697.20	–267.94	2530.00	1076.80
19.	प्रादेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कार्पो0 ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ (पिकप)	720.75	+24.04	1831.49	–
	योग	25964.81	+262.91	229925.63	7121.69
			–21801.69		
			–21538.78		

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र
में शासकीय विनियोजन
(करोड़ रुपयों में)
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1722.88
1925.12
2122.45
2386.96
2698.96
4200.00
52
53
54
56
56
57
उपक्रमों की संख्या
वर्ष –
1977–78
78–79
79–80
80–81
81–82
84–85

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न उद्योगों के लेकर स्थापित किये गये 57 लोकोपक्रमों में से 19 को शोध प्रबन्ध में लगभग हर प्रकार के उद्योग को ध्यान में रखकर चयन किया गया है। जो कुल सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का एक तिहाई है। सन् 1981–82 तक चले रहे यह प्रतिष्ठान लगभग 19 विभागों से सम्बन्धित है जिनमें अधिकांश उद्योग विभाग से सम्बन्धित हैं जैसा कि पूर्व अध्यायों में वर्णित है। उ0प्र0 के सार्वजनिक प्रतिष्ठान विकास निर्माण सेवा उद्यम है और समान्यतः विकास या उन्नति सम्बन्धी कार्यकलापों से सम्बन्धित है विकास सम्बन्धी उपक्रमों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे यह आशा की जा सकती है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का त्वरित गति से बहुमुखी विकास करने का इरादा है। वास्तव में देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश जिसने देश को चार प्रधानमंत्री दिये और जिसे देश का हृदय कहा जाता है उसके तीव्रगति से विकास की आशा एवं अपेक्षा की ही जानी चाहिए।

पूँजी :

वित्तीय वर्ष 1981–82 तक शोध प्रबन्धान्तर्गत चयनित उपक्रमों में 25964.81 लाख रुपए की पूंजी विनियोजित थी। इसके साथ–साथ लगभग सभी उपक्रमों ने समय–समय पर राजकीय ऋण का सहारा लिया है जो एक प्रकार का ही अंश समयोपरान्त बन गया है जो 229925.63 लाख रुपयों है। इस प्रकार चयनित 19 प्रतिष्ठानों की पूंजी राजकीय ऋण को मिलाकर निम्नवत है–

पूँजी	25964.81 लाख रुपए
राजकीय ऋण	229925.63 लाख रुपए
योग	245890.44 लाख रुपए

इस प्रकार एक अच्छी खासी रकम प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में विनियोजित है।

लाभ–हानि :

शोध प्रबन्धान्तर्गत चयनित 19 उपक्रमों में से 10 उपक्रमों ने करोपरान्त शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है जो कुल मिलकर 462.84 लाख रु0 वित्तीय वर्ष 1981–82 में हैं व

तालिका में प्रदर्शित है। इसके विपरीत 9 उपक्रमों ने घाटा प्रदर्शित किया है। इसमें मात्र उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लखनऊ का घाटा ही अप्रत्याशित है और सभी से कई गुना है तथा अन्य शेष आठ हानि प्रदर्शित करने वाले उपक्रमों से कहीं अधिक है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद :

परिषद हमेशा से घाटे पर ही चलने वाली संस्था रहा है। परिषद द्वारा कोई अपनी निजी पूंजी विनियोजित नहीं की गई वरन् ऋण लेकर ही कार्यारम्भ किया गया है जो आलोच्य वर्ष में 221119.00 लाख रुपया था। आलोच्य वर्ष में परिषद का हानि का लेखा जोखा निम्नवत् था–

परिचालन वित्तीय परिणाम :

शुद्ध लाभ 3443 लाख रुपया।

घटाइए : सम्पत्ति ह्रास	5408 लाख रुपया
ब्याज अदा करना	2100 लाख रुपया
उपदान की प्राप्ति रकम	15940 लाख रुपया
योग	23448 लाख रुपए

शुद्ध लाभ 3343–23448 = 20005 लाख रुपया शुद्ध हानि की इस रकम के अतिरिक्त विद्युत परिषद पर 611.00 लाख रुपया का पूर्व शुद्ध संचित घाटा है।

इस सबके अतिरिक्त विद्युत परिषद की स्थिति उत्तरोत्तर विषम होती जा रही है। जुलाई 1987 के प्रथम पखवारे में उद्योगों में शत–प्रतिशत कटौती, यद्यपि नई घोषणा तो नहीं परन्तु उद्योगों की जड़ पर एक कड़ा प्रहार तो है ही इसके साथ–साथ फिर पिछले छः माह के अन्दर विद्युत दशा में अत्यधिक वृद्धि इस आश्वासन एवं विश्वास के साथ दी गई थी कि निरन्तर अवांछित विद्युत आपूर्ति रहेगी, जब कि स्थिति यह है कि यदा–कदा अधिकारिक एवं अनाधिकारक दोनों प्रकार की कटौतियों का सामना उद्योगों एवं उपभोक्ताओं दोनों करना पड़ रहा है अस्तु स्थिति आज यह बन गई है कि मंहगी और लचर विद्युत व्यवस्था से उपभोक्ता इतना त्रस्त हो चुका है कि यदि उसे इसका विकल्प मिल जाय तो वह सहज में इसकी छुट्टी करने को तैयार हो जायेगा।

वास्तविकता यह है कि विद्युत कर्मी तो उतनी खलने वाली नहीं है जितना कि विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के दकियानूसी रवैये से मुश्किलें पैदा होती जा रही है जिससे यह बात सत्य ही प्रतीत होती है कि सरकार ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के आगे घुटने टेक दिये हैं और नतमस्तक होकर वह सब स्वीकार करते जा रहे हैं जो विद्युत परिषद वाले चाहते हैं इस सम्बन्ध कुछ औद्योगिक संस्थान के अधिकारियों को निम्न विचार इस प्रकार से हैं कि जिन सबसे विद्युत परिषद के गलत रवैये के कारण यह सब बिगड़ी स्थिति हहै अस्तु इसे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा।

इसके साथ–साथ विद्युत दरें जिस पर उत्तर प्रदेश में उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है वह अत्यधिक मंहगी है। इस क्रम में किए बिना सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के उद्योग अपनी वस्तुओं की बिक्री नहीं बढ़ा सकते–

	प्रदेश	प्रति यूनिट दर
(1)	हिमांचल प्रदेश	59 पैसा
(2)	पंजाब	31.35 पैसा
(3)	मध्य प्रदेश	77.01 पैसा
(4)	दिल्ली	78.00 पैसा
(5)	राजस्थान	83.00 पैसा
(6)	उत्तर प्रदेश	84.60 पैसा

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इतनी भारी भरकम रकम को यदि बैंक में ही स्थायी खाते में रख दिया जाता और न्यूनतम 10 प्रतिशत का सामान्य लाभ ही लिया जाता तो कम से कम 2 खरब रुपया प्रतिवर्ष आता। इस दृष्टिकोण से प्रादेशिक लोकोपक्रमों को वर्षानुवर्ष हानि या घाटे पर चलाने का कोई विशेष औचित्य नहीं दिखता वरन् मात्र सामाजिक न्याय व बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का ही एक मात्र औचित्य आलोचकों के समक्ष रक्खा जा सता है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के संगठित क्षेत्र में कार्यरत 10 प्रतिशत व्यक्तियों से 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक इन प्रादेशिक इन सार्वजनिक उद्यमों में लगे हुए हैं। साथ–साथ देश के त्वरित विकास व संतुलित विकासार्थ इनका जारी रखना, इन की नवीन क्षेत्रों में स्थापना करना किसी हद तक औचित्य पूर्ण कहा जा सकता है।

राजकीय उपक्रम न केवल हमारे योजनाबद्ध विकास हेतु एक महत्वपूर्ण तन्त्र माने जाते हैं वरन् देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। (भारतीय अर्थशास्त्र, डा0 शर्मा एवं सिंह, पृष्ठ संख्या 411)।

ठीक इसी प्रकार से लोकोपक्रमों की स्थापना व महत्व का उल्लेख करते हुए डा0 आर0 के0 सिन्हा ने अपनी पुस्तक (इकोनोमिक्स ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज) के पृष्ठ में कहा है, ''तृतीय दुनिया का आर्थिक विकास का इतिहास यह निर्णायक रूप से प्रदर्शित करता है कि आर्थिक पिछड़ापन राज्य के कार्यों के विस्तार से ही सम्भव है जिसमें हम लोकोपक्रमों के माध्यम से अनेक आर्थिक समस्याओं का हल निकाल सकते हैं तथा देश के संसाधनों का उचित व उपयुक्त विदोहन त्वरित गति से सम्भव हो जाता है, अवस्थापना सुविधायें सुलभ होती हैं ओर एक ऐसी रणनीति तैयार कर सकते हैं जिससे हम उपनिवेशवाद जनित उन तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं तथा योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर औद्योगिकीकरण के पग को बढ़ा सकते हैं।

इन तर्कों से यह तो अवश्य है कि सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से इन्हें जारी रखना और नये प्रतिष्ठानों की नये–नये क्षेत्रों में स्थापना करना अति औचित्यपूर्ण ही नहीं वरन् आर्थिक प्रगति हेतु एक पूर्व शर्त मानी जा सकती है परन्तु व्यवहारिकता के पटल पर सरलता से न तो किसी को झुठलाया जा सकता है न उपरोक्त जैसे उद्धरणों का सहारा लेकर व अप्रत्याशित ढंग से बे–रोक टोक बढ़ने वाली हानि या घाटे की अपेक्षा की जा सकती है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मुरार जी देसाई के शब्दों में, ''राजकीय उद्यमों का बछड़ा आगे करके भारतीय जनता रूपी कामधेनु को हमेशा नहीं दुहा जा सकता।''

शुद्ध संचित घाटा :

प्रादेशिक लोक उद्योगों से सम्बद्ध तालिका नं0 71 स्तम्भ 6 को देखने से प्रादेशिक सार्वजनिक उद्यमों को होने वाली हानि के अतिरिक्त एक अन्य चिन्तनीय विषय शुद्ध संचित घाटे का है। जिसकी रकम की उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है और जो आलोच्य वर्ष में 7121.69 लाख रु0 है। महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती। यह समस्त राशियाँ अर्थात् पूंजी+राजकीय+ऋण+शुद्ध हानि+शुद्ध संचित घाटा इन लोकोपक्रमों के कार्यकलापों और जारी

रखने पर एक प्रश्नचिन्ह लगा देती है और इन सार्वजनिक संस्थानों को ''सफेद हाथी'' की संज्ञा प्रदान करती है। क्या इस ऊहापोह की स्थिति को संशयात्मक और सरकार द्वारा येन–केन–प्रकारेण चलाने की स्थिति नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः यह स्थिति क्या हमें आपको सभी को इस ओर गम्भीरतापूर्वक सोचने को प्रेरित एवं बाध्य नहीं करती और सरकार को उसकी वचन बद्धता की ओर आमंत्रण नहीं देती।

सफलताओं एवं विफलताओं का आंकलन :

सफलतायें :

इसी अध्याय में प्रस्तुत प्रादेशिक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की समीक्षा ही राज्य के लोकोपक्रमों एवं लोकोपयोगी सेवाओं की सफलताओं और विफलताओं की कहानी को पूर्णतया स्पष्ट करती है फिर भी मात्र लाभदायकता को दृष्टिकोण लोकोपक्रमों की सफलताओं व विफलताओं का एक मात्र निर्णायक निर्धारक कारक नहीं कहा जा सकता। अतः एक बहुपक्षीय, बेबाक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन इस दिशा में अनिवार्य आवश्यकता बन जाता है।

उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश की विनियोजन रेखायें सार्वजनिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए भारी भरकम विनियोग के समाजीकरण को प्रतिबिम्बित करती है। शायद यह देश की अर्थव्यवस्था की ऊँचाइयों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, या फिर देश में त्वरित गति से औद्योगिकीकरण का पग बढ़ाने हेतु या फिर सार्वजनिक क्षेत्र को एक सरकारी नीति का एक साधन मानकर घाटे या हानि को महत्वहीन मानकर सार्वजनिक क्षेत्र में लोकोपक्रमों की संख्या व विनियोजन को अप्रत्याशित ढंग से बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आज हम और हमारी सरकार इस धारणा के वशीभूत होकर जाने–अनजाने कार्य कर रहे हैं। ''बिना योजना के लोक उद्योग कुछ नहीं कर सकता है बिना लोक उद्योग के योजना कागज पर ही रह जायेगी।'' (हेन्सन, ए0 एच0 लोक उद्योग एवं आर्थिक विकास, पृष्ठ संख्या 183)। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय योजनाओं एवं प्रादेशिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों एवं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति लोक उद्योग के कुशल संचालन पर निर्भर है। श्री एन0 एन0 माल्या के शब्दों में, ''यदि हम अपने अनुभवों से कोई पाठ सीखना चाहते हैं, तो वह यह है कि इन उद्यमों की सफलता योजनाओं, विनियोग, तकनीक, स्वायत्ता, नियंत्रण और संगठन

के प्रारूप पर ही नहीं वरन् अन्ततोगत्वा उस कार्य कुशलता पर निर्भर करती है, जिस कुशलता के साथ उच्च प्रशासक और प्रबन्धक उनका संचालन करते हैं।'' (पब्लिक इण्टर प्राइजेज इन इण्डिया, पृ0सं0 176)।

कार्यकुशलता एक व्यापक एवं जटिल शब्द है। श्री परमानन्द प्रसाद ने लिखा है कि, ''अन्य शब्दों की भांति जिनका एक विस्तृत एवं अनिश्चित अर्थ होता है। कार्य कुशलता एक व्यापक एवं छिद्रपूर्ण शब्द है, कि इसकी कोई पूर्णरूपेण व्याख्या नहीं हो सकती है।'' लोकोपक्रमों में कार्यकुशलता का मापन करने के लिए सामान्यतया कोई सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वमान्य मापदण्ड नहीं, क्योंकि कार्यकुशलता उपभोक्ताओं की संतुष्टि वस्तुओं के मूल्य तथा गुणात्मक एवं परिमात्मक उत्पादन, औद्योगिक सम्बन्धी की संतुष्टि एवं लाभदायकता जैसे अनेक तत्वों द्वारा प्रभावित एवं प्रतिबिम्बित होती है। साथ–साथ कार्यकुशलता के मापन में अनेक कठिनाइयाँ हैं। यथा–

(अ) सभी उद्योग स्वभावतः एक से नहीं होते, जैसे– उर्वरक उद्योग औषधि निर्माण, अवस्थापना उद्योग।

(ब) कुछ उद्योग एकाधिकारी स्थिति में है कुछ प्रतियोगिता की स्थिति में।

(स) कुछ लोक उद्योग राष्ट्रीयकरण के पश्चात् या बीमारी की स्थिति में अधिग्रहित किये गये तथा

(द) कुछ उद्योग लोकहित में अलाभकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अस्तु सभी की कार्यकुशलता का मापन एक मापदण्ड से करना सर्वथा अनुचित ही नहीं वरन् अनुपयुक्त भी है। अस्तु लोकोपक्रमों सामान्यतया निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है–

(1) लाभ देयता

(2) उत्पादन व्यय

(3) उत्पादकता

(4) तुलनात्मक आंकड़े

(5) अन्य

(अ) नियोजित एवं वास्तविक कार्यों में अन्तर

(ब) श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि

(स) निर्धारित समय एवं लागत अनुमान के आधार पर

(द) राजकीय मापदण्ड

(य) तैयार माल में अस्वीकृत माल का प्रतिशत

(र) स्थापित क्षमता का उपयोग

(ल) समयपालन अनुमान

(क) राष्ट्रीय अस्तित्व

(ख) सीमित साधनों का प्रयोग

(ग) विकास एवं स्थिरता का मापदण्ड आदि

उपरोक्त विभिन्न मापदण्डों में से अधिकांशतः प्रथम तीन ही कार्यकुशलता के मापन में व्यवहार में लाए गए हैं और इन्हीं आधारों पर हम भी उत्तर प्रदेश के राज्यीय उपक्रमों की कार्यकुशलता एवं सफलता का आंकलन करेंगे–

(1) लाभदेयता और प्रादेशिक उपक्रम :

यद्यपि जब लोकोपक्रमों का प्रारम्भ किया गया था तो यह सोचा गया था कि यह लोकोपक्रम लाभार्जन के स्थान पर सेवाभाव से चलाए जायेंगे, राष्ट्रहित, उपभोक्ता हित को प्रधानता देते हुए वे लोकोपक्रम आदर्श नियोक्ता का रूप ग्रहण करेंगे। परन्तु जब सेवाभाव के जापे में भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता, उत्तरदायित्वहीनता इस चरम सीमा तक बढ़ी कि इन लोकोपक्रमों को सफेद हाथी की संज्ञा प्रदान की जाने लगी, इन्हें भ्रष्टाचार और राजनीति के अड्डे के कुत्सित नाम से अलंकृत किया जाने लगा ओर अब इनके माध्यम से समाजवादी समाज के स्थान पर राज्य पूंजीवाद का उदय होने लगा, और लाभार्जन के योजनाओं में पुनर्विनियोजन के स्थान पर घाटे पर घाटा व हानि पर हानि बेरोकटोक बढ़ती चली गई, तो अन्ततः घाटे के स्थान पर लाभार्जन पर हर कोने–कोने से, हर व्यक्ति के द्वारा अनिवार्यतः जोर डाला जाने लगा और निजी उपक्रमों की भाँति ही लोकोपक्रमों में भी लाभ को न्यायोचित और एक अनिवार्यता मानी जाने लगी। लोकोपक्रमों में लाभार्जन की नीति प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी द्वारा भी दुहराई गई और तब से हर नेता के जुबान पर लोकोपक्रम

में लाभार्जन एक रटे तोते के स्वर के समान जाने–अनजाने, सोते–जागते गूंजने लगा।

फलतः सारजेन्ट ल्फोरेन्स तथा गिल्बर्टवाकर का विचार, लोकोद्योग की कार्य कुशलता का आधारभूत मापक लाभदेयता है, यदि यह लाभ शोषण का परिणाम न हो, को ताक में रख दिया गया और लाभार्जन की होड़ में अधिकांश केन्द्रीय एवं प्रादेशिक उपक्रमों द्वारा येन–केन–प्रकारेण किसी न किसी बहाने मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ता हित व राष्ट्र हित की उपेक्षा ही नहीं की गई वरन् आज ऐसा लगता है कि तिलांजलि दे दी गई है।

परिणामतः यदि लाभदेयता को सफलता का मापदण्ड मान ही लिया जाए तो शोध प्रबन्ध के सर्वेक्षण में लिए गए 57 में से 19 उत्तर प्रदेश के लोकोपक्रमों में से 10 ने लाभार्जन किया। इसके अतिरिक्त बीमार मिलों का अधिग्रहण व उद्योग शून्य जनपद में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार करके, तथा "उद्योग बन्धु" जैसी संस्थाओं की स्थापना करके प्रदेश में औद्योगिकीकरण का वातावरण तैयार किया है। प्रत्येक जनपद में उद्योगों की स्थापना, व एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएँ संचित करके, अग्रणी बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता व उपदान की सुविधाएँ प्रदान कर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने का एक सफल प्रयास किया गया है और उत्तरोत्तर किया जा रहा है। प्रदेश का संतुलित विकास हो व प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम शीघ्रतम एवं श्रेष्ठतम विदोहन हो प्रदेश में बाहरी पूंजी आकर्षित हो, इस सबके लिए आकर्षक, उदार व सरल विनियोजन की नीति अपनाई गई है। जिससे प्रमुख उद्योगपति, टाटा, बिरला, अम्बानी, गोयनका, मोदी तथा इंग्लैण्ड के उद्योगपति (कपारो ग्रुप) प्रदेश में उद्योग लगा रहे हैं व संयुक्त एवं सार्वजनिक क्षेत्र को अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उद्योग की विद्यमान क्षमता का अधिकतम उपयोग हो इसके लिए कुशल एवं विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है तथा आधुनिकतम तकनीक अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास कार्यक्रमों पर किये जाने वाले व्यय में वृद्धि कर 1986–87 की वार्षिक योजनाओं में 147.90 करोड़ रुपया हो गया है जो वर्ष 1985–86 के परिव्यय से 29.10 करोड़ रुपया ज्यादा है और अब तक के किसी एक वर्ष में निर्धारित व्यय से अधिक है।

प्रदेश में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग का उत्तरोत्तर विकास सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में हो रहा है। अपट्रान टेलीविजन, इलैक्ट्रानिक्स सामान, रंगीन टी0वी0, डिजिटल्स आदि

शोधकार्यान्तर्गत प्रादेशिक उपक्रमों की
लाभ–हानि की स्थिति
(1981–82)
21801.69
21538.78
262.91
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
कुल लाभ
कुल हानि
शुद्ध हानि
लाख रुपयों में

के उत्पादन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स निगम देश का अग्रणी निगम है। इसके द्वारा रंगीन पिक्चर ट्यूब बनाने का देश का प्रथम कारखाना प्रदेश में ही है तथा उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

एक विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 16000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत किये जायेंगे।

क्षेत्रीय विकासार्थ अधिकांश जनपदों में आठ मण्डलीय विकास निगमों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय विशेष विकास कार्यक्रम हेतु परम्परागत स्थानीय कृत उद्यमों के विकासार्थ तथा स्थान विशेष की उपयुक्तता के आधार पर प्रदेश में 16 लोकोपक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।

अवस्थापना सुविधाओं को प्रदान करने हेतु 10 निगम प्रदेश में कार्यरत हैं। अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के सहायतार्थ चार उपक्रम चलाये जा रहे हैं। जिन्हें पर्याप्त सफलता मिली है और इन सभी के जीवन में अनेक प्रकार से आशा की किरण जागी है।

पांच वित्तीय निगम जीवनदायनी सुविधा अनेक उद्योगों को समय–समय पर दे रहे हैं। निर्माण सम्बन्धी आठ उपक्रम जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड लखनऊ है, भांति–भांति की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता दे रहा है।

अन्ततः आठ सेवा प्रदाय उपक्रम अपनी महत्वपूर्ण, सस्ती व कुशल सेवाए अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी उपक्रम उत्तर प्रदेश के त्वरित औद्योगिक अभियान में सम्मिलित रूप से सफलतापूर्वक अपना–अपना योगदान दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के उपक्रमों की विफलताएँ :

उत्तर प्रदेश के लोकोद्योग की विफलताओं की कहानी और उसके प्रमुख कारण एक लम्बी दास्तान कहते है और इन विफलताओं का स्वर केन्द्रीय लोकोपक्रमों विफलताओं केसमान कहा जा सकता है। अध्याय में वर्णित तालिका संख्या 71 इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि यद्यपि 19ग से उपकम में घाटा हुआ है परन्तु यह घाटा 10 उपकमों में अर्जित लाभ से 47गुना है जो एक प्रकार से आशा में घोर निराशा की गहन घटा है। यही नही

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की एक इकाई ने प्रादेशिक लोकोपक्रमों द्वारा स्थापित सभी निर्वतमानपर जैसे कालिख पोत दी हो। न केवल उत्पादन के लक्ष्य ही पूरे हुये है वरन गुणात्मक एंव परिमाणात्मक दोनो दृष्टिकोण से असफलता ही हाथ लगी है। प्रादेशिक उपक्रमों से आर्थिक एंव सामाजिक न्याय प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी थी। दुर्भागयवश प्रादेशिक लोकोपक्रम इन अपेक्षाओं को पूरा नही कर सकें "मूल्य नियंत्राण, उत्पादन की गुणसवत्ता, उत्पादन की उपलब्धि, कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व तथा सहयोग करने आदि किसी भी रूप में सार्वजनिक क्षेत्र आर्दश नही बन पाया है।" (लोक उद्योग, अगस्त 1974, पृ0स0 9, नायर सुकुमार टी)। अधिकांश इकाइयों की उत्पादन क्षमता का पूरा–पूरा प्रयोग न होने के कारण उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति में अति विलम्ब हुआ है। प्रायः औद्योगिक अशान्ति में तकनी कमी प्रशिक्षित श्रम की कमी के कारण असफलताएँ ही हाथ लगी हैं।

प्रो0 माथुर बी0 एल0 के शब्दों में– "सार्वजनिक उपक्रमों में जो मूल अपेक्षाएँ की गईं थी उसके विरुद्ध सार्वजनिक उपक्रम उत्पादन क्षमताओं के न्यून उपयोग, साधनों का दुरुपयोग, निम्नकोटि के उत्पादन के लिए उच्च कीमतों के घर बनकर रह गये हैं।" (भारत में लोक उद्योग, पृष्ठ 427, माथुर बी0 एल0)।

इन असफलताओं के अनेकानेक कारण हैं जो सूक्ष्म में निम्न प्रकार से हैं–

(1) कच्चे माल की आपूर्ति :

कच्चे माल की आपूर्ति समय पर न होना, आवश्यकता के अनुरूप न होना व उपयुक्त मूल्य पर प्राप्त न होना सबसे प्रमुख एवं ज्वलंत समस्या है।

(2) विद्युत आपूर्ति की समस्या :

विद्युत आपूर्ति की समस्या तो कोढ़ में खाज का कार्य करती है। अघोषित विद्युत कटौती से घंटों कार्य व उत्पादन ठप्प हो जाता है जबकि श्रमिकों एवं कर्मचारियों को इस समय के ए भी वेतन का भुगतान तो करना ही पड़ता है चाहे उत्पादन हो या न हो।

(3) अन्य उत्पादकों की गला घोंट स्पर्धा :

इस कारण से प्रायः प्रादेशिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अपनी वस्तु को लाभप्रद ढंग से उत्पादित कर विक्रय नहीं कर पाते और प्रायः स्टाक या तो धरा का ध ारा रह जाता है वरन् उसे सस्ती दर पर बेचकर घाट हो जाता है। यह स्थिति देश के निजी उपक्रमों के कारण नहीं वरन् विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय उद्यमों की स्पर्धा के कारण भी है।

(4) प्रबन्धकीय समस्या :

प्रायः प्रबन्धकीय स्तर की नियुक्तियाँ राजनीति व भाई–भतीजावाद से उत्पन्न होती है। इस कारण वर्षों कई स्थान रिक्त रखे जाते हैं और उपक्रमों को हानि उठानी पड़ती है। प्रायः ऐसे लोग स्वभावतः एवं जन्मजात व्यापार संचालन की प्रवृत्ति नहीं रखते। प्रायः अवकाश प्राप्त लोग उच्च पदों पर आसीन कर दिये जाते हैं। जिन्हें न तो व्यापार संचालन का अनुभव ही होता है और न रुचि। वे तो समय काटते हैं और अपने व अपने पश्चात् अपने बाल–बच्चों के लिए उन्हीं उपक्रमों में स्थान बनाते हैं। उनमें प्रेरणा की पहल ही कहाँ ? प्रति नियुक्तियाँ भी प्रादेशिक लोकोपक्रमों की अधोपतन की स्थिति के लिए उत्तरदायी कही जा सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की आलोचना करने वाले यह मानकर चलते हैं कि लोकोपक्रमों के प्रबन्धकों की अक्षमता तथा उनका लालच इन संस्थानों के निराशाजनक काम, ये असफलता क़ा एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ–साथ यह भी कहा जाता है कि यदि प्रबन्धक निष्ठावान व ईमानदार हों भी, तो उन्हें सही करने की स्वतंत्रता नहीं है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य यह हुआ कि डाक्टर की गलती के लिए रोगी को दोषी ठहराया जाए।

सार्वजनिक प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों और सरकार के मध्य सम्बन्ध उसी प्रकार का है जैसे निजी क्षेत्र के मालिक और उसके प्रबन्धकों के मध्य होता है। दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। दोनों ही अपने–अपने हित का पोषण करने में लगे होते रहते हैं। अन्तर इस जगह है कि जहाँ निजी क्षेत्र का मालिक एक ही होता है और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर गहरी नजर रखते हैं और उसी के अनुसार प्रबन्धकों को पुरुस्कृत करते व दण्डित करते हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में लक्ष्य अधिकांशतः अस्पष्ट होते हैं तथा वहाँ

कई–कई मालिक होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, महालेखाकार आदि। हर कोई विरोधी लक्ष्य निर्धारित करता है। अस्तु ''दो मुल्लों में मुर्गी हलाल नहीं होती'' वाली उक्त चरितार्थ होने लगती है। परिणामतः ऐसी विषम स्थिति में वहाँ निगरानी रखना या उसका मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। अस्तु उपयुक्त दण्ड या पुरुस्कार देने का कोई वास्तविक कारगर विधि सम्भव नहीं।

यद्यपि नीति निर्धारक स्वीकार करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सफलता हेतु उन्हें लाभ की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए परन्तु दुर्भाग्य यह है कि आज तक लाभ को ही सफलता का अन्तिम पैमाना माना जाता है और नीति निर्धारक आज तक इस प्रश्न का समाधान नहीं कर पाये कि इन प्रतिष्ठानों को लाभार्जन हेतु नहीं तो फिर किसलिए चलाया जाता है। लोकोपक्रमों की सभी गड़बड़ियों की जड़ मूलतः इसी बुद्धिजीवी गुत्थी से जन्म लेती है।

(5) मूल्य नीति की समस्या :

सार्वजनिक उद्योगों में मूल्य नीति का निर्धारण सरकार करती है। प्रायः इसके द्वारा निर्धारित मूल्य उपक्रम द्वारा सुझाए गए मूल्यों से बहुत नीचे होते हैं क्योंकि सरकार को इस सम्बन्ध में अपना कोई अनुभव नहीं होता। परिवर्तित परिस्थितियों के बदलने पर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय में अति विलम्ब होता है। जिसके कारण उपक्रम को प्रायः बड़ी मात्रा में हानि उठानी पड़ती है।

(6) निम्न लाभदेयता की समस्या :

प्रदेश के उपक्रमों में प्रदत्त पूँजी, राजकीय ऋण तथा अन्य ऋण मिलाकर विनियोजन की राशि उत्तरोत्तर बढ़ रही है परन्तु उस अनुपात में प्रादेशिक उपक्रमों में लाभदेयता में वृद्धि नहीं हो रही है। वर्तमान में दोषपूर्ण नीतियों, श्रमिक विवाद, कच्चे माल की अपर्याप्त पूर्ति ऊँचे मूल्यों पर विद्युत शक्ति की कमी के कारण इनमें निम्न लाभदेयता अथवा हानि हो रही है। आधुनिकतम वस्तुस्थिति उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक राज्य संस्थानों में 60 निगमों में से 24 घाटे पर चल रहे हैं। इनमें से 36 निगम लाभार्जन अवश्य कर रहे हैं परन्तु इन सबका लाभ मात्र एक निगम के घाटे के बराबर बैठता है। (दैनिक जागरण,

15.07.1987)।

(7) अतिरिक्त श्रमशील की समस्या :

प्रदेश के कई लोकोपक्रम ऐसे हैं जिनमें श्रमशक्ति का इतना अधिक बाहुल्य है कि एक समिति के अनुसार इतने व्यक्ति हो गये हैं कि उन्हें सिवाए इधर–उधर फिरने या मिलके इर्द–गिर्द चक्कर लगाने के अतिरिक्त और कुछ काम ही नहीं है।

(8) फिज़ूलखर्ची एवं भ्रष्टाचार की समस्या :

अतिरिक्त श्रम शक्ति से जुड़ी एक अन्य गम्भीर समस्या प्रादेशिक लोकोपक्रमों में फिजूलखर्ची एवं भ्रष्टाचार की समस्या है। इसका कारण सार्वजनिक उपक्रमों में विनियोजित धनराशि व्यक्तिगत धनराशि नहीं है। वातानुकूलित किराये पर लिए अतिथिगृहों, निर्माण लागत, फर्नीचर, लागत सभी पर मुक्तहस्त से जानबूझ कर किया गया व्यय भी बढ़ती हानि का एक मुख्य कारण है। टी0एन0 नाइनन, प्रभु चावला और पलकुन्नमु जी मथाई ने विभिन्न शहरों से मिली रिपोर्टों के आधार पर 15 मार्च 1987 के इण्डिया टुडे के हिन्दी संस्करण के 54वे पृष्ठ पर लिखा है–

"देश में खर्च होने वाला हर तीसरा रुपया किसी न किसी सरकारी विभा द्वारा खर्च होता है। और ये विभाग जो रुपए खर्च करते हैं उनमें से हर पांचवां रुपया फिजूलखर्ची के खाते में जाता है। यानी साल में 20000 करोड़ और प्रत्येक मिनट में चार लाख रुपए की देश में फिजूलखर्ची होती है।"

विधान सभा के वर्षकालीन सत्र जुलाई 1987 में बहस के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों विशेषकर राज्य परिवहन निगम एंव उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये है। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि कुल 60 में से 24 निगम जो आज घाटे पर चल रहे है, अतिरिक्त संसाधन जुआने के अपने मूल उददेश्य से भटक गये है और निरन्तर भ्रष्टाचार के कारण घाटे पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण घाटाा इस सीमा तक बढ़ गया है कि 36 निगमों का कुल लाभ एक निगम के घाटे के बराबर है। (दैनिक जागरण 15.7.1987)

(9) औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या :

प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रमों में एक प्रमुख समस्या, जिसके कारण उनके निर्बाध कार्य संचालन के मार्ग में बाधा आयी है व उपक्रमों के उत्पादन में चिन्तानीय गिरावट आयी है व लाभदेयता भी तेजी से गिरी है, वह है औद्योगिक सम्बन्धों में गिरावट होना बढती हुयी महंगायी और कर्मचारियों की महत्वाकाक्षांओं ने प्रबन्धको पर वेतन वृद्धि हेतु निरन्तर दबाव डाला है। श्रमिक संघों के आपसी झगड़े एंव प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के मध्य उपयुक्त सौहार्द का अभाव औद्योगिक सम्बन्धों में गिरावट के प्रमुख कारण है जो उत्पादन को प्रभावित करने, जिससे लाभार्जन में बाधा उत्पन्न होती है।

(10) नौकरशाही की समस्या :

प्रदेश के ही नही वरन सम्पूर्ण देश सार्वजनिक संस्थानों की एक प्रमुख समस्या नौकरशाही भी है, जिसके हाथों में अधिक कार्य–संचालन का दायित्व केन्द्रीकृत होती है सार्वजनिक उपक्रमों में संयत्र स्तर पर तीन अधिकरी स्तर होते है कम्पनी सचिवालय, सम्बन्धित मंत्रालय का सचिवालय तथा संसदीय नियंत्रण। इनके कर्मचारियों व अधिकारियों की अड़चनों के कारण प्राय उत्पादन एंव कार्य संचालन में बाधा पड़ती है और सहायता के स्थान पर भांति भांति के अवरोध उत्पन्न होते है। इसलिये कहागया है कि, 'नौकरशाही उस अग्नि शिखा के समान है जो सेवक के रूप में बहुमूल्य सिद्ध होती है।' (रेम्जेम्योर) इसके अतिरिक्त नौकरशाही द्वारा किये गये भारी भरकम खर्चे पर कोई अंकुश नही है।

(11) प्रशिक्षित मानवीय शक्ति का अभाव :

उत्तर प्रदेश के लोकोपक्रमों के असंतोषजनक निष्पादन और उत्तरोत्तर बढतें हुये घाटे का एक महत्वपूर्ण कारण मानवीय शक्ति के पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव पाया गया है। प्रदेश के लोकोपक्रमों में प्रबन्धकीय एंव उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण हेतु यद्यपि कुछ सीमा तक ही व्यवस्था हो पाई है किन्तु जहां एक ओर श्रमिक शक्ति की अनावश्यक बहुल्यता है वही दूसरी ओर इस सामान्य श्रमिकों एंव कर्मचारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था का लगभग पूर्णतया अभाव पाया गया। यह भी ज्ञात करने की प्रायः अधिकांश प्रादेशिक लोकोपक्रमों में विभिन्न पदों हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग की जाती रही है जो आवश्यकतानुरूप उपलब्ध

ा न होने पर जा तो लम्बी अवधि तक वे पद रिक्त बने रहते है या फिर अप्रशिक्षित या अध प्रशिक्षित कर्मचारी रखना पड़े है या फिर उपक्रम के कार्यो का निष्पादन संतोषजनक

(12) निर्धारित क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना :

जैसा कि पूर्व अध्यायों में वर्णित किया है कि अनेक प्रादेशिक लोक उद्योगों के अधिकांश संयंत्र अपनी निर्धारित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। इस कारण उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि सम्भव नहीं हो पाई है और घाटे की स्थिति का प्रायः उदय हुआ है। इसके अतिरिकत संयंत्रों पर ह्रास तथा नवीन संयंत्रों के आविष्कार के कारण वर्तमान संयंत्रों की उपादेयता सीमित हो जाती है जिससे उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि हुई है।

(13) बीमार मिलों का अधिहण :

सामाजिक न्याय व रोटी रोजी के अवसर कार्यरत कर्मचारियें व श्रमिकों के बने रहें, इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बीमार व घाटे पर चलने वाली औद्योगिक रुग्ण मिलों का अधिग्रहण किया है। वह अन्तराल जो निजी संस्थान को सार्वजनिक संस्थ्ज्ञान का रूप देने में लगा उसमें निजी संस्थान के मालिकों ने अच्छी मशीन के स्थान पर छुरी व बिगड़ी मशीन, मूल्यवान के स्थान पर सस्ती मशीन व मूल पुर्जों के स्थान पर नकली पुरजे लगाकर संस्थान को ऐसी जर्जर स्थिति में ला दिया, कि उनमें हानि के अतिरिक्त लाभ की कोई गुंजाइश भी न रह गई।

(14) परियोजनाओं के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब तथा सामाजिक लागत की अधिकता :

प्रायः लोकोपक्रमों में श्रमिकों व कर्मचारियों व अधिकारियों को अधिकाधिक आधुनिक आवासीय एवं अन्य सुख सुविधाओं को सुलभ कराने में जहाँ एक और अनावश्यक परियोजना व्यय बढ़ गया है वहीं दूसरी ओर इनके निर्माण पर अनावश्यक विलम्ब भी हुआ है। अस्तु उपक्रम के निर्धारित किये गये लक्ष्य पूर्णतया अस्त–व्यस्त हो जाते हैं।

(15) अधिकारों का अति केन्द्रीकरण :

कुछ प्रादेशिक उपक्रमों में अधिकारों में अधिकारों का केन्द्रीकरण इस सीमा तक बढ़ गया है कि भले ही वे उस उपक्रम के सिरमौर या हृदय हो परन्तु कर्मचारियों व श्रमिक वर्ग भी उनके हाथ पैर हैं, जिनके सहयोग बिना उद्योग सही रूप में नहीं चल सकता और आपसी खिंचाव व मनमुटाव के साथ–साथ एक दूसरे के प्रति अविश्वास पनपा है और स्वैच्छिक सहयोग सम्भव नहीं हो पाता तथा प्रायः उनमें हीनता की भावना व रुचि न लेने की भावना जाग्रत हुई है जिससे जिन दो चार उपक्रमों में यह देखने को मिला है वहाँ उत्पादन व कार्यकुशलता दोनों ही प्रभावित हुई है।

(16) सार्वजनिक उपक्रमों में बढ़ता सरकारी हस्तक्षेप :

केन्द्रीय उपक्रमों की भाँति ही प्रादेशिक सार्वजनिक उद्यमों में कार्य में सुधार न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण निर्णय लेने में विलम्ब तथा प्रेरणा की पहल न होना भी पाया गया है। यदि 19 प्रादेशिक उपक्रमों में 12 की प्रगति आख्या देखी जाए तो उनमें होने वाली हानियाँ या लाभार्जन की न्यूनता इस बात का स्पष्ट एवं निःसन्देह स्थिति को बतलाती है कि इनके प्रबन्धों पर त्वरित निर्णय लेने में अत्यधिक हिचकिचाहट होती है और उन्हें अपने वरिष्ठ फिर वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ तक कि सम्बद्ध मंत्री से पूछने की मजबूरी ही नहीं वरन् उनके इशारों पर चलना पड़ता है। इससे अनावश्यक विलम्ब और अधिकांशतः हानि ही होती है।

(17) नियंत्रण एवं स्वायत्ता की समस्या :

प्रदेश के प्रायः सभी लोकोपक्रमों में आपेक्षित स्वायत्तता और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उन पर नियंत्रण की भी है। "नियंत्रण और स्वायत्तता की लक्ष्य सिद्ध की स्थिति सिद्ध की स्थिति अब तक अस्पष्ट बनी है इससे इन प्रतिष्ठानों के समुचित कार्य संचालन में बाधा आती है।" (भारतीय अर्थव्यवस्था, ए0एन0 अग्रवाल, पृ0 संख्या 232, बारहवाँ संस्करण)।

(18) सार्वजनिक उपक्रमों पर ऋण का बोझ :

उन अनेक अनगिनत कारणों में से जिससे प्रदेश के अधिकांश सार्वजनिक

प्रतिष्ठान निरन्तर बढ़ते घाटे से पीड़ित हैं, उनमें से एक हैं कुल निवेश में ऋण का बहुत अधिक अनुपात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की तो सम्पूर्ण विनियोजित पूँजी सरकारी ऋण 2211.19 करोड़ रुपए के रूप में है। इससे उद्यम पर निश्चित ब्याज चुकाए जाने के कारण स्थायी रूप से एक बड़ा बोझ लग जाता है। वर्ष 1981–82 में परिषद द्वारा शुद्ध लाभ 3443 लाख रुपया अर्जित होने पर भी घाटे की स्थिति उदय हुई, जो निम्नवत् है–

शुद्ध लाभ	3443 लाख रुपया
सम्पत्ति ह्रास	5408 लाख रुपया घटाइए
सरकारी उपदान	15940 लाख रुपया घटाइए
ब्याज देना	2100 लाख रुपया घटाइए
शुद्ध हानि	20005 लाख रुपया घटाइए

ठीक इसी प्रकार कई अन्य प्रादेशिक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लाभार्जन की स्थिति हानि में परिवर्तित हुई है।

(19) उपक्रमों में अंकेक्षण की समस्या :

वर्तमान पद्धति के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों का अंकेक्षण महालेखा निदेशक की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षणों द्वारा किया जाता है। डा0 एप्पलवी के अनुसार, "महालेखा निदेशक की कार्य प्रणाली औपनिवेशक शासन की दूषित विरासत है।" इससे उपक्रम के प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (भारतीय अर्थशास्त्र, डा0 शर्मा एवं सिंह, पृष्ठ संख्या 419, संस्करण सत्रहवाँ)।

निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश के लोकोपक्रमों की वस्तु स्थिति को निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है– उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में 69 मुख्य निगम और 34 उप कम्पनियां हैं। इस तरह सन् 1985 के अन्त तक कुल 103 उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। इन निगमों के गठन के समय शासन की भावना यह थी कि यह प्रदेश की जनता को अधिक सुविधाएँ सुलभ करायेंगे तथा इनसे होने वाले लाभ से प्रदेश की विकास योजनाओं को आर्थिक सहयोग मिल सकेगा। परन्तु निगमों के कार्यकलापों को देखते हुए यह भावना पूर्णतया निर्मूल सिद्ध हुई। आज इन लोकोपक्रमों में प्रदेश में 4650 करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजित है, जिस पर आशा की गई थी कि ये निगम 10 प्रतिशत

लाभांश की दर से 4 अरब 65 करोड़ रुपया प्रदेश के विकास के लिए वित्तीय साधन के रूप में अर्जित एवं विनियोजित करायेंगे। परन्तु इन निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमताएँ तथा अन्य उपरोक्त वर्णित कारणों के फलस्वरूप लाभ के स्थान पर 225 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ रही है और जनता की सेवा और आर्थिक सहयोग के स्थान पर लगभग 600 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ रही है।

इस प्रकार एक ओर सरकार 9.75 प्रतिशत ब्याज दर पर बॉण्ड जारी कर ऋण मांग रही है और दूसरी ओर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई की अरबों रुपए की सम्पत्ति निगमों के नाम पर लूट रही है। स्थिति की विशेषता इस तथ्य से ही आंकी जा सकती है कि अधिकांश उपक्रम सरकारी ब्याज की रकम को भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, जो 31 मार्च, 1983 को 4 अरब 29 करोड़ रुपए थी।

इन निगमों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने के लिए तथा इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए 1974 में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्थापना की गई थी, जिससे ब्यूरो से अपेक्षा की गई थी कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को रोकने का प्रयास उपयुक्त अर्हताओं के व्यक्तियों का चयन करके व संचालन मण्डल में अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा कर सकेगा। परन्तु आज ब्यूरो के तीन वरिष्ठ अधिकारी ही इन निगमों से संबद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के 106 अधिकारियों के काले कारमानों पर परदा डाल रहे हैं और उनके हितों के रक्षा कर रहे हैं। इन निगमों की मनमानी का मूल कारण विधान सभा व विधान परिषद द्वारा गठित सार्वजनिक उपक्रम समिति, ए0 जी0 अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर ध्यान न देना व कार्यवाही न किया जाना है। परिणामस्वरूप ही प्रादेशिक निगमों की वित्तीय व्यवस्था दिन प्रतिदिन चिन्तनीय होती जा रही है।

अन्ततः यह कहना भी अनुचित और अनुपयुक्त होगा कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों की बढ़ती रोग ग्रस्तता और गिरती औद्योगिक विकास दर पर को देखकर प्रदेश सरकार भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को पनपने न देने में वर्तमान जटिल सरकारी प्रक्रियाएँ और आड़ में लाल पीलाशाही व नौकरशाही का खुला खेल जिम्मेदारी है। निःसन्देह इससे सार्वजनिक उद्योग को प्रभावित नहीं हुए वरन् लघु उद्योग की भी कमर तोड़ दी है।

राजनीतिक प्रभाव व दबाव :

अन्य क्षेत्रों की भांति हमारे सार्वजनिक क्षेत्र भी राजनीति के दाँव–पेंच, कुप्रभाव

व दबाव के अखाड़े बन गय हैं जिनमें मनमाने ढंग से पदोन्नति, स्थानान्तरण मंत्रियों के हाथ के हथकण्डे बन गये हैं जिससे मंत्री के जाति विशेष के लोग, उननके संग सम्बन्धी महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिये जाते है और फिर ये अधिकारी अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अकर्मण्य, अवांछि, अनुपयुक्त लोगों को अपने नीचे नियुक्त करते चले जाते है इस प्रकार जाति घोषण उदारपोषण एंव भाई भतीजावाद तो पनपता ही है साथ साथ उद्योग विशेष को अनुभवहीन अयोग्य व्यक्तियों के कारण अप्रत्याशित हानि उठानी पड़ती है और इन अनुभवहीन व्यक्तियों को अनुचित कार्य करने कराने और किसी भी निन्दनीय हानिप्रद स्थिति को दबाने व गुप्त रखने की खुली छूट मिल जाती है तथा 'चोर चोर मौसियारे भाई' की कहावत अक्षरशः सत्य उतरती है और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को करोड़ो रूपयों का घाटा बर्दास्त करना पड़ता है।

हाल में ही इस सम्बन्ध में राजधानी से प्रकाशित एक विज्ञप्ति में उद्योग मंत्री श्री जे0 वेगलराव और उनके सहयोगी सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री के0 के0 तिवारी के बीच इस प्रकार के कई अति गम्भीर मामलों को लेकर मत भेद सामने आये है। जिसमें श्री तिवारी द्वारा कई अधिकारियों का कार्यालय बढाना तथा वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार परिर्वतन करना आदि शामिल है। (दैनिक जागरण 17.7.1987 पृ0सं0 7)

विफलताओं को समाप्त करने हेतु सुझाव :–

उपरोक्त स्थिति से निपटने हेतु निम्नाकिंत सुझाव प्रस्तुत किये जाते है :–

(1) जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व :–

सर्वप्रथम सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडलो में जन प्रतिनिधियों की समुचित भागीदारी करें जिससे कि जनत की गाढी कमाई के दुर्पयोग पर अकुंश लगया जा सके और उन उपक्रमों के परिणामों के प्रति सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदार ठहराया जा सके। अभी तो अधिकांश अधिकारी और कही कही तो सभी अधिकारी सरकारी है इन अधिकारीयों का राजनीतिक प्रभाव इतना है कि वे चाहें सफेद की स्याही करते रहें फिर भी उनकी कोई बाल बाकां नही कर सकता। अस्तु जन प्रतिनिधियों द्वारा ही अकुंश लगाया जा सकता है।

(2) उपक्रमों को स्वायत्तता व स्वतंत्रता दी जानी चाहियें :–

सार्वजनिक उपक्रमों के सर्वोच्च पदों पर सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया

जाये तथा उनको निर्णय लेने की स्वंतत्रता होनी चाहिये। उनके कार्यो तथा निर्णयों में मंत्री व मंत्रालय के सचिवों का अनुचित व अनावश्यक हस्ताक्षेप न होना चाहिये। पीछे की सीट से गाडी चलने की नीति समाप्त होनी चाहिये। क्योकि इससे उपक्रम नौकरशाही के शिकार हो जाते हैं।

(3) सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबन्धकों की प्रेरणायें एंव प्रशासनिक न्याय :-

प्रायः यह पाया गया है कि निजी क्षेत्र के प्रबन्धकों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों को ऊंचे मौद्रिक वेतन भुगतान दिये जाते है, जिससे दक्ष एंव प्रशिक्षित व्यक्ति लोकोपक्रमों में न जाकर या तो निजी क्षेत्र में ऊंचे पदों पर जाना पसंन्द करते है अथवा विदेश चले जाते है। सन 1977-78 में निजी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति वार्षिक राशि 56000 रू. थी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वोच्च वेतन प्रायः 48000रू0 वार्षिक था। अतः इस हेतु लोकोपक्रमों में उच्च अधिकारियों को अधिक वेतन तथा प्रोत्साहन भत्ता आदि दिया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त ऐसे भी अनेक उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र में देखने को मिले है जिसमे कनिष्ठ अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारी पर वरीयता देकर उसे पदोन्नति नही दी गयी वरन वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ अधिकरी के नीचे काम करने को कहा गया है। अस्तु ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है और उन्हे प्रायः सार्वजनिक प्रतिष्ठाप छोड कर जाने के लिये विवश होना पड़ता है क्योकि उन्हे तुरन्त प्रशासनिक न्याय नही मिल पाता है और यदि कही न्याय मिला भी तो देर से मिलता है कि विलम्ब से प्राप्त न्याय एक प्रकार से न्याय न मिलना होता है।

इस सबके सर्वोपरि विशेष चतुर्थ , दक्षता या अधिकारी की दूरदर्शिता या अनुभव से लोकोपक्रमों की अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति में से प्रेरणा एंव प्रोत्साहन हेतु ऐसे अधिकारी को विशेष रूप से पुरूस्कृत व सम्मानित किया जाना चाहिये।

(4) उत्पादन-क्षमता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहियें :-

प्रायः अप्रत्याशित व परोक्ष कारणों से अनेक प्रादेशिक उपक्रमो की क्षमता को पूर्णरूपेण प्रयोग नही हो पाता है। अस्तु सभी उपक्रमों प्रारम्भ से ही ऐसा प्रयाश होना चाहिये कि वे सभी अवरोध इस प्रकार से समाप्त कर देना चाहिये कि उपक्रम की उत्पादन क्षमता का सर्वाधिक उपयोग किया जा सका। इसके लिये उत्पत्ति मिश्रण में विविधता लाना, संतुलित

कारी उपकरण की सुविधायें बढाना, यथा पावर जनरेटर लगाना, तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति निर्यात प्रोत्साहन, सहायक इकाईयों का विकास, कच्चे माल की पूर्ति को आयात को कल पुर्जो व संयत्रों की आपूर्ति को सरल व सुनिश्चित करना। उपकरणों की उचित देखभाल, अनुसंधान व विकास का कार्यक्रमों को बढावा देना, श्रम की उत्पादकता में प्रेरणा एंव श्रम प्रबन्ध प्रतिनिधित्व एंव प्रशिक्षण द्वारा दक्षताओं में अभिवृद्धि।

(5) उपयुक्त मूल्य नीति :–

प्रादेशिक उपक्रमों में व्यवाहारिक मूल्य नीति न रख कर अधिकतर सैद्धान्तिक आधार परजोर दिया जाता रहा है। उपक्रमों की स्वाभविक विविधता के कारण यह सैद्धान्तिक आधार समय और परिस्थितियों की कसौटी पर खरे नही उतरे, जिससे निरन्तर चिन्तनीय घाटे की स्थिति का उदय हुआ है और अकार्यक्षमता को छुपाने के अवसर मिले है। अस्तु मेरे विचार में मूल्य नीति इस प्रकार की होना, जिससे कर चुका देने के पश्चात कम से कम 12 प्रतिशत का या इससे अधिक भी लाभ कमाने की नीति को ही अपनाना चाहिये। इससे भी एक भ्रमजाल व भ्रान्ति से जनता को झुठलाया नही जाना चाहिये। देखा गया है कि जब–जब उपक्रमों के प्रति कठोर कदम उठाने की बात सरकारी क्षेत्र या मंत्रालय से उठाई जाती है तो अधिकांश लोकोपक्रमों ये केन प्रकारेण कुछ तर्क प्रस्तुत करके मूल्य बढवा लेते है और लाभ प्रदर्शित करने लगते है अस्तु सरकार द्वारा ऐसी, सभी क्रियाओं पर की निगार व अकुंश लगाना चाहिये, जिससे अकारण या खोखले तर्को के आधार पर मूल्य वृद्धि न हो सके और उपभोक्ताओं का शोषण हो सके और इस प्रकार गलत विधियों से लार्भाजन न किया जाये। सही दृष्टिकोण तो यह होगा कि प्रत्येक लोकोपक्रमों को व्यावसायिक आधार पर चलाकर तथा लागत कम करके उसके कार्यक्षमता में वृद्धि करने पर जोर दिया जाना चाहिये। इस प्रकार मूल्य नीति के तीन प्रत्यक्ष लक्ष्य, उपभोक्ता हित, उद्योग हित व राष्ट्र हित पूरे हो सकें।

(6) श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी एंव साझेदारी :–

विश्वास से विश्वास पनपता है और अविश्वास से अविश्वास। आज लोकोपक्रमों में प्रायःहोने वाली हड़तालो ने यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि श्रमिकों और प्रबन्धकों के तनावपूर्ण तथा अविश्वास पूर्ण सम्बन्धों से लोकोपक्रमों को हानि ही हानि होनी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, 'श्रमिक और मालिक दोनो ही एक मार्ग के राही है और एक रथ के दो पहिये है, एक साध्ना के दो साधक है, अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध से ही श्रमिक

और मालिक दोनो की भलाई के साथ देश की भलाई होगी।' अस्तु औद्योगिक प्रजातन्त्रवाद जिसमें श्रमिकों का सशक्त प्रतिनिधित्व हो आज की एक अनिवार्यता एंव सफलताकी एक पूर्व शर्त बन गयी। लोकोपक्रमों के अधिकारियों व प्रबन्धकों को श्रमिकों को प्रबन्ध में साझी दारी और लाभ में भागीदार बनाना चाहिये। इससे व उपक्रम को अपना समझेंगें, उसमें उनका वित्तीय हित निहित होगा, वे अपने को भी प्रबन्धक की भांति समझेगें और हानि लाभ के प्रति अपने को उत्तरदायी समझकर सलग्नता व पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगें।

(7) प्रगति प्रतिवेदन एंव विभिन्न समितियों एंव आयोगों के प्रतिवेदन :–

प्रायः अनुभव किया गया है कि कई लोकोपक्रमों के प्रगति प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत कही किये जाते। तथा विभिन्न लेखा एंव अनुमान समितियों व आयोगों की सिफारिशों का सही अर्थो में कार्यान्वन नही हो पाता। अस्तु इस सम्बन्ध में कडी कार्यवाही होनी चाहिये।

इसके साथ साथ जो समय लोक सभा में या राज्य सभा में लोकोपक्रमों की प्रगति विवेचन के लिये रकवा जावा है वह बहुत अपर्याप्त होता है आज संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है फिर भी लोकोपक्रमों के विवेचन के लिये राज्य और लोक सभा मे 7दिन से 15दिन का समय बहुत थोडा होता है। बढती हुयी संख्या व क्षेत्र के साथ साथ वाद विवाद एंव बहस हेतु निर्धारित दिनों में भी होनी चाहिये।

(8) विद्युत आपूर्ति :–

प्रदेश के सभी उपक्रमों मे विद्युत आंख मिचौनी अति महत्वपूर्ण समस्या है। प्रायः बिजली की आपूर्ति अनिश्चित, अनियमित होने के कारण उत्पादन में कमी आती है लक्ष्य पूरे नही होते है और हानि पर हानि होती चली जाती है। यद्यपि राज्य विद्युत परिषद मूल विद्युत आपूर्ति प्रबन्धकर्ता है। पर इसके अति अंसतोष कार्य निष्पादन से एक दो सार्वजनिक उद्योग ही नही वरन सम्पूर्ण प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा कर रह गयी हैं। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों ही अप्रत्याशित तथा वांछित ढ़ंग से प्रभावित हुये हैं। अस्तु अवस्थापना सुविधाओं में पावर जनरेटर लागाने को अनिवार्य कर देना चाहिये और संस्थान की क्षमता के अनुसार इतने बडे वोल्टस का ही जनरेटर लगाना चाहिये। जिससे उत्पादन अप्रभावित न हो और समय के अन्तर्गत गुणात्मक एंव परिणात्मक दोनों दृष्टिकोण से लक्ष्य पूरे हो सकें।

(9) प्रबन्ध स्वायत्तता :–

किसी भी लोकोपक्रमो के सफल संचालन हेतु वित्तीय लोच, कार्य कुशलता, स्वायत्ता, और लोक नियन्त्रण के मध्य एक सुखद समझौता कहा जाता है। इसमें उपक्रमों की स्वायत्तता सार्वाधिक महत्वपूर्ण है। लोकोपक्रमों मे स्वयत्तता बनी रहे इसके लिये आवश्यक है कि

(1) सार्वजनिक उपक्रमों की नीतियां निश्चित रूप से निर्धारित हों और उन नीतियों के अन्तर्गत कार्य करने के लिये निगम को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये।

(2) उच्चाधिकारियों को उपक्रमों के कामों में हस्तक्षेप नही करना चाहिये।

(3) उपक्रम के अधिकारियों द्वारा ठोस आधार पर निर्णय देने चाहिये तथा अनुचित दबाव एंव प्रभाव में नही आना चाहियें।

स्वायत्ता बनाम उत्तरदेयता को सुधारने व नियंत्रित करने की दो विधियां होती है। प्रथम विधि तो अन्तिम लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण है और प्रबन्धको को स्वतंत्र छोड दिया जाय या कम संकम हस्तक्षेप किया जाय। दूसरी विधि उत्पादन प्रकिया को इस प्रकार नियत्रित किया जाये जिससे वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। चूंकि लक्ष्य निर्धारण एक जअिल कार्य है इसलिये सरकार को दूसरी विधि ही अपनाना चाहिये। परन्तु एक बात फिर भी स्मरण रहे कि यदि लक्ष्य अस्पष्ट है तो अधिक स्वायत्तता हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अस्तु सुधार नियन्त्रण की मात्रा में ही नही वरन नियंत्रण के स्तर में भी होना चाहियें। यदि नियंत्रण की मात्रा घटा कर उसके स्तर में सुधार कर दिया जाये तो राज्य सरकार प्रबन्धकीय स्वयत्ता और प्रबन्धकीय उत्तरदेयता दोनो की ही बढा सकती है। इसके लिये मात्र लिखित आदेश पर्याप्त नही वरन स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण की है। हाल ही में होल्डिंग कम्पनियां, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बनाई गयी थी। जिससे कि उनहे अफसर शाही के चंगुल से मुक्त रखा जा सके, परन्तु मेरी समझ से यह दिखावटी व्यायाम मात्र है इससे वास्तविक विषय तो छूट ही जाता है। इस संबंध में सार्वजनिक राज्य मंत्री का निम्न कथन, 'यदि छोटी छोटी कमपनियां बडी कम्पानियों के आधीन कर दी जाये तो सरकार उन्हे पैसा देने के दायित्व से मुक्ति पा जायेगी' पूर्णतया सही नही कहा जा सकता।

(10) प्रबन्ध मण्डल एंव प्रबन्ध संचालन :–

सामान्यता लोकोपक्रमों का प्रबन्ध आई.ए.एस.केडर के उच्च अधिकारियों के

हाथ में होता है। इन अधिकारियों को व्यावसायिक संस्थानों का अनुभव होता है और न इस संबंध में उनको कोई प्रशिक्षण ही प्राप्त होता है। अधिकांश उपक्रमों में व्यापारिक सिद्धान्तो को अपनाने के कारण हानि होती है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष गजेंन्द्र गडकर के अनुसार, 'सचिवालय का कार्य चलाना एक बात है व कारखानों का संचालन करना दूसरी बात है। आई. ए. एस. सभी रोगों की दवा नही बन सकते।' अस्तु निम्न सुझाव दिये जा सकते है :–

(1) प्रबन्धक नियुक्त करते समय ही देखा जाये कि प्रबन्धको उसी व्यावसायिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण एंव अनुभव है।

(2) निजी क्षेत्र के अनुभवी एंव प्रशिक्षित प्रबन्धक यदि सार्वजनिक क्षेत्र में आना चाहें, तो उन्हे सादर आन्त्रित किया जाना चाहिये।

(3) सार्वजनिक उपक्रमों में राजनीतिको की नियुक्ति कतई नही होनी चाहिये।

(4) संचालक एंव प्रबन्धक संचालक, आदि को अपने–अपने क्षेत्र में पूर्ण अधिकार होना चाहिये।

(5) बृहताकार उपक्रमों में पूर्ण कालिक सवेतन प्रबन्धक एंव अन्य अधिकारी नियुक्त किये जाना चाहिये।

(6) नीति निर्धारण का कार्य प्रबन्ध मण्डल को बिना हस्तक्षेप के करना चाहिये।

प्रबन्ध नियन्त्रण का स्तर यदि सुधारना है तो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण के साथ–साथ प्रबन्धको को यह जानकारी दी जाना चाहिये कि लक्ष्यों की पूर्ति हा रही है या नहीं। इस हेतु निजी क्षेत्र में प्रचलित प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करनी चाहिये परन्तु निजी क्षेत्र से यह इस बात मे भिन्न होना चाहिये कि यह सामाजिक दायितव की धारणाओं पर आधारित हो जिससे लोकोपक्रमों की सार्वजनिक अथवा सामाजिक दृष्टि से की जा सके। इस सम्बनध में अर्जुन सेन गुप्त समिति द्वारा अग्रसरित सुझाव, जिसके अन्तर्गत एक प्रतिज्ञा पत्र सरकार व सार्वजनिक प्रतिष्ठान के मध्य ऐसा समझौता है जिसमें आपसी स्वीकृति से प्रतिष्ठान के लक्ष्य तय किये जाते है और उनकी पूर्ति के लिये राजकीय वित्तीय सहायता का उल्लेख किया जाता है।

(11) सार्वजनिक उपक्रम की संगठन संरचना :–

अभी तक हमारे देश में तीन प्रकार के सार्वजनिक संगठन सफलतापूर्वक संगठित किये गये है परन्तु विडम्बना यह है कि हमो देश के लोकोपक्रमों में कोई समान या विशेष सिद्धान्त नही अपनाया गया।

(1) विभागीय संगठन सरकार के मंत्रालय के अन्तर्गत विभाग के रूप में कार्य करते है। यथा चिरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आदि।

(2) स्वाशासित निगम, संसद द्वारा पारित नियमों के आधार पर बनते व संचालित होते है। यथा दामोदर घाटी निगम आदि।

(3) सरकारी कम्पनियां, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करती है। यथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि0 आदि।

अस्तु सुझाव है कि भविष्य में जितने भी निगम बनाये जाये और जो वर्तमान में है, उन सबमें एक ही नीति और नियम के अनुसार किया जाना चाहिये और सभी को एक ही एकीकृत संगठन के अन्तर्गत रखा जाय। यथा प्राकृतिक गैस आयोग इससे अनेक प्रकार की मितव्ययताएं होगी वा कार्य संचालन में सरलता व समरूपता होगी और तुलनात्मक आकंलन भी सरल हो जायेगा।

(12) वित्त संचयन :–

सार्वजनिक उपक्रमों में अभी तक छःप्रकार से वित्त जुटाया जाता है।

(1) अंश पूंजी

(2) ऋण पत्र

(3) सरकारी पत्र

(4) वित्तीय निगमों एंव बैकों से ऋण

(5) लाभ का पुनविनियोजन तथा

(6) जन निक्षेप

इसमें दीर्घ कालीन ऋण सरकार द्वारा एंव अल्पकालीन ऋण स्टेट बैंक द्वारा दिये जाते है जिसकी ब्याज की दर अधिक होती है। अस्तु सार्वजनिक उपक्रमो में स्वतः वित्त पोषण की नीति अपनानी चाहिये व सरकार पर निर्भरता कम करनी चाहिये। साथ

साथ इन्हें सरकार को लाभांश न देना चाहिये तो इससे अशंधारी असंतुष्ट न होंगे।

(13) तकनीकी सहयोग :-

हमारे देश एंव प्रदेश अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विदेशी तकनीकी सहायता से स्थापित किये गये है। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि तकनीकी क्षेत्रों की खोज, अनुसंधान व अनवेषण को देश व प्रदेश में ऐसी तकनीकी संस्थाऐं खोलकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे कि विदेश निर्भर को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके और देश व प्रदेश के उपक्रमों में आत्मनिर्भरत बढ सके।

(14) औद्योगिक रूगणता :-

औद्योगिक रूगणता यद्यपि विश्वव्यापी है परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका विशेष महत्व इसलिये भी है क्योंकि यहां देश व प्रदेश में उत्पादन हेतु पूंजी की कमी अनुभव की जा रही है, व बैकों व वित्तीय संस्थाओं का करोड़ो रूपया इन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रादेशिक इकाइयों में फंसता जा रहा है। इसलिये इस समस्या से न केवल वित्तीय संस्थायें, श्रमिक उपभोक्ता ही परेशान वरन सरकार एंव विनियोजक भी।

समस्या की गहनता का अनुमान मात्र इससे ही लगाया जा सकता हैं कि देश व प्रदेश में एक करोड़ से अधिक रूपया विनियोजित रूग्ण मिलों की संख्या 981 में 422 थी तथा इनमें 683 करोड रूपया बैंको व अन्य वित्तीय संस्थाओं का फंसा था। इसके अतिरिक्त इकाइयों में जिनकी संख्या 1981 में 22360 थी उन में 322 करोड़ रूपया फंसा हुआ था। इस समस्या के आन्तरिक एंव बाहुय दोनो ही कारण थे।

समस्या के उपचार हेतु सरकार प्रायः सामाजार्थिक उदार दृष्टिकोण के आध ार पर इनका अधिग्रहण करती रही है परन्तु प्रायः यह पाया गया है कि सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद किसी भी उद्योग की स्थिति सुधरने की बजाये, निरन्तर बिगड़ती ही जाती है।

अस्तु ऐसी इकाइयों के उपचार हेतु प्रादेशिक सरकार को औद्योगिक नर्सिंग होम की स्थापना कर देना चाहिये। इनमें विभिन्न क्षेत्रों यथा प्रारम्भ तकनीकी आदि के विशेष प्रतिनिधियों को न्यूनतम शुल्क पर अथवा निःशुल्क परार्मश दें जैसा कि राजस्थान राज्य में किया गया है।

इसके अतिरिक्त रूग्ण इकाई का उपचार प्रबन्ध श्रमिक वित्तीय संस्थायें एंव सरकार के समन्वयातमक प्रयासों का ही वांछित परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसमें से किसी भी पक्ष द्वारा किया जाने वाला असहयोग सारे प्रयासों का धराशायी करना होगा।

इस सब के प्रयत्नों के बावजूद यदि रूगण मिल को बचाया जाना सम्भव न हो तो ऐसी इकाई को समाप्त कर देना चाहिये क्योकि एक डूबती इकाई को बचाने के प्रयास में यदि दूसरी इकाई में विलय किया गया तो वह भी डूब जायेगी।

(15) लागत कम करना :–

प्रदेश के कई उपक्रम ऐसे है, जिनमें घाटे की स्थिति से उबरने व अपने दायित्व से बचने के लिये मूल्यवृद्धि कर लाभ कई कारणों से उचित ठहराया गया है। परन्तु लोकोपक्रमों के उत्पादों की मूल्यवृद्धि को उचित ठहराते हुये भी, इस तथ्य को भुलाया नही जा सकता कि इन उद्यम में लागत घटाने और कार्य–कुशलता सुधारने के प्रयत्न की अति आवश्यक है। वास्तव में इसके बिना मूल्यवृद्धि को उचित माना ही नही जा सकता अगर कारगर प्रयत्न किये बिना मूल्यवृद्धि की जाती है तो इसका अर्थ होगा अक्षमता को बढावा देना। लागत कम करने के लिये आवश्यक हैकि उद्यम की अल्प प्रयुक्त क्षमता को पूरी तरह से प्रयोग किया जाये। इसके अतिरिक्त माल की अकुशल व्यवस्था, कय विकय की उचित व्यवस्था का अभाव को बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था व संगठनात्मक संयोजन के द्वारा पूरा किया जा सकता है इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को उपयुक्त ढ़ंग से हर दूर दृष्टि से देख कर नही बनाया जाता। जिससे उस के कार्यन्वियन के समय उनके आकार और स्वरूप में समय–समय पर परिवर्तन आवश्यक होते है।

अतः श्रेष्ठतम ढंग से परियोजनाओं के बना कर उनके वर्तमान और भावी दूरगामी परिणामों और प्रभावों को देख कर बनाया व कार्यन्वित किया जाय, तो निश्चय ही लागत कम आयेगी और अन्य सम्भावित बुराइयों से बचा जा सकता है।

(16) जन दायित्व की समस्या का समाधान :–

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमो में जो पूंजी लगी है। वह राष्ट्र की है, राष्ट्र की जनता की है। अतः यह उचित है कि जनता के प्रतिनिधित्व को इन उपक्रमो के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने एंव उस पर अपने विचार व्यक्त करने का उचित अवसर व समय मिलना चाहिये था। इसके साथ–साथ सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा

स्थायी संसदीय समिति को पूर्ण जांच पड़ताल का अवसर दिया जाना चाहिये। समय समय पर जनता द्वारा समय समय ससंद में प्रश्न पूंछे जाते है, काम रोको प्रस्ताव रखे जाते है विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन संसद पटल पर प्रेषित किये जाते है। इन सभी का समुचित समाधान होना चाहिये व पर्याप्त समय, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप करके सर्वस्वीकार समाधान निकलना चाहिये। इसके लिये ऐसी प्रणाली का अनुसरण करना चाहिये, जिससे किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के बारे में बार बार प्रश्न उठाये जाये। एक बार में ही एक प्रकार के प्रश्नों का समाधान हो जाये।

भिन्न भिन्न समितियों के स्थान पर एक ही समिति होनी चाहिये। जिसे पूर्ण अधिकार होना चाहिये, जिसके प्रतिवेदन में भली भांति विचार विर्मश किया जा सके। ऐसा होने पर सार्वजनिक उद्यम के अधिकारी अपने उपक्रमों पर और अधिक ध्यान दे सकेंगें, समय नष्ट नही होगा व अनावश्यक विवाद से भी बचेंगें।

(17) अंकेक्षण एंव मूल्यांकन :–

केन्द्रीय उपक्रमों की भांति ही प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों एक समस्या उनके अंकेक्षण एंव मूल्यांकन की है क्योंकि इसमें जो वर्तमान व्यवस्था है उससे प्रादेशिक उपक्रमों में औचित्य अंकेक्षण एंव प्रकिया अंकेक्षण व कुशलता अंकेक्षण का अभाव है। अस्तु मेरे विचार से सभी प्रादेशिक उद्यमों को औचित्य अंकेक्षण प्रकिया अंकेक्षण एंव कुशलता अकेंक्षण प्रारम्भ कर देना चाहिये। जिससे अकेंक्षण के विषय पर पूंछे गये अनेक प्रश्नों विवादो में कमी हो सके तथा उपक्रम व्यावसायिक सिद्धान्तों पर चलकार कार्य कर सकें।

(18) समरूप प्रबन्ध प्रणाली :–

एक महत्वपूर्ण सुझाव, जो प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अग्रसरित किया गया है कि एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाली इकाइयों को उनकी उत्पादकता एंव लाभ दायकता बढ़ाने के लिये एक क्षेत्रीय निगम की स्थापना की जानी चाहिये। प्रबन्ध संचालन एंव संगठन समरूप होने व एक ही संस्था द्वारा निर्देशित होने पर सार्वजनिक उपक्रमों की कई समस्यायें सीमा तक हल हो जायेंगी।

(19) विविध सुझाव :–

सार्वजनिक उपक्रमों मे चोटी के प्रबन्धको की नियुक्ति अति सावधानी पूर्वक की जानी चाहिये। परिश्रमी ईमानदार और कार्य कुशल व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने

का अवसर बेरोक टोक व भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर किया जाना चाहिये। अयोग्य, भ्रष्ट व निकम्मे व्यक्तिओ को शीघ्रता से हटाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इन प्रतिष्ठानों में कार्य कुशलता लेखा परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो सकेगी।

(20) भत्तों तथा सुविधाओं में समानता :–

सभी सार्वजनिक संस्थानों में वेतन, भत्ते तथा सेवा सम्बन्धी शर्तें तथा विविध सुविधायें समान होनी चाहियें, अन्यथा राज्य सरकार के ही विभिन्न क्षेत्रों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन बढने से परिलब्धियां बढाने की होड़ होने लगती है। जिसका अप्रत्यक्ष भार राज्य श्रोतों पर ही पड़ता है।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित तथा पोषित एंव अधिग्रहित सभी संस्थाओं में श्रमिक सम्बन्धों तथा कर्मचारी कल्याण के लिये समान नीति बनायी जानी चाहिये। समान नीति होने के कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा तथा मांगे होने के कारण श्रमिक अशान्ति का भय नही रहता, उदाहरणार्थ राज्य विद्युत परिषद द्वारा समय–समय पर वेतनमानों के संशोधनों तथा अल्पावधि में पुनरीक्षण की बात कई बार उठाई जा चुकी है। इस समस्या का समाधान उपक्रमों की अर्थव्यवस्था में महत्व की दृष्टि से वर्गीकरण करने तथा एक जैसे वर्गीकरण में आने वाले उद्यमों के लिए समान नीति का अनुसरण करने से समाप्त हो सकती है।

(21) अवस्थापना सुविधाओं की सुलभता को उद्योग–स्थापना से पूर्व सुनिश्चित व्यवस्था :

श्री मनमोहन सिंह, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स इण्ड इण्टस्ट्रीज ने एक साक्षात्कार में कुछ अव्यवहारिक और प्राथमिकता देने वाले विचार व्यक्त हैं जो निम्नलिखित हैं– "आज उत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का हिस्सा मात्र 12 प्रतिशत है जो यह स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार रहा है। मात्र रायबरेली, गोंडा और सुल्तानपुर में उद्योग लगाने से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में दो चार बड़े उद्योग लगाने से ही प्रदेश का संतुलन नहीं हो जायेगा। आवश्यकता है सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की, यथा बिजली, कोयला, इस्पात, आवागमन के साधन आदि के विकास व विस्तार की, जिन पर प्रदेश का आर्थिक विकास एवं औद्योगिकीकरण निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आवश्यकता से आधीन बिजली मिल रही है। अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 60 प्रतिशत और कहीं 2 प्रतिशत कटौती हो जाती है, जो उत्पादन व लागत दोनों को प्रभावित करती है। कोयले की आपूर्ति भी अति असंतोषजनक है। घटिया किस्म कोयला, घटतौली, ड्रेसेज आदि ऐसे खर्चे हैं जिनका उद्योग विशेष को 30 प्रतिशत तक भार वहन करना पड़ता है। वैगनों की कमी, आवागम के साधनों का अवरोध व अनावश्यक विलम्ब व बढ़ते हुए भाड़े भी प्रदेश के औद्योगिकीकरण की गति को कम करते हैं। अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश मेसर्स प्रथम औद्योगिक वातावरण बनाया जाए तथा अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें, तभी और तब तक नहीं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक मानचित्र में कोई महत्वपूर्ण स्थान पा सकेगा, अन्यथा नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र का अभिनव स्वरूप एवं समाधान :

समस्त विश्व आज प्रगति की दौड़ में शीघ्रातिशीघ्र आगे निकल जाने की होड़ लगाये है। इसके लिए नियोजित अर्थ व्यवस्था पर आधारित तीन विकास प्रारूप (मॉडल) अपनाए गए हैं। कुछ विकासशील देशों में राज्य की क्रियायें अवस्थापना सुविधाओं तक ही सीमित होती है और जैसे–जैसे देश की परिस्थिति सम्हलती एवं बदलती जाती है व निजी क्षेत्र अधिकाधिक दायित्व ओढ़ता जाता है सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र सीमित होता जाता है। दूसरे वे साम्यवादी या समाजवादी पद्धति को अपनाए देश हैं जहां आर्थिक विकास का प्रारूप सरकार द्वारा इसलिए नियंत्रित होता है क्योंकि वे निजी क्षेत्र को सामाजिक न्याय न करने वाला मानते हैं। यद्यपि यह विकास प्रारूप की प्रक्रिया धीमी होती है परन्तु कालान्तर में सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ता जाता है ओर निजी क्षेत्र सिमटता एवं समाप्त होता जाता है।

आर्थिक विकास एवं प्रगति का तीसरा आर्थिक प्रगति प्रारूप (इकोनोमिक्स मॉडल) जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह–अस्तित्व रहता है, भारत में व्यवहार में है क्योंकि सोचा गया था कि इस विकास मॉडल के फलस्वरूप हम समाजवादी समाज की संरचना कर सकेंगे, सामाजार्थिक न्याय प्रदान कर सकेंगे, पूंजी का संचय चन्द हाथों में न होकर समस्त राष्ट्र में वितरित रहेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध सम्भव न हो सकेगी, कुछ महत्वपूर्ण उद्योग सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे तथा कुछ निश्चित रूप से घोषित निजी क्षेत्र के उद्योग होंगे और साथ में होगा संयुक्त या मिश्रित क्षेत्र इस प्रकार यह आर्थिक प्रगति मॉडल सरकार एवं निजी व्यक्तियों के सामंजस्य का एक सुखद आदर्श उपस्थित करेगा।

इस प्रकार एक स्वर्णिम विहान की कल्पना लेकर, जिसमें सबको रोजगार

मिलेगा, दो जून की रोटी निश्चित होगी, समाजवादी समाज स्थापित होगा सभी सुखी होंगे। कृषि व सद्योग में संतुलन स्थापित होगा। इस आशा से प्रेरित होकर हमने मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को आधार शिला बनाकर देश व प्रदेशों में गगनचुंबी आर्थिक सम्पन्नता का महल बनाने का स्वप्न संजोया था। परन्तु यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में देश में और उत्तर प्रदेश में भी सार्वजनिक क्षेत्र का उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तार हुआ है परन्तु देश व प्रदेश के उपक्रमों की विफलता और दोषपूर्ण प्रणाली से सार्वजनिक क्षेत्र की हालत आज सांप और छंछूदर जैसी होकर रह गई है। योजनान्तर्गत प्रादेशिक आर्थिक लक्ष्यों को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र का दायित्व अब और बढ़ गया है, अस्तु सभी समस्याओं, विफलताओं व कर्मियों को देखते हुए एक ऐसा आर्थिक प्रगति मॉडल बनाना है, जो कम से कम दोषों को दूर करते हुए योजना के लक्ष्यों को पूराकर सके। दूसरे शब्दों में कुशलतापूर्ण ओर लाभदायक भी हो और इसके लिए जनता जनार्दन को गाढ़ी कमाई व विदेशी ऋण की अपार धनराशि सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई है जिसकी अनेकानेक खामियों के होते हुए भी न उन दोषों को मिटाया जा पा रहा है और न ही सार्वजनिक क्षेत्र के अभियान को ही एक दम से समाप्त ही किया जा पा रहा है। और न किया जाना ही चाहिए। अस्तु अफसरशाही और लालफीताशाही के अनन्त दूषित चक्र में फंसे प्रादेशिक उपक्रम, उनकी अविवेकशील व्ययनीति, असंतोषजनक श्रम प्रबन्ध, राजनीति हस्तक्षेप, वित्तीय अगतिशीलता, अपव्यय की प्रवृत्ति, मांग और पूर्ति में तालमेल न होना और ऐसे ही अनगिनत कारणों से प्रादेशिक सार्वजनिक क्षेत्र की जो दुर्गति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आज सार्वजनिक इकाइयों के आर्थिक समीकरणों में परिवर्तन लाना एक विवशता ही नहीं वरन् अनिवार्यता हो गई है।

अस्तु सार्वजनिक उपक्रमों के विकास मॉडल के लिए सर्वप्रथम इनके प्रबन्ध ा का दायित्व कुशल तथा अनुभवी प्रबन्धकों को सौंपा जाए। इसके लिए एक आवश्यक एवं प्रभावी कदम यह भी होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर से विभागीय जांच और नियंत्रण हटाया जाए, क्योंकि विभागीय तंत्र जहां कहीं है वह बहुत बड़े सुनियोजिजत भ्रष्टाचार का शिकार है। अप्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र पर पड़े बिना नहीं रह पाता। अस्तु इसके लिए स्थान पर ऐसी व्यवस्था लागू की जाय जिसमें प्रबन्धकों को अधिक स्वायत्तता व अधिकार हों और उन्हें पूर्ण रूपेण अनेक कार्य दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिससे प्रादेशिक उपक्रमों को कुशल तथा लाभदायक बनाया जा सकता है। वह है रुग्ण एवं घांटे पर चलने वाले उपक्रमों में दीर्घकालन वित्त नीति में तथा मूल्य नीति

में परिवर्तन करना। इसके अन्तर्गत घाटे पर चल रहे उपक्रमों के आधरभूत उत्पादन के मूल्यों को उनकी लागतों से थोड़ा अधिक रक्खे, जिससे उन वस्तुओं को प्रचलित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेचने पर उपभोक्ता को भी लाभ हो तथा उपक्रम को भी लाभ की गुंजाइश बनी रहे। इस लाभोन्मुखी नीति को ही सकता है कि कुछ लोग सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अनुचित ठहरा सकते हैं परन्तु वर्तमान स्थिति में इस नीति की उपेक्षा करना, जब कि प्रदेश के लोक उद्योग घाटे की विषम स्थिति से गुजर रहे हैं, भारी भूल होगी। वस्तुतः लाभ की यह रीति अपनाना एक चाबुक का कार्य करेगी जिससे सार्वजनिक इकाइयों को कुव्यवहार करने से रोका जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोग बीमार इकाइयों के अस्पताल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मृतप्राय उपक्रमों को समाप्त कर देना होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपेक्षित संसाधन जुटाने का दायित्व लें।

तीसरी आवश्यकता विकास मॉडल के लिए, अभी तक के तनावपूर्ण एवं अनुशासन ही श्रम सम्बन्धों को सुधारना श्रम समस्याओं से निपटने के लिए, नई श्रम एवं वित्त नीति को इस प्रकार क्रियान्वयन करना जिससे प्रत्येक इकाई की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े, श्रम विधान का सरलीकरण करना है, जिससे सार्वजनिक उपक्रमों तथा श्रमिकों के मध य तनाव और अनिश्चियता की समस्या सुलझाई जा सके।

चौथी व सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता, जो हर उपक्रम संचालन के लिए एक पूर्व अनिवार्य शर्त होनी चाहिए, वह है अवस्थापना सुविधाओं में आत्मनिर्भरता एवं सुनिश्चित ओर सहीव सामयिक आपूर्ति यथासम्भव इस हेतु अपना आवश्यक क्षमता का जेनरेटिंग सेट, जल आपूर्ति हेतु स्वयं का ट्यूब बैल तथा इन सबकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

अन्ततः बदलते हहुए आर्थिक समीकरण में आर्थिक विकास मॉडल को लाभोन्मुखी बनाना होगा और निवेशित पूंजी के अनुरूप प्रतिफल तो होना ही चाहिए। अस्तु वर्तमान. आर्थिक परिवेश में घोषित नीतियों के तहत यदि समन्वित रूप से राज्य सरकार जुट जाए तो निश्चय ही दूरगामी और फलदायी परिणाम होंगे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शब्दों में, ''योजनाबद्ध तरीके से काम करके हम आधुनिक एवं आत्मनिर्भर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार बाने में सफल होंगे अनेक उच्चकोटि की विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकेंगे और सार्वजनिक उपक्रम व्यवस्था के कई उद्योगों का मार्गदर्शन तथा आदर्श उपस्थित करने में पूर्णतया व निःसंदेह सफल होंगे। सफलता की सीढ़ी पर सरलता और दृढ़ता से बढ़कर अभीष्ट लक्ष्य के प्राप्ति का स्वप्रनिश्चय विहान की परिकल्पना अवश्य ही सफलीभूत

कर प्रजातांत्रिक समाजवादी एवं एक अभिनव अवश्य ही सफलीभूत कर प्रजातंत्रिक समाजवादी एवं एक अभिनव उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन् अभिनव भारत की स्थापना की जा कसती है, और तभी प्रादेशिक उपक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर स्वर्णिम विहान की कल्पना को साकार कर सकते हैं और तभी हमारे प्रिय प्रथम प्रधान मंत्री स्व0 जवाहरलाल नेहरू की अभिव्यक्तिनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लोकोपक्रमों में सही अर्थ में आधुनिक युग के तीर्थ स्थानों में अडिग व अटूट आत्मविश्वास स्थापित कर सकेंगे, तथा देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ और स्वीकार कर सकेंगे।

प्रश्नोत्तरी

1. लोकोपक्रम का नाम :
2. लोकोपक्रम की स्थापना :..स्थान.............................सन्.....................
3. लोकोपक्रम का मुख्यालय:
4. लोकोपक्रम की शाखायें :
5. लोकोपक्रम के निदेशक :
6. लोकोपक्रम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी:
7. लोकोपक्रम के कर्मचारियों की संख्या:
8. लोकोपक्रमों में कर्मचारी आधिक्य :
9. लोकोपक्रम के विविध उत्पादन :
10. लोकोपक्रम के पिछले तीन वर्ष के लक्ष्य :
11. लोकोपक्रमों के पिछले तीन वर्षों में लक्ष्य पूर्ति :
12. लोकोपक्रम में लक्ष्य पूर्ति न होने के कारण :
    (अ) विद्युत आपूर्ति की कमी :
    (ब) कच्चे माल की कमी :
    (स) हड़ताल या तालाबन्दी (मानव दिवसों की हानि) :
    (द) इकाई की उत्पादन क्षमता का प्रतिशत उपयोग :
13. लोकोपक्रम की पूंजी :
    (अ) अधिकृत:
    (ब) प्रदत्त :
    (स) अन्य अंश :
14. लोकोपक्रम पर ऋण :
15. लोकोपक्रम में पिछले तीन वर्ष की लाभ/हानि की स्थिति :
16. अन्य महत्वपूर्ण सूचना या सांख्यिकी :

BIBLOGRAPHY

1-	Agarwal A. N.	:	Indian Economy.
2-	Agarwal R. C.	:	State Enterprises in India
3-	Anstay Vera	:	The Economic Development of India.
4-	Appleby Paul H.	:	Industrial & Commercial Enterprises.
5-	Clements E. C.	:	Economics of Public Utilities.
6-	Dr. Das Nabha Gopal	:	Industrial Enterprises in India.
7-	Dr. Das Nabha Gopal	:	The Public Sector in India.
8-	Douglas M. C. Gregor	:	The Human Side of Enterprises.
9-	Forwoqui Irshat H.	:	Micro Structure of Public Enterprises in India
10-	Ghose Alak	:	Indian Economy.
11-	Gupta H. R.	:	Issues in Public Enterprises.
12-	Gupta N. S.	:	Industrial Structure of India During Medival Period.
13-	Gupta R. K.	:	Public Enterprises in India.
14-	Hanson A. H.	:	Public Enterprises & Economic Development.
15-	Jain P. C.	:	Industrial Problems.
16-	Jaiswal S. L.	:	The Public Sector in India.
17-	Kangle R. P.	:	Kantilya Arthashastra.
18-	Khera S. S.	:	Government in Business.
19-	Khera S. S.	:	Management & Control of Public Enterprises.
20-	Kucchal	:	Industrial Economy in India.
21-	Laxmi Narayan	:	Principles & Practice of of Public Enterprises Management.
22-	Laxmi Narayan V.	:	Performance Appraisal in Public Enterprises.
23-	Mathur B. P.	:	Public Enterprises in Perspective.
24-	Mishra R. K. Shankar & Others	:	Productivity in Public Enterprises.
25-	Naidu K. Ramu	:	Public Enterprise Boards.
26-	Narayan Laxmi	:	The Pubic Enterprises in India.

27- N. N. Mallya : Public Enterprises in India.

28- Dr. Prakash Jagdish : Public Enterprises in India.

29- Dr. Prakash Om : The Thury & Working of State Corporations with Spacial Deference to India.

30- Dr. Prakash Om : The Economic Sins of Nations.

31- Prashad Parmanand : Efficiency and Its Evolution in Public Enterprises.

32- Prashad Parmanand : Some Economic Problems of Public Enterprises.

33- Rama Nathan V. V. : The Structure of Public Enterprises in India.

34- Rama Nathan V. V. : Public Enterprises in India.

35- Rama Swami T. R. : Public Enterprises in India.

36- Ratnam Venkata : Public Enterprises Boards.

37- Ras V. K. R. V. : The Public Sector in India.

38- Raj Ajit : Planning of India.

39- Robson W. A. : Problems of National ised Industry.

40- Robson W. A. : Public Enterprises.

41- Rosen George : Industrial Changes in India.

42- Shankera Subramanyam: K. A. Public Sector - A Servey.

43- Saxena A. N. : Producturty in Public Enterprises.

44- Seth M. L. : Economic Planning (Theory & Practice)

45- Shah K. T. : Ancient Foundations of Economics.

46- Shastri J. V. S. : Management of Public Enterprises.

47- Shanks Michael : The Lesson of Public Enterprises.

48- Sharma T. R. : Working of State Enterprises in India.

49- Shukla M. C. : Administrative Problems of Public Enterprises.

50- Singh K. R. P. : State Industrialisation of Developing Contries.

51- Subba Rao P. : Public Sector as a Model Employer.

PUBLICATIONS OF DIFFERENT INSTITUTIONS

1-	Directory & Year Book	:	Times of India
2-	The Economics of Under Developed Contries.	:	World University, London
3-	Public Enterprises in India (A Perspective Review)	:	Public Enterprises Bureau Lucknow
4-	Industrial Relations in Public Sector	:	Public Enterprises Bureau Lucknow
5-	Towards Commanding Heights	:	Public Enterprises Bureau Lucknow
6-	Performances of Indian Public Enterprises.	:	Public Enterprises Bureau Lucknow
7-	Govt. Policy for the Management of Public Enterprises.	:	Public Enterprises Bureau Lucknow
8-	Directory of Key Personnel in Public Sector.	:	Public Enterprises Bureau Lucknow
9-	Incentive Schemes in Public Sector Enterprises.	:	Public Enterprises Bureau Lucknow

हिन्दी पुस्तकें

1.	अग्रवाल ए0 एन0	:	भारत का आर्थिक विकास एवं आयोजन
2.	भण्डारी एवं जौहरी	:	भारत का आर्थिक नियोजन
3.	भण्डारी एवं जौहरी	:	आर्थिक प्रगति के सिद्धान्त
4.	कुलश्रेष्ठ आर0 एस0	:	औद्योगिक अर्थशास्त्र
5.	डा0 गुप्ता	:	औद्योगिक अर्थशास्त्र
6.	नाथूराम का	:	भारतीय अर्थशास्त्र
7.	निगम रामगुलाम	:	लोकोपक्रम एवं लोकोपयोगी सेवाएँ
8.	माथुर बी0 एल0	:	भारत में लोक उद्योग
9.	मेमोरिया एवं जैन	:	भारतीय अर्थशास्त्र
10.	शर्मा एवं सिंह	:	भारतीय अर्थशास्त्र

11. शर्मा टी0 सी0 : भारत का आर्थिक एवं क्षेत्रीय भूगोल

12. सेन एम0 पी0 : भारत में लोक उद्योग

13. त्रिपाठी बी0 एन0 : भारत में लोक उद्योग

Magazines

1- Prabandh : Bureau of State Enterprises U. P.

2- Economic & Political Weekly

3- Eastern Economist

4- Competition Master

5- Commerce

6- Economics Times

7- Yojana (English Edition) 1982-1985 Senes.

8- Five Year Plans (I to VI) Planning Commission New Delhi.

9- Statistical Evolution of U. P. Govt. of U. P. Planning Board Allahabad.

10- Public Enterprises in India Institute of Public Enterprises Research Allahabad.

11- Indian Journal of Public Enterprises Vol. I (1986).

REPORTS

1- Annual Reports on the working of Industrial & Commercial Undertakings of Central Government : Bureeme of Public Enterprises New Delhi.

2- Annual Report (BHEL, JHANSI - 1982-83).

3- Industrial Commission Report 1916-18.

4- Reports of the Parliamentary Committee of Public under takings.

5- Principal Public undertakings in India (The Cobinet Secretariate of Govt. of India)

6- Report of the Senionar on Organisation & Administration of the Public Enterprises in Industrial Field.

7- Report of the Commission for Asia & Far East.

8- Report of the Administrative Reform Commission.

9- Report of the Study Group on Labour Poblems in Public Sector.

10- Seminar Reports on Management of Public Industrial Enterprises (Indian Institute of Public Administration).

11- Industrial Policy Resolutions 1948, 1956, 1977, 1980.

हिन्दी प्रतिवेदन

1. सार्वजनिक उद्यमों की वार्षिक रिपोर्ट 1981–82
2. लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983–84 खण्ड–1 (भारत सरकार)
3. लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983–84 खण्ड–2 (भारत सरकार)
4. भारत के नियंत्रक–महासंघ परीक्षक का प्रतिवेदन 1983–84
5. आर्थिक समीक्षा 1983–84 (भारत सरकार)
6. औद्योगिक विकास विभाग रिपोर्ट 1984–85 (भारत सरकार)
7. उत्तर प्रदेश सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी 1978
8. कार्य निष्पादन बजट 1986–87 (भारत सरकार)
9. सांख्यकीय डायरी उत्तर प्रदेश 1985

हिन्दी पत्रिकाएँ

1. योजना (हिन्दी संस्करण) 1985–87
2. कुरुक्षेत्र 1986–87
3. इण्डिया टुडे 1987
4. प्रतियोगिता दर्पण 1985–86
5. विनमान
6. उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास (प्रगति समीक्षा 1981–82–83)
7. लोक उद्योग 1982–83

IMPORTANT ARTICLES

(FROM PAPERS SUBMITTED DURING SEMINARS)

1- Dr. Aruna Chelam : Business & Government.
2- Dr. Ayer V . G. R. : Public & Commercial under taking.
3- Brahmanand P. R. : Financing Public Enterprises.
4- Das N. : Lobour Policy in Public Sector.
5- Das B. S. : Public Industrial Enterprises.
6- Dutta R. C. : Public Sector in Indian Industry.
7- Mishra R. K. : Public Enterprises in India.

8- Raman M. V. V. : Productivity in Public Enterprises.

9- Saxena A. N. : Productivity in Public Enterprises.

10- Varsney R. L. : Pricing Policy in Public Enterprises.